VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

जुलाई - 2019

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

विषय सूची

1. राजव्यवस्था एवं संविधान (Polity & Constitution) 5

1.1. सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन 5

1.2. मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 6

1.3. अतंर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 7

1.4. संसदीय स्थायी समितियाँ 9

1.5. राज्य द्वारा चुनावी वित्तपोषण 10

1.6. भारत में निःशुल्क विधिक सहायता 12

1.7. भारत में माध्यस्थम 14

1.8. नौकरियों में स्थानीय कोटा नियत करने की मांग 15

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) 18

2.1. क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी 18

2.2. अफगान शांति प्रक्रिया 21

2.3. भारत को नाटो के सहयोगी का दर्जा 23

2.4. भारत-यूनाइटेड किंगडम संबंध 25

2.5. अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र 28

3. अर्थव्यवस्था (Economy) 30

3.1. बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 50 वर्ष 30

3.2. विदेशी मुद्रा उधारियाँ 31

3.3. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनिमयन 33

3.4. अविनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम, 2019 36

3.5. कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार 37

3.6. विनिवेश 39

3.7. गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस 41

3.8. सड़क सुरक्षा 44

3.9. बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 46

3.10. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व 48

3.11. मॉडल किराएदारी अधिनियम, 2019 का मसौदा 50

3.12. खाद्य सुरक्षा- खाद्य भविष्य 51

4. सुरक्षा (Security) 54

4.1. गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 54

4.2. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) अधिनियम, 2019 56

VISION IAS

4.3. धन शोधन निवारण अधिनियम 58
4.4. पुलिस सुधार....60
5. पर्यावरण (Environment) 63
5.1. जल शक्ति अभियान....63
5.2. बाढ़....66
5.2.1. शहरी बाढ़....68
5.3. पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान....70
5.4. ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट - 2018....71
5.5. राइनो कंजर्वेशन....73
5.6. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी में गिरावट....74
5.7. अर्थ ओवरशूट डे....75
5.8. डीप ओशन मिशन को लॉन्च करने की केंद्र की योजना....75
5.9. रेड मड का उपयोग....76
6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) 78
6.1. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019....78
6.2. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019....80
6.3. सरोगेसी विधेयक....82
6.4. क्या भारत सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु तत्पर है?....84
6.5. स्टडी इन इंडिया....86
7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology) 88
7.1. गगनयान....88
7.2. चन्द्रयान 2....90
7.3. DNA प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2019....91
7.4. जैविक अनुसंधान डेटा....94
7.5. कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता....95
7.6. नवाचार पारितंत्र....98
7.7. पशु आहार में प्रतिजैविकों का प्रयोग....100
8. संस्कृति (Culture) 102
8.1. मिनी खजुराहो....102
8.2. संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार वितरण....102
8.3. स्वदेशी भाषाएँ....103
8.4. जयपुर को विश्व विरासत स्थल का दर्जा....103

VISION IAS

8.5. सुर्ख़ियों में रहे सांस्कृतिक त्यौहार 104

9. नीतिशास्त्र (Ethics) 105

9.1. निगरानी समाज 105

10. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Short) 107

10.1. द्वितीय भारत-रूस रणनीतिक आर्थिक संवाद 107

10.2. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 107

10.3. उत्कर्ष 2022 108

10.4. RBI ने बैंकों को एकबारगी निपटान के तौर पर अपने NPAs को विदेश में विक्रय करने की अनुमति दी....108

10.5. मोतिहारी-अमलेखगंज तेल पाइपलाइन....108

10.6. सारगैसो सागर....108

10.7. अम्राबाद टाइगर रिज़र्व, तेलंगाना....109

10.8. परागणकारी जीवों के संरक्षण के लिए वैश्विक गठबंधन....109

10.9. तमिलनाडु की राजकीय तितली....110

10.10. प्लास्टिक्रस्ट: नए प्रकार का प्रदूषण....110

10.11. परामर्श योजना 110

10.12. इंडस्पेसएक्स....110

10.13. वैश्विक तापन में कॉस्मिक किरणों की भूमिका 111

10.14. प्लूनेट्स 111

10.15. स्पेकट्र-आरजी 111

10.16. डॉल्यूटेग्रेवर....111

10.17. NIMH और NIOH का विलय....111

10.18. ग्लैंडर्स के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 112

10.19. ई-2020 पहल 112

11. सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएँ (Government Schemes in News) 113

11.1. प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना....113

11.2. स्टैंड-अप इंडिया योजना 113

VISION IAS

1. राजव्यवस्था एवं संविधान (Polity & Constitution)

1.1. सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन

(Amendment to the RTI Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद द्वारा **सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019** पारित किया गया।

RTI अधिनियम में किए गए संशोधन

- **निश्चित कार्यकाल की समाप्ति:** RTI अधिनियम के तहत, मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और सूचना आयुक्तों (ICs) का कार्यकाल पांच वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है। हालिया संशोधन द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है और निर्धारित किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा CIC और ICs की पदावधि को अधिसूचित किया जाएगा।
- **वेतन का निर्धारण:** RTI अधिनियम के अनुसार, CIC और ICs (केंद्रीय स्तर पर) का वेतन क्रमशः मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और निर्वाचन आयुक्तों (ECs) के वेतन के समान होगा। इसी प्रकार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों (राज्य स्तर पर) का वेतन क्रमशः राज्य के निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य सचिव के समान होगा।
    - इस संशोधन के माध्यम से केंद्र और राज्य स्तर के मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण करने हेतु केंद्र सरकार को सशक्त बनाया गया है।

संशोधन के पक्ष में तर्क

- उल्लेखनीय है कि CEC और EC के वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान हैं, इसलिए, वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तों के मामले में **CIC, IC और राज्य CIC की स्थिति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान हो जाती है।**
    - जबकि, भारत निर्वाचन आयोग तथा केंद्रीय व राज्य सूचना आयोगों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य पूर्णतः पृथक-पृथक हैं। ज्ञातव्य है कि **ECI एक संवैधानिक निकाय है, वहीं केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग वैधानिक निकाय हैं।**
    - चूंकि, सूचना आयुक्तों के निर्णयों को उच्च न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है, अतः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष उनकी स्थिति वैधानिक अवरोधों का कारण बन रही थी।
    - इसलिए, उनकी स्थिति और सेवा शर्तों को तदनुरूप तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है।
- प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य मुख्य सूचना आयुक्तों एवं सूचना आयुक्तों और राज्य सूचना आयुक्तों के लिए वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्तों से संबंधित नियमों के निर्माण करने हेतु RTI अधिनियम के तहत प्रावधान करना है। वर्तमान में, RTI अधिनियम, 2005 के तहत इस प्रकार के प्रावधान उपलब्ध नहीं हैं।

संशोधन के विपक्ष में तर्क

- **प्रदत्त तर्क अनुचित हैं:** कई विशेषज्ञों ने पद स्थिति के युक्ति-युक्तिकरण (rationalisation of status) के पक्ष में सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क को निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकृत किया है-
    - राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित सभी प्राधिकारियों के निर्णयों को उच्च न्यायालयों के समक्ष चुनौती दी जा सकती है तथा उनकी पद स्थिति इस प्रकार की चुनौतियों को न तो रोकती या न ही बाधित करती है।
    - RTI की उत्पत्ति उच्चतम न्यायालय के उन निर्णयों से हुई है जिनमें यह निहित है कि कैसे RTI सूचित मतदान के लिए एक पूर्व शर्त होती है और इसलिए, सूचना एवं निर्वाचन आयुक्तों के मध्य समानता की स्थिति, नियम विरोधी (anomaly) नहीं है।
- **ये संशोधन CICs और ICs की स्वतंत्रता को कमजोर करते हैं:** क्योंकि, केंद्र सरकार द्वारा CICs और ICs के कार्यकाल और वेतन का निर्धारण किया जा सकता है।
    - कार्यकारी अधिसूचना के माध्यम से पदावधि और वेतन में अनिश्चित परिवर्तन करने का प्रावधान, CIC को एक आज्ञाकारी अधीनस्थ के रूप में पदस्थापित करेगा।
    - यह जवाबदेही को भी बाधित करता है, क्योंकि ये संशोधन लोगों के सूचना के अधिकार को प्रश्नगत करते हैं।
    - एक ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जहां विभिन्न सूचना आयुक्तों के भिन्न-भिन्न कार्यकाल और वेतन हो सकते हैं।
    - यदि वेतन और कार्यकाल में कमी की जाती है, तो कई प्रख्यात लोग रिक्त पदों के लिए आवेदन नहीं करेंगे।
- **ये संशोधन CICs की स्थिति को कमजोर करते हैं:** मुख्य सूचना आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (एवं राज्य स्तर के अधिकारियों) को एक ही स्तर पर रखा गया है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के अनुसार RTI तथा मतदान का अधिकार समान रूप से महत्वपूर्ण अधिकार हैं। हालाँकि, संशोधन इस स्थिति को परिवर्तित करते हैं।

- **राज्य के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण:** क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल, स्थिति और वेतन का निर्धारण किया जाएगा।
- **परामर्श का अभाव:** नागरिक समाज और राज्य सरकारों के साथ परामर्श न करने के कारण अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा। ज्ञातव्य है कि इसे न तो पब्लिक डोमेन में रखा गया था और न ही इन संशोधनों की अधिक संवीक्षा की गई थी।

आगे की राह

- विधि विशेषज्ञों के अनुसार, सूचना आयोग की स्थिति को कमजोर करने के बजाय इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए।
- RTI के प्रयोगकर्ताओं पर हमलों की बढ़ती संख्या के आलोक में, सरकार सूचना के बेहतर अग्रसक्रिय प्रकटीकरण के संबंध में अपने प्रयासों को केंद्रित कर सकती है तथा भ्रष्टाचार एवं अनुचित कार्यों के प्रकटीकरण के माध्यम से शासन में ईमानदारी रखने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकती है।

1.2. मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019

{Protection of Human Rights (Amendment) Act, 2019}

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission: NHRC) की कार्यप्रणाली को अधिक समावेशी और कुशल बनाने हेतु **मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019** को मंजूरी दे दी है।

मौजूदा अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता क्यों?

- वर्ष 2017 में जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र के एक निकाय **"ग्लोबल अलायंस ऑफ़ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन (GANHRI)"** द्वारा NHRC को अपने कर्मचारियों के मध्य लैंगिक संतुलन और बहुलता सुनिश्चित करने में आयोग की विफलता तथा अपने सदस्यों के चयन में पारदर्शिता की कमी और बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण **A-ग्रेड प्रत्यायन** प्रदान नहीं किया गया था।
- हालांकि, फरवरी 2018 में, GANHRI द्वारा NHRC (भारत में मानवाधिकारों की निगरानी करने वाली शीर्ष संस्था) को पुन: A-ग्रेड प्रत्यायन प्रदान किया गया था।
- कुछ राज्य सरकारों द्वारा भी इस अधिनियम में संशोधन करने की मांग की गई है, क्योंकि उन्हें संबंधित राज्य आयोगों के अध्यक्ष पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों को खोजने में कठिनाइयों (पद हेतु मौजूदा पात्रता संबंधी मानदंडों के कारण) का सामना करना पड़ रहा है।

हालिया संशोधन का महत्व

- प्रस्तावित संशोधन राष्ट्रीय आयोग के साथ-साथ राज्य आयोगों, दोनों को मानवाधिकारों के प्रभावी संरक्षण और उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु अपनी **स्वायत्तता, स्वतंत्रता, बहुलवाद एवं व्यापक कार्यप्रणाली** के संबंध में पेरिस सिद्धांतों के अधिकाधिक अनुपालन में सक्षम बनाएंगे।
- **रिक्तियों को भरना:** रिक्त पदों को भरने के लिए पैनल में नियुक्ति हेतु आयु सीमा कम कर दी गई है। संशोधन द्वारा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है।
- **सिविल सोसायटी को शामिल करने संबंधी शर्तों को अनुकूल बनाना:** आयोग की संरचना में सिविल सोसाइटी की उपस्थिति बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए गए हैं।
- **पहुँच को आसान बनाना:** केंद्र शासित प्रदेशों के आवेदक अब दिल्ली में अपील करने के बजाय आस-पास के राज्य मानवाधिकार आयोग में अपील कर सकते हैं।

प्रावधान	1993 का मूल अधिनियम	2019 का संशोधित अधिनियम
NHRC की संरचना	• मूल अधिनियम के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। • मूल अधिनियम के अनुसार, NHRC के सदस्यों के रूप में **दो** वैसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा, जिन्हें मानवाधिकारों का ज्ञान हो। • मूल अधिनियम के अनुसार, विभिन्न आयोगों, जैसे- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति	• संशोधित अधिनियम के अनुसार, **उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश** NHRC का अध्यक्ष होगा। • संशोधन के माध्यम से **तीन** सदस्यों को नियुक्त करने की अनुमति प्रदान की गई है, **जिनमें कम से कम एक महिला सदस्य होगी।** • संशोधित अधिनियम के अनुसार, NHRC के पदेन सदस्यों के रूप में **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग व राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्षों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त** को भी शामिल किया गया है।

	आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष NHRC के पदेन सदस्य होते हैं।	
राज्य मानवाधिकार आयोग (State Human Rights Commission: SHRC) का अध्यक्ष	• मूल अधिनियम के अनुसार, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को SHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।	• इस संशोधन के माध्यम से यह प्रस्तावित किया गया है कि SHRC के अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा।
पदावधि (Term of office)	• मूल अधिनियम के अनुसार, NHRC और SHRC के अध्यक्ष और सदस्य पांच वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहते हैं। • इसके अतिरिक्त, मूल अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि, NHRC और SHRC के सदस्यों को पांच वर्ष की अवधि के लिए पुन: नियुक्ति किया जा सकता है।	• संशोधित अधिनियम के अनुसार, कार्यकाल की अवधि को कम करके **तीन वर्ष** या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, कर दी गई है। • संशोधित अधिनियम के द्वारा **पांच वर्ष की अवधि हेतु पुनर्नियुक्ति के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।**
केंद्र शासित प्रदेश		इस अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार यह प्रावधान कर सकती है कि केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एक SHRC के मानवाधिकार संबंधी कार्यों का निर्वहन किया जा सकता है। दिल्ली के मामले में मानव अधिकारों से संबंधित कार्यों का निपटारा NHRC द्वारा किया जाएगा।

1.3. अतंर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019

{The Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लोकसभा द्वारा अतंर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित कर दिया गया। इस विधेयक के अंतर्गत अतंर्राज्यीय नदी जल विवादों से संबंधित न्याय-निर्णयन को सुव्यवस्थित करने और वर्तमान विधिक एवं संस्थागत संरचना को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

पृष्ठभूमि

- भारत में नदी जल बंटवारे से संबंधित विवाद लंबे समय से अनसुलझे बने हुए हैं।
  - गिरते भूजल स्तर, नदियों के सूखने और जल की बढ़ती मांग के कारण कई राज्यों के मध्य लंबे समय से कानूनी विवाद विद्यमान हैं।
- **अतंर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम** के तहत, एक राज्य सरकार केंद्र सरकार से अनुरोध कर सकती है कि वह अतंर्राज्यीय नदी विवाद को न्याय-निर्णयन हेतु एक अधिकरण को संदर्भित करे।
  - यदि केंद्र सरकार का यह मत है कि विवाद को परस्पर वार्ताओं के माध्यम से नहीं सुलझाया जा सकता है, तो इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने के एक वर्ष के भीतर विवाद के न्याय-निर्णयन हेतु जल विवाद अधिकरण का गठन करना आवश्यक है।
- वर्षों से, राज्यों के मध्य नदी जल बंटवारे से संबंधित मामलों की सुनवाई करने हेतु कई जल विवाद अधिकरणों का गठन किया गया है। लेकिन ये अधिकरण विवादों का प्रभावी ढंग से समाधान नहीं कर पाए हैं।

प्रमुख प्रावधान

- **विवाद समाधान समिति (Disputes Resolution Committee: DRC):** केंद्र सरकार द्वारा विवादों को अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व DRC की स्थापना की जाएगी। इस समिति का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह विवादों को एक वर्ष (हालांकि, इस अवधि को छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है) के भीतर वार्ता के माध्यम से हल करे और इस संबंध में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपे।
  - यदि किसी विवाद को DRC द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता है, तो केंद्र सरकार इसे अतंर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिकरण को संदर्भित करेगी।

VISION IAS

- **एकल अतंर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना:** केंद्र सरकार द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। इस अधिकरण के अलग-अलग खंडपीठ (bench) हो सकते हैं।
    - सभी मौजूदा अधिकरणों को भंग कर दिया जाएगा तथा ऐसे मौजूदा अधिकरणों के समक्ष लंबित जल विवादों को नए अधिकरण को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
- **अधिकरण की संरचना:** इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, तीन न्यायिक सदस्य और तीन विशेषज्ञ सदस्य शामिल होंगे।
    - इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी।
    - अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का कार्यकाल पाँच वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, का होगा।
    - केंद्र सरकार, कार्यवाही के दौरान खंडपीठ को सलाह देने के लिए सेंट्रल वॉटर इंजीनियरिंग सर्विस के दो विशेषज्ञों को असेसर (assessors) के रूप में नियुक्त कर सकती है।
    - निर्धारक (असेसर) को उस राज्य से नहीं होना चाहिए, जो उस विवाद में शामिल एक पक्षकार है।
- **अधिकरण को निर्णय लेने के लिए प्रदत्त समय (Timeline):** प्रस्तावित अधिकरण को दो वर्ष के भीतर विवाद पर अपना निर्णय देना होगा। इस अवधि को अधिकतम एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है।
- **अधिकरण का निर्णय:** अधिकरण का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। इस विधेयक के द्वारा सरकारी गजट में फैसले के प्रकाशन की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है। यह अधिकरण के निर्णय को प्रभावी बनाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा एक योजना-निर्माण करना अनिवार्य बनाता है।
- **डाटा संग्रह और डेटाबैंक का रखरखाव:** केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त और अधिकृत एक एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक नदी बेसिन से संबंधित डाटा का संग्रह और डेटाबैंक का रखरखाव किया जाएगा।

संशोधन के लाभ

- **प्रक्रिया को गति प्रदान करना:** क्योंकि न्यायाधीशों, असेसर और अन्य विशेषज्ञों की नियुक्ति संबंधी कार्यों में कमी आएगी, जिसके कारण पूर्व में अधिकरण की स्थापना की प्रक्रिया विलंबित हो जाती थी। इसके अतिरिक्त, एक निर्धारित समयसीमा के अंतर्गत न्याय-निर्णयन का कार्य संपन्न हो पाएगा।
- **सतत मूल्यांकन:** डाटाबैंक के रखरखाव के कारण नदी बेसिनों का सतत मूल्यांकन संभव हो सकता है। यह न केवल एक विशेष विवाद से संबंधित नदियों पर अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है, बल्कि उनका उपयोग अन्य सभी नदी बेसिनों के संबंध में किया जा सकता है।

संशोधन से संबंधित मुद्दे

- **केंद्रीकरण का भय:** तमिलनाडु और ओडिशा जैसे कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के मध्य विद्यमान जल विवादों के न्याय-निर्णयन हेतु अधिक शक्तियों के विनियोग के संबंध में गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं।
    - भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा व्यक्तियों को नामित (अधिकरण में नियुक्ति) करने के बजाय, अब केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति के माध्यम से इस प्रकार की नियुक्तियां की जाएंगी।
- स्थायी अधिकरण की खंडपीठों का गठन आवश्यकतानुसार किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं है कि ये अस्थायी खंडपीठ वर्तमान प्रणाली से किस प्रकार भिन्न होंगी।
- **निर्णय अभी भी अंतिम नहीं होंगे:** जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया था कि वह ISWDA के तहत स्थापित जल अधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई कर सकता है।
- **अधिकरण के निर्णय को लागू करने हेतु संस्थागत तंत्र अभी भी अस्पष्ट हैं।**

जल से संबंधित संवैधानिक और विधिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 262 (1):** संसद, विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के या उसके जल प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्याय निर्णयन के लिए उपबंध कर सकती है।
- **अनुच्छेद 262 (2):** संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकती है कि उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय किसी विवाद या परिवाद के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा।
- अनुच्छेद 262 के तहत, निम्नलिखित दो अधिनियम अधिनियमित किए गए हैं:
    - **नदी बोर्ड अधिनियम 1956:** इसे इस आधार पर अधिनियमित किया गया था कि केंद्र को लोक हित में अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन एवं विकास को नियंत्रित करना चाहिए। हालांकि, अब तक एक भी नदी बोर्ड का गठन नहीं किया गया है।
    - **अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (IRWD अधिनियम):** यह अधिनियम ऐसे विवादों के समाधान हेतु अधिकरणों का गठन करने के लिए केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है। यह ऐसे विवादों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को भी इससे पृथक करता है।

- **अनुच्छेद 262** के बावजूद, जल विवादों का न्याय निर्णयन करना उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है, बशर्ते कि पक्षकार द्वारा पहले जल अधिकरण के समक्ष अपील की गई हो और तत्पश्चात यदि उन्हें प्रतीत होता है कि निर्णय संतोषजनक नहीं है तो उनके द्वारा **अनुच्छेद 136** के तहत उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है।
    - यह अनुच्छेद भारत में किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित आदेश, डिक्री या निर्णय के विरुद्ध अपील करने का विवेकाधिकार प्रदान करता है।

मौजूदा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 से संबंधित मुद्दे:

- प्रत्येक अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के लिए एक **पृथक अधिकरण** की स्थापना।
- ऐसे विवादों के निपटारे में लगने वाला अत्यधिक समय। कावेरी और रावी-ब्यास जैसे अधिकरण बिना किसी अंतिम निर्णय के क्रमशः 26 और 30 वर्षों से भी अधिक समय से अस्तित्व में हैं।
    - न्याय-निर्णयन के लिए कोई **समय सीमा निर्धारित नहीं** है। वास्तव में, विलंब अधिकरणों के गठन के स्तर पर भी होता है।
- अधिकरण के निर्णय को लागू करने हेतु पर्याप्त तंत्र का कोई प्रावधान नहीं है।
- **समान मानकों का अभाव:** जिन्हें इस प्रकार के विवादों को हल करने में लागू किया जा सकता है।
- **पर्याप्त संसाधनों का अभाव:** मामले के तथ्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन करने हेतु भौतिक और मानव दोनों संसाधनों का अभाव।
- **सेवानिवृत्ति या पद संबंधी मुद्दा:** अधिकरणों के अध्यक्ष के संबंध में उल्लिखित।
- **अंतिम निर्णय से संबंधित मुद्दा (Issue of finality):** किसी भी पक्ष के विरुद्ध अधिकरण स्थापित करने की स्थिति में, उस पक्ष द्वारा शीघ्र ही मामले के निवारण हेतु उच्चतम न्यायालय में अपील की जाती है। आठ अधिकरणों में से केवल तीन ने राज्यों द्वारा स्वीकार्य निर्णय प्रदान किए हैं।

आगे की राह

- **अतंर्राज्यीय परिषद (ISC)** विवादों के समाधान हेतु वार्ता और चर्चा को सुविधाजनक बनाने में एक उपयोगी भूमिका का निर्वहन कर सकती है।
- **जल को समवर्ती सूची में शामिल करना:** जैसा कि मिहिर शाह रिपोर्ट द्वारा सिफारिश की गई है कि नदियों के प्रबंधन के लिए केंद्रीय जल प्राधिकरण का गठन किया जा सकता है। जल संसाधन पर एक संसदीय स्थायी समिति द्वारा भी इसका समर्थन किया गया था।
- **नदियों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना:** यह कदम वैसे राज्यों की प्रवृत्ति को नियंत्रण कर सकता है, जो नदी जल को नियंत्रित करना अपना अधिकार मानते हैं। जल विवादों का **राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए** और इसे क्षेत्रीय प्रतिष्ठा से संबंधित भावनात्मक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जल कुशल फसलों और किस्मों को बढ़ावा देने वाले नीतिगत उपायों को अपनाकर फसल प्रतिरूप के वैज्ञानिक प्रबंधन की आवश्यकता है।
- **नदियों को परस्पर जोड़ना:** यह बेसिन क्षेत्रों में नदी जल के पर्याप्त वितरण में सहायता कर सकता है।

1.4. संसदीय स्थायी समितियाँ

(Parliamentary Standing Committees)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संसद के विगत सत्र में, सभी विधेयकों को संसदीय स्थायी समितियों की संवीक्षा के बिना ही पारित कर दिया गया था।

पृष्ठभूमि

- **संसदीय समितियाँ,** विभिन्न संसदीय कार्यों में सहायता हेतु एक उपकरण के तौर पर गठित की जाती हैं। इन्हें **स्थायी समिति** और **तदर्थ समिति (अस्थायी)** के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्थायी समितियाँ प्रत्येक वर्ष गठित की जाती हैं और नियमित रूप से कार्य करती हैं।
- हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों के उपरांत अस्तित्व में आई 17वीं लोकसभा में अभी तक संसदीय स्थायी समितियों का गठन नहीं हो पाया है, क्योंकि इस हेतु राजनीतिक दलों के मध्य अभी भी परामर्श जारी है। इसके परिणामस्वरूप सभी विधेयक इन समितियों की संवीक्षा के बिना ही पारित किए गए हैं।
    - PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार, 16वीं लोकसभा में पुर:स्थापित विधेयकों में से केवल 25% को ही समितियों को संदर्भित किया गया था, जबकि 15वीं और 14वीं लोकसभा में क्रमशः 71% और 60% विधेयकों को इन्हें संदर्भित किया गया था।

स्थायी समिति प्रणाली का महत्व

- **विस्तृत संवीक्षा और सरकार की जवाबदेही को बनाए रखना:** वर्तमान में आधुनिक प्रशासन की बढ़ती जिम्मेदारी एवं जटिलता और संसद के सत्रों में समयाभाव आदि के कारण संसद, कार्यपालिका की जवाबदेही को प्रभावी ढंग से बनाए रखने में असमर्थ सिद्ध हुई है। इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी द्वारा प्रेरित विघटनकारी परिवर्तनों ने भी नीतिगत चुनौतियां प्रस्तुत की हैं, जिसके कारण प्रभावी नियंत्रण के लिए कानूनी और संस्थागत संरचनाओं में निरंतर सुधार की आवश्यकता है।

VISION IAS

- ऐसे में, स्थायी समितियाँ सरकारी नीतियों की संवीक्षा कर संसद की क्षमता में वृद्धि करती हैं और विधायिका में सूचित वाद-विवाद के माध्यम से कार्यपालिका को इसके प्रति जवाबदेह बनाए रखती हैं।
- साथ ही, ये सरकार के विभिन्न विभागों के लिए किए गए बजटीय आबंटन और नीतियों की भी संवीक्षा करती हैं।
- कुछ **प्रमुख समितियाँ** निम्नलिखित हैं: लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, विभागीय स्थायी समितियाँ आदि।

- **गैर-पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करना:** इन समितियों द्वारा "गुप्त" बैठकें आयोजित की जाती हैं, जहाँ सदस्य दलीय व्हिप के निर्णयों हेतु बाध्य नहीं होते हैं। इसके कारण सदस्य विचारों का सार्थक तरीके से आदान-प्रदान करने में सक्षम होते हैं। ये दोनों सदनों में विपक्ष और अन्य सदस्यों को कार्यपालिका पर अधिकाधिक नियंत्रण बनाए रखने में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करती हैं।
- **संबंधित हितधारकों से संलग्नता:** ये समितियाँ जिन विषयों की संवीक्षा करती हैं, उनके संबंध में नियमित रूप से नागरिकों और विशेषज्ञों से फीडबैक प्राप्त करती हैं। उदाहरण के लिए, विमुद्रीकरण के विषय पर वार्ता करने हेतु वित्तीय समिति ने RBI के गवर्नर को समन जारी किया था।
    - वे एक तरफ संसद और नागरिकों के मध्य, तो दूसरी तरफ प्रशासन और संसद के मध्य एक योजक कड़ी का कार्य करती हैं।
- **वित्तीय विवेक (Financial Prudence):** यह प्रणाली सार्वजानिक व्यय में मितव्ययिता और दक्षता सुनिश्चित करती है, क्योंकि मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनकी मांगों को निरुपित करने में अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है।

स्थायी समितियों की संवीक्षा के बिना विधेयक पारित कराने के निहितार्थ

- स्थायी समितियों की संवीक्षा के बिना पारित विधेयकों में समग्रता और दूरदर्शिता का अभाव हो सकता है। ऐसे अधिनियमों को बारंबार संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब होता है और मूल उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है।
- ये विधायिका की संवीक्षा से बचने वाले अन्य तरीकों, यथा- गिलोटिन, अध्यादेशों का बारंबार प्रख्यापन आदि के प्रयोग को भी प्रेरित करती हैं।
- इस प्रकार, ये सभी कदम कार्यपालिका पर संसद के विस्तृत, सतत, गहन और व्यापक नियंत्रण की अनुमति नहीं देते हैं।

स्थायी समितियों से संबंधित अन्य मुद्दे

- **सदस्यों की मामूली उपस्थिति:** समिति की बैठकों में सदस्यों की कम उपस्थिति सदैव चिंता का विषय रहा है। ज्ञातव्य है कि यह उपस्थिति 2014-15 के उपरांत लगभग 50% ही रही है।
- **सदस्यों का लघु कार्यकाल:** एक वर्ष की अवधि के लिए DRSCs (विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां) का गठन, विशेषज्ञता अर्जित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- **समिति की रिपोर्ट पर चर्चा का अभाव:** चूंकि इन समितियों की प्रकृति अनुशंसात्मक होती है, अतः इनकी रिपोर्ट्स पर संसद में चर्चा नहीं होती है। केवल विधेयकों पर चर्चा के दौरान इनका सन्दर्भ प्रस्तुत किए जाने की प्रथा बनी हुई है।
- **विशेषज्ञता का अभाव:** समिति के सदस्यों के पास लेखांकन और प्रशासनिक सिद्धांतों जैसी आने वाले विशिष्ट विषयों की जटिलताओं को समझने हेतु आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता की कमी होती है।
- **कार्यवाही का राजनीतिकरण:** कुछ मुद्दों पर अत्याधिक लीक हित प्रदर्शित करने के बावजूद भी सदस्यों द्वारा बैठकों में दलीय पूर्वाग्रहों के अनुसार व्यवहार किया जाता है।

आगे की राह

- मसौदा कानूनों की गुणवत्ता में सुधार करने और संभावित कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों को समाप्त करने हेतु समिति की प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए। कार्यपालिका पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित कर संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखने हेतु, संसदीय समितियों को एक सुविचारित निकाय के रूप में स्थापित करना समय की आवश्यकता है।
- संसदीय स्थायी समितियों के माध्यम से सभी विधानों की अनिवार्य संवीक्षा को एक परिपाटी (convention) के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। सरकार को समितियों द्वारा विचार नहीं किए गए विधेयकों पर मतदान नहीं करवाना चाहिए।

1.5. राज्य द्वारा चुनावी वित्तपोषण

(State Funding of Election)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राज्यसभा में 'लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक' प्रस्तावित किया गया। यह एक गैर-सरकारी सदस्य विधेयक था, जिसमें उम्मीदवार के चुनावी व्यय पर आरोपित उच्चतम सीमा को हटाने और चुनावों को राज्य द्वारा वित्तपोषित करने का प्रस्ताव किया गया है।

VISION IAS

राज्य द्वारा चुनावी वित्तपोषण क्या है?

इसका अर्थ यह है कि, चुनाव लड़ने के लिए व्यक्तिगत व्यय करने के स्थान पर सरकार द्वारा राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने और चुनाव संबंधी अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए वित्त प्रदान किया जाएगा।

राज्य द्वारा चुनावी वित्तपोषण के पक्ष में तर्क

- यह कम संसाधनों वाले दलों और उम्मीदवारों के लिए एक समान अवसर सृजित करता है।
- यह कॉर्पोरेट या निजी धन पर निर्भरता को कम करने में सहायता करता है।
- सभी को 'एक समान न्यूनतम फंड (फ्लोर लेवल फंड)' प्रदान करने वाली राज्य वित्तपोषण योजना छोटे और नए राजनीतिक प्रतिभागियों के लिए अत्यधिक सहायक हो सकती है।
- जो उम्मीदवार निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाएंगे, वे अभिशासन प्रदान करने में भी पारदर्शी और जवाबदेह होंगे।
- राज्य द्वारा वित्तपोषण के माध्यम से राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र, महिलाओं और कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व की मांग को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

राज्य द्वारा चुनावी वित्तपोषण के विपक्ष में तर्क

- **राज्य द्वारा वित्तपोषण, राजनीतिक नेताओं और सामान्य नागरिकों के मध्य अंतराल में वृद्धि करता है,** क्योंकि राजनीतिक दल धन जुटाने के लिए नागरिकों पर निर्भर नहीं रहते हैं।
- यदि पूर्ण या आंशिक मात्रा में राजनीतिक दलों की आय स्वैच्छिक स्रोतों के बजाए सीधे राज्य से आती है, तो **राजनीतिक दलों पर उनकी स्वतंत्रता बाधित होने का जोखिम रहता है, क्योंकि वे राज्य के अंग बन जाते हैं,** जिससे नागरिक समाज से उनका संबंध टूट जाता है।
- राज्य द्वारा वित्तपोषण से गैर-गंभीर उम्मीदवार भी केवल राज्य निधियों का लाभ उठाने हेतु राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
- कई विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावों का राज्य द्वारा वित्तपोषण भी राजनीतिक दलों को पैरवी करने और अतिरिक्त रूप से अघोषित धन प्राप्त करने से नहीं रोक पाएगा।

राज्य द्वारा चुनावी वित्तपोषण पर विभिन्न समितियाँ

- **राज्य द्वारा चुनावी वित्तपोषण पर इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998):** इसके अनुसार राज्य द्वारा केवल पंजीकृत राष्ट्रीय और राज्य दलों का वित्तपोषण किया जाना चाहिए। समिति के अनुसार यह वित्त-पोषण केवल गैर-मौद्रिक (in kind) रूप में दिया जाना चाहिए।
- **चुनावी कानूनों में सुधार पर भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट (1999):** इसने राज्य द्वारा चुनावी वित्तपोषण का समर्थन किया। लेकिन इस समिति ने पहले आंतरिक चुनाव, लेखा प्रक्रिया आदि सुनिश्चित करने वाले एक सुदृढ़ नियामकीय ढांचे की सिफारिश की थी।
- **संविधान के कार्यचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग (2001):** इसने राज्य द्वारा चुनावी वित्तपोषण का समर्थन नहीं किया, लेकिन 1999 के विधि आयोग की रिपोर्ट के साथ सहमति व्यक्त करते हुए, राजनीतिक दलों के नियमन के लिए उपयुक्त ढांचे को राज्य वित्तपोषण से पहले लागू करने की आवश्यकता व्यक्त की गई।
- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2008):** इसने भी चुनावों में "अवैध और अनावश्यक धन" के व्ययों को कम करने के उद्देश्य से चुनावों के राज्य द्वारा आंशिक वित्तपोषण की सिफारिश की।
- **निर्वाचन आयोग का मत:** निर्वाचन आयोग ने एक संसदीय समिति को बताया है कि वह राज्य द्वारा चुनावी वित्तपोषण का समर्थन नहीं करता है, हालांकि राजनीतिक दलों द्वारा धन खर्च करने के तरीके में "मौलिक" सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

प्रत्याशी का चुनावी खर्च

- भारत के निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 में उम्मीदवारों के लिए 70 लाख रुपये की व्यय सीमा निर्धारित की थी।
- पोस्टर, बैनर, वाहन, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन, सार्वजनिक बैठक, टेंट आदि से संबंधित व्ययों के लिए एक सीमा निर्धारित की गई है। कानूनी सीमा के तहत उम्मीदवारों द्वारा किए गए व्ययों का रिकॉर्ड लोकसभा चुनाव के दौरान बनाए रखा जाता है।
- सभी उम्मीदवारों को व्ययों के लिए बैंक में खाता खोलना अनिवार्य है। सभी व्ययों का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए।
  - गलत खाता संख्या के कारण अथवा उच्चतम सीमा से अधिक व्यय करने पर एक उम्मीदवार को तीन वर्षों के लिए निरर्ह घोषित किया जा सकता है।
- चुनाव की घोषणा की तिथि से लेकर परिणामों की घोषणा की तिथि तक, जिला प्रशासन द्वारा एक फ्लाइंग स्क्वाड के माध्यम से राजनीतिक दलों के चुनावी व्ययों की निगरानी की जाती है।

उच्चतम सीमा के पक्ष में तर्क

- प्रचार अभियान में व्यय पर उच्चतम सीमा वस्तुतः चुनाव लड़ने वाले सभी लोगों को एक समान अवसर प्रदान करती है।
  - चुनावी सुधारों पर विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट में यह तर्क दिया गया है कि अविनियमित या अल्प-विनियमित चुनावी वित्तपोषण के परिणामस्वरूप लॉबिंग और कैप्चर की स्थिति उत्पन्न होती है, जहाँ बड़े दान दाताओं और राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों के मध्य परस्पर गठजोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है।

उच्चतम सीमा के विपक्ष में तर्क

- **उम्मीदवार सही चुनावी व्यय की जानकारी प्रदान नहीं करते हैं:** कई उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले उच्चतम सीमा से भी अधिक व्यय के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।
    - एक गैर-लाभकारी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए व्ययों के विश्लेषण में पाया कि, भले ही उम्मीदवारों ने निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा को बहुत कम और अवास्तविक बताते हुए शिकायत की हो, परन्तु 176 सांसदों (33%) द्वारा घोषित चुनावी व्यय उनके निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्धारित उच्चतम सीमा के 50% से भी कम था।
- **राजनीतिक दलों को सम्मिलित नहीं किया जाता है:** हाल ही में, निर्वाचन आयोग ने सरकार को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 90 में संशोधन करके लोक सभा और विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों के व्यय पर भी उच्चतम सीमा आरोपित करने की मांग की है।
- **उच्चतम सीमा का कोई विशेष महत्व नहीं है:** पारदर्शी तरीके से धन जुटाने वाले ईमानदार उम्मीदवार संसदीय चुनावों में 70 लाख रूपये से अधिक व्यय नहीं कर सकते हैं, जबकि काले धन का प्रयोग करने वाले उम्मीदवार अपने व्यय को सामान्यतः गुप्त ही रखते हैं।

निष्कर्ष

विश्व भर के कई सफल लोकतांत्रिक देशों द्वारा चुनावों के व्यापक या आंशिक राज्य वित्तपोषण को सफलतापूर्वक लागू किया है। भारत को भी काले धन के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए राज्य द्वारा चुनावी वित्तपोषण को लागू करना चाहिए। हालांकि, पूर्व में अधिकांश आयोगों द्वारा अनुशंसित, आंतरिक दलीय लोकतंत्र जैसे सुधारों को अपनाया जाना चाहिए।

1.6. भारत में निःशुल्क विधिक सहायता

(Free Legal Aid in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली (NLUD) द्वारा "विधिक प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता: भारत में निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं का अनुभवजन्य विश्लेषण (Quality of Legal Representation: An Empirical Analysis of Free Legal Aid Services in India)" नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है।

निःशुल्क विधिक सहायता क्या है?

- निःशुल्क विधिक सेवा के माध्यम से उन लोगों को विधिक सहायता प्रदान की जाती है, जो अपने दीवानी एवं आपराधिक मामलों के लिए एक वकील की सेवाओं और न्यायिक प्रक्रिया की लागत का वहन करने में असक्षम होते हैं।
- विधिक सहायता सेवाओं को वैश्विक स्तर पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं, सम्मेलनों, संहिताओं और समझौतों के तहत मूल मानवाधिकार के एक भाग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।
    - मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) के अनुच्छेद 7, 8 और 10 में विधिक सहायता की परिकल्पना एक मानव अधिकार के रूप में की गई है।

विधिक सेवाएं दो प्रकार की होती हैं:

- **पूर्व-मुकदमेबाजी (प्री-लिटिगेशन) विधिक सेवाए:** इसमें विधिक शिक्षा, विधिक परामर्श, विधिक जागरूकता, पूर्व-मुकदमेबाजी का निस्तारण आदि सेवाएँ शामिल हैं। पूर्व-मुकदमेबाजी सेवाएं प्रदान करने के क्रम में सरकार विधिक महाविद्यालयों की स्थापना और विधिक संकायों तथा विधिक सहायता केंद्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **मुकदमेबाजी-उपरांत (पोस्ट-लिटिगेशन) विधिक सेवाएं:** मुकदमेबाजी-उपरांत विधिक सेवाओं के अंतर्गत निर्धनों के लिए वकील की नियुक्ति, प्रक्रिया शुल्क की प्रतिपूर्ति, गवाहों संबंधी व्यय, न्यायालय शुल्क आदि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता हैं।

निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- महिलाएं और बच्चे।
- SC / ST के सदस्य।
- औद्योगिक कामगार।
- मानव तस्करी या भिक्षावृत्ति से पीड़ित।
- बड़े पैमाने पर आपदा, बाढ़, सूखा, हिंसा, भूकंप,औद्योगिक आपदा आदि से पीड़ित लोग।
- दिव्यांग जन।
- हिरासत में लिया गया व्यक्ति।

VISION IAS

भारत में विधिक सहायता

- भारत में, नि:शुल्क विधिक सहायता अथवा नि:शुल्क विधिक सेवाओं का अधिकार संवैधानिक रूप से गारंटीकृत एक अनिवार्य मूल अधिकार है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त युक्तियुक्त, निष्पक्ष और न्यायोचित स्वतंत्रता का आधार तैयार करता है।
- वर्ष 1976 में, सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 39A को अंतःस्थापित किया था। यह अनुच्छेद राज्य को उपयुक्त कानून, योजनाओं अथवा किसी अन्य विकल्प के द्वारा नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान करने हेतु निर्देशित करता है।
- विधिक सहायता कार्यक्रमों को सांविधिक आधार प्रदान करने हेतु, संसद ने वर्ष 1987 में **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम** पारित किया।

विधिक सेवा अधिनियम, 1987

- इस अधिनियम को समाज के कमजोर वर्गों को अवसर की समानता हेतु नि:शुल्क और पर्याप्त विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी समान नेटवर्क स्थापित करने हेतु 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ था।
- इस अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार ने **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण** (National Legal Services Authority: NALSA) का गठन किया है।
  - इस केन्द्रीय प्राधिकरण में भारत के मुख्य न्यायाधीश **प्रधान संरक्षक** होंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नामित, उच्चतम न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त एक न्यायाधीश को इसका **कार्यकारी अध्यक्ष** नियुक्त किया जाएगा।
- प्रत्येक राज्य में, एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रत्येक उच्च न्यायालय में, एक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति गठित की गई है।
  - लोगों को नि:शुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करने और राज्य में लोक अदालतों का संचालन करने हेतु, जिला एवं तालुका स्तर पर क्रमशः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुक विधिक सेवा समितियों का गठन किया गया है।

NALSA के कार्य

- विधिक सेवा अधिनियम के तहत विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीतियों और सिद्धांतों को निर्मित करना।
- विधिक सहायता के कार्यान्वयन की निगरानी और आवधिक मूल्यांकन करना तथा इस अधिनियम के तहत प्रदत्त निधि से संचालित योजनाओं का मूल्यांकन करना।
- इस अधिनियम के तहत विधिक सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए सबसे प्रभावी और वहनीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना।
- इसके निस्तारण के लिए धन का उपयोग करना और राज्य एवं जिला प्राधिकरणों को धनराशि का उचित आवंटन करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों, मलिन बस्तियों या श्रमिक अधिवासों में समाज के कमजोर वर्गों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने हेतु विधिक सहायता शिविरों का आयोजन करना।
- उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या समाज के कमजोर वर्गों के हितों से संबंधित सामाजिक न्याय के विषय पर आधारित वादों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं को विधि कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।
- वार्तालाप, सुलह और मध्यस्थता के तरीकों से विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना।
- निर्धनों के मध्य ऐसी सेवाओं की आवश्यकता के विशेष संदर्भ में विधिक सेवाओं के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- विशेषकर SC, ST, महिला, ग्रामीण और शहरी श्रमिकों हेतु जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे विभिन्न स्वैच्छिक सामाजिक सेवा संस्थानों को अनुदान प्रदान करना।

भारत में विधिक सहायता सेवा तक पहुँच से संबद्ध मुद्दे

- **जागरूकता का अभाव:** इसके अभाव में निर्धनों का शोषण और उनके अधिकारों का हनन होता है।
- **जूरी में सूचीबद्ध वकीलों की अल्प संख्या (Less number of empanelled lawyers):** राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल (Commonwealth Human Rights Initiative: CHRI) की एक हालिया रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि विधिक सहायता सेवा के लिए प्रति लाख जनसंख्या पर केवल पांच वकील उपलब्ध हैं।
- **मामलों की दीर्घकालीक विलंबता:** विधिक सहायता के लिए आवेदन करने और इस हेतु वकील आवंटन की प्रक्रिया में राष्ट्रीय स्तर पर औसत दिनों का समय लग जाता है। राजस्थान में यह अवधि 48 दिनों तक हो सकती है।
  - इस संबंध में आंध्र प्रदेश का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ है, जहाँ वकील आवंटन में एक दिन से भी कम का समय लगता है। विधिक सहायता हेतु सर्वाधिक वकीलों की संख्या केरल (प्रति जिला 234) में है।
- **प्रति व्यक्ति व्यय:** भारत में विधिक सहायता पर प्रति व्यक्ति व्यय केवल 0.75 (0.008 डॉलर) रुपया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में यह 23 डॉलर और अर्जेंटीना में 17 डॉलर है।
- **सेवा की गुणवत्ता:** ऐसी धारणा रही हैं कि नि:शुल्क सेवाएं गुणवत्ता के मामले में असंगत होती हैं। NLUD की हालिया एक रिपोर्ट में पाया गया है कि नि:शुल्क विधिक सहायता से लाभान्वित लगभग 75% लाभार्थी ऐसे थे, जिनके पास निजी विधिक सेवा का भुगतान करने के लिए संसाधन नहीं थे। जबकि, केवल 8% ने ही गुणवत्तायुक्त विधिक सेवा परामर्श दाताओं का विकल्प चुना।

VISIONIAS

- **सेवा शुल्क:** सरकार द्वारा वकीलों को किया जाने वाला भुगतान बाजार दरों से कम होता है।
- **पुलिस स्टेशन पर विधिक सहायता का अभाव:** संविधान का अनुच्छेद 22, एक गिरफ्तार व्यक्ति को वकील प्राप्त करने के अधिकार की गारंटी करता है, लेकिन पुलिस स्टेशनों पर विधिक सहायता करने हेतु कोई राष्ट्रीय योजना नहीं है तथा राज्यों के पास भी ऐसी योजनाओं का अभाव है।

उठाए जा सकने वाले कदम

- **जन जागरूकता:** भारत में सफल विधिक सहायता वितरण के लिए सरकार को एक अभियान शुरू करना चाहिए, जिसके द्वारा लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता के अपने अधिकार के बारे में सूचित और शिक्षित किया जाए।
- **सभी नामित वरिष्ठ वकीलों को शामिल करना:** वरिष्ठ वकीलों को विधिक सहायता योजनाओं में शामिल करना और उनसे प्रत्येक वर्ष कुछ मामलों में निःशुल्क सेवा प्रदान करने का अनुरोध करना।
- **बेहतर भुगतान:** विधिक सहायता सेवाएँ प्रदान करने वाले वकीलों को बेहतर मानदेय का भुगतान किया जाना चाहिए।
- **पैरालीगल वालंटियर्स और वकीलों का पैनल:** चयन एवं प्रशिक्षण के साथ-साथ नियुक्त वकीलों की निगरानी की प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है।
- **नवाचारी विधिक सशक्तीकरण पहलों का समर्थन करना:** सरकार को नागरिक समाज द्वारा संचालित विविध नवाचारी पहलों का समर्थन करना चाहिए तथा साथ ही, विभिन्न विधिक महाविद्यालयों द्वारा विशिष्ट कानूनों के तहत चलाए जा रहे विधिक सहायता केंद्रों को भी सहायता प्रदान करनी चाहिए।
- **ग्राहक फीडबैक:** विधिक प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता के मापन का यह एक महत्वपूर्ण तत्व है।

1.7. भारत में माध्यस्थम

(Arbitration in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा **नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अधिनियम** {New Delhi International Arbitration Centre (NDIAC) Act} तथा **माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम** {Arbitration and Conciliation (Amendment) Act} पारित किया गया।

NDIAC अधिनियम के बारे में

- यह अधिनियम राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में **अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र (International Centre for Alternative Dispute Resolution: ICADR)** के स्थान पर, NDIAC की परिकल्पना करता है।
- यह पेशेवर, लागत प्रभावी और समयबद्ध ढंग से अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू माध्यस्थम (arbitration), मध्यस्थता (mediation) और सुलह (conciliation) की कार्यवाही आयोजित करने की सुविधा प्रदान करेगा।
- इसकी अध्यक्षता एक ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी जो या तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो अथवा माध्यस्थम के मामले में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाला कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो।
- इस केंद्र (NDIAC) के अन्य उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - एक चैंबर ऑफ आर्बिट्रेशन के माध्यम से मान्यता प्राप्त माध्यस्थों (arbitrators), सुलहकर्ताओं (conciliators) और मध्यस्थों (mediators) का **पैनल** को बनाए रखना।
  - माध्यस्थों को प्रशिक्षित करने के लिए एक **आर्बिट्रेटर अकादमी** की स्थापना करना।
  - वैकल्पिक विवाद समाधान और संबंधित मामलों के क्षेत्र में **अध्ययन एवं सुधार को बढ़ावा देना।**
  - वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अन्य संस्थाओं एवं संगठनों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना।

माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 के बारे में

- इसे हाल ही में संसद द्वारा पारित किया गया है। यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम से निपटने के लिए माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन करता है।
- इसके तहत, **भारतीय माध्यस्थम परिषद (Arbitration Council of India: ACI)** नामक एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना की जाएगी। इस निकाय के निम्नलिखित कार्य होंगे:
  - वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देना;
  - माध्यस्थ संस्थानों (arbitral institutions) की ग्रेडिंग और माध्यस्थों (arbitrators) को मान्यता प्रदान करने हेतु नीतियां बनाना;
  - भारत और विदेशों में हुए माध्यस्थ निर्णयों की एक डिपॉजिटरी का निर्माण करना; तथा
  - सभी वैकल्पिक विवाद निवारण मामलों के लिए समान पेशेवर मानकों को बनाए रखना।

VISION IAS

- **माध्यस्थों की नियुक्ति** अब उच्चतम न्यायालय द्वारा नामित माध्यस्थ संस्थानों द्वारा की जाएगी, जो पहले पक्षकारों द्वारा स्वयं की जाती थी।
- यह अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम (international commercial arbitrations) के लिए **समय प्रतिबंध को समाप्त करने** का प्रयास करता है। इसमें यह उल्लेख है कि अधिकरणों को 12 महीनों के भीतर अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम के मामलों को निपटाने का प्रयास करना चाहिए।
- माध्यस्थों की नियुक्ति के छह माह के भीतर **लिखित प्रस्तुतियों (written submissions) को पूर्ण कर** लिया जाना चाहिए। इससे पहले कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी।

माध्यस्थम (Arbitration)

- यह अदालती कार्रवाई की शरण लिए बिना एक तटस्थ तीसरे पक्ष (मध्यस्थ) द्वारा किसी अनुबंध से संबंधित दोनों पक्षों के मध्य विवादों के समाधान की एक प्रक्रिया है।
- यह वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution: ADR) का एक तरीका है। **अन्य तरीकों** में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: मध्यस्थता, सुलह और लोक अदालतें।
- यह अदालतों की तुलना में गोपनीय, तीव्र और सस्ता होता है।
- इनके निर्णय (अर्थात् माध्यस्थम निर्णय) बाध्यकारी और अदालतों के माध्यम से प्रवर्तनीय होते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र (International Centre for Alternative Dispute Resolution: ICADR)

- ADR सुविधाओं के प्रचार और विकास के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत इसे मई 1995 में एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।
- न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति ने ICADR की एक बड़ी कमी की ओर संकेत करते हुए कहा कि यह वैश्विक माध्यस्थम परिदृश्य में हुए विकासक्रमों के साथ तालमेल बनाए रखने में विफल रहा है।
- यह माध्यस्थम के क्षेत्र में हुए नवीनतम विकासक्रमों को शामिल नहीं कर पाया है, जैसे कि पक्षकारों के संयोजन के लिए प्रावधान, माध्यस्थम कार्यवाही का समेकन, आपातकालीन माध्यस्थम आदि।
- इसका एक अन्य दोष यह है कि इसकी शासी परिषद अत्यंत विस्तृत है, जिसके कारण संस्था के लिए अपने प्रशासन का समन्वय करना कठिन हो गया था।

संस्थागत माध्यस्थम के लाभ (Benefits of Institutionalised Arbitration)

यह अधिनियम भारत में माध्यस्थम के परिवेश को सुदृढ़ करेगा। इससे भारत को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:

- इससे विवादों का समयबद्ध निपटान और माध्यस्थों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
- भारत में **ईज ऑफ डूइंग बिजनस** (व्यापार करने में सुगमता) को बढ़ावा मिलेगा।
- **गुणवत्ता युक्त विशेषज्ञ** की नियुक्ति।
- **न्यायालयों के कार्यभार को कम** करने में सहायता मिलेगी।
- लंदन, सिंगापुर और हांगकांग जैसे वर्तमान के वरीयता प्राप्त माध्यस्थम केंद्रों के बजाय भारत में अपने विवादों का समाधान करने हेतु **निवेशकों को प्रोत्साहित** करेगा।
- भारत को **संस्थागत माध्यस्थम के एक केंद्र** के रूप में विकसित होने की सुविधा प्रदान करेगा।

1.8. नौकरियों में स्थानीय कोटा नियत करने की मांग

(Demand for Local Job Quotas)

सुर्ख़ियो में क्यों?

हाल ही में, आंध्र प्रदेश निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

पृष्ठभूमि

- अपने ही राज्यों में स्थानीय नौकरियों के संबंध में लोगों की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है।
    - सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS) द्वारा वर्ष 2016 में किए गए एक सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि लगभग दो-तिहाई प्रत्यर्थी (respondents) इस पक्ष में थे कि राज्य द्वारा अपने राज्य के लोगों को प्राथमिकता प्रदान की जाए।
    - यह भावना दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में अधिक प्रगाढ़ रही है।

VISION IAS

- विभिन्न राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों ने आरक्षण को प्रमुख चुनावी मुद्दे के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास किया है।
- इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए, आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा **"आंध्र प्रदेश एंप्लॉयमेंट ऑफ़ लोकल कैंडिडेट इन इंडस्ट्रीज़/फ़ैक्ट्रीज़ एक्ट, 2019"** को पारित किया गया है। इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के सभी कारखानों, संयुक्त उपक्रमों और राज्य स्थित उद्योगों तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी आधारित प्रणालियों में **स्थानीय आंध्र लोगों** के लिए 75% नौकरियां आरक्षित होंगी।
- इसी तरह की मांग कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे अन्य राज्यों द्वारा भी उठाई जा रही है।
- हाल ही में, **मध्य प्रदेश सरकार** द्वारा यह घोषणा की गयी है कि वह स्थानीय लोगों के लिए निजी नौकरियों में 70 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाएगी।

स्थानीय नौकरियों की मांग के कारण

- **कृषि संकट:** देश में कृषि क्षेत्र काफी संकटपूर्ण स्थिति में है, जिससे निराश होकर युवा इस क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए बाध्य हुए हैं।
- **नौकरियों की कमी:** देश में नौकरियों (निजी और सरकारी) की गंभीर कमी है। इसके अतिरिक्त, न केवल नौकरियां बहुत कम हैं, अपितु वे अनिश्चित भी हैं और उनके लिए उचित भुगतान भी नहीं किया जाता है।
- **भूस्वामियों का विस्थापन:** चूँकि निजी कृषि भूमि को अधिग्रहित करके भूमि से संबंधित अधिकांश आवश्यकता को पूरा किया जाता है, जिसके कारण भूस्वामी विस्थापित हो रहे हैं और वे अपने व्यवसाय से वंचित हो रहे हैं तथा इसके कारण उनको आर्थिक क्षति हो रही है।
- **कार्यबल में सभी वर्गों की भागीदारी का अभाव:** कई रिपोर्टें (जैसे- सेंटर फ़ॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ़ अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा जारी स्टेट ऑफ़ वर्किंग इंडिया 2018) यह दर्शाती हैं कि कॉर्पोरेट क्षेत्र में दलितों और मुसलमानों के कम प्रतिनिधित्व का एक कारण भेदभाव है।
- **यह धारणा कि केंद्रीय हस्तांतरण (सहायता) अपर्याप्त है:** यह धारणा विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में अधिक प्रचलित है। दक्षिणी राज्यों का यह मानना है कि क्रमिक वित्त आयोगों ने केंद्रीय हस्तांतरण हेतु गरीबी और जनसंख्या को निरंतर उच्च भार प्रदान किया है, जिसके कारण केंद्रीय पूल का अधिकांश हिस्सा उत्तरी राज्यों की ओर स्थांतरित हो जाता है।

इस कदम का महत्व

- **समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकता है:** जैसे जर्मनी में प्रत्येक गाँव में एक कारखाना मौजूद है, वैसे ही भारत में भी गाँवों में उद्योग होने चाहिए तथा स्थानीय लोगों के सर्वांगीण विकास हेतु रोज़गार प्राप्त होने चाहिए। हालांकि, इस तरह के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र स्तर पर एक व्यापक रूप-रेखा तैयार करने की आवश्यकता होगी।
- यह भ्रष्टाचार में कमी और श्रम कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन सहित औद्योगीकरण के पारदर्शी प्रतिरूप को बढ़ावा दे सकते हैं।

विश्लेषण

- **विधिक उपबंधों के अनुरूप नहीं:** अनुच्छेद 16, राज्य सरकार को ऐसे आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति प्रदान नहीं करता है, हालांकि, संसद इसे प्रावधानित करने हेतु अधिकृत है।
- **राजनीतिक रूप से प्रेरित कदम:** संरचनात्मक सुधारों, आधारभूत अवसंरचना जैसी मुख्य चिंताओं का समाधान करने के बजाय, आरक्षण का उपयोग केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है।
- **देश की एकता के लिए हानिकारक:** इस तरह के कदम आगे कई समस्याओं का कारण बन सकते हैं तथा अन्य राज्य भी ऐसी नीतियों को लागू करना प्रारम्भ कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारत की एकता प्रभावित हो सकती है।
- **उद्योगों की चिंताएँ:** हालाँकि, अधिकांश औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थानीय लोगों को ही नियुक्त करते हैं, लेकिन उद्योगों में कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ स्थानीय लोगों को नियोजित करना कठिन हो सकता है, तब ऐसे प्रतिष्ठानों को राज्य से बाहर के लोगों को नियुक्त करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
- **निवेश आकर्षित करने में कठिनाई:** विभाजन के पश्चात् आंध्र प्रदेश, पहले से ही विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस तरह के निर्णय से संभावित निवेशकों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है तथा निवेश की कमी से रोजगार सृजन में गिरावट आ सकती है।
- **विवरण का अभाव:** यह 'स्थानीय (Locals)' को उन उम्मीदवारों के रूप में परिभाषित करता है जो आंध्र प्रदेश राज्य में अधिवासित है, लेकिन 'अधिवास (domicile)' की स्थिति से संबंधित आवश्यकताओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान नहीं करता है।
- **पूर्व के ऐसे प्रयास असफल रहे हैं:** महाराष्ट्र और कर्नाटक ने इस आधार पर कुछ पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया गया।

VISION IAS

आगे की राह

- इस तरह के कदमों के बजाय अधिक रोजगार सृजन और औद्योगिकीकरण द्वारा बेरोजगारी से संबंधित **प्रमुख मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता** है।
    - सरकारों को अधिक निवेश के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए और इसके लिए अनुकूल परिवेश का सृजन करना चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में भी नीति निर्माताओं को इस प्रकार की नीति के प्रति सतर्क किया गया है। इसमें यह उल्लेख है कि ऐसी नीतियाँ उद्योगों के लिए अनिश्चितताएँ उत्पन्न करेंगी, जो आर्थिक वृद्धि को प्रभावित कर सकती हैं।
    - सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में उचित निवेश के साथ राज्य के युवाओं को रोजगारपरक बनाने पर ध्यान देना चाहिए।
- **श्रम गहन उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता:** देश में किसी भी उद्योग को स्थानीय लोगों को नियुक्त करने हेतु बाध्य करने के बजाए, श्रम गहन उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- **उद्यमिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता:** ऐसे परिवेश को सृजित करने की आवश्यकता है, जहां लोग स्वयं के लिए आजीविका सृजित करने के लिए प्रेरित हो सके। राज्य सरकारें इस संबंध में प्रोत्साहन और सहायता प्रदान कर सकती हैं, जैसा कि महाराष्ट्र में दलित उद्यमियों के लिए प्रावधान किया गया है।
- **आर्थिक आधार पर आरक्षण को अपनाने की आवश्यकता:** आरक्षण नीतियों का और आगे विस्तारित करने के बजाए आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है।

VISION IAS

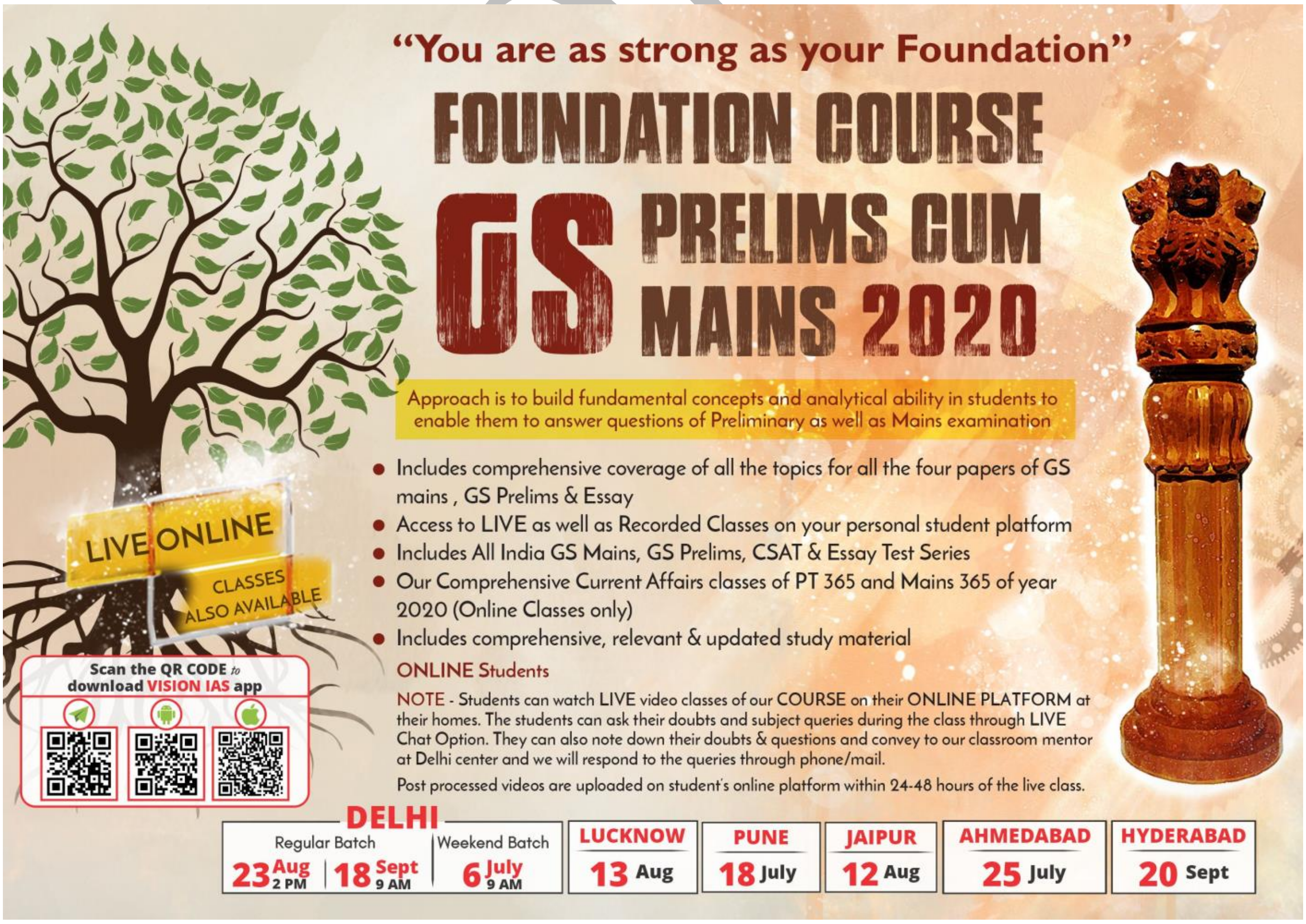

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी

(Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया) में **RCEP के लिए 26वें दौर की वार्ता** आयोजित की गयी।

RCEP के बारे में

- **यह 10 आसियान (ASEAN) अर्थव्यवस्थाओं और इसके छः अन्य मुक्त व्यापार समझौता (FTA) भागीदारों (यथा- न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया) के मध्य एक प्रस्तावित समझौता है।**
- **RCEP वार्ता शुरू करने का उद्देश्य** आसियान सदस्य राष्ट्रों और आसियान के FTA भागीदारों के मध्य एक आधुनिक, व्यापक, उच्च-गुणवत्तायुक्त तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक साझेदारी समझौते को प्राप्त करना है।
- इसे प्रायः अमेरिका द्वारा प्रस्तुत किए गए **ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) के प्रति चीन संचालित प्रतिक्रिया** के रूप में जाना जाता है।

RCEP की क्षमता

- RCEP में पूर्वी-एशिया क्षेत्र में व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करने की क्षमता है, जो इसे **विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक समूह बनाता है।**
- RCEP के 16 भागीदार राष्ट्रों में **विश्व की आबादी का लगभग आधा हिस्सा** निवास करता है।
- वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान लगभग **30 प्रतिशत** और वैश्विक निर्यात में योगदान **एक चौथाई** से अधिक है।
- RCEP के सभी भागीदार देशों में लघु और मध्यम उद्यम (SMEs) **90 प्रतिशत से अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निर्माण** करते हैं।

RCEP की ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) से तुलना

- आरंभ में TPP वार्ता का नेतृत्व अमेरिका द्वारा किया गया था, जबकि RCEP का नेतृत्व चीन द्वारा किया गया।
- TPP एक अधिक महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए **बाजार तक पहुंच के साथ-साथ श्रम, पर्यावरण, बौद्धिक संपदा और राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों** से संबंधित विनियम शामिल हैं।
- दूसरी ओर, RCEP संपूर्ण क्षेत्र में प्रशुल्क (टैरिफ) को **मानकीकृत करने के साथ-साथ सेवाओं एवं निवेश के लिए बाजार पहुंच को बेहतर** बनाने पर केंद्रित है।
- RCEP में **विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए विशेष प्रावधान शामिल** हैं, जैसे- क्रमिक रूप से प्रशुल्कों का उदारीकरण और संक्रमण अवधि।
- एशियाई विकास बैंक (ADB) के वर्ष 2016 के एक पूर्वानुमान के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका के (TPP से) बाहर निकलने से पूर्व TPP में वैश्विक आय लाभ में **लगभग 400 बिलियन** अमेरिकी डॉलर तक योगदान करने की क्षमता थी, जबकि RCEP का अनुमानित योगदान **260 बिलियन अमेरिकी डॉलर** निर्धारित किया गया था।

- निम्नलिखित के द्वारा RCEP व्यापार बाधाओं को कम करने और क्षेत्र में व्यवसायों के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं हेतु बेहतर बाजार पहुंच को सुरक्षित करने के उद्देश्य से एक ढांचा प्रदान करेगा:
  - उभरती क्षेत्रीय आर्थिक संरचना में आसियान केंद्रीयता और साझेदार राष्ट्रों के मध्य आर्थिक एकीकरण बढ़ाने एवं आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करने में आसियान के FTA भागीदारों के हितों को मान्यता प्रदान करना।
  - साझेदार राष्ट्रों के मध्य व्यापार एवं निवेश का सरलीकरण तथा वर्धित पारदर्शिता।
  - वैश्विक और क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs) की संलग्नता का सरलीकरण।
  - अपने FTA भागीदारों के साथ आसियान की आर्थिक साझेदारी को व्यापक और सुदृढ़ करना।

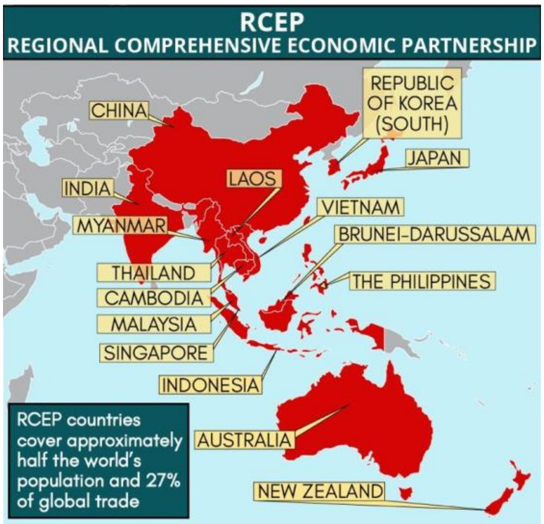

- हालाँकि, इस समझौते के **16 अध्यायों में से 7 पर वार्ता** पूर्ण हो चुकी है, फिर भी वस्तुओं, सेवाओं और निवेश के प्रमुख क्षेत्रों पर वार्ता जारी है।
- जहाँ एक ओर, RCEP व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप देने का दबाव बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर इसके सदस्यों के मध्य परस्पर मतभेद बने हुए हैं, जैसे- भारत-चीन व्यापार संबंध तथा श्रम एवं पर्यावरण संरक्षण आदि पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे राष्ट्रों का कठोर रूख।
- RCEP पर **आगामी वर्ष के मध्य तक हस्ताक्षर होने की संभावना है।**

RCEP भारत के लिए कितना लाभप्रद हो सकता है?

- **बाजार पहुंच:** इसके आकार के कारण, इसमें भारत के वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात के लिए बाजार पहुंच प्रदान करने और भारत में अधिक निवेश तथा प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने की संभावना है।
- **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्र में वृद्धि:** RCEP समावेशी होने के महत्व को मान्यता देता है, विशेष रूप से यह समझौता SMEs को इससे लाभ उठाने और वैश्वीकरण तथा व्यापार उदारीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। इसलिए, RCEP भारत के MSMEs को क्षेत्रीय मूल्य और आपूर्ति श्रृंखलाओं के संदर्भ में प्रभावी रूप से एकीकृत होने की सुविधा प्रदान करेगा।
- **APEC (एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग) का विकल्प:** RCEP आर्थिक मोर्चे पर APEC का विकल्प प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि, भारत वर्ष 1993 से APEC में शामिल होने का प्रयास कर रहा है, परन्तु अभी भी इसे सदस्यता प्राप्त नहीं हुई है।
- **FDI संबंधी लाभ:** भारत का इस व्यवस्था से समूह के अन्य राष्ट्रों के साथ व्यापार से संबंधित नियमों, निवेश और प्रतिस्पर्धा क्षेत्र में सामंजस्य स्थापित होने की संभावना है। इससे आंतरिक और बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), विशेष रूप से निर्यात-उन्मुख FDI को बढ़ावा मिलेगा।
- **व्यापार में वृद्धि:** RCEP राष्ट्रों के साथ भारत का इंजीनियरिंग व्यापार वर्ष 2014 के 79 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2018 में 108 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। (निर्यात 15.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2018 में 17.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि आयात 64.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 90.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।)
- **भारत-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ता दायरा:** यह भारत की एशियाई रणनीति को पुनर्संतुलित करने तथा हिन्द महासागरीय एवं प्रशांत महासागरीय राष्ट्रों के मध्य लिंकेज (जुड़ाव) की स्वीकृति हेतु एक मंच प्रदान करता है।
- **भारत की पहल के साथ संरेखित**
  - भारत अपने **'मेक इन इंडिया'** कार्यक्रम को वैश्विक स्तर पर सफल बनाना चाहता है। भारत को एशियाई मूल्य एवं आपूर्ति श्रृंखला (जो या तो भारत से शुरू होती हैं या समाप्त) का हिस्सा बनने हेतु सकारात्मक रूप से भाग लेना चाहिए।
  - यह **एक्ट ईस्ट पॉलिसी** के साथ भी संरेखित है, जो समझौते का हिस्सा बनने के लिए भारत को आर्थिक और रणनीतिक दोनों प्रकार से उचित ठहराता है।
- **आपूर्ति श्रृंखलाओं की वृद्धि:**
  - RCEP संधि पर हस्ताक्षर करने से भारत **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में प्रवेश** करने में सक्षम होगा, क्योंकि यह 16 सदस्यों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं की अबाध आवाजाही को सुनिश्चित करेगा।
  - जिन उत्पादों के संदर्भ में इस क्षेत्र (BIMSTEC और ASEAN) को विशेषज्ञता प्राप्त है, उन्हें बढ़ावा देकर RCEP क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी प्रोत्साहित कर सकता है, जैसे- बांस एवं लकड़ी के उत्पाद, चमड़े का सामान, वस्त्र, रेशम, हस्तशिल्प और आभूषण।
- **श्रम बाजार के लिए लाभप्रद:** RCEP भारत को अधिक श्रम गहन विनिर्माण अर्थव्यवस्था बनने का अवसर प्रदान करेगा, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में विनिर्माण आधार स्थापित करने के लिए आकर्षित होंगी और RCEP सदस्यता उन्हें इसके (RCEP) वृहद् बाजार तक पहुंच प्रदान करने में सक्षम बनाएगी।

RCEP से संबद्ध भारत की चिंताएँ

- **व्यापार घाटा:** राष्ट्रों के साथ मुक्त-व्यापार-समझौतों (FTAs) पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् भारत के व्यापार घाटे में निरंतर वृद्धि हुई है। भारत के आसियान, जापान, द. कोरिया और सिंगापुर देशों (अधिकांश RCEP के सदस्य हैं) के साथ FTAs के संबंध में भी यही स्थिति है।
  - वित्त वर्ष 2019 में RCEP समूह के साथ भारत का वस्तु व्यापार घाटा 105 बिलियन अमेरिकी डॉलर (इसके कुल घाटे का 60%) था।
  - व्यापक व्यापार प्रवाह विश्लेषण इंगित करता है कि आयात की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (Compounded Annual Growth Rate: CAGR) 9.06 प्रतिशत (वर्ष 2014-2018 की अवधि के दौरान 2.90 प्रतिशत) थी। यह निर्यात की तुलना में आयात की उच्च वृद्धि को दर्शाती है।

- **घरेलू बाजार के लिए खतरा:** RCEP के सदस्य, विशेष रूप से चीन, 90 प्रतिशत वस्तुओं के लिए शून्य प्रशुल्क की मांग कर रहे हैं, जो भारत के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है, क्योंकि इससे भारतीय घरेलू बाजार में कम लागत वाली चीनी विनिर्मित वस्तुओं की अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी।
    - बड़ी संख्या में भारतीय उद्योगों (जिनमें लौह एवं इस्पात, डेयरी, समुद्री उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, रसायन एवं फार्मास्यूटिकल्स तथा वस्त्र उद्योग शामिल हैं) द्वारा चिंता व्यक्त की गयी है कि RCEP के तहत प्रस्तावित प्रशुल्क उन्मूलन उन्हें अप्रतिस्पर्द्धी बना देगा।
    - भारत के ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे अन्य गैर-FTA भागीदारों के साथ कृषि, बागवानी और डेयरी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी हितों से संबंधित कई संवेदनशील मुद्दें हैं।
- **नियमों के अनुपालन का अभाव:** भारत में वस्तुओं के आयात में हुई आकस्मिक वृद्धि, रूल्स ऑफ़ ओरिजिन के सिद्धांतों का अनुपालन न करने अथवा ऐसे उल्लंघनों की जांच करने वाली एजेंसी को जांच कार्यों में पूर्ण सहयोग न करने इत्यादि के कारण हुई है।
    - भारत ने RCEP वार्ताओं में सभी उत्पादों पर "कंट्री ऑफ ओरिजिन" के टैगिंग को एक बाधा के रूप में व्यक्त किया है।

उत्पत्ति के नियम (Rules of origin)

- किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए ये आवश्यक मानदंड हैं।
- इनका महत्व इस तथ्य से सिद्ध होता है कि कई मामलों में शुल्क (duties) एवं प्रतिबंध आयात के स्रोत पर निर्भर करते हैं।

- **चीन से प्रतिस्पर्धा:** यह स्पष्ट है कि चीनी विनिर्माण उद्योग का आकार और पैमाना व्यापक वित्तीय एवं गैर-वित्तीय समर्थन पर आधारित हैं, जो चीनी विनिर्माण उत्पादकों को प्रत्यक्षत: बढ़त प्रदान करते हैं।
    - विद्युत मशीनरी और उपकरण एवं इनके पुर्जे, यांत्रिक उपकरण, परमाणु रिएक्टर आदि वस्तुएँ चीन के साथ इंजीनियरिंग वस्तुओं में भारत के व्यापार घाटे के लिए प्रमुख योगदानकर्ता हैं।
- **निम्न श्रम उत्पादकता:** निम्न सापेक्ष श्रम लागत के बावजूद, विनिर्माण क्षेत्रक में भारत की श्रम उत्पादकता अभी भी विश्व स्तर पर काफी कम है। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तरीय विद्यमान पृथक श्रम कानून लेन-देन की लागत को भी बढ़ाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, भारतीय उद्योग एक मुक्त व्यापार क्षेत्र में शायद ही समान रूप से प्रतिस्पर्धा कर पाए।
- **कठोर बौद्धिक संपदा अधिकार नीति:** बौद्धिक संपदा से संबंधित कठोर प्रावधानों को कुछ समय के लिए इससे अलग किए जाने की मांग की जा रही है। भारत द्वारा इसे समझौते से बाहर रखने के पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं।
    - हालांकि, यदि प्रावधानों को अंगीकृत किया जाता है, तो घरेलू फार्मा कंपनियां विश्व भर में वहनीय जीवनरक्षक दवाओं को लॉन्च या निर्यात करने में सक्षम नहीं होंगी।
    - जबकि कृषि क्षेत्र में, किसान बौद्धिक संपदा का दर्जा प्राप्त पौधों के बीजों या फसल की उपज को बचाने या विक्रय के अधिकार से वंचित हो जाएंगे।
    - भारत द्वारा '**पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (International Union for the Protection of New Varieties of Plants: UPOV)'** के तहत RCEP के मंच पर उच्च स्तरीय संरक्षण को अस्वीकार करने हेतु वार्ता की गई थी। ज्ञातव्य है कि यह प्रावधान विश्व व्यापार संगठन या WTO-प्लस के दायरे से भी बाहर है।

आगे की राह

- **घरेलू उद्योग की सुरक्षा:** RCEP में लागत और लाभों को देखते हुए, भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपने घरेलू इंजीनियरिंग उद्योग पर RCEP के दुष्प्रभावों को सीमित करने के लिए घरेलू और बाह्य हितों के मध्य संतुलन स्थापित करे।
    - भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग के लिए RCEP द्वारा प्रस्तावित संभावित अवसरों को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि RCEP के कुछ देश, विशेष रूप से चीन, कुछ निम्न लागत वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए मूल्य श्रृंखला के विस्तार और विकास हेतु अवसर उपलब्ध करा रहे हैं।
- **कुशल श्रम का उपयोग:** भारत द्वारा इन अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार के अवसरों तक बेहतर पहुंच से लाभ उठाने के लिए अपने 'कुशल' श्रम बल के पूल हेतु पूंजी निवेश पर बल दिया जा रहा है।
    - उदारीकरण के परिणामस्वरूप पेशेवरों की सुगमतापूर्वक आवाजाही में वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गयी है। ज्ञातव्य है कि इसे सेवाओं के व्यापार के संबंध में **मोड 4 (Mode 4)** कहा जाता है।

VISION IAS

सेवा व्यापार में मोड-4

- प्राकृतिक व्यक्तियों की आवाजाही, सेवा संबंधी व्यापार के उन चार तरीकों में से एक है, जिनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाओं की आपूर्ति की जा सकती है।
- "मोड-4" से तात्पर्य उन प्राकृतिक व्यक्तियों से है, जो या तो सेवा आपूर्तिकर्ता (जैसे- स्वतंत्र पेशेवर) हैं या जो सेवा आपूर्तिकर्ता के लिए कार्य करते हैं और जो सेवा की आपूर्ति के लिए किसी अन्य WTO सदस्य राष्ट्र में मौजूद हैं।

- **प्रशुल्क संरचना की सुरक्षा:** भारत को RCEP में प्रस्तावित दोहरी प्रशुल्क संरचना की अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इससे भारत को अपनी प्रशुल्क संरचनाओं की सुरक्षा करने में सहायता मिलेगी, जो चीन से सस्ते आयात के प्रति अधिक सुभेद्य हैं।
  - इसे आर्थिक विकास के चरणों के आधार पर एक विशेष और विभेदित व्यवहार पर बल देना चाहिए।
- **निर्यात की सुविधा के लिए चीन के साथ "गैर-प्रशुल्क पारिस्थितिकी तंत्र" को प्रस्तावित करना:** भारत को सैनिटरी और फाइटो-सैनिटरी नियमों, तकनीकी नियमों, अनुरूपता मूल्यांकन प्रणाली, क्षेत्रीय नियमों तथा उनके अनुपालन ढांचे पर वार्ता करने के लिए एक रूपरेखा विकसित करने का प्रयास करना चाहिए।
  - प्रच्छन्न व्यापार बाधाओं के दायरे से बचने के लिए हमारे निर्यात हित की रक्षा हेतु चीन के साथ गैर-प्रशुल्क अवरोधों के लिए एक विशिष्ट प्रावधान (annexure) के संबंध में वार्ता किए जाने की आवश्यकता है।
- **रूल्स ऑफ ओरिजिन (RoO) को प्रतिबंधित करना:** इसका उपयोग घरेलू बाजार में चीनी वस्तुओं के मुक्त प्रवाह को नियंत्रित करने हेतु RCEP में एक सुदृढ़ उपकरण के रूप में किया जा सकता है।
  - भारत को सस्ती चीनी वस्तुओं के आयात को रोकने के लिए उच्च मूल्य-वृद्धि के लिए RoO को प्रतिबंधित करना चाहिए, क्योंकि ये वस्तुएं हमारे मौजूदा FTA भागीदारों के माध्यम से भारत में प्रवेश कर सकती हैं।
  - RCEP के अधीन एक कठोर RoO व्यवस्था, सस्ते चीनी सामानों के विरुद्ध घरेलू उत्पादकों को सुरक्षा कवच प्रदान करेगी।
- **श्रम और बाजार सुधार:** घरेलू उद्योग के विकास हेतु सुरक्षा के साथ-साथ कारक और उत्पाद बाजार सुधारों द्वारा सृजित सक्षम परिस्थितियों की आवश्यकता है।
- **उपयुक्त सुरक्षा उपायों का निर्धारण:** FTA के भीतर, एंटी-डंपिंग आदि जैसे सुरक्षा उपायों से संबंधित प्रावधान किए जाने चाहिए, जिन्हें संबंधित उत्पादों की मात्रा या मूल्य के उच्चतम स्तर (ट्रिगर) पर पहुंचने पर लागू किया जाना चाहिए।

2.2. अफगान शांति प्रक्रिया

(Afghan Peace Process)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत द्वारा अफगानिस्तान में शांति और सुलह प्रक्रिया पर तीन नई "रेड लाइनों" को जारी किया गया है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत आक्रमण और वर्ष 1989 में उनकी वापसी सहित अफगानिस्तान विगत 40 वर्षों से उथल-पुथल की स्थिति में रहा है।
- तालिबान 1996 में सत्ता में आया और बाद में 2001 में अल-कायदा का मुकाबला करने के प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल (International Security Assistance Force: ISAF) द्वारा सत्ता से बाहर कर दिया गया।
- तत्पश्चात एक नई सरकार का गठन किया गया, किन्तु तालिबान को समाप्त नहीं किया जा सका था तथा तब से विभिन्न वर्गों के मध्य संघर्ष जारी है।
- 2011 के बाद से, अफगानिस्तान से नाटो बलों की वापसी की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई थी। वर्ष 2014 में, अमेरिका ने भी अफगानिस्तान से नाटो बलों की वापसी की औपचारिक घोषणा कर दी थी।
  - इसके पश्चात् तालिबान ने अपनी पहुंच का तीव्रता से विस्तार किया है और तब से अफगानिस्तान में निरंतर अस्थिरता बनी हुई है।
  - अमेरिका के अनुसार, अफगान सेना का वर्तमान में आधे से अधिक क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित है जो 2015 में लगभग तीन-चौथाई से कम था।
  - इसके बाद से सभी हितधारकों के साथ वार्ता करके विभिन्न राष्ट्र अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया स्थापित करने में शामिल हुए हैं।
- जनवरी 2016 में एक नई पहल **(चतुर्भुज समन्वय समूह: Quadrilateral Coordination Group)** प्रारम्भ की गई थी। इस पहल में सम्मिलित राष्ट्र निम्नलिखित हैं: अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान।

VISION IAS

- अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी द्वारा **शांति और सुरक्षा सहयोग हेतु काबुल प्रक्रिया** की शुरुआत की गई और तालिबान को बिना शर्त वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया गया।
- हाल ही में, अफगान सरकार द्वारा घोषणा की गई कि वह तालिबान के साथ प्रत्यक्ष वार्ता की तैयारी कर रही है। हालांकि, जब तक संयुक्त राज्य अमेरिका अफगानिस्तान में अपने शेष 14,000 सैनिकों को वापस बुलाने हेतु एक कार्यक्रम की घोषणा नहीं करता है तब तक तालिबान ने अफगान सरकार के साथ प्रत्यक्ष वार्ता करने से मना कर दिया है।
- अमेरिका ने इस वर्ष की शुरुआत में तालिबान के साथ शांति समझौते के फ्रेमवर्क पर वार्ता हेतु **"अग्रीमेंट इन प्रिंसिपल"** को अपनाया है।
- तालिबान की वैधता में अत्यधिक वृद्धि हुई है और लगभग सभी हितधारक तालिबान के साथ संलग्न होना चाहते हैं।
- क्वाड्रीलेटरल कंसल्टेशन ग्रुप (quadrilateral consultation group) ने अब तालिबान, अफगान सरकार और अन्य स्थानीय हितधारकों के मध्य **अंतरा-अफगान वार्ता** शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है।
- इस बदलते परिदृश्य के साथ, भारत ने तालिबान के साथ वार्ता प्रक्रिया में संलग्न होने के लिए उदार प्रतिक्रिया व्यक्त की है, भले ही इसके द्वारा अफगानिस्तान में शांति और सुलह प्रक्रिया के संबंध कुछ रेड लाइन्स को निर्धारित किया गया है।

अफगान शांति प्रक्रिया में भारत की भूमिका

- परंपरागत रूप से, भारत अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार और इसके प्रयासों को प्रोत्साहित करने के पक्ष में रहा है। भारत ने तर्क दिया है कि तालिबान निर्वाचित नहीं हैं, ऐसे में उसे पक्ष रखने का अधिकार (locus standi) नहीं है, क्योंकि वह अफगानिस्तान में निवास करने वाले लोगों की इच्छा शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
- किन्तु अब, भारत ने कहा है कि वह ऐसे **"किसी भी प्रक्रिया"** के लिए प्रतिबद्ध है, जो अफगानिस्तान को लैंगिक और मानवाधिकारों की गारंटी सहित एकजुट, शांतिपूर्ण, सुरक्षित, स्थिर, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत राष्ट्र के रूप में उभरने में सहायता प्रदान कर सकता है।
- यह विगत कुछ वर्षों की भारत की स्थिति के विपरीत स्थिति है, जहां भारत सदैव अफगानिस्तान सरकार की भागीदारी सहित **"अफगान नेतृत्व वाले, अफगान स्वामित्व वाले और अफगान नियंत्रित"** शांति प्रक्रिया का पक्षधर रहा है।
- नई रेड लाइन को वर्तमान स्थिति के साथ अधिक यथार्थवादी और समकालिक रूप (sync) में देखा जाता है। भारत को इस सन्दर्भ में अब कूटनीतिक रूप से और अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है, ताकि यह अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय पहल का भागीदार बन सके।

रेड लाइन्स	**महत्व**
सभी पहलों और प्रक्रियाओं में वैधानिक रूप से निर्वाचित सरकार सहित अफगान समाज के सभी वर्गों को शामिल किया जाना चाहिए।	• विगत वर्षों में, अफगान सरकार की प्रायः अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकारों (जब वे तालिबान के साथ वार्ता हेतु संलग्न होते थे) द्वारा उपेक्षा कर दी जाती थी। • तालिबान से वार्ता करने के सन्दर्भ में भारत में स्वीकार्यता है, क्योंकि अंतत: वे "अफगान समाज के एक वर्ग" का प्रतिनिधित्व करते हैं।
किसी भी प्रक्रिया को संवैधानिक विरासत (constitutional legacy) और राजनीतिक अधिदेश का सम्मान करना चाहिए।	• लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की बहाली और महिलाओं के अधिकारों सहित मानवाधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए।
किसी भी प्रक्रिया को ऐसी किसी भी अनियंत्रित व्यवस्था को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जहां आतंकवादी और उनके समर्थक अपनी गतिविधियों को पुनर्स्थापित कर सकें।	• यह भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हक्कानी नेटवर्क, अल कायदा, इस्लामिक स्टेट सहित आतंकवादी समूहों के खतरे को इंगित करता है, जिसे वहां संचालित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। • साथ ही, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों, जैसे- लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा और जैश-ए-मोहम्मद को उनकी गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

भारत के लिए अफगान शांति प्रक्रिया का महत्व

- **क्षेत्र में शांति:** इस क्षेत्र में शांति की आवश्यकता है ताकि राष्ट्रों के मध्य व्यापार और समृद्धि को प्रोत्साहित किया जा सके।
- **सामरिक संबंध:** भारत ने अफगान सैन्य बलों एवं प्रशासनिक क्षमता निर्माण आदि के संदर्भ में अत्यधिक निवेश किया है। यदि कोई समझौता संपन्न हो जाता है, तो भारत अफगानिस्तान में एक रणनीतिक भागीदार बन सकता है। ज्ञातव्य है कि इससे भारत पाकिस्तान को नियंत्रित करने हेतु अफगानिस्तान को एक रणनीतिक साधन के रूप में प्रयोग कर सकता है।

VISION IAS

- **सहयोग के अन्य क्षेत्र:** भारत के लिए अफगानिस्तान में निम्नलिखित अवसर विद्यमान हैं:
    - **आर्थिक बाजार:** भारतीय कृषि उत्पादों, विद्युत मशीनरी, रबर उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स इत्यादि के लिए आर्थिक बाजार। अप्रैल-दिसंबर 2016-17 के दौरान, दोनों राष्ट्रों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 590.1 मिलियन डॉलर का था, जिसमें भारत द्वारा अफगानिस्तान को 377.2 मिलियन डॉलर का निर्यात किया गया था और अफगानिस्तान से 212.9 मिलियन डॉलर का आयात किया गया था।
    - **प्राकृतिक संसाधन:** जैसे- हाइड्रोकार्बन, दुर्लभ मृदा धातु और अन्य खनिज।
    - **कनेक्टिविटी:** राजमार्गों के माध्यम से ईरान और मध्य एशिया तक कनेक्टिविटी की सुविधा।
- **आतंकवाद का प्रसार:** यदि अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में संचालित आतंकी गुटों को निष्प्रभावी नहीं किया जाता है और अमेरिका द्वारा सैन्य बलों को शीघ्र ही वापस बुला लिया जाता है, तो इसके भारतीय सुरक्षा पर खतरनाक प्रभाव हो सकते हैं।

अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया में चुनौतियां

- **IS का उदय:** आतंकवादियों पर कार्यवाही करने के अफगान सरकार के दावों के बावजूद, IS और तालिबान के खतरों में वृद्धि हुई हैं। इन दोनों का लक्ष्य राष्ट्र को अस्थिर करना तथा अराजकता की ओर ले जाना है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका की रणनीति की विफलता:** संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान को सैन्य सहायता, अफगानिस्तान में सेना की उपस्थिति, वायु सेना का अंधाधुंध प्रयोग या देश में बुनियादी ढांचे के निर्माण के संबंध में एक समेकित रणनीति विकसित करने में असफल रहा है।
- **पाकिस्तान की भूमिका:** पाकिस्तान का तालिबान एवं उसके सहयोगियों के साथ हक्कानी नेटवर्क से प्रत्यक्ष संबंध है। साथ ही पाकिस्तान इसके भूभाग में आतंकवादी समूहों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करेगा क्योंकि यह भारत के रणनीतिक संबंधों को क्षति पहुंचाएगा।
- **नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट (NUG) की वैधानिकता** कमजोर प्रतीत होती है। इसका कारण मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला अब्दुल्ला और राष्ट्रपति अशरफ ग़नी के बीच संघर्ष, भ्रष्टाचार, निर्वाचन सुधारों के कार्यान्वयन की कमी तथा तालिबान द्वारा अफगान सरकार से वार्ता करने हेतु इनकार करना है। ध्यातव्य है कि तालिबान, अफगान सरकार को कृत्रिम, विदेशों द्वारा थोपी गई सरकार समझता है और इसका मानना है कि यह सरकार अफगान के लोगों की प्रतिनिधि सरकार नहीं है।
- **विभिन्न हितधारकों के मध्य संघर्ष:** यह अफगानिस्तान में प्रभाव स्थापित करने के लिए एक 'ग्रेट गेम' के रूप में प्रतीत होता है।
    - अमेरिका-रूस के मध्य तनाव, दोनों के मध्य अफगानिस्तान में छद्म युद्ध के लिए स्थान बना रहा है। इसी प्रकार अल-कायदा और IS से संबंधित आतंकवादी समूहों द्वारा किए जाने वाले हमले ईरान और अरब जगत के मध्य बड़े युद्ध में परिणत हो सकते हैं।
    - भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव के कारण अफगानिस्तान में भारत द्वारा विकास कार्यों के लिए दी जा रही सहायता भी प्रभावित हुई है।
    - इसके बदले में, इस्लामी समूहों से स्वयं को सुरक्षित करने की इच्छा से प्रेरित चीन, अफगानिस्तान में एक प्रतिद्वंद्वी सैन्य अड्डा स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। इन सभी कारकों ने तालिबान (जिसका देश के आधे से अधिक क्षेत्र पर नियंत्रण है) को पुनः संगठित करने और सुदृढ़ बनाने में योगदान दिया है।

निष्कर्ष

- भारत को अपने स्वयं के हितों का त्याग करके किसी विशेष देश का पक्ष लिए बिना एक संतुलित कूटनीति का अनुसरण करना चाहिए।
- वार्ता में तालिबान का शामिल होना स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि भविष्य में किसी भी सरकार का गठन सशस्त्र समूह (जो पाकिस्तान समर्थित हो सकता है) के समर्थन से होगा।
    - पाकिस्तान के प्रभाव में वृद्धि करने वाले इस प्रकार के शक्ति-साझाकरण समझौते केवल भारत के वाणिज्यिक हितों और सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाएंगे।
    - भारत अपने हितों की रक्षा हेतु तालिबान के साथ एक तरफा खुली वार्ता भी प्रारम्भ कर सकता है।
- भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह परामर्श की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखे या नाटो सैन्य बलों की वापसी के पश्चात् अपने वाणिज्यिक और सुरक्षा चिंताओं को सुरक्षित करने के लिए वैकल्पिक साधनों का निर्धारण करे।

2.3. भारत को नाटो के सहयोगी का दर्जा

(Nato Ally-Like Status to India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अमेरिकी सीनेट द्वारा भारत को अपने अन्य नाटो सहयोगियों (दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया) के समान दर्जा देने हेतु एक बाध्यकारी कानून पारित किया गया है।

VISION IAS

अन्य संबंधित तथ्य

- यह कानून चालू वित्त वर्ष 2020 के लिए **राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (National Defense Authorisation Act: NDAA)** का हिस्सा होगा।
- यह कानून दोनों राष्ट्रों के मध्य बेहतर समुद्री सुरक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त करता है।
- विगत कुछ वर्षों में भारत और अमरीका ने विभिन्न समझोतों के माध्यम से अपने रक्षा संबंधों को सुदृढ़ किया है, जैसे:
    - लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट (LEMOA) पर हस्ताक्षर।
    - कम्युनिकेशंस कमपैटबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट (COMCASA) पर हस्ताक्षर।
    - वर्ष 2017 के राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण के आधार पर भारत को अमेरिका के एक **प्रमुख रक्षा साझेदार** का दर्जा प्राप्त हुआ।
- परन्तु, भारत का दर्जा अभी भी अमेरिका के अन्य प्रमुख गैर-नाटो सहयोगियों (MNNA) के समकक्ष बना हुआ था।
- NDAA के अधिनियमित होने के पश्चात् यह सुनिश्चित हो सकेगा कि अमेरिकी विदेश विभाग शस्त्र निर्यात नियंत्रण अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारत के साथ एक गैर-सदस्यीय नाटो सहयोगी के समान व्यवहार करेगा।

नाटो (North Atlantic Treaty Organization: NATO) के बारे में

- यह 29 उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय राष्ट्रों के मध्य एक अंतर-सरकारी सैन्य गठबंधन है।
- यह 4 अप्रैल 1949 को हस्ताक्षरित **नार्थ अटलांटिक ट्रिटी** को कार्यान्वित करता है।
- यह **सामूहिक सुरक्षा (collective defence)** की एक प्रणाली का गठन करता है, जिसके तहत इसके स्वतंत्र सदस्य देश (अर्थात् नाटो राष्ट्र), किसी बाह्य पक्ष द्वारा किए जाने वाले आक्रमण की प्रतिक्रिया करने में पारस्परिक सुरक्षा में सहयोग करने हेतु सहमत हुए हैं।
- विदेशी मोर्चों पर नाटो की रक्षा प्रतिबद्धताएं साम्यवाद से लेकर इस्लामी चरमपंथ का सामना करने पर केंद्रित रही हैं। विशेषकर 9/11 के पश्चात् अफगानिस्तान, इराक, भूमध्यसागरीय क्षेत्र आदि में इसकी सहभागिता देखी जा सकती है।
- **प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी (Major Non-NATO Ally: MNNA):** MNNA वस्तुतः संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उन सहयोगी राष्ट्रों को परस्पर संगठित करने हेतु दिया गया एक पदनाम है, जिन देशों का अमेरिकी सशस्त्र बलों के साथ रणनीतिक कार्यवाही संबंध (strategic working relationships) हैं और **जो नाटो के सदस्य नहीं हैं।**

इस कदम का महत्व

- **भारत के लिए रक्षा लाभ, जैसे-**
    - यह अधिनियम भारत को अमेरिकी रक्षा विभाग (DoD) के साथ साझा-लागत के आधार पर **सहयोगी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं** में साझेदार बनने हेतु सक्षम बनाता है।
    - यह डिप्लिटिड **यूरेनियम एंटी टैंक राउंड्स** की खरीद को सक्षम बनाता है।
    - यह अधिनियम जहाजों और सैन्य रसद की प्रदायगी के संदर्भ में भारत को प्राथमिकता प्रदान करता है।
    - अमेरिकी सैन्य अड्डों के बाहर रखे गए रक्षा विभाग के स्वामित्व वाले उपकरणों के युद्धक आरक्षित भंडार को अधिकृत करने की अनुमति प्रदान करता है।
- **अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं:** NDDA द्वारा व्यापक रूप से यह स्पष्ट किया गया है कि दोनों राष्ट्रों के मध्य वास्तव में निकट रक्षा सहयोग का क्या आशय है और क्या मांग करते हैं।
- **भारत के महत्व को रेखांकित करता है** और भविष्य में USA की योजनाओं में भारत के प्रति विश्वास और केंद्रीयता को दर्शाता है।
- यह भारत और USA के मध्य **स्थायी संबंध सुनिश्चित करता है,** जो भारत को जलवायु परिवर्तन, व्यापार आदि जैसे विभिन्न अन्य मुद्दों पर एक रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने में सहायता करता है।
- **पाकिस्तान पर बढ़त:** नाटो और अमेरिका के साथ संबंधों (जिनमें समय के साथ गिरावट हो रही है) के संदर्भ में पाकिस्तान पर बढ़त (बॉक्स देखें) प्रदान करता है। चूंकि, चीन द्वारा पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ किया जा रहा है, अतः ऐसी स्थिति में नाटो के सहयोगी के रूप में भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने में सहायता प्राप्त हो सकती है।
- **इंडो-पसिफ़िक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा:** इस व्यवस्था के अमेरिकी कानून में समायोजन के परिणामस्वरूप भारत-अमेरिका साझेदारी को भारत-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप विकसित होने में सहायता प्राप्त होगी।
- **भारत पर किसी प्रकार की प्रतिबद्धताएं नहीं:** उल्लेखनीय है कि नाटो के सदस्य राष्ट्रों को संगठन (नाटो) का वित्तपोषण करना पड़ता है। इसके विपरीत MNNA तथा नाटो सहयोगी राष्ट्र अमेरिका के साथ केवल रणनीतिक कार्यकारी साझेदारी (strategic working partnerships) में शामिल हैं।

VISION IAS

नाटो के समक्ष चुनौतियाँ

- **US-रूस संघर्षों का समाधान:**
    - अमेरिका ने औपचारिक रूप से इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज (INF) संधि से बाहर होने की घोषणा की है। यह संधि संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस को 500 से 5,500 किलोमीटर रेंज वाली स्थल-आधारित मिसाइलों की तैनाती करने पर प्रतिबंध आरोपित करती है।
    - रूस ने यह आरोप लगाया है कि नाटो द्वारा इसके प्रभाव क्षेत्र में मिसाइलों की तैनाती की गई है, इसलिए रूस द्वारा भी अपनी कुछ मिसाइलों को तैनात किया गया है।
- **चीनी विस्तार को नियंत्रित करना:** विशेष रूप से भारत-प्रशांत क्षेत्र में इसके विस्तार तथा अफ्रीका और मध्य-पूर्व में इसकी बढ़ती आक्रामकता के संदर्भ में।
- **अमेरिका की उत्सुकता को कम करना:**
    - अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा गठबंधन को "अप्रचलित" कहना, भविष्य में इस संगठन में अमेरिकी भागीदारी पर संदेह व्यक्त करता है।
    - अमेरिका द्वारा नाटो के बजट में अत्यधिक वित्तपोषण किए जाने के विषय में भी शिकायत की गयी है, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिका को संगठन से हटाने के लिए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव भी तैयार किया गया था, हालांकि यह प्रस्ताव अभी पारित नहीं हो सका है।
- **अमेरिका का अफगानिस्तान से हटने का निर्णय:** यह अन्य नाटो भागीदार राष्ट्रों के मध्य एक चिंता का विषय है।
- **सुरक्षा के नए तरीकों** और अंतरिक्ष सुरक्षा, साइबर सुरक्षा आदि जैसे नए क्षेत्रों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है।

समय के साथ नाटो-पाक संबंध

- वर्ष 2001 में अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को **प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी** का दर्जा प्रदान किया गया था।
- वित्तपोषण और रक्षा उपकरण प्राप्त करने के अतिरिक्त पाकिस्तान ने नाटो की निम्नलिखित गतिविधियों में भाग लिया है:
    - पाकिस्तानी सेना और नाटो द्वारा **ज्वाइंट इंटेलीजेंस ऑपरेशन सेंटर** की स्थापना की गई है।
    - पाकिस्तान ने नाटो मिशन के लिए भूमि और एयरलाइंस संचार पुन: उपलब्ध कराया है।
- हालाँकि, वर्ष 2017 में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को शरण देने और आतंकवाद को वित्तपोषण प्रदान करने का हवाला देते हुए भारत के क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के MNNA दर्जे को कम कर दिया था। इसके अतिरिक्त, 1.66 बिलियन डॉलर की सैन्य सहायता को भी निलंबित कर दिया गया था।

2.4. भारत-यूनाइटेड किंगडम संबंध

(India-UK Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

13वीं संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति (Joint Economic and Trade Committee: JETCO) की बैठक के दौरान भारत और UK (यूनाइटेड किंगडम) ने खाद्य एवं पेय पदार्थ, स्वास्थ्य देखभाल और डेटा सेवाएं जैसे विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित व्यापार बाधाओं को समाप्त करने हेतु **तीन नए द्विपक्षीय कार्यकारी समूहों** को गठित करने हेतु सहमति व्यक्त की है।

इस संबंध में अन्य तथ्य

- व्यवसाय-संघों के नेतृत्व वाले इन तीन नए कार्यकारी समूहों का संचालन **भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) के साथ UK-इंडिया बिजिनेस काउंसिल (UKIBC)** द्वारा किया जाएगा।
- ये तीनों समूह प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दों से निपटने हेतु विभिन्न समाधानों की पहचान करेंगे तथा इस संबंध में प्रत्यक्ष रूप से UK एवं भारत के मंत्रियों को अनुसंशा करेंगे।
- उल्लेखनीय है कि, इन तीनों नए द्विपक्षीय कार्यकारी समूहों की शुरुआत **13वीं JETCO बैठक** के भाग के रूप में की गयी है।

इंडिया-UK के मध्य द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र

- JETCO: भारत और UK के मध्य रणनीतिक आर्थिक संबंध विकसित करने हेतु 13 जनवरी 2005 को इसकी स्थापना की गयी थी। दोनों राष्ट्रों के तत्कालीन प्रधानमंत्रियों के मध्य सितंबर 2004 में *"इंडिया-UK टुवड्र्स अ न्यू एंड डायनामिक पार्टनरशिप"* नामक एक संयुक्त घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् इसकी स्थापना हुई थी।

VISION IAS

- **इंडिया-UK इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग (EFD):** प्रत्येक देश की आर्थिक नीति के एजेंडे और वैश्विक आर्थिक परिप्रेक्ष्य के आलोक में इसका उद्देश्य भारत और UK के मध्य वित्तीय एवं आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करना है।
- **इंडिया-UK फाइनेंशियल पार्टनरशिप (IUKFP):** यह दोनों राष्ट्रों के वित्तीय सेवाओं से संबद्ध उद्योगों के मध्य संबंधों को सुदृढ़ करेगा और विश्व के दो प्रमुख वित्तीय केंद्रों लंदन एवं मुंबई के मध्य सहयोग को मजबूत बनाएगा।
- **इंडिया-UK सीईओ फोरम (India-UK CEO's Forum):** इस फोरम का उद्देश्य दोनों राष्ट्रों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश के स्तर में वृद्धि करने हेतु सरकारों को संस्तुतियाँ प्रस्तुत करना है।

UK-इंडिया बिजनस काउंसिल (UKIBC):

- UKIBC, एक गैर-लाभकारी निकाय है, जिसे UK और भारत के मध्य आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। यह JETCO वार्ताओं के लिए एक सचिवालय की भूमिका का भी निर्वहन करता है तथा UK की कंपनियों के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिससे कि वे अपने संबंधों (लिंक) को प्रोत्साहित कर सकें तथा भारतीय व्यवसायों के साथ नई साझेदारी विकसित कर सकें।

भारत-UK संबंध

- **आर्थिक:**
    - 2015-2018 के मध्य विगत तीन वर्षों के दौरान भारत-UK व्यापार में निरंतर वृद्धि हुई है। ज्ञातव्य है कि इस अवधि के दौरान भारत और UK के मध्य कुल व्यापार में 27% की वृद्धि हुई है।
    - मारीशस, सिंगापुर और जापान के पश्चात् UK, भारत में निवेश करने वाला चौथा सबसे बड़ा निवेशक है। भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में UK की हिस्सेदारी लगभग 7% है।
    - भारत, UK में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है। UK में भारतीय कंपनियों द्वारा 1,10,000 नौकरियों का सृजन किया गया है। ये कंपनियां यहाँ दूसरे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय नौकरी सृजनकर्ता के रूप में उभरी हैं।
- **शिक्षा:** इंडिया-UK एजुकेशन फोरम, UK-इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव (UKIERI), जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन एजुकेशन, न्यूटन-भाभा फंड एंड स्कॉलरशिप स्कीम जैसे द्विपक्षीय तंत्रों की शुरुआत के साथ-साथ विगत 10 वर्षों में, द्विपक्षीय संबंधों में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है।
- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:** अनुसंधान के क्षेत्र में भारत एवं UK के संयुक्त निवेश में वृद्धि हुई है।
    - सौर ऊर्जा भण्डारण और ऊर्जा दक्ष भवन सामग्रियों में सहयोगी शोध एवं विकास कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रण हेतु **भारत-UK स्वच्छ ऊर्जा शोध एवं विकास केंद्र** की घोषणा की गई है।
    - दोनों राष्ट्रों के मध्य 80 मिलियन पाउंड मूल्य वाली एक नई शोध साझेदारी स्थापित की गयी है। इसमें 13 मिलियन पाउंड मूल्य का एक संयुक्त निवेश {रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) पर एक नया संयुक्त रणनीतिक समूह} भी सम्मिलित है।
- **सांस्कृतिक संबंध:** भारतीय पर्यटकों के लिए, UK पांचवां सर्वाधिक लोकप्रिय गंतव्य स्थल है।

चुनौतियां

- **प्रतिबंधात्मक आव्रजन नीतियां:** भारत वीजा नियमों को सुगम बनाने की मांग कर रहा है, किन्तु UK द्वारा इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया जा रहा है।
    - हाल ही में, UK के गृह कार्यालय द्वारा उदार स्टूडेंट्स वीजा नियमों वाले निम्न जोखिम राष्ट्रों की नई सूची से भारत को बाहर रखा जाना चिंता का विषय है।
- **भारतीय छात्रों की संख्या में कमी:** UK जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 2009-10 की लगभग 40,000 से घटकर 2017-18 में 20,000 हो गयी हैं। यह संख्या अध्ययन हेतु अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड का चयन करने वालों की तुलना में कम है।
- **चीन के प्रति झुकाव:** चीन की तुलना में भारत के साथ कम अनुकूल व्यवहार किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, 2016 में प्रारंभ की गई UK की पायलट योजना के द्वारा चीनी नागरिकों को भारतीय नागरिकों की तुलना में लगभग चार गुना सस्ती दर पर मल्टीपल एंट्री वीज़ा उपलब्ध कराए जाते हैं।
- **पूर्व उपनिवेशों के समान व्यवहार:** समस्या का केन्द्र बिंदु औपनिवेशिक मानसिकता है, क्योंकि अभी भी ब्रिटिश विदेश नीति के तहत पूर्व उपनिवेशों को मुख्य रूप से एक बाजार समझा जा रहा है।
    - वास्तविकता यह है कि भारत जैसे देश स्वयं में अब प्रमुख आर्थिक शक्ति बन चुके हैं और अपनी नई स्थिति (जिसे पूर्ण रूप से वास्तविकता में परिवर्तित नहीं किया जा सका है) के अनुसार समान भागीदार के रूप में व्यवहार किए जाने की अपेक्षा रखते हैं।

VISION IAS

हालिया विकास

- **UK-इंडिया टेक पार्टनरशिप:** यह UK के व्यवसायों, विश्वविद्यालयों और अन्य विभिन्न क्षेत्रों को भारत के राज्यों के साथ संबद्ध करेगा।
- **एक्सेस इंडिया प्रोग्राम:** UK के लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) को भारत में निवेश की सुविधा प्रदान करने हेतु लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने सितंबर 2017 में **'एक्सेस इंडिया प्रोग्राम (AIP)'** की शुरुआत की थी। .
    - AIP प्रोग्राम का प्राथमिक फोकस भारत में निवेश करने की इच्छुक कंपनियों पर है अर्थात् ऐसी कंपनियां जो 'मेक इन इंडिया' पहल के भाग के रूप में विनिर्माण सुविधाओं को स्थापित करने की इच्छुक हैं।
- **रुपया मूल्यवर्ग वाले बॉण्ड:** जुलाई 2016 से लंदन में 3.5 बिलियन डॉलर से अधिक के रुपए-मूल्यवर्ग वाले बॉण्ड जारी किए जा चुके हैं। HDFS, NTPC, NHAI आदि ने ये बॉण्ड जारी किए हैं।
- **ग्रीन बॉण्ड:** भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC) ने ग्रीन बॉण्ड जारी कर 500 मिलियन डॉलर की राशि उगाही है। IRFC ने इन बॉण्ड्स को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी सूचीबद्ध कराया है।
- **राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष:** राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के तहत इंडिया-UK सब फंड (भारत-UK उप-कोष) में प्रत्येक के द्वारा 120 मिलियन पाउंड का एंकर निवेश किया जाएगा।
- **वाराणसी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्लान:** वाराणसी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्लान के तहत वाराणसी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास हेतु नई तकनीकी सहायता को UK द्वारा विस्तारित किया जाएगा।
- **स्टार्ट-अप इंडिया पहल को समर्थन प्रदान करना:** एक 'स्टार्ट-अप इंडिया वेंचर कैपिटल फंड' हेतु अतिरिक्त 20 मिलियन पाउंड के निवेश के अलावा, UK द्वारा 75 स्टार्ट-अप उद्यमों में 160 मिलियन पाउंड का निवेश किया जाएगा।
- **फर्स्ट बॉण्ड इंडेक्स सीरीज:** भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने विदेशी निवेशकों के लिए 22 सितंबर 2017 को लंदन स्टॉक एक्सचेंज (LSE) में भारत की फर्स्ट बॉण्ड इंडेक्स सीरीज की शुरूआत की।

अन्य संबंधित तथ्य

भारत-UK संबंधों पर ब्रेक्जिट (Brexit) का प्रभाव

- **व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में द्विपक्षीय संबंधों को सुगमता:** भारत, ब्रेक्जिट को UK के साथ अपने **व्यापार और आर्थिक संबंधों के विस्तार** के एक अवसर के रूप में देखता है।
    - PHD चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अनुसार, ब्रेक्जिट एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेगा, जहां UK और यूरोपीय संघ भारत के साथ व्यापार करने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे तथा वर्धित व्यापार के साथ दीर्घकालिक संबंध स्थापित करेंगे।
- **मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ताओं पर कोई प्रभाव नहीं:** ब्रेक्जिट (समझौते के साथ या बिना किसी समझौते के) **UK-भारत और यूरोपीय संघ-भारत मुक्त व्यापार समझौतों** में विलंब जैसे विवादास्पद मुद्दों को प्रभावित नहीं करेगा।
- **मुद्रा पर प्रभाव:** अमेरिकी डॉलर एकमात्र ऐसी मुद्रा होगी जो हार्ड ब्रेक्जिट (बिना किसी समझौते की स्थिति में) से लाभान्वित होगी तथा वैश्विक बाजारों में उत्तरोत्तर अनिश्चितता बनी रहेगी। इस तरह के परिणाम न केवल पाउंड-स्टर्लिंग को बल्कि भारतीय रुपये सहित उभरते बाजारों की मुद्राओं को प्रभावित करेंगे।
- **व्यवसाय और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:** ब्रेक्जिट और इससे उत्पन्न होने वाली अनिश्चितता से भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्य रूप से और विशेष रूप से UK में भारतीय व्यवसाय प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे।
    - उदाहरणार्थ, वर्तमान में UK में **लगभग 800 भारतीय कंपनियां संचालित हैं।** इसके अतिरिक्त UK अनेक भारतीय कंपनियों हेतु यूरोपीय बाजार में एक प्रवेश द्वार के रूप में भी कार्य करता है। यदि UK व्यवस्थित तरीके से EU से बाहर नहीं होता है, तो इन कंपनियों की यूरोपीय संघ के बाजार में प्रत्यक्ष पहुंच अवरुद्ध हो सकती है। यह परिदृश्य कुछ कंपनियों को अपने व्यवसायों को अन्यत्र स्थानांतरित करने या बंद करने हेतु बाध्य कर सकता है।

VISION IAS

आगे की राह

- **निवेश और व्यवसाय के क्षेत्र में भारत व UK के मध्य सहयोग** वास्तविक रूप में दोनों राष्ट्रों के उद्यमशीलता के परिवेश को रूपांतरित कर सकता है।
- भारत और UK के मध्य मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार को पुनः जीवंत बनाने हेतु द्विपक्षीय समझौते को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए दोनों पक्षों को अग्रसक्रिय होकर एवं उत्साहित रूप से कार्य करना आवश्यक है।
- द्विपक्षीय व्यापार मुद्दों के समाधान, रक्षा संबंधों, नवीकरणीय ऊर्जा, कौशल विकास और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर दोनों राष्ट्रों को निरंतर बैठकें और चर्चा करनी चाहिए।
- शिक्षा एवं कौशल विकास, स्मार्ट सिटीज एवं तकनीकी सहयोग, उन्नत विनिर्माण तथा इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में व्यापक संभावनाएं विद्यमान हैं।
- यह ज्ञात करने हेतु कि UK और भारत के मध्य आयात/निर्यात में किस प्रकार वृद्धि हो सकती है, **UK और भारतीय व्यवसायों के मध्य घनिष्ठ संबद्धता एवं परामर्श** {विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यमों (SME) जिनके द्वारा पहले से ही निर्यात किया जा रहा है} स्थापित करना।
- भारत-UK मुक्त व्यापार समझौता, निसंदेह, प्रशुल्कों को कम करके और मानकों को संरेखित करके व्यापार को बढ़ावा देगा। अतः UK और भारत की सरकारों द्वारा की जा रही संयुक्त व्यापार समीक्षा (Joint Trade Review: JTR) एक महत्वपूर्ण पहल है, जो UK द्वारा यूरोपीय संघ छोड़ने के पश्चात् एक घनिष्ठ एवं व्यापक व्यापार समझौते की नींव रखते हुए, त्वरित लाभ सुनिश्चित करेगी।
- **डिजिटल तकनीक का उपयोग** भारत के लिए स्वास्थ्य देखभाल संबंधी प्रक्रिया के साथ आउटसोर्सिंग सेवाएं, जैसे- ट्रांसप्रिस्क्रिप्सन के साथ-साथ **टेलीमेडिसिन, टेली-सर्जरी और टेली-डायग्नोसिस** संबंधी सेवाओं के निर्यात का अवसर प्रदान कर सकता है।

2.5. अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र

(African Continental Free Trade Area: AfCFTA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **अफ्रीकी संघ (AU) के 12वें शिखर सम्मेलन** के दौरान इसके 55 में से 54 सदस्य राष्ट्रों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के लिए **अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार समझौते (AfCFTA)** पर हस्ताक्षर किए गए हैं। **इसके साथ ही 27 राष्ट्रों द्वारा इसकी अभिपुष्टि (अनुसमर्थन) भी की गई है।**

AfCFTA के बारे में

- AfCFTA विश्व का सबसे बड़ा FTA होगा, क्योंकि यह अंततः **1.2 बिलियन लोगों के लिए** एक **अफ्रीकी साझा बाजार (African Common Market) का सृजन करेगा** और इसकी **2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की GDP का वैश्विक प्रभाव होगा।**
- इसमें शामिल राष्ट्रों को सहमत परिवर्तनों को अपनाने हेतु समय की आवश्यकता को देखते हुए मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते को **जुलाई 2020** से लागू किए जाने की संभावना है।
- AfCFTA के कारण वर्ष **2022 तक अंतरा-अफ्रीकी व्यापार (intra-African trade) में 60% की वृद्धि** होगी। वर्तमान में, अफ्रीकी देश परस्पर वस्तुओं और सेवाओं का लगभग 16% व्यापार करते हैं, जबकि यूरोपीय राष्ट्रों के साथ यह व्यापार 65% है।
- **AfCFTA,** वर्धित रोजगार की गुणवत्ता और मात्रा, राजकोषीय राजस्व में वृद्धि और जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार जैसे अन्य लाभों सहित **अफ्रीकी अर्थव्यवस्था में अत्यावश्यक औपचारिकता को भी बढ़ावा देगा।**

AfCFTA से संबंधित चुनौतियां और व्यवहार्यता मुद्दे

- **AfCFTA के समक्ष राजनीतिक, संगठनात्मक और संभरण (logistical) संबंधी चुनौतियां:** अफ्रीका में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं मुख्यतः **निम्नस्तरीय विनिर्माण आधार, प्रतिस्पर्धात्मकता के अभाव और पारस्परिक संपूरकता** के कारण कमजोर बनी हुई हैं।
    - अफ्रीका में अंतर्निहित उप-क्षेत्रीय प्रकृति तथा प्रशासनिक, नौकरशाही व कनेक्टिविटी संबंधी चुनौतियां बनी हुई हैं, जिसने अब तक एकीकरण और विकास को प्रभावित किया है। इसलिए इन समस्याओं का बेहतर रूप से समाधान किए जाने की आवश्यकता है।
- **वैश्विक वर्ल्ड-आर्डर संबंधी चुनौतियां:** AfCFTA को वर्तमान के वैश्विक संरक्षणवाद के प्रति एक प्रतिक्रिया के तौर पर भी देखा जा रहा है। अमेरिका-चीन व्यापार संघर्ष, ब्रेक्जिट (Brexit) और विश्व व्यापार संगठन (WTO) में निहित गतिरोध वैश्विक संरक्षणवादी प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं।

VISION IAS

- **अफ्रीका के लिए एक नई प्रतिस्पर्धा शुरु कर सकता है:** उल्लेखनीय है कि, चीन ने पहले से ही अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ कई दशकों की संगठित संलग्नता (concerted engagement), चेकबुक कूटनीति और परियोजनाओं के त्वरित निर्माण के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बढ़त प्राप्त की है।
    - पश्चिमी देश (मुख्यत: संयुक्त राज्य अमेरिका) "कंटेनमेंट ऑफ़ इंफ्लुएंस" (containment of influence) की रणनीति के माध्यम से अफ्रीका में चीन और रूस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं।
    - जापान यहाँ सबसे बड़ा ODA (आधिकारिक विकास सहायता) प्रदाता देश है। यह भारत के साथ मिलकर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC) के तत्वावधान में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की परियोजनाओं हेतु कार्य करते अपने प्रभाव क्षेत्र में विस्तार के लिए इच्छुक है।

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 50 वर्ष

(50 Years of Bank Nationalisation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

19 जुलाई 2019 को बैंकों के राष्ट्रीयकरण की 50वीं वर्षगांठ मनायी गयी।

पृष्ठभूमि

- 19 जुलाई 1969 को, भारत सरकार ने 'बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अध्यादेश, 1969 {Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Ordinance, 1969} जारी कर 50 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि वाले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था।
- यह अध्यादेश इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा लाया गया था। इस अध्यादेश के माध्यम से 75% से अधिक बैंकिंग क्षेत्रक (अपनी परिसंपत्तियों, देनदारियों और संपूर्ण पेड-अप-कैपिटल के साथ) राज्य के नियंत्रण में आ गए।
- हालांकि, इस प्रयोजन के लिए, केंद्र सरकार द्वारा बैंकों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने की आशा की गई थी।
- इस क्षतिपूर्ति की कुल राशि बैंकों और सरकार के मध्य आम सहमति से निर्धारित की जानी थी।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रकरण

- उस समय क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु एक स्पष्ट विधिक सिद्धांत का अभाव मुख्य चुनौती थी।
- उल्लेखनीय है कि 10:1 के बहुमत से, भारत के उच्चतम न्यायालय ने 'बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1969' को मुख्य रूप से इस आधार पर रद्द (strike down) कर दिया कि, 14 बैंकों को प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित क्षतिपूर्ति **अनुच्छेद 31(2)** की कसौटी पर विफल रही है।
    - अनुच्छेद 31(2) में यह प्रावधान था कि यदि सरकार द्वारा कोई संपत्ति अधिगृहीत की जाती है तो उसे संपत्ति के स्वामी को क्षतिपूर्ति प्रदान करनी होगी। चूंकि इस प्रकरण में उक्त प्रावधान का स्पष्ट उल्लंघन हो रहा था, इसलिए न्यायालय ने उक्त अधिनियम को रद्द कर दिया।
- इसके पश्चात्, सभी 14 बैंकों को भुगतान की जाने वाली क्षतिपर्ति की विशिष्ट राशि का समावेश करते हुए संसद द्वारा 'बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970' को अधिनियमित किया गया।
- आगे चलकर, **25वें संविधान संशोधन अधिनियम (1971)** के माध्यम से **"संपत्ति के अधिकार"** को सीमित कर दिया गया। इस संशोधन अधिनियम ने सार्वजनिक उपयोग के लिए निजी संपत्ति को अधिगृहित करने हेतु सरकार को सशक्त बनाया। इसमें यह भी प्रावधान शामिल किया गया कि क्षतिपूर्ति के भुगतान के संबंध में संसद द्वारा निर्णय लिया जाएगा, न कि न्यायालयों द्वारा इसे निर्धारित किया जाएगा।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण

- **निजी बैंक अविश्वसनीय थे:** वर्ष 1944 से 1955 की अवधि में संपूर्ण देश में "विफल" होने वाली निजी बैंकों की कुल संख्या 361 थी; अर्थात् इस अवधि में प्रति वर्ष औसतन 40 से अधिक बैंक विफल रहे थे। इससे जमाकर्ताओं को अपना सारा पैसा गंवाना पड़ा क्योंकि उन्हें अपने संबंधित बैंकों द्वारा कोई गारंटी नहीं दी गई थी।
- **राष्ट्रीय नीति और उद्देश्यों के साथ अनुरूपता:** बैंकों का राष्ट्रीयकरण वस्तुतः स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा अपनाए गए समाजवाद के लक्ष्यों से सुसंगत था।
- **बैंकों और बड़े व्यवसायों के मध्य व्याप्त सांठगांठ को समाप्त करना:** इन वाणिज्यिक बैंकों को बड़े उद्योगों और व्यवसायों की आवश्यकता पूरा करने वाले बैंकों के रूप में देखा जाता था, जो अननुपातिक (disproportionately) रूप से बैंक वित्त पर एकाधिकार जमाए बैठे थे।
- **ऋण का संतुलित प्रवाह:** इसका उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों के मध्य सभी उत्पादक क्षेत्रकों में ऋण का संतुलित प्रवाह सुनिश्चित करना था। इन बैंकों द्वारा कृषि और अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों (priority sector) को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया था।
- **अर्थव्यवस्था का योजनाबद्ध विकास:** यह परिकल्पना की गई थी कि राष्ट्रीयकरण के कारण सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश का अनुपात बढ़ जाएगा। इससे देश के नियोजित विकास के लिए पर्याप्त विकास निधि सुनिश्चित होगी।

VISION IAS

1948 के आरंभ में ही अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की एक रिपोर्ट में बैंकों और बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार व्यक्त किया गया था।

- **1 जनवरी 1949** को 'भारतीय रिज़र्व बैंक (सरकारी स्वामित्व में अंतरण), अधिनियम, 1948' {Reserve Bank of India (Transfer to Public Ownership) Act, 1948} के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, बैंक की पूंजी के सभी शेयरों को केंद्र सरकार को अंतरित माना गया, जिसके लिए एक उचित मुआवजे की रकम का भुगतान किया गया।
- वर्ष 1955 में, भारत सरकार ने **इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया** का राष्ट्रीयकरण किया और इसका व्यवसाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अधिगृहीत कर लिया गया।
- वर्ष 1956 में बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कर, भारतीय जीवन बीमा निगम का गठन किया गया।
- वर्ष 1969 में भारत सरकार ने 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। वर्ष 1980 में, छह और निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लाभ

- **ग्रामीण शाखाओं में वृद्धि:** जुलाई 1969 में, देश में मात्र 8,262 बैंक शाखाएँ थीं, जो जून 1979 में बढ़कर 30,303 हो गईं।
- **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक ऋण:** सभी बैंकों को अनिवार्य रूप से कृषि, सूक्ष्म और लघु उद्यमों, आवास, शिक्षा एवं "कमजोर" वर्गों के लिए अपने निवल बैंक ऋण का 40% भाग अलग रखना पड़ा।
- **मौद्रिक नीति की उपयोगिता का प्रदर्शन किया:** बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने यह प्रदर्शित किया है कि मौद्रिक नीति और ब्याज दर जैसे उपकरणों का प्रभावी ढंग से प्रयोग कर बैंकों को ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों और अल्प-सेवित (under-served) क्षेत्रकों में ले जाया जा सकता है। यह कदम आगे एक अर्थव्यवस्था में पुनर्वितरणात्मक लक्ष्यों को पूरा करता है।
- **सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश:** हाल के वर्षों में सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- **रोजगार अवसर:** बैंक शाखाओं के विशाल विस्तार ने रोजगर के व्यापक अवसर सृजित किए हैं, जिससे देश में एक बड़ी संख्या में शिक्षित युवाओं को रोजगार मिला है।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबद्ध समस्याएँ

- **जटिल ब्याज दर संरचना:** विभिन्न प्रकार के ऋणों के लिए ब्याज की अलग-अलग दरें थीं। इसने राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य को विफल किया है, क्योंकि ब्याज दर की जटिल संरचना के कारण कभी भी ऋण जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता है।
- **अल्प-ऋणयन (Under-lending):** बैंक जोखिम-विमुख हो गए और कदाचित ही ये नई फर्मों को ऋण देते थे।
- **कम लाभप्रदता:** राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों के साथ एक प्रमुख समस्या यह जुड़ गयी है कि अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंक या तो घाटे में चल रहे हैं या उनका लाभांश कम रहा है।
- **निम्न दक्षता:** राष्ट्रीयकरण ने बैंकिंग प्रणाली के कामकाज में नौकरशाही की प्रवृत्ति का सृजन किया है। राजनीतिक हस्तक्षेप भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के सुचारू कामकाज में व्यवधान डालते हैं।

निष्कर्ष

बैंक के राष्ट्रीयकरण की 50वीं वर्षगांठ, उनके उज्ज्वल भविष्य के बारे में आह्वान करने का एक उपयुक्त अवसर प्रदान करती है। सैद्धांतिक रूप से बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक अच्छा विचार है, यदि यह वित्तीय समावेशन को उपयुक्त गति प्रदान कर पाए। साथ ही, इसकी दक्षता में सुधार लाने और बढ़ते बैड एसेट्स (अशोध्य परिसंपत्ति) को कम करने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए।

3.2. विदेशी मुद्रा उधारियाँ

(Foreign Currency Borrowings)

सुर्ख़ियों में क्यों?

2019-20 के बजट भाषण में, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार विदेशी बाजारों में विदेशी मुद्रा में अपने सकल उधारी कार्यक्रम के एक हिस्से को उगाहना आरंभ करेगी।

पृष्ठभूमि

- सरकारी बॉण्ड या सॉवरेन बॉण्ड वस्तुतः सरकार द्वारा लिया जाने वाला एक प्रकार का ऋण लिखत होता है। ऐसे बॉण्ड्स सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, जहाँ वह (सरकार) आवधिक ब्याज का भुगतान करने के साथ-साथ परिपक्वता तिथि पर बॉण्ड पर उल्लिखित संपूर्ण फेस वैल्यू (अंकित मूल्य) को चुकाने का वादा करती है। अभी तक, सरकार ने **केवल घरेलू बाज़ार** में ही ऐसे बॉण्ड्स जारी किए हैं।
    - सॉवरेन बॉण्ड विदेशी और घरेलू दोनों मुद्राओं के मूल्यवर्ग में हो सकते हैं।

VISION IAS

- भारत सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार लेने के मुद्दे पर 1990 के दशक में और 2000 के दशक के आरंभ में कई बार चर्चा हो चुकी है।
    - जब भी सॉवरेन विदेशी मुद्रा बॉण्ड की संभावना को विचारपटल पर रखा गया, तो इससे संबद्ध सुभेद्यता भी सामने आई।
    - विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने या रुपये का समर्थन करने की आवश्यकता के संदर्भ में इस सुभेद्यता को समझा जा सकता है।
- हालांकि, वर्तमान समय में यह सुभेद्यता एक अलग प्रकार की है, जिसने सरकार को यह घोषणा करने के लिए प्रेरित किया है कि वह विदेशों से उधार लेने पर विचार करेगी।
    - राजकोषीय दबाव और सार्वजनिक क्षेत्रक की उच्च उधार आवश्यकताओं ने निजी उधारकर्ताओं के समक्ष क्राउडिंग आउट (अल्प या शून्य ऋण की स्थिति) की समस्या व्युत्पन्न की है और ब्याज दरों को ऊँचा बनाए रखा है।
    - सरकार का मानना है कि, अपने उधारी का एक भाग विदेशों से लेकर, वह निजी क्षेत्रक के लिए घरेलू वित्तीय बचत पूल (अर्थात् घेरलू ऋण) को उपलब्ध करा पाएगी और इससे ब्याज दरों में कमी आएगी।
- अपनी कुल उधारी का 10-15 प्रतिशत हिस्सा विदेशों से उगाहने की सरकार की योजना है। ऐसा अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि इसके माध्यम से सरकार कम से कम 70,000 करोड़ रुपये जुटा पाने में सक्षम हो सकती है।
- ऐसी सूचना है कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक सितंबर तक सॉवरेन बॉण्ड के विदेशी निर्गमन की योजनाओं को अंतिम रूप देंगे।

विदेशी मुद्रा उधारियों की ओर रूख़ करने के लिए अन्य कारक

- **वैश्विक स्तर पर भारत की विदेशी उधारियाँ निम्नतम हैं:** मार्च 2019 के अंत में, कुल सॉवरेन डेब्ट (संप्रभु ऋण) 103.8 बिलियन डॉलर था। यह GDP का 3.8 प्रतिशत था।
- **निम्न चालू खाता घाटा:** यह वित्तीय वर्ष 2018-19 में GDP का 2.1 प्रतिशत था। पूँजी प्रवाह (ऋण और इक्विटी दोनों) द्वारा इसे सरलता से वित्तपोषित (अर्थात् प्रबंधित) किया गया था।
- **अधिकांश बाह्य क्षेत्रक सुभेद्यता संकेतक स्थिर हैं:** जैसे- ऋण-GDP अनुपात (19.7 प्रतिशत), विदेशी मुद्रा भंडार-ऋण अनुपात (76 प्रतिशत), ऋण सेवा अनुपात (6.4 प्रतिशत) और विदेशी मुद्रा भंडार के सापेक्ष आयात कवर (आठ माह)। इसके अतिरिक्त, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारतीय रुपये की अस्थिरता बहुत ही कम है। यह बाह्य क्षेत्रक में लचीलेपन की मात्रा को प्रदर्शित करता है।
- **सुदृढ़ समष्टि-आर्थिक संकेतक:** यद्यपि, आर्थिक संवृद्धि की रफ़्तार धीमी हुई है, तथापि यह वैश्विक संदर्भ में सर्वाधिक {सौम्य मुद्रास्फीति (benign inflation) परिदृश्य के साथ} है।
- **राजकोषीय समेकन के लिए सरकार द्वारा व्यक्त की गई मजबूत वचनबद्धता:** इसके कारण वैश्विक बाजार द्वारा भारतीय संप्रभु बॉण्ड को सहर्ष स्वीकार किया जाएगा, भले ही सरकार (केंद्र और राज्य दोनों) के ऋण (GDP का 68 प्रतिशत) का स्तर उच्च है।

पक्ष

- **भारत में विद्यमान बॉण्ड बाजार के सतहीपन (shallowness) की समस्या को दूर करेगा:** विशेषकर ऐसे समय में जब सरकार चाहती है कि बॉण्ड बाजार उसकी उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (UDAY) जैसी कई प्रतिबद्धताओं का वित्तपोषण करे। निर्गमनकर्ता के रूप में, सरकार को वैश्विक उपस्थिति वाले निवेशक आधार के विविधीकरण का लाभ मिलेगा और घरेलू बॉण्ड दरों पर दबाव में कुछ कमी आ सकती है।
- **घरेलू बचत और उत्पादन के लिए संसाधनों को मुक्त करता है:** यह कदम देश में निजी निवेश को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि इससे निजी क्षेत्र के पास अपनी क्रेडिट और निवेश आवश्यकताओं को पर्याप्त ढंग से पूरा करने के लिए अब सरलता से वित्त उपलब्ध हो पाएगा। जब सरकार द्वारा कम घरेलू फंड की मांग की जाएगी, तो इससे बैंकों को अपने उधारकर्ताओं को नीतिगत दरों में कटौती का लाभ हस्तांतरित करने में सहायता मिलेगी।
- **संसाधनों का कम महंगा स्रोतीकरण (Less expensive sourcing of resources):** यह देखते हुए कि विदेशी प्रतिफल कम है और कुछ यूरोपीय बॉण्ड भी ऋणात्मक दायरे में आ गए हैं, ऐसे में फण्ड जुटाने का यह सही समय है। अत:, एक अनुमान के अनुसार, घरेलू दर से आधे से भी कम दर पर (अर्थात् सस्ते में) विदेशी मुद्रा उगाही जा सकती है।
- **यह भारतीय कंपनियों के लिए विदेशों से पैसा जुटाने का बेंचमार्क सृजित करता है।** साथ ही, यदि भारतीय सॉवरेन बॉण्ड अंतर्राष्ट्रीय बाजार सूचकांकों का भाग बन जाते हैं, तो उनकी कीमतें भारतीय फर्मों द्वारा चाहे गए विदेशी ऋण के लिए विश्वसनीय ब्याज दर बेंचमार्क स्थापित करेंगी, जिससे विदेशी ऋणों तक उनकी पहुंच आसान होगी।
- **सरकार पर वित्तीय अनुशासन का दबाव:** चूंकि, विदेशी मुद्रा उधारी व्यवस्था के अंतर्गत वित्तीय विचलन को सही नहीं माना जाता है, अतः ऐसे में यह कदम सरकारों पर वित्तीय अनुशासन संबंधी दबाव डालता है। साथ ही, विदेशी उधारी कार्यक्रम सरकार के लिए राजकोषीय घाटे में क्रमिक कमी बनाए रखना संभव बनाता है।

VISION IAS

विपक्ष

- **वैश्विक सुभेद्यताओं से संबद्ध करेगा:** अतीत में, भारत 6.5 प्रतिशत के राजकोषीय घाटा के बावजूद अपनी आर्थिक व्यवस्था को अपने अनुसार बनाये रखने में सफल रहा है। सॉवरेन बॉण्ड के मामले में भारत को कभी साख संकट का सामना नहीं करना पड़ा है, क्योंकि अभी तक भारत के सॉवरेन बॉण्ड विदेशी निवेशकों द्वारा धारित नहीं किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि ऐसे निवेशकों के पास बॉण्ड की शॉर्ट सेलिंग कर घरेलू बाजार को खतरे की स्थिति में पहुँचाने की क्षमता होती है। ओवरसीज बॉण्ड निर्गमन के कारण, सरकार अपने आपको परेशानी से बाहर नहीं निकाल पाएगी।
- यदि बॉण्ड की परिपक्वता अवधि के दौरान रुपया कमजोर होता है, तो सरकार पर पुनर्भुगतान संबंधी बोझ बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक डॉलर, यूरो, येन इत्यादि को खरीदने के लिए अधिक रुपये का भुगतान करना होगा।
- **महंगा सिद्ध हो सकता है:** भारत की सरकारी-प्रतिभूतियों (G-Secs) की ब्याज दरों में अस्थिरता की तुलना में भारत की विनिमय दर में अस्थिरता बहुत अधिक है। इसका अर्थ यह है कि भले ही सरकार घरेलू दरों की तुलना में सस्ती दरों पर उधार ले रही होगी, लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी का समावेश करने के बाद अंतिम दरें सौदे को महंगा बना सकती हैं।
- **निर्यात को अल्प प्रतिस्पर्धी बना सकता है:** विदेशी उधारी से देश के विदेशी मुद्रा भंडार में तीव्रता से वृद्धि होगी, जिससे रूपया मजबूत होगा। ऐसे में मजबूत रुपया आयात को प्रोत्साहित करेगा, जबकि वर्तमान समय में सरकार इस पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है। यह निर्यात-संचालित आर्थिक विस्तार को कठिन बना देगा।
- **घरेलू बाजार पर दबाव में शायद कमी न आए:** यह आवश्यक नहीं है कि बाह्य बाजार से उधारी लेने से सरकारी बॉण्डों की संख्या कम होगी, जिन्हें घरेलू बाजारों को अवशोषित करना पड़ता है।
    - जब अर्थव्यवस्था में नई विदेशी मुद्रा का समावेश होता है, तो RBI को मुद्रा आपूर्ति के माध्यम से इसके प्रभाव को कम करना पड़ता है। इसके लिए अधिक बॉण्ड बेचने की आवश्यकता होगी।
    - यदि RBI यह कदम नहीं उठाता है, तो अतिरिक्त धन की आपूर्ति से मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है, जिससे ब्याज दरें बढ़ सकती हैं और इस प्रकार निजी लिखत (instruments) हतोत्साहित हो सकते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण:** कई अर्थशास्त्रियों ने इस तथ्य पर अपनी चिंता व्यक्त की है कि इस कदम से भारत मैक्सिको, ब्राजील एवं कुछ मध्य और दक्षिण अमेरिकी देशों के रास्ते पर निकल सकता है। 1970 के दशक में, जब वैश्विक बाजार तरलता से भरा हुआ था तो इनमें से कई देशों ने विदेशों में भारी मात्रा में उधार लिया था। लेकिन, जब एक दशक बाद उनकी मुद्राओं में तेजी से गिरावट आई, तब ये देश बड़ी मुसीबत में आ गए, क्योंकि वे अपना ऋण नहीं चुका पाए थे।

आगे की राह

- भारत को अपनी कुल बाह्य उधारी की सीमा को इतना रखना चाहिए जिससे स्थिति हमेशा इसके नियंत्रण में रहे। विदेशी उधारी से निपटने के लिए एक सुविचारित दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है।
- बॉण्ड जारी करने पर, सरकार को अपनी नीतियों का भलीभांति प्रबंधन करना होगा। इसके लिए राजकोषीय अनुशासन की आवश्यकता होगी, क्योंकि सभी प्रकार के निवेशक भारत के राजकोषीय घाटे के प्रतिशत को निकटता से अवलोकित कर रहे होंगे।
- ऐसे देशों में निर्गमन प्रारंभ करना उपयुक्त होगा, जहां अनिवासी भारतीयों की संख्या अधिक है, जैसे कि उत्तर अमेरिका और मध्य-पूर्व। इसके अतिरिक्त, मजबूत राजनीतिक जुड़ाव और जापान-भारत के मध्य विगत वर्षों में हुए स्वैप व्यवस्था को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि, इसे प्रारंभ करने के लिए जापान एक बेहतर बाजार है।

3.3. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनिमयन

(Regulation of NBFCs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्त वर्ष 2019-20 के केंद्रीय बजट में, वित्त मंत्री ने यह घोषणा की कि **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को विनियमित करने के लिए RBI को और अधिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे।**

NBFCs से संबंधित वर्तमान मुद्दे

- **तरलता संकट:** वर्ष 2018-19 में रेटिंग्स कम किए जाने तथा 'इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज' (IL&FS) समूह द्वारा ऋणों के भुगतान में विफल (डिफ़ॉल्ट) रहने के कारण NBFCs तरलता संकट से ग्रसित रही हैं।
    - IL&FS संकट के तुरंत बाद, NBFCs को नकदी की गंभीर कमी का सामना करना पड़ा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स (MFs) द्वारा NBFCs के ऋणों के पुनर्वित्तयन पर रोक लगा दी गयी।

VISION IAS

- इस स्थिति को नियंत्रित करने हेतु सरकार ने कई उपायों को अपनाया, जिसके फलस्वरूप, कुछ समय के लिए बैंकिंग क्षेत्र से NBFCs को मिलने वाले वित्तीय मदद में सुधार हुआ था।
- हालांकि, नवंबर 2018 से बैंकिंग क्षेत्र की ओर से सहयोगात्मक वित्तीय संसाधनों के प्रवाह में कमी आई है, जिसने हालिया तिमाहियों में इस क्षेत्र की उधार/ऋण क्षमता को प्रभावित किया है।

- **NBFCs की बिगड़ती स्थिति:**
  - निवल NPA (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ) में मामूली वृद्धि, जो मार्च 2018 के 3.2 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर 2018 में 3.6 प्रतिशत हो गयी थी।
  - NBFCs क्षेत्र का सकल NPA अनुपात विकृत होकर मार्च 2018 के 6.1 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर 2018 में 6.5 प्रतिशत हो गया था।
  - NBFCs क्षेत्र का जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (Capital to Risk weighted Assets Ratio: CRAR) विकृत होकर मार्च 2018 के 22.8 प्रतिशत से गिरकर दिसंबर 2018 में 22.2 प्रतिशत हो गया था।
  - मार्च 2018 से दिसंबर 2018 तक परिसंपत्तियों पर प्रतिफल तथा लाभांशों में भी कमी आई है।

NBFCs द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दे:

- **विलंबित भुगतान:** DHFL और कुछ अन्य NBFCs द्वारा विलंबित भुगतान के कारण हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (HFC) क्षेत्रक नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है, जिसके कारण इनके प्रसार में कमी तथा इनके वित्तीयन लागत में वृद्धि हुई है। साथ ही, इसने HFC की आस्ति-देयता (asset-liability) के असंतुलन को भी प्रदर्शित किया है।
- **तरलता संकट:** NBFCs को नकदी के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। इनके पास ऋण प्रदान करने हेतु धन उपलब्ध नहीं है तथा धन जुटाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
- **ऋण लागत:** NBFCs को ऋण के बदले उच्च लागत का भुगतान करना पड़ रहा है, जो अंततः ऋणों पर उच्च ब्याज के रूप में उनके उधारकर्ताओं के अतिरिक्त बोझ में वृद्धि करता है। यह स्थिति ऋण वापस न करने की घटना में वृद्धि करती है तथा लाभ को कम करती है, परिणामस्वरूप बैंकों के साथ उनकी क्रेडिट रेटिंग्स भी प्रभावित होती हैं। कम क्रेडिट रेटिंग के कारण, पूंजी की लागत और बढ़ जाती है।
- **पूंजी पर्याप्तता:** पूंजी जुटाने में NBFCs को बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लाभ मार्जिन में संकुचन के कारण निजी इक्विटी निवेश को आकर्षित करने की क्षमता प्रभावित होती है और पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को पूरा करना एक सतत चुनौती बन जाती है।
- **विविध नियामक निकाय:** सभी NBFCs को RBI विनियमित नहीं करती है। NBFCs को उनके आकार के आधार पर कुछ अन्य संस्थाएं (जैसे- SEBI, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) इत्यादि) भी विनियमित करती हैं।
- **विलंबित परियोजनाएँ:** विलंबित वैधानिक अनुमोदन, भूमि अधिग्रहण में समस्याएँ, पर्यावरण स्वीकृति इत्यादि विभिन्न कारणों से NBFCs द्वारा वित्त पोषित कई अवसंरचना परियोजनाएं अवरुद्ध पड़ी हुई हैं। इससे अनेक NBFCs की वित्तीय स्थिति नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है।

NBFC के बारे में

- यह कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी होती है, जो ऋणों व अग्रिमों के व्यवसाय में, सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी शेयरों/ स्टॉकों/ ऋणपत्रों/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों अथवा इसी प्रकार की अन्य बिक्री योग्य प्रतिभूतियों के अधिग्रहण, लीजिंग, क्रय-अभिक्रय (Hire purchase), बीमा व्यवसाय, चिट व्यापार के व्यवसाय आदि कार्यों में संलग्न होती हैं।
- इसमें ऐसी कोई भी संस्था शामिल नहीं होती है, जिसका प्रमुख व्यवसाय कृषि गतिविधि, औद्योगिक गतिविधि, किसी भी प्रकार की वस्तुओं (प्रतिभूतियों के अतिरिक्त) के क्रय-विक्रय अथवा कोई भी सेवा प्रदान करने और अचल संपत्तियों के बिक्री/खरीद/निर्माण करना हो।
- NBFCs के कुछ उदहारण निम्नलिखित हैं: हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, मर्चेंट बैंकिंग कंपनियां, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकिंग/सब-ब्रोकिंग (शेयरों की सट्टेबाजी/इतर सट्टेबाजी) के कारोबार में लगी कंपनियां, वेंचर कैपिटल फण्ड कंपनियां, निधि कंपनियां, बीमा कंपनियां और चिट फंड कंपनियां।

प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण NBFCs (Systemically important NBFCs)

- वैसी NBFCs जिनकी परिसंपत्ति का आकार (अंतिम तुलन पत्र के अनुसार) 500 करोड़ या उससे अधिक हो, उन्हें प्रणालीबद्ध रूप से महत्वपूर्ण NBFCs माना जाता है।
- NBFCs की गतिविधियों का समग्र अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव को देखते हुए इस तरह का वर्गीकरण किया गया है।

VISION IAS

NBFCs तथा बैंक के मध्य अंतर

- NBFCs मांग जमाएं स्वीकार नहीं कर सकती हैं;
- NBFCs भुगतान एवं निपटान प्रणाली का भाग नहीं होती हैं और स्वयं पर आहरित होने वाला चेक जारी नहीं कर सकती हैं;
- NBFCs के जमाकर्ताओं के लिए जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, जैसा कि बैंकों के जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध होती हैं;
- बैंकों के विपरीत, किसी भी NBFC पर CRR के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, जबकि 15% का निम्न SLR केवल जमा स्वीकार करने वाली NBFCs पर लागू होता है।
- NBFCs को कंपनी अधिनियम, 1956 और बैंको को बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त होता है।

NBFC की भूमिका

- NBFCs ने **संसाधनों के संग्रहण तथा ऋण मध्यस्थता में एक महत्वपूर्ण भूमिका** निभाई हैं, परिणामस्वरूप बैंकों के ऋण वृद्धि में कमी की पूर्ति करने हेतु वाणिज्यिक क्षेत्र को सहायता प्राप्त हुई है।
- NBFCs मुख्य रूप से सार्वजनिक निधियों पर निर्भर करती हैं, जिनका **इस क्षेत्र की कुल देनदारियों में लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा** है।
- **बैंक ऋण, ऋण-पत्र तथा वाणिज्यिक प्रपत्र,** NBFCs के वित्त-पोषण के प्रमुख स्रोत हैं।

NBFC के लिए सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम:

- RBI अधिनियम, 1934 के अंतर्गत कुछ संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें NBFCs के समाधान/विघटन (resolution) से संबंधित शक्तियाँ शामिल हैं।
- RBI को, सरकार के स्वामित्व वाले NBFCs को छोड़कर, अन्य NBFCs के निदेशकों को हटाने का अधिकार प्राप्त होगा।
- RBI, महत्वपूर्ण गतिविधियों की निरंतरता को सुनिश्चित करने के क्रम में, NBFCs के व्यवहार्य तथा गैर-व्यवहार्य व्यवसायों के विभेद, पुनर्निर्माण अथवा विभाजन संबंधी योजनाएं तैयार कर सकता है।
- RBI, "मध्यस्थ संस्थानों" (bridge institutions) की भी स्थापना कर सकता है, जो NBFCs के व्यवसायों की निरंतरता को सक्षम बनाए रखने के लिए एक अस्थायी विकल्प होते हैं।
- सरकार, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर से संबंधित नियामकीय शक्तियों को राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से स्थानांतरित कर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को सौंपने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यह कदम विलंबित भुगतान तथा नकदी अभाव की समस्या ग्रस्त NBFCs क्षेत्रक को सुदृढ़ता प्रदान करेगा।
- बेहतर आर्थिक स्थिति वाले NBFCs की हाई रेटेड पूल्ड एसेट को खरीदने के लिए (जिनका मूल्य चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 1 लाख करोड़ रूपए हों) सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को उनके पहले नुकसान (10 प्रतिशत तक) पर छह-माह की एकमुश्त आंशिक ऋण गारंटी प्रदान करेगी।
- वैसी NBFCs, जो ऋण के पब्लिक प्लेसमेंट का कार्य करती हैं, उन्हें एक ऋण-पत्र शोधन संचय (Debenture Redemption Reserve: DRR) को बनाए रखना होगा और इसके साथ-साथ, RBI द्वारा निर्दिष्ट एक विशेष रिजर्व का भी अनुरक्षण/प्रबंधन करना होगा।
- NBFCs को व्यापार प्राप्य बट्टाकरण छूट प्रणाली (Trade Receivable Discounting System: TreDS) प्लेटफ़ॉर्म के लिए वित्त उपार्जित करने की भी अनुमति दी जाएगी, जो वित्त-पोषण के एक नए मार्ग को प्रशस्त करेगा।
- RBI बोर्ड ने RBI के भीतर एक विशिष्ट पर्यवेक्षी एवं नियामकीय संवर्ग (supervisory and regulatory cadre) का गठन करने का निर्णय लिया है।

ऋण-पत्र शोधन संचय (Debenture Redemption Reserve: DRR)

यह एक ऐसा प्रावधान है, जो यह स्पष्ट करता है कि कोई भी भारतीय निगम जो ऋण-पत्र (डिबेंचर) जारी करता है, उसे DRR का गठन करना चाहिए ताकि कंपनी के डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में निवेशकों को संरक्षित रखा जा सके।

व्यापार प्राप्य बट्टाकरण छूट प्रणाली (Trade Receivable Discounting System: TreDS)

यह बट्टे पर हुंडी भुनाने (बिल डिस्काउंटिंग) हेतु एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, जो नकदी की कमी वाले सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों (MSMEs) को अपने व्यापार पावती (trade receivables) को विक्रय कर धन जुटाने में सहायता करता है। उल्लेखनीय है कि कॉर्पोरेट्स के ऊपर MSMEs के बकाये को व्यापार पावती के तौर पर वर्गीकृत कर उन्हें (MSMEs को) अपने पैसे वापस पाने में सक्षम बनाया गया है।

वित्त उद्योग विकास परिषद (Finance Industry Development Council: FIDC)

- यह भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत NBFCs का एक स्व-नियामकीय संगठन व प्रतिनिधि निकाय है।
- FIDC का गठन वर्ष 2004 में किया गया था। यह NBFCs का मान्यता प्राप्त संगठन है, जो विशेष रूप से परिसंपत्तियों तथा ऋणों के वित्त-पोषण से संबंधित कार्यों में संलग्न हैं।

उठाए जा सकने वाले अन्य कदम

- **बेहतर जोखिम-प्रबंधन एवं शासन:** पूंजीगत अतिरेक/पूंजी की अत्यधिक उपलब्धता (जो छोटी विशेषज्ञ संस्थाओं की वृद्धि को प्रभावित करते हैं) के स्थान पर संपूर्ण प्रणाली में जोखिम-प्रबंधन एवं शासन को बेहतर बनाए जाने हेतु विनियामक क्षमता को निर्देशित किया जाना चाहिए।
- **परियोजनाओं की समयोचित स्वीकृति:** विशेष रूप से अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की समयोचित स्वीकृति सुनिश्चित करना, लागत स्फीति को कम करने के लिए अत्यावश्यक है। अन्य क्षेत्रों के लिए "प्लग एंड प्ले" दृष्टिकोण का विस्तार किया जाना एक संभावित समाधान हो सकता है।
- **वित्त उद्योग विकास परिषद (Finance Industry Development Council: FIDC) के सुझाव:**
  - बैंकिंग चैनलों के माध्यम से NBFCs हेतु एक समर्पित नकदी प्रणाली।
  - इसके द्वारा NBFCs के लिए ऐसी स्थायी पुनर्वित्तीयन व्यवस्था/प्रणाली स्थापित करने का सुझाव दिया गया है जो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आवास वित्त कंपनियों को प्रदान की गई व्यवस्था के सदृश होगी।
  - इसने NBFCs के संस्थागत निधियों के व्यवस्थित प्रयोग हेतु एक वैकल्पिक निवेश कोष (Alternative Investment Fund: AIF) स्थापित करने का सुझाव दिया है।
  - NBFCs को यह अनुमति दी जानी चाहिए कि वह खुदरा बाजार में माँग के अनुसार NCDs (नॉन-कंवर्टिबल डिबेंचर) को जारी कर सके।

3.4. अविनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम, 2019

(Banning Of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रपति ने **निर्धन जमाकर्ताओं/निवेशकों को पोंजी स्कीम से सुरक्षित करने** हेतु एक तंत्र स्थापित करने के लिए **अविनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम, 2019** को मंजूरी प्रदान की है।

पृष्ठभूमि

- पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में पोंजी योजनाएं (स्कीम) एक समस्या के रूप में सामने आई हैं। **रोज वैली, शारदा चिट फंड, बेंगलुरु में IMA ज्वेल्स घोटाला आदि** हाल ही में हुए कुछ प्रमुख घोटालों में से हैं।
- यह अधिनियम वर्तमान कानून में विद्यमान ऐसे अंतरालों को कवर करता है, जिनका विभिन्न पक्षों द्वारा छोटे निवेशकों से बड़ी मात्रा में धन जुटाने के लिए दुरुपयोग किया गया था।
- विशेष रूप से, यह निम्नलिखित तीन कानूनों को संशोधित करता है:
  - **भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934;**
  - **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992;** और
  - **बहु-राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002 (The Multi-State Co-operative Societies Act, 2002)।**

पोंजी योजना के बारे में (About Ponzi scheme)

- पोंजी योजना वस्तुतः एक धोखाधड़ीपूर्ण निवेश घोटाला (investing scam) है। इन योजनाओं के माध्यम से प्रायः निवेशकों को कम जोखिम के साथ उच्च प्रतिफल प्रदान करने का प्रलोभन दिया जाता है। सामान्यतया इस योजना के द्वारा नए निवेशकों को जोड़कर, पूर्व के (अर्थात् पुराने) निवेशकों को प्रतिफल प्रदान किया जाता है।
- वे पुराने निवेशकों को प्रतिफल प्रदान करने के लिए नए निवेश के निरंतर प्रवाह पर निर्भर रहते हैं। जब यह प्रवाह समाप्त हो जाता है, तो योजना विफल होकर ध्वस्त हो जाती है।

VISION IAS

पोंजी योजनाओं की लोकप्रियता के कारण:

- **प्रतिफल की उच्च दर:** पोंजी योजनाओं की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण यह है कि निवेश के पारंपरिक रूपों, जैसे- पोस्ट ऑफिस की योजनाओं और सावधि जमाओं की तुलना में वे प्रतिफल की उच्च दर प्रस्तुत करती हैं।
- **सरलता से निवेश:** डोर-टू-डोर सेवा प्रदान करने वाले एजेंटों के कारण इन योजनाओं में निवेश करना बहुत सुविधाजनक होता है। कभी-कभी, इन योजनाओं से जुड़े ब्रांड एंबेसडर की लोकप्रियता ग्राहकों के लिए इन योजनाओं को वैधता प्रदान करती है।

अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

- **जमा:** यह अधिनियम जमा (deposit) को अग्रिम, ऋण या किसी अन्य रूप में प्राप्त ऐसी राशि के तौर पर परिभाषित करता है, जिसे बिना ब्याज के या ब्याज के साथ वापस किए जाने का वचन दिया गया हो।
  - इसके अतिरिक्त, यह अधिनियम कुछ राशियों को परिभाषित करता है, जिन्हें जमा की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जैसे कि रिश्तेदारों से ऋण के रूप में प्राप्त राशि और किसी भी साझेदारी फर्म में भागीदारों द्वारा किया गया पूंजीगत योगदान।
- **जमा ग्रहण करने वाली सभी योजनाओं को संबंधित नियामक के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है:** वर्तमान में, 9 नियामक विभिन्न जमा योजनाओं की देखरेख करते हैं और उन्हें नियंत्रित करते हैं। इनमें सम्मिलित हैं: भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय आदि।
- **अविनियमित जमा योजना को प्रतिबंधित करता है:** एक जमा ग्रहण करने वाली योजना को उस स्थिति में अविनियमित के तौर पर परिभाषित किया जाता है, जब ऐसी जमाएँ व्यावसायिक उद्देश्य के लिए ग्रहण की जाती हैं और संबंधित योजना, अधिनियम में सूचीबद्ध नियामकों के साथ पंजीकृत नहीं है।
- **सक्षम प्राधिकारी:** यह अधिनियम सक्षम प्राधिकारी के रूप में एक या एक से अधिक सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान करता है, जिनका पद राज्य या केंद्र सरकार के सचिव के पद से नीचे नहीं हो। ये प्राधिकारी जमाकर्ता की संपत्ति एवं साथ ही साथ प्राप्त की गई सभी जमा राशियों को अनंतिम रूप से कुर्क कर सकते हैं।
- **निर्दिष्ट न्यायालय:** अधिनियम निर्दिष्ट क्षेत्रों में एक या एक से अधिक नामित न्यायालयों के गठन का प्रावधान करता है, जो सक्षम प्राधिकारी को संपत्ति बेचने और वसूल किए गए धन को जमाकर्ताओं के बीच समान रूप से वितरित करने का निर्देश दे सकते हैं। न्यायालय सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने के 180 दिनों के भीतर प्रक्रिया को पूरा करने की मांग करेगा।
- **केंद्रीय डेटाबेस:** अधिनियम जमाकर्ताओं के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार को ऑनलाइन केंद्रीय डेटाबेस बनाने के लिए एक प्राधिकरण निर्दिष्ट करने का प्रावधान करता है।
- **अपराध और दंड:** यह अधिनियम **तीन प्रकार के अपराधों** और उनसे संबंधित दंड को परिभाषित करता है। ये अपराध हैं:
  - अविनियमित जमा योजनाओं को संचालित करना (विज्ञापन, प्रोत्साहन, संचालन या धन स्वीकार करना);
  - धोखाधड़ी कर विनियमित जमा योजनाओं पर चूक करना; और
  - जानबूझकर गलत तथ्य प्रस्तुत करके जमाकर्ताओं को अविनियमित जमा योजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित करना।

आगे की राह

नया अधिनियम मूल रूप से घोटाला उजागर होने के बाद न्याय की प्रक्रिया को गति देने का लक्ष्य रखता है। हालांकि, यह महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इन योजनाओं पर पहले से ही अंकुश लगाया जाए। इसके लिए, SEBI और भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक सतर्क रहने, पोंजी योजनाओं की लोकप्रियता और प्रसार बढ़ने के समय उनके विषय में अवगत होने और उन पर तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है।

3.5. कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार

(Corporate Bond Market)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने 2019-2020 बजट में भारत में कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार को विकसित करने के लिए कुछ उपायों की घोषणा की।

पृष्ठभूमि

- कॉर्पोरेट बॉण्ड निजी और सार्वजनिक निगमों द्वारा जारी की गयीं ऋण प्रतिभूतियां होती हैं। कंपनियां कई उद्देश्यों के लिए धन जुटाने हेतु कॉर्पोरेट बॉण्ड जारी करती हैं, जैसे कि एक नया संयंत्र निर्मित करना, उपकरण खरीदना, या व्यवसाय को बढ़ाना।

- उल्लेखनीय है कि, क्रमिक बजट और सरकार द्वारा अधिदेशित अनेक समितियां, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) आदि इस बाजार को विकसित करने के उपायों पर काम करने के संदर्भ में काफी हद तक विफल रहे हैं।
    - कॉर्पोरेट बॉण्ड की वृद्धि दर 2017 के बाद से सामान्यतः मंद रही है और मई 2019 में इसने एक दशक के दौरान 9.7% की सबसे कम दर चिन्हित की है। दूसरी ओर, बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण में पिछले वर्ष 12.7% की बढ़ोतरी हुई।

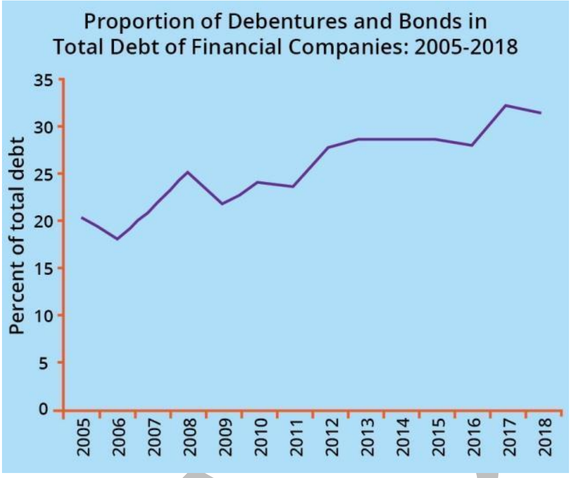

- **दीर्घावधिक बॉण्ड (long term bonds) बाजार को सुदृढ़ करने के लिए बजट में निम्नलिखित उपायों की घोषणा की गयी:**
    - अवसंरचना क्षेत्रक पर विशिष्ट बल देते हुए कॉर्पोरेट बॉण्ड रेपो, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप आदि के लिए बाजार को सुदृढ़ता प्रदान करना।
    - विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (Foreign Portfolio Investors: FPIs) को भी अवसंरचना ऋण निधियों द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
    - 2019-20 में ऋण गारंटी संवर्धन निगम (Credit Guarantee Enhancement Corporation) की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमों को अधिसूचित किया गया है।
    - म्यूचुअल फंड्स की तरह इक्विटी, ऋण या यूनिट्स के तौर पर पूंजी जुटाने हेतु सोशल एंटरप्राइजेज और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की स्थापना।
    - कंपनियों में न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव है।

भारत में कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार के समक्ष समस्याएँ

- **अविकसित:** जहाँ, भारत में घरेलू ऋण बाजार सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 67 प्रतिशत है, वहीं भारत के कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार का आकार GDP का सिर्फ 16 प्रतिशत है, जबकि मलेशिया में यह 46 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया में 73 प्रतिशत है।
- **सीमित निवेशक आधार:** इनके निवेशक आधार काफी सीमित हैं। इनका अधिकांश वित्तीयन बैंकों, बीमा कंपनियों, पेंशन फंड्स और म्यूचुअल फंड्स के द्वारा होता है।
    - कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले अधिकाश बॉण्ड सार्वजनिक रूप से जारी (public issue) किए जाने के स्थान पर कुछ चुने हुए निवेशकों के लिए निजी स्तर पर प्रस्तुत किए जाते हैं। हालांकि, समय की बचत तथा अधिकाधिक प्रकटीकरण से बचने के लिए ऐसा किया जाता है।
    - रुपये की मजबूत स्थिति के कारण व आकर्षक प्रतिफल की संभावना को देखते हुए FPIs अब टॉप-रेटेड बॉण्ड्स के प्रमुख खरीदार हैं। इनमें से अधिकांश निवेशक इन बॉण्ड्स का व्यापार नहीं करते हैं, अपितु परिपक्वता अवधि तक इन्हें धारित करते हैं।
- **कम तरलता:** बाजार में खरीदारों अथवा बाजार निर्माताओं (जो इसमें निरंतर भाग लेते हैं) की कम संख्या के कारण अल्प तरलता की स्थिति विद्यमान होती है। इसके कारण से बाजार निर्माण हेतु बहुत कम या कोई प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होता है।
- **व्यापार प्लेटफॉर्म का अभाव:** ऐसे व्यापार प्लेटफॉर्म का अभाव है जैसा कि सरकारी प्रतिभूतियों के लिए उपलब्ध है, परिणामस्वरूप कॉर्पोरेट बॉण्ड की उपलब्धता और उनका व्यापार सीमित हो जाता है।
- **निम्नलिखित के कारण कॉर्पोरेट बॉण्ड में विश्वास की कमी देखी गयी है:**
    - भारत में कंपनियों का निर्बल होता तुलन-पत्र उनकी विकास क्षमता के विषय में संदेह उत्पन्न करता है।
    - क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (CDS) जैसे क्रेडिट जोखिम सुरक्षा उपकरणों की अपर्याप्तता।
- **राज्यों के मध्य ऐसे मानकीकरण का अभाव है** जिससे उन्हें एक समान स्वरूप प्राप्त हो सके, जैसे कि कॉर्पोरेट बॉण्ड पर स्टांप शुल्क।

भारत में कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार की आवश्यकता

- **बैंकिंग क्षेत्र पर दबाव:** एक सुस्थापित कॉर्पोरेट बॉण्ड मार्केट की अनुपस्थिति में, असंरचना परियोजनाओं के वित्त-पोषण का बोझ **बैंकों और सरकार पर अधिक पड़ता है,** जिससे ऋणदाताओं (जैसे- बैंक) पर दबाव बढ़ जाता है। बढ़ती गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) से यह भली-भांति परिलक्षित होता है।
    - अंततोगत्वा, इससे न केवल संसाधनों का अक्षम आवंटन होता है, अपितु बैंकों का तुलन-पत्र भी बिगड़ जाता है।

VISION IAS

* **अधिक विकल्प:** एक परिपक्व कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार, कंपनियों को लंबी अवधि के दौरान विभिन्न परिपक्वता वाले बॉण्ड्स (अवसंरना परियोजनाओं सहित) के बदले में धन जुटाने में सक्षम बनाता है। इससे खुदरा निवेशकों को भी ऋण निधियों के माध्यम से ऐसी परियोजनाओं में निवेश करने का अवसर मिलेगा।
* किसी देश की वित्तीय प्रणाली की दक्षता व स्थिरता और उसकी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए एक सुविकसित कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार आवश्यक है।

भारत में कॉर्पोरेट बॉण्ड मार्केट के विकास पर एच. आर. खान समिति की प्रमुख अनुशंसाएँ:

* **कॉर्पोरेट बॉण्ड जारी करने का मानकीकरण:** सेबी जैसे नियामकों द्वारा प्रतिफल परिकलन (yield calculation) के आधार जैसे मापदंडों के संदर्भ में।
* **निवेशकों के दायरे को व्यापक करना:** जैसे कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम नियमों में संशोधन करके विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा गैर-सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति देना।
* **निवेशकों की सुरक्षा:** भारतीय रिजर्व बैंक व अन्य नियामकों को क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप और अन्य सुरक्षा साधनों के विषय में समय पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। चूक के समय पर शेयर बाजारों और अपनी स्वयं की वेबसाइट पर प्रकटीकरण के संबंध में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को नियामक मानदंडों का कड़ाई से पालन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है।
* **बॉण्ड व्यापार आरंभ करना:** स्टॉक एक्सचेंज, कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार निर्माण योजनाओं का संचालन कर सकते हैं। साथ ही, स्टॉक एक्सचेंज / अन्य संस्थाओं द्वारा एक कॉर्पोरेट बॉण्ड सूचकांक का भी आरम्भ किया जा सकता है।
* **अवसंरचना:** ऋण प्रतिभूतियों के प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेखा तंत्र की परिधि का विस्तार करके।
* **पूंजी बाजार का दोहन करने के लिए कॉर्पोरेट्स को प्रोत्साहित करना:** बैंकिंग प्रणाली से एक निश्चित स्तर (कट-ऑफ स्तर) से अधिक उधार लेने वाली बड़ी कॉर्पोरेट कम्पनियों को अपनी कार्यशील पूंजी के एक अंश हेतु और सावधि ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस बाजार का दोहन करने हेतु प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है।

आगे की राह

* एक सुदृढ़ कॉर्पोरेट विवाद समाधान तंत्र, बॉण्ड बाजार में निवेशकों का विश्वास उत्पन्न करने में अत्यधिक सहायक होगा। यदि निवेशकों को यह विश्वास हो जाए कि विरोधाभाषी स्थितियों का समाधान शीघ्र और निष्पक्ष रूप से किया जाएगा तो वे कॉर्पोरेट बॉण्ड को एक आकर्षक परिसंपत्ति की श्रेणी के रूप में देखेंगे।
* कॉर्पोरेट्स को विभिन्न तंत्रों (यथा- प्रतिभूतिकरण, ऋण संवर्द्धन आदि) का उपयोग करके अपने ऋण उपकरणों में नवोन्मेषकारी दृष्टिकोण का समावेश करना होगा।
* कॉर्पोरेट बॉण्ड्स की उपलब्धता, उससे जुड़े जोखिमों और निवेशों को सुरक्षित करने के लिए विद्यमान सुरक्षा उपायों के विषय में निवेशकों को अधिक से अधिक जागरूक करने की आवश्यकता है।
* इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफ़ॉर्म को एक साथ कई निर्गम किए जाने की प्रक्रिया को समायोजित करने के लिए और अधिक लचीला बनाया जाना चाहिए और निर्गम अवधि (जो अभी लगभग चार दिनों की है) को छोटा किया जाना चाहिए।

3.6. विनिवेश

(Disinvestment)

सुर्ख़ियों में क्यों?

बजट 2019-2020 में वित्त मंत्री ने यह रेखांकित किया कि सरकार न केवल एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया को पुनः आरम्भ करेगी, अपितु अन्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) में निजी क्षेत्रक द्वारा रणनीतिक भागीदारी के लिए का प्रस्ताव भी आमंत्रित करेगी।

अन्य संबंधित तथ्य

* **2019-2020 के बजट की घोषणाएँ:**
  * इस वर्ष के आरंभ में प्रस्तुत अंतरिम बजट में 90,000 करोड़ रूपये के विनिवेश का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2020 के लिए 1.05 ट्रिलियन रुपया निर्धारित किया गया है।
  * गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्रक की इकाइयों (Public Sector Units: PSUs) में सरकार की अधिकांश हिस्सेदारी 51 प्रतिशत के से कम हो सकती है। सरकार द्वारा PSUs में 51 प्रतिशत की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी रखने के स्थान पर, "सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थान" शेष राशि में निवेश कर सकते हैं।

VISION IAS

- सरकार भूमि और विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की **सम्पत्ति का मौद्रीकरण** करना चाहती है। 'निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग' छह लेनदेन सलाहकारों के एक पैनल को नियुक्त करने की प्रक्रिया में है, जो PSUs की गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के विक्रय में सहायता करेगा।

विनिवेश के तरीके

- **शेयर बाजार (Stock market):** शेयर बाजारों के माध्यम से किए जाने वाले कुछ उपाय निम्नलिखित हैं: प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (Initial Public Offering: IPO) और अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (Further Public Offering: FPO) और बिक्री के लिए प्रस्ताव (Offer for sale: OFS)।
- **संस्थागत स्थानन कार्यक्रम (Institutional Placement Program: IPP):** केवल संस्थान ही प्रस्ताव (Offering) में भाग ले सकते हैं।
- **एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF):** यह एकल प्रस्ताव के माध्यम से भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न CPSEs में सरकारी हिस्सेदारी के एक-साथ विक्रय को संभव बनाता है। यह उन CPSEs में अपनी शेयरधारिता के मुद्रीकरण के लिए एक तंत्र प्रदान करता है, जो एक ETF समूह के भाग का निर्माण करते हैं। वर्तमान में इसमें (i) **CPSE-ETF और (ii) भारत-22 ETF** शामिल हैं।

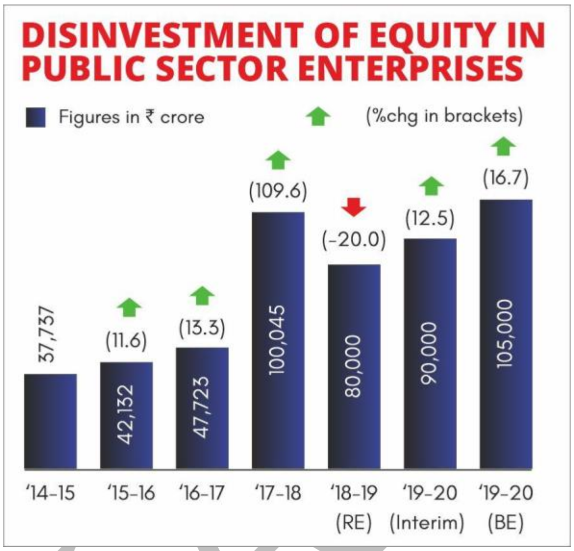

- **रणनीतिक विनिवेश:**
  - जब केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों (Central Public Sector Enterprises: CPSEs) में सरकारी शेयरधारिता के 50% तक के हिस्से को या उच्च शेयरधारिता (जिसमें प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण शामिल हो) की बिक्री की जाती है, तो उसे रणनीतिक विनिवेश कहा जाता है।
  - इसका प्रमुख उद्देश्य CPSEs में सरकारी निवेश का कुशल प्रबंधन करना है। विभिन्न कार्यक्रमों, यथा- पूँजी पुनर्गठन, लाभांश, बोनस शेयर जैसे मुद्दों को संबोधित करते हुए सभी को इस नीति का भाग बनाया गया है।
  - सरकार द्वारा अनुमोदित 28 रणनीतिक विनिवेश के मामलों में प्रगति हुई, जो वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान रणनीतिक रूप से विक्रय की जाने वाली तीन कंपनियों के साथ विभिन्न चरणों में हैं।

विनिवेश के बारे में

- **विनिवेश** का अर्थ सरकार द्वारा अपनी परिसंपत्तियों या सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी का विक्रय अथवा समापन करना है।
- वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) विनिवेश संबंधी प्रमुख एजेंसी है।
- वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति में यह इंगित किया था कि **PSU का निम्नलिखित कारणों से नियोजित पूँजी पर प्रतिफल नकारात्मक रहा है:**
  - सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों की सब्सिडीकृत मूल्य नीति;
  - क्षमता का न्यून उपयोग;
  - योजनाओं और परियोजनाओं के निर्माण से संबंधित समस्याएं;
  - श्रमिकों, कर्मियों और प्रबंधन की समस्याएं; तथा
  - स्वायत्तता का अभाव।

इस दिशा में सरकार ने 'विनिवेश नीति' को अपनाया, जिसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:

- सरकार के वित्तीय भार को कम करना;
- सार्वजनिक वित्त में सुधार करना;
- प्रतिस्पर्धा और बाजार अनुशासन को प्रोत्साहित करना;
- विकास के लिए धन जुटाना;
- स्वामित्व की व्यापक हिस्सेदारी को प्रोत्साहित करना; और
- गैर-आवश्यक सेवाओं का गैर-राजनीतिकरण।

विनिवेश के पक्ष में तर्क	विनिवेश के विपक्ष में तर्क
• विनिवेश से कर राजस्व अंतराल के कम होने की संभावना है। • ट्रेड यूनियनों के बढ़ने और राजनीतिक हस्तक्षेप प्रायः PSUs के प्रबंधन में अवरोध का कारण बनते हैं जिससे दीर्घकालिक रूप से दक्षता में कमी आती है। • PSU में अक्षमता का प्रमुख कारण प्रच्छन्न बेरोजगारी और अप्रचलित कौशल है। • निजी अभिकर्ता लालफीताशाही और नौकरशाही की मानसकिता से मुक्त होते हैं और वे निष्पादन प्रेरित संस्कृति और प्रभावकारिता पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। • अधिक सुदृढ़ प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया, निजी क्षेत्रकों को सार्वजनिक उपक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। • इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद सेवा पोर्टफोलियो प्रौद्योगिकी विकास/अधिग्रहण के माध्यम से समकालीन बना रहे।	• यह जनसंख्या के मध्य संसाधनों के समान वितरण की समाजवादी विचारधारा के विरुद्ध है। • इससे कॉर्पोरेट्स के एकाधिकार और अल्पाधिकार प्रथाओं को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। • जब विनिवेश से प्राप्त राशि का उपयोग सरकार के राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इससे अस्वास्थकर राजकोषीय समेकन को बढ़ावा मिलता है। • निजी स्वामित्व से दक्षता में वृद्धि की कोई गारंटी नहीं है। (रंगराजन समिति 1993)। • प्रायः विनिवेश प्रक्रिया सार्वजनिक संपत्तियों के कम मूल्यांकन और पक्षपातपूर्ण बोली द्वारा सम्पन्न होती हैं, जिसके कारण सरकारी राजस्व को नुकसान पहुँचता है। • परिचालन की लागत में कमी लाने के लिए निजी स्वामित्व, विकास की क्षेत्रीय असमानताओं की उपेक्षा कर सकता है।

विनिवेश से संबंधित कुछ मुद्दे

- **लक्ष्यों से अधिक प्राप्ति परन्तु एकल PSU के लिए खराब अनुक्रिया:** उदाहरण के लिए वर्ष 2018-19 में 80,000 करोड़ के निर्धारित लक्ष्य के विपरीत 85,000 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई। हालाँकि, सरकार को भारत अर्थ मूवर्स (BEML), पवन हंस (PHL) इत्यादि के विनिवेश को टालना पड़ा।
- **विभिन्न उपायों में संतुलन का अभाव:** IPO से 1,900 करोड़ की अत्यंत कम राशि ही प्राप्त हुई, वहीं ETF इंडेक्स फंड से 45,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई।
- **निजी अभिकर्ताओं में रूचि का अभाव:** PSU द्वारा बड़े पैमाने पर लिए गए ऋण इन्हें संभावित खरीददारों के लिए अनाकर्षक बनाते हैं। उदाहरण के लिए, एयर इंडिया के विनिवेश के प्रयास विफल सिद्ध हुए हैं।
- **श्रमिक संघों द्वारा विरोध:** बढ़ते निजीकरण से अपनी नौकरियों को खोने के संभावित संकट के कारण श्रमिकों द्वारा विरोध किया जाता है।

विनिवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदम

- **अनुमोदन और प्रक्रियाओं का तीव्र क्रियान्वयन:** CPSE के लिए प्रस्तावों को सूचीबद्ध करना, जो अभी अनुमोदन के विभिन्न स्तरों पर हैं।
- **परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण** पर ध्यान केन्द्रित करना:
  - रणनीतिक विनिवेश के अंतर्गत गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों की पहचान करना।
  - वैकल्पिक तंत्र, अंतर-मंत्रालयी तंत्र और परामर्शी समूहों को अधिसूचित किया गया है।
  - परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए मध्यस्थों को नियुक्त करना।
- **ऋण-ETF**
  - इसकी घोषणा 2019-20 के अंतरिम बजट में की गई थी।
  - CPSEs को ऋण / बॉण्ड बाजार तक पहुंच स्थापित करने में सक्षम बनाने हेतु DIPAM द्वारा एक ऋण-ETF का सृजन किया जाएगा। यह उनकी समग्र क्षमता का लाभ उठा कर पूंजीगत व्यय की आवश्यकताओं को आंशिक रूप से पूरा करेगा।

3.7. गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस

(Government E-Marketplace)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL), गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर वाला प्रथम केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम बन गया है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2016 में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस **(GeM)** को आरंभ किया गया था, जोकि एक **ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म** है। यह सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को सुविधाजनक बनाता है।
  - इसका गठन वर्ष 2016 में सचिवों के दो समूहों द्वारा प्रधानमंत्री को दी गई सिफारिशों के पश्चात् किया गया था।
  - इस पोर्टल को **आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय** (Directorate General of Supplies and Disposals: DGS&D) द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अधीन राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग (NeGD) के तकनीकी सहयोग से विकसित किया गया है।
  - इसकी परिकल्पना भारत सरकार द्वारा **राष्ट्रीय खरीद पोर्टल** के रूप में की गई है और इसकी निगरानी प्रत्यक्ष रूप से **प्रधानमंत्री कार्यालय** द्वारा की जाती है।
  - सरकारी नियमों में आवश्यक परिवर्तन कर **सामान्य वित्तीय नियमों** द्वारा GeM के माध्यम से खरीद को अधिकृत किया गया है।
  - इस व्यवस्था को औपचारिक रूप प्रदान करने के लिए 24 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने GeM के साथ औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

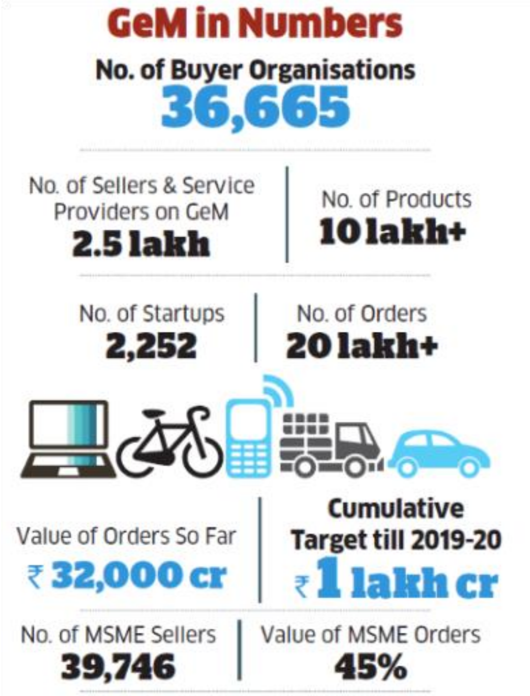

- GeM से पूर्व सरकारी निकाय DGS&D के माध्यम से अनुबंधों और निविदाओं पर आधारित दरों पर वस्तुओं और सेवाओं की अधिप्राप्ति करते थे।
- GeM ने सरकारी खरीद को सम्पर्क-रहित, कागज-रहित और नकदी-रहित बना दिया है।
  - इसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर इसे वर्ष 2016 में **दक्षिण-एशिया प्रोक्योरमेंट पुरस्कार** प्रदान किया गया।
  - हाल ही में, इसने मूल उपकरण निर्माताओं (OEM) के लिए भी एक सेवा आरंभ की है जिसकी पोर्टल के माध्यम से खरीद की जाती है, ताकि उन्हें अपने उत्पादों के संचलन पर निगरानी रखने में सहायता प्राप्त हो सके।

GeM से पूर्व खरीद प्रक्रिया से संबंधित मुद्दे

- **विकेंद्रीकृत खरीद प्रक्रिया:** भारत अपने GDP (सकल घरेलू उत्पाद) का 20% सार्वजनिक खरीद पर व्यय करता है और इसकी अधिकांश मात्रा की खरीद विकेंद्रीकृत रूप से की जाती है।
  - परन्तु कम मात्रा में इस खरीद से तुलनात्मक लाभ (economies of scale) प्राप्त नहीं प्राप्त होता है।
  - इसके अतिरिक्त, इसमें कदाचार (malpractice) की भी संभावना बनी रहती हैं, क्योंकि हजारों छोटे-छोटे लेन-देन की निगरानी करना कठिन होता है।
  - छोटे आपूर्तिकर्ताओं के लिए भी देश के अन्य भागों में मध्यस्थों के बिना पहुंच स्थापित करना कठिन होता है और इससे उनकी लागत में वृद्धि होती है।
- सीमित उत्पाद श्रेणियों (160-400) और सेवाओं को प्रस्तावित न करने के कारण **खरीद हेतु विविध विकल्प उपलब्ध नहीं होते हैं**। इसके कारण 1-2 वर्षों के लिए कीमतों में वृद्धि भी हो जाती है।
- 4,000 विक्रेताओं के सीमित आधार के कारण संभावित विक्रेताओं का लघु डोमेन मौजूद था। इसके अतिरिक्त, विक्रेता-खरीददार के मध्य सांठगांठ की सम्भावना सहित पंजीकरण और निविदा की प्रक्रिया अपारदर्शी और अधिक समय लेने वाली होती है।
- मैन्युअल रूप से **भुगतान** प्रक्रिया में अधिक समय (1-6 माह) लगता था।

GeM के लाभ

- **पारदर्शी खरीद व्यवस्था:** इसके द्वारा विक्रेताओं के पंजीकरण, ऑर्डर प्लेसमेंट और भुगतान प्रोसेसिंग में मानव इंटरफेस को समाप्त कर पारदर्शी खरीद व्यवस्था की शुरुआत की गयी है। एक खुला मंच होने के कारण GeM उन वास्तविक आपूर्तिकर्ताओं के समक्ष किसी प्रकार की प्रवेश संबंधी बाधाएं स्थापित नहीं करता है, जो सरकार के साथ व्यवसाय करना चाहते हैं।
  - निर्बाध प्रक्रियाएं और ऑनलाइन समयबद्ध भुगतान ने विक्रेताओं के विश्वास में वृद्धि की है और अधिकारियों से समय पर भुगतान प्राप्त करने संबंधी उनके **'प्रशासनिक व्ययों"** में कटौती की है।

- **अक्षमताओं में कमी, जैसे:**
    - 1,800 से अधिक कर्मचारियों वाले अप्रचलित DGS&D को तकनीकी रूप से दक्ष केवल 50 कर्मचारियों वाले GeM से प्रतिस्थापित किया गया है।
    - विभिन्न मानवीय स्तरों पर अनुक्रमिक सत्यापन और निर्णयन प्रक्रिया के समाप्त होने से सरकारी खरीद में लगने वाले समय में उल्लेखनीय कमी हुई है। इसके कारण आपूर्ति प्रक्रिया में लगने वाला समय पूर्व के 30-60 दिन से वर्तमान में 10-15 दिन हो गया है।
    - विक्रेता पंजीकरण समय 30 दिन से कम होकर केवल 10 मिनट से भी कम हो गया है।
- **सरकारी खरीद के दायरे में वृद्धि:** चूंकि GeM में उत्पादों और सेवाओं दोनों की उपलब्धता की विशिष्ट विशेषता समाहित है। ज्ञातव्य है कि उत्पादों की श्रेणियां पूर्व के 400 से बढ़कर अब 3,500 हो गई है।
- **मशीन संचालित प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण:**
    - एक या दो वर्ष के निर्धारित खरीद दरों के स्थान पर, वर्तमान में यह गतिशील और बाजार-आधारित हो गई है।
    - इसके कारण वर्तमान में **सरकारी खरीद सस्ती हो गयी है।** उदाहरण के लिए, ऑटोमोबाइल पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है, जहां अब 12 प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जा रहा है।
    - इसने **संयुक्त खरीद प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है।** उदाहरण के लिए, पांच राज्यों ने संयुक्त रूप से 1 लाख स्मार्ट फोन की खरीद की हैं, जिनसे सरकारों को अधिक डिस्काउंट प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हुई है।
- **उद्यमिता को प्रोत्साहन और नौकरियों का सृजन:** विक्रेता आधार अधिक विविध और समावेशी हो गया है, जिसमें स्टार्ट-अप्स और MSME का समर्थन करने पर बल दिया गया है। उदाहरण के लिए, GeM के कारण वायु प्रदूषण से बचने के लिए नाक पर लगाने वाले पेटेंटेड फिल्टर बनाने वाली एक छोटी कम्पनी को दिल्ली और चंडीगढ़ पुलिस का एक बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ।
    - इसने मध्यस्थों को समाप्त कर दिया है और त्वरित भुगतान की गारंटी भी प्रदान की है।
- **एक नया मूल्य निर्धारण और तुलनात्मक व्यवस्था:**
    - आरंभ में, GeM पर कीमतें फ्लिपकार्ट जैसे ई-प्लेटफ़ॉर्म से अधिक थी। अब एक नया उपकरण प्रस्तुत किया गया है जो सरलता से अन्य ई-कामर्स साईट्स पर प्रदत्त कीमतों की तुलना करता है।

GeM की चुनौतियाँ

- **अल्प समय अंतराल में कार्यान्वयन:** सरकार द्वारा इसके विभिन्न संस्करण, जैसे- GeM 1.0, GeM 2.0 और GeM 3.0 प्रस्तुत किए गए। इस परिवर्तन के प्रति विभिन्न हितधारकों की शंकाओं का समाधान नहीं किया गया और दरों से संबद्ध अनुबंधों के नवीनीकरण को मनमाने ढंग से रोका गया।
- **दूरस्थ क्षेत्रों में पहुँच का अभाव:** हालाँकि दरों एवं समय सीमाओं में कमी हुई हैं और यह प्रणाली भी सुव्यवस्थित हुई है, परन्तु दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ ऑर्डर की मात्रा कम होती है और इसकी आपूर्ति अब भी एक मुद्दा बना हुआ है।
- **प्लेटफ़ॉर्म को अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाना:** कई लघु व्यवसायी इस पोर्टल के जटिल इंटरफेस के कारण इसका उपयोग करने में असमर्थ हैं।
- **नकली सामान का मुद्दा:** ज्ञातव्य है कि कुछ नकली सामान के मामले सामने आए हैं। इसलिए, हाल ही में सरकार द्वारा कुछ प्रावधान किए गए हैं, जहाँ इस प्रकार के मामलों से संबंधित विक्रेताओं को प्रतिबंधित किया जा सकेगा। परन्तु इसे और अधिक सुव्यवस्थित बनाने की आवश्यकता है।

आगे की राह

- सरकार द्वारा इस प्लेटफ़ॉर्म के प्रभावी उपयोग से संबंधित छोटे उद्योगों द्वारा रिपोर्ट किए गए मुद्दों का समाधान किए जाने की आवश्यकता है।
- GeM के कार्यक्षेत्र में विस्तार से सरकार की प्रमुख योजनाओं जैसे *मेक-इन-इण्डिया* और *स्टार्ट-अप इंडिया* के विकास को भी प्रोत्साहन मिल सकता है।
- भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% के समकक्ष सकल व्यापारिक मूल्य (GMV) को प्राप्त करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य GeM द्वारा निर्धारित किया गया है। यदि खरीद की इस मात्रा पर 15-25% की भी बचत होती है, तो इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक राशि प्राप्त होगी जिसका उपयोग सरकार को विकास और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के वित्त पोषण हेतु किया जा सकेगा।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि GeM सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप अंततः एक राष्ट्रीय खरीद पोर्टल के रूप में उभरेगा।

VISION IAS

3.8. सड़क सुरक्षा

(Road Safety)

सुर्ख़ियों में क्यों?

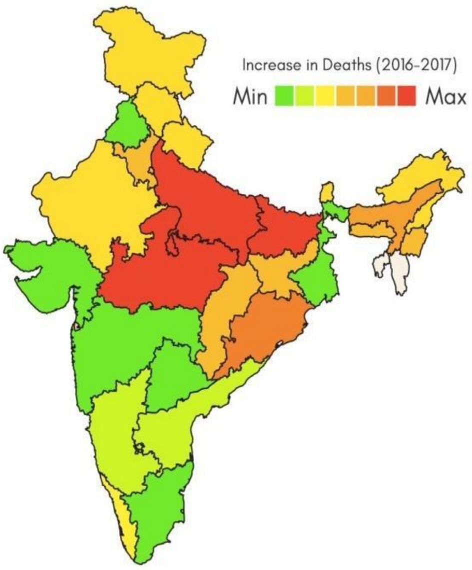

सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2015 से 2017 के मध्य सड़क हादसों में भारत में प्रति दिन लगभग 400 लोगों की मृत्यु हुई हैं।

सड़क सुरक्षा : एक परिचय

- सड़क हादसों में हताहत होने वालों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए सड़क सुरक्षा भारत में **सार्वजनिक स्वास्थ्य** का एक गंभीर मामला बन गया है।
- सड़क हादसों से गंभीर नुकसान उठाना पड़ता है और इससे कई प्रकार की लागतें भी संबद्ध हैं, यथा-
  - **आर्थिक लागत:** भारतीय योजना आयोग के अनुसार, प्रत्येक वर्ष भारत की GDP का 3% सड़क हादसों की भेंट चढ़ जाता है तथा यह 2016 में 3.8 लाख करोड़ रूपए तक पहुँच गया था।
  - **सामाजिक लागत:**
    - भारत में सड़क हादसों में होने वाली कुल मृत्यु के मामले में पैदल यात्रियों की संख्या 19 प्रतिशत है। पैदल यात्री सर्वाधिक सुभेद्य सड़क प्रयोक्ता हैं, क्योंकि सड़क हादसों के मामलों में उन्हें अपेक्षाकृत कम सुरक्षा प्राप्त होती है।
    - परिवार के सदस्यों, मुख्यतः अर्थोपार्जन करने वाले सदस्य की मृत्यु निर्धनता तथा सामाजिक परेशानी का कारण बनती है। इसके अतिरिक्त, इन हादसों के परिणामस्वरूप होने वाली विकलांगता के कारण मानव उत्पादकता में कमी आती है तथा सामाजिक कलंक का शिकार भी होना पड़ता है।

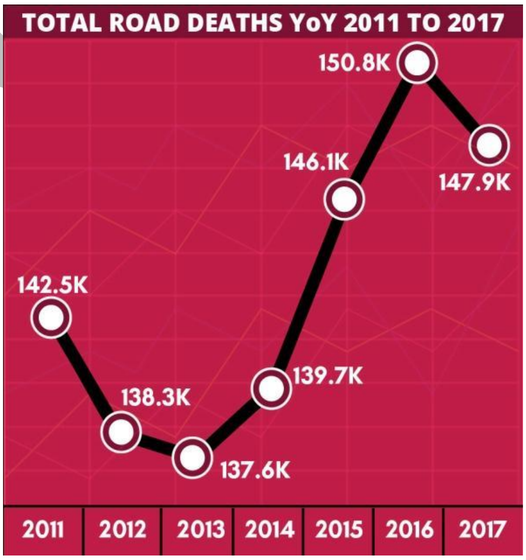

  - **प्रशासकीय लागत:** इसमें यातायात प्रबंधन, विधि का प्रवर्तन, संसाधनों पर आने वाली लागत (क्षतिग्रस्त संपत्ति की पुनर्बहाली) तथा बीमा प्रबंधन सम्मिलित होते हैं।
- इस प्रकार यह महत्वपूर्ण है कि सड़क सुरक्षा के मामलों को तात्कालिक आधार पर निपटाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बहुत से बड़े राज्यों में, हाल में सड़क हादसों के कारण जान हानि के मामलों में बहुत बढ़ोतरी हुई है।

सड़क सुरक्षा के समाधान के मार्ग में आने वाली अड़चनें

- **सड़कों पर वाहनों की बढ़ती हुई संख्या:** देश में शहरीकरण तथा प्रवासन के बढ़ने के कारण सड़कों पर वाहनों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।
- **निम्नलिखित कारकों से पैदल यात्रियों की सुभेद्यता में वृद्धि:**
  - विशेषतः शहरी क्षेत्रों में वाहनों की गलत पार्किंग तथा दुकानदारों द्वारा किए जाने वाले अवैध अतिक्रमण के कारण नियमित रूप से निर्दिष्ट फुटपाथ पर अवैध कब्ज़ा देखने को मिलता है, जिससे पैदल यात्रियों को सड़कों पर चलने को विवश होना पड़ता है।
- **परोपकारिता (Good Samaritan) के दृष्टिकोण के प्रति उदासीनता:** प्रायः दुर्घटना के समय लोगों में सहायता करने की प्रवृत्ति का अभाव दिखता है। दुर्घटना के पश्चात् कानूनी सुनवाई तथा जाँच हेतु बार-बार पुलिस थाने का चक्कर लगाए जाने की बाध्यता के कारण यह देखने को मिलता है।
- **विभिन्न हितधारकों के मध्य समन्वय की आवश्यकता है:** चूंकि भारत में एक संघीय ढाँचा मौजूद है, अतः इनसे निपटने हेतु राज्य सरकारों का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है।
  - **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** इस बात की अनुशंसा करता है कि भारत जैसे देश में 50 किमी/घंटा की राष्ट्रीय शहरी गति सीमा तय होनी चाहिए। किन्तु कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश 40 किमी/घंटा की गति सीमा के साथ इस अनुशंसित सीमा से पीछे रह जाते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में यह गति सीमा 65 किमी प्रति घंटा तक ठहरती है।
- **सड़क कानून से संबंधित प्रावधानों का अपर्याप्त क्रियान्वयन:** प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा सड़क कानून से संबंधित प्रावधानों को पूरी तरह लागू नहीं किए जाने से क़ानून तोड़ने वाले बहुत कम व्यक्तियों पर ही कार्रवाई हो पाती है। इससे उल्लंघनकर्ताओं के मन में प्रभावी निषेध की भावना नहीं आ पाती।

- **अनुपयुक्त सड़क अभियांत्रिकी:** इसके चलते भारत में सड़क संबंधी अवसंरचना निकृष्ट डिज़ाइन गुणवत्ता व ख़राब दृश्यता से ग्रसित होतीं है, जिसके कारण दुर्घटना की संभावना में वृद्धि हो जाती है।

मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 {Motor Vehicle (Amendment) Act, 2019}

संसद द्वारा पारित इस अधिनियम ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 को संशोधित कर सड़क सुरक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:

- **सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों के लिए क्षति-पूर्ति राशि:** केंद्र सरकार गोल्डन ऑवर (Golden Hour) के दौरान सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों की नकदी रहित उपचार के लिए एक योजना विकसित करेगी। इस विधेयक में गोल्डन ऑवर उस अवधि को कहा गया है जिसमें किसी आघात से आहत व्यक्ति को एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। इस अवधि में उचित स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध कराने से मृत्यु से संघर्षरत घायल व्यक्ति को ठीक करने की संभावना सर्वाधिक होती है।
- **अनिवार्य बीमा:** इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार के लिए सभी सड़क प्रयोक्ताओं को अनिवार्य बीमा सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक मोटर वाहन दुर्घटना कोष का निर्माण करना आवश्यक है।
- **राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड:** यह अधिनियम एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड की स्थापना करेगा, जो सरकार को सड़क डिज़ाइन तथा मोटर वाहन सुरक्षा के मुद्दे पर परामर्श देगा।
- **परोपकारी व्यक्ति (Good Samaritans):** इस अधिनियम में परोपकारी व्यक्ति की संज्ञा उस व्यक्ति को दी गयी है, जो सड़क हादसे के शिकार व्यक्ति को चिकित्सकीय या अचिकित्सकीय सहायता प्रदान करता है।
- **अपराध तथा अर्थदण्ड:** इस अधिनियम के द्वारा किए जाने वाले कई अपराधों के लिए दण्ड की सीमा को बढ़ाया गया है। उदाहरण के लिए, मदिरा या नशीली दवाओं का सेवन करके गाड़ी चलाने के लिए अधिकतम अर्थदण्ड की सीमा को 2,000 रूपये से बढ़ा कर 10,000 रूपये किया गया है।
- **वाहनों को वापस लिया जाना:** यह अधिनियम केंद्र सरकार को उस मोटर वाहन को वापस लिए जाने संबंधी आदेश पारित करने की अनुमति प्रदान करता है जो खराबी या गड़बड़ी के कारण पर्यावरण, चालक या अन्य सड़क प्रयोक्ताओं को क्षति पहुंचा सकता है।

भारत में सड़क सुरक्षा की दशा में सुधार हेतु उठाए जाने वाले कदम

- **प्रधानमंत्री सुरक्षित सड़क योजना:** इसे 2,000 करोड़ रूपये के प्रारम्भिक कोष के साथ आरम्भ किया गया है। इसके माध्यम से राजमार्गों पर खतरनाक बिन्दुओं (dangerous spot) को समाप्त किया जा सकेगा।
- हाल ही में, सरकार ने दोपहिया वाहनों में अप्रैल 2019 से **एंटी ब्रेक लॉक प्रणाली** का होना अनिवार्य कर दिया, ताकि आपात स्थिति में ब्रेक का प्रयोग करते समय वाहनों पर नियंत्रण बेहतर किया जा सके।
- सरकार ने वर्ष **2015 में ब्राज़ीलिया घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए,** जिसका संकल्प सड़क हादसों तथा इससे होने वाली जान-माल की हानि को आधा करना था।
- भारत सरकार ने दिशा-निर्देश ज़ारी करके अस्पतालों, पुलिस तथा सभी अधिकारियों को **परोपकारी व्यक्तियों** की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
- **राष्ट्रीय कार्य योजना** के मसौदे में वर्ष 2020 तक सड़क हादसों में होने वाली मौतों की संख्या को आधा करने का लक्ष्य रखा गया है।
- **मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019** को पारित किया जाना।

सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने हेतु सुझाव

- सड़कों की लम्बाई और चौड़ाई को बढ़ाने की अपेक्षा सड़कों के लिए व्यावहारिक वैज्ञानिक अध्ययन की दिशा में ध्यान केंद्रित करना सर्वाधिक आवश्यक है। सड़क हादसों की वैज्ञानिक जाँच, आंकड़ों का गंभीर विश्लेषण तथा अभियान्त्रिकी में हस्तक्षेप, प्रवर्तन, शिक्षा तथा ट्रॉमा केयर जैसी चीज़ों का मेल भारत में सड़क सुरक्षा के सूत्राधार हैं।
  - सड़क सुरक्षा पर गठित **एस. सुन्दर समिति (2007)** ने सड़क अवसंरचना के वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता को उजागर किया, जिसमें डिज़ाइन के स्तर पर प्रभावी सड़क अभियांत्रिकी समाधान, दुर्घटना बिन्दुओं में सुधार लाया जाना आदि सम्मिलित थे।
  - इस समिति ने सड़क सुरक्षा परिदृश्य में बदलाव के लिए प्रतिपालन हेतु सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन निदेशालय की स्थापना की भी अनुशंसा की।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन की **सुरक्षा प्रणाली दृष्टिकोण** में इस बात पर बल दिया गया है कि केवल दण्ड विधि के आधार पर सड़क सुरक्षा में लोगों की भूमिका को पूरी तरह नहीं नकारा जा सकता। इसकी अपेक्षा नीतिगत दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए जिससे समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा तथा जागरूकता में वृद्धि हो।
- अर्द्ध-स्वचालित वाहन, टक्कर से बचाव की प्रणालियाँ, स्थिरता पर नियंत्रण, सड़क के साथ वाहनों का बेहतर ताल-मेल, स्वचालित ब्रेकिंग प्रणालियाँ, एयर कुशन तकनीक (air cushion technology) तथा फ्लीट व्हीकल के लिए गति नियंत्रक जैसे उपायों के द्वारा **वाहन प्रौद्योगिकी** को आधुनिक बनाया जाना आवश्यक है।

VISION IAS

- यात्री गाड़ियों पर यातायात के बोझ को कम करने के लिए **कुशल परिवहन एवं राष्ट्रीय फ्रेट नीति** का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।
- किसी सड़क दुर्घटना के स्थान पर एकत्रित लोगों को **जीवन रक्षक प्राथमिक उपचार** का प्रशिक्षण दिया जाना बेहतर परिणाम प्रदान कर सकता है।
    - WHO के अनुसार, कम्बोडिया के कुछ हिस्सों तथा उत्तरी इराक़ में लोगों को प्राथमिक उपचार कौशल में प्रशिक्षित किए जाने से लैंडमाइन से संबंधित मौतों के मामले में उत्साहवर्द्धक परिणाम सामने आए हैं। केवल आधारभूत आपूर्तियों तथा एम्बुलेंस की अनुपलब्धता के बाद भी मृत्य दर 40% से कम हो कर 9% तक आ गयी।
- देश में प्रभावी सड़क सुरक्षा के लिए नवीन नीतियों तथा कार्यविधियों को **2015 की ब्राजीलिया घोषणा-पत्र** पर आधारित होना चाहिए। इसके लिए अधिक संधारणीय पद्धतियों एवं परिवहन के साधनों के पक्ष में परिवहन नीतियों पर पुनर्विचार की आवश्यकता होगी।

3.9. बहुआयामी निर्धनता सूचकांक

(Multidimensional Poverty Index: MPI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, 2019 (MPI) जारी किया गया।

बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI) के बारे में

- **इसे वर्ष 2010 में ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल (Oxford Poverty and Human Development Initiative: OPHI)** तथा **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** द्वारा विकसित किया गया।
- वैश्विक MPI वस्तुतः गंभीर बहुआयामी निर्धनता का एक अंतर्राष्ट्रीय मापन है, जो लगभग 100 विकासशील देशों को कवर करता है।
- MPI, निर्धनता के संकेतक के रूप में **आय** के अतिरिक्त, **स्वास्थ्य, शिक्षा** और **जीवन स्तर** के संदर्भ में लोगों द्वारा सामना की जाने वाली निर्धनता का भी मापन करता है। इसके अंतर्गत **निर्धनता के मामलों तथा उसकी गहनता दोनों** का आकलन किया जाता है।
- MPI व्यक्तिगत स्तर पर **निर्धनता का आकलन करता है।**
    - यदि कोई व्यक्ति दस में से तीन या अधिक (भारित) सूचकांकों के मामले में वंचित है, तो यह वैश्विक सूचकांक उस व्यक्ति की 'MPI निर्धन' के रूप में पहचान करता है; तथा उनकी निर्धनता की सीमा (extent) एवं गहनता (intensity) की माप उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली वंचन (deprivations) की प्रतिशतता के आधार पर की जाती है।

Dimensions of Poverty	Indicator	Deprived if living in the household where...	Weight
Health	Nutrition	An adult under 70 years of age or a child is undernourished.	1/6
	Child mortality	Any child under the age of 18 years has died in the five years preceding the survey.	1/6
Education	Years of Schooling	No household member aged 10 years or older has completed six years of schooling.	1/6
	School Attendance	Any school-aged child is not attending school up to the age at which he/she would complete class 8.	1/6
Standard of living	Cooking Fuel	The household cooks with dung, wood, charcoal or coal.	1/18
	Sanitation	The household's sanitation facility is not improved (according to SDG guidelines) or it is improved but shared with other households.	1/18
	Drinking Water	The household does not have access to improved drinking water (according to SDG guidelines) or safe drinking water is at least a 30-minute walk form home, round trip.	1/18
	Electricity	The household has no electricity.	1/18
	Housing	Housing materials for at least one of roof, walls and floor are inadequate: the floor is of natural materials and/or the roof and/or walls are of natural or rudimentary materials.	1/18
	Assets	The household does not own more than one of these assets: radio, TV, telephone, computer, animal cart, bicycle, motorbike or refrigerator, and does not own a car or truck.	1/18

- वैश्विक MPI का उपयोग निर्धनता से ग्रस्त लोगों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने और देश एवं वैश्विक स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन तथा इसके अतिरिक्त, किसी देश के भीतर नस्लीय समूहों, शहरी/ग्रामीण क्षेत्र, उप-राष्ट्रीय क्षेत्र और आयु समूह के साथ-साथ अन्य प्रमुख पारिवारिक एवं सामुदायिक लक्षणों के आधार पर आकलन हेतु किया जा सकता है।

- यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अतिव्यापन वंचन की प्रकृति एवं उसकी सीमा के आधार पर प्रति दिन **1.90 डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता दर को लागू करने की अनुशंसा करता है।**
- **वैश्विक MPI के 2019 के संस्करण में** 101 देशों – 31 निम्न आय, 68 मध्यम आय तथा 2 उच्च आय – वाले देशों को शामिल किया गया है।

MPI मान क्या दर्शाता है?

- MPI मान की गणना में **विभिन्न वंचनाओं के आधार पर प्राप्त सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए एक संख्या में परिवर्तित कर दिया जाता है।** इसकी परास 0 से 1 तक होती है।
- यह एक **देश के निर्धनों द्वारा अनुभव की जाने वाली वंचनाओं के कुल संभावित वंचनाओं से अनुपात** को दर्शाता है। यहाँ कुल संभावित वंचनाओं का आशय है, वे वंचनाएँ जिनका अनुभव तब किया जाता है, जब समाज के सभी व्यक्ति निर्धन और सभी संकेतकों में वंचना से ग्रस्त होते हैं।
- इसकी गणना **निर्धनता की औसत गहनता को निर्धनता के संख्यात्मक मान से गुणा** करके की जाती है।

वैश्विक निष्कर्ष

- 101 देशों में **1.3 अरब लोग (23.1%) बहुआयामी रूप से निर्धन हैं,** जिनमें आधी संख्या 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की तथा एक-तिहाई संख्या 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों की है।
- वयस्क व्यक्तियों की अपेक्षा बच्चों के बहुआयामी रूप से निर्धन होने की संभावना अधिक होती है। **उप-सहारा क्षेत्र तथा दक्षिण एशिया** में बहुआयामी रूप से निर्धन बच्चों की संख्या अत्यधिक है। इन दो क्षेत्रों में शामिल विश्व के बहुआयामी रूप से निर्धन लोगों की कुल संख्या लगभग 85% है।
- **मध्यम आय वाले देशों में** बहुआयामी रूप से निर्धन लोगों की **दो-तिहाई संख्या** निवास करती है।
- **आर्थिक असमानता (गिनी गुणांक का प्रयोग कर मापित) तथा MPI मान के मध्य अत्यंत कम अथवा कोई संबंध नहीं है।**
- निर्धनता के स्तर में गिरावट से संबंधित तथ्यों को स्पष्ट करने हेतु रिपोर्ट में **10 देशों** की पहचान की गई है, जिनकी कुल जनसंख्या 2 बिलियन हैं तथा उनमें से सभी द्वारा **सांख्यिकीय रूप महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया गया है।** ये दस देश बांग्लादेश, कम्बोडिया, कांगो लोकतांत्रिक गणतंत्र, इथियोपिया, हैती, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पेरू तथा वियतनाम हैं।

भारत विशिष्ट निष्कर्ष

- **सुधार**
  - **भारत ने 2006 से 2016 के मध्य** "परिसंपत्तियों, खाना पकाने के ईंधन, स्वच्छता और पोषण जैसे क्षेत्रों में सुदृढ़ सुधार के साथ इस अवधि के दौरान बहुआयामी निर्धनता सूचकांक मानों में तीव्रतम कमी दर्ज करते हुए **271 मिलियन लोगों (640 मिलियन से 369 मिलियन) को निर्धनता की स्थिति से बाहर निकाला है।**
  - **भारत का MPI मान वर्ष 2005-06 में 0.283 से कम होकर वर्ष 2015-16 में 0.123 रह गया।**
  - सर्वाधिक गंभीर MPI वाले चार भारतीय राज्यों- बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में **झारखंड ने सर्वाधिक प्रगति की है।**
  - भारत में निम्नलिखित संकेतक मानों में **कमी आई है:**
    - **पोषण से वंचित**, वर्ष 2005-06 में 44.3% से वर्ष 2015-16 में 21.2%
    - **बाल मृत्यु दर**, 4.5% से 2.2%
    - **खाना पकाने के ईंधन से वंचित लोग**, 52.9% से 26.2%
    - **स्वच्छता से वंचित**, 50.4% से 24.6%
    - **पेयजल से वंचित**, 16.6% से 6.2%
    - **विद्युत तक पहुंच से वंचित**, 29.1% से 8.6%
    - **आवास से वंचित**, 44.9% से 23.6%
  - कुल मिलाकर, भारत उन तीन देशों में से एक था, **जहां ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता में कमी शहरी क्षेत्रों में निर्धनता में कमी से अधिक है,** जो प्रो-पुअर डेवलपमेंट का सूचक है।

VISION IAS

MPI की सीमाएँ

- ये संकेतक **क्षमताओं को प्रतिबिंबित नहीं कर सकते हैं,** बल्कि परिणाम (आउटपुट) (जैसे कि स्कूली शिक्षा के वर्ष) अथवा आगत (इनपुट) (जैसे कि खाना पकाने का ईंधन) को प्रतिबिंबित करते हैं।
- स्वास्थ्य आंकड़े **अपेक्षाकृत कमजोर** हैं और विशेष रूप से पोषण के लिए **कुछ समूहों के वंचना की उपेक्षा करते** हैं।
- कुछ मामलों में **अनुपस्थित आंकड़ों को संबोधित करने के लिए सावधानीपूर्वक निर्णय निर्माण** की आवश्यकता थी।
- अंत:घरेलू असमानताएं गंभीर हो सकती हैं, लेकिन इन्हें प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता है।
- MPI निर्धनता गहनता का समावेश करने के लिए कुल गणना अनुपात (headcount ratio) से परे जाता है, लेकिन यह **निर्धनों के मध्य असमानता का मापन नहीं करता** है, हालांकि समूहों द्वारा पृथक्करण का उपयोग समूह-आधारित असमानताओं को प्रकट करने के लिए किया जा सकता है।

प्रस्तुत अनुमान सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित हैं तथा वर्ष 2007 और वर्ष 2018 के मध्य विभिन्न वर्षों को कवर करते हैं, जो प्रत्यक्ष अंतर-देशीय तुलनीयता को सीमित करते हैं।

3.10. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

(Corporate Social Responsibility: CSR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रपति द्वारा **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के नियमों का पालन न करने** की स्थिति में **विशिष्ट दंडात्मक प्रावधान** वाले **कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019** को स्वीकृति प्रदान की गई है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के बारे में

- कंपनी अधिनियम, 2013 एक ऐतिहासिक कानून है। इसने भारत को CSR व्यय अनिवार्य बनाने और परिमाण निर्धारित करने वाला पहला देश बनाया है। CSR का समावेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय विकास एजेंडे के साथ व्यवसायों को संबद्ध करने का प्रयास है।
- **इस अधिनियम की धारा 135 भारत में CSR गतिविधियों के लिए नियम निर्धारित करती है।**
  - यह **500 करोड़ रुपये निवल मूल्य (net worth) या 1,000 करोड़ रुपये टर्नओवर अथवा 5 करोड़ रुपये निवल लाभ (net profit) वाली प्रत्येक कंपनी** (चाहे निजी कंपनी हो या सार्वजनिक कंपनी) को अपने तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का **कम से कम 2%** CSR गतिविधियों पर व्यय करने का अनिवार्य प्रावधान करता है।
  - भारत में व्यापार के सामान्य क्रम में CSR गतिविधियां आरंभ नहीं की जानी चाहिए और अनिवार्यत: **अधिनियम की अनुसूची VII** में उल्लिखित 17 CSR गतिविधियों में से किसी से संबंधित होनी चाहिए।

CSR एक अवधारणा है जो यह प्रस्तावित करती है कि समाज के भीतर संचालित निगमों का उत्तरदायित्व है कि वे समग्र रूप से समाज पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने वाले आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास में योगदान करें।

CSR का प्राथमिक उद्देश्य: व्यापक स्तर पर उत्तरदायित्वपूर्ण और संधारणीय व्यवसाय दर्शन को बढ़ावा देना तथा कंपनियों को अभिनव विचारों और सुदृढ़ प्रबंधन प्रणालियों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना।

संशोधन अधिनियम 2019 की प्रमुख विशेषताएं

- यह अधिनियम अधिदेशित करता है कि कंपनियां किसी वित्तीय वर्ष में अव्ययित CSR धनराशि तीन वर्षों तक CSR के लिए निर्धारित एस्क्रो खाते में हस्तांतरित करेंगी, जिसके पश्चात् अव्ययित कोई भी धनराशि सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोष में हस्तांतरित की जानी चाहिए।
- इसके माध्यम से प्रवर्तन संबंधी प्रावधानों को सुदृढ़ किया है। ये नवीन प्रावधान SFIO (गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय) को वापसी कार्यवाही (disgorgement) सहित त्वरित और अधिक प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए सक्षम बनाते हैं।
- यह अधिनियम सत्यापन योग्य पंजीकृत भौतिक पतों वाली कंपनियों के महत्व पर भी प्रकाश डालता है और यह अनिवार्य बनाता है कि कंपनियों का भौतिक पता हो।
- इस अधिनियम का उद्देश्य नियमित मामलों को NCLT (राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण) से केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने के माध्यम से NCLT को अवरोधमुक्त (declogging) बनाना है।
- यह अधिनियम 16 प्रशमनीय (compoundable) अपराधों को सिविल डिफॉल्ट के रूप में पुन: वर्गीकृत करता है, जैसे रिटर्न फाइल

VISION IAS

करने में विफलता और छूट पर शेयरों का निर्गमन, जहां केंद्र सरकार के न्याय निर्णय करने वाले अधिकारी जुर्माना लगा सकते हैं।

CSR: भारत में उदाहरण

- भारत में टाटा समूह विभिन्न CSR परियोजनाओं को संचालित करता है, जिनमें से अधिकांश सामुदायिक सुधार और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित हैं। स्वयं-सहायता समूहों के माध्यम से, यह महिला सशक्तीकरण गतिविधियों, आय सृजन, ग्रामीण समुदाय के विकास और अन्य सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में संलग्न है।
- भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी, अल्ट्राटेक सीमेंट देश के 407 गांवों में सामाजिक कार्यों में शामिल है, जिनका उद्देश्य संधारणीयता और आत्मनिर्भरता उत्पन्न करना है।
- ITC का e-चौपाल कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादों की खरीद करने के लिए इंटरनेट के माध्यम से ग्रामीण किसानों को संबद्ध करना है, यह 40,000 गांवों और चार मिलियन से अधिक किसानों को कवर करता है। इसका सामाजिक और कृषि वानिकी कार्यक्रम बंजर भूमि को लुगदी-काष्ठ के बागानों में परिवर्तित करने में किसानों की सहायता करता है।

- हाल ही में, वर्तमान ढांचे की समीक्षा करने के लिए वर्ष 2018 में **इन्जेती श्रीनिवास** की अध्यक्षता में गठित **कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर उच्च-स्तरीय समिति (HLC)** ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

HLC के निष्कर्ष

- **कंपनियों द्वारा CSR व्यय:** कंपनियों द्वारा कुल CSR व्यय में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2015-16 के मध्य 44% तक अत्यधिक वृद्धि हुई और तत्पश्चात वर्ष 2016-17 में इसमे मामूली गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2017-18 में इसमें 6.9% की और गिरावट आई।
- **CSR अनुपालन:** अनुपालन प्रतिशत वर्ष 2016-17 के 72% से कम होकर वर्ष 2017-18 में 57% हो गया। CSR पर निर्धारित राशि से कम व्यय के लिए उत्तरदायी कुछ **प्रमुख कारण** इस प्रकार हैं:
    - उपयुक्त परियोजना की पहचान करने में समस्याएं;
    - उपयुक्त कार्यान्वयन एजेंसी का चयन;
    - बहुवर्षीय परियोजनाएं, आदि।
- **सभी क्षेत्रों अथवा विषयों में CSR व्यय:** CSR गतिविधियों पर कुल व्यय में से, वर्ष 2014-15 के पश्चात् से **शिक्षा और स्वास्थ्य** से संबंधित परियोजनाओं को लगभग प्रति वर्ष अधिकतम CSR वित्त प्राप्त हुआ है, इसके बाद **ग्रामीण विकास** से संबंधित परियोजनाओं को वित्त प्राप्त हुआ है।
- **केंद्र सरकार की निधियों में योगदान:** वर्तमान में, CSR फंड का **प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ गंगा कोष** और केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी भी अन्य कोष में अंशदान दिया जा सकता है। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2017-18 तक इन कोषों में अंशदान कुल CSR व्यय के एक कम अनुपात (लगभग 5.6%) रहा है।
- **CSR में स्थानीय क्षेत्र व्यय और भौगोलिक विषमता:** किसी विशेष वर्ष में उपलब्ध कुल CSR वित्त का एक बड़ा भाग मुख्य रूप से कंपनियों की अवस्थिति के कारण, **केवल कुछ राज्यों** में वितरित हुआ।
    - CSR व्यय का राज्यवार विश्लेषण यह इंगित करता है कि **महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और दिल्ली** जैसे राज्यों को CSR के कुल व्यय का लगभग 40% भाग प्राप्त हुआ है, जबकि **झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश** जैसे राज्यों को CSR के कुल व्यय का केवल 9% भाग प्राप्त हुआ है।
    - **पूर्वोत्तर क्षेत्र और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों** को कुल CSR व्यय का अत्यंत अल्प अनुपात प्राप्त हो रहा है।

HLC की मुख्य अनुशंसाएं-2018

CSR प्रावधानों की प्रयोज्यता (Applicability):	CSR के प्रावधान सभी व्यावसायिक संस्थाओं पर लागू होने चाहिए और इसमें समानता होनी चाहिए।
स्थानीय क्षेत्रों में CSR गतिविधियां:	इस अधिनियम में स्थानीय क्षेत्र पर बल प्रदान करने संबंधी प्रावधान को अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। कंपनियों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ स्थानीय क्षेत्र की वरीयता को संतुलित करके CSR गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए।
अधिनियम की अनुसूची VII	इसे SDG के साथ बड़े पैमाने पर रेखांकित और संरेखित किया जाना चाहिए तथा कुछ महत्वपूर्ण मदों जैसे कि वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, आपदा प्रबंधन और विरासत को शामिल कर इसे SDG+ फ्रेमवर्क के तौर पर विकसित किया जाना चाहिए।

VISION IAS

केंद्र सरकार के कोषों में अंशदान	CSR व्यय के रूप में यह प्रावधान समाप्त किया जाना चाहिए। हालांकि, प्रस्तावित 3-5 वर्ष की समय सीमा से परे कंपनी के पास विद्यमान अव्ययित CSR फंड के हस्तांतरण के लिए एक निर्दिष्ट फंड सृजित किया जा सकता है।
CSR के लिए रिपोर्टिंग से संबंधित मुद्दे:	बेहतर निगरानी को सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजनाओं, स्थानों और कार्यान्वयन एजेंसियों के चयन के संबंध में बेहतर सूचना प्रसार के लिए संवर्धित प्रकटीकरण किए जाने चाहिए।
CSR लेखापरीक्षा:	CSR संबंधी व्यय को कंपनी के वित्तीय विवरण का भाग बनाकर इसे (CSR) सांविधिक वित्तीय लेखा परीक्षा के दायरे में लाया जा सकता है।
'सामाजिक प्रभाव वाली कंपनियों' का निर्माण	सशर्त लाभ (जिसे वितरित किया जा सकता है) प्राप्त करने की अनुमति प्रदान कर, सामाजिक परिणामों को आगे बढ़ाने हेतु ऐसी कंपनियों का निर्माण किया जा सकता है।
CSR गतिविधियों के लिए कर लाभ:	अनुसूची VII के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी गतिविधियों के लिए समान कर लाभ होना चाहिए।
CSR परियोजनाओं का तृतीय पक्ष आकलन:	प्रायोगिक आधार पर तृतीय पक्ष आकलन के लिए यादृच्छिक आधार पर 5% CSR अधिदेशित कंपनियों की पहचान की जाए।

3.11. मॉडल किराएदारी अधिनियम, 2019 का मसौदा

(Draft Model Tenancy Act, 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MHUA) ने मॉडल किराएदारी अधिनियम, 2019 का मसौदा जारी किया है।

मॉडल किराएदारी अधिनियम के मसौदे के बारे में

- इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
  - कुशल और पारदर्शी तरीके से **परिसरों को किराए पर देने की प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु किराया प्राधिकरण** की स्थापना करना:
  - त्वरित विवाद निवारण के लिए सहायक तंत्र स्थापित करके संपत्तियों के स्वामियों एवं किराएदारों के हितों के मध्य संतुलन स्थापित करना; एवं
  - अपील की सुनवाई एवं संबंधित मामलों के लिए **किराया न्यायालयों और किराया अधिकरणों की स्थापना करना।**
- यह समाज के विभिन्न क्षेत्रकों जैसे कि **प्रवासियों, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों, पेशेवरों, छात्रों और शहरी निर्धनों के लिए समावेशी और संधारणीय परिवेश** को प्रोत्साहित करेगा।
- यह **आवासीय और गैर-आवासीय परिसरों** के लिए नियमों को अधिसूचित करने एवं आगे पृथक-पृथक इकाइयों, डॉर्मिटरी, हॉस्टल, सह-निवास, सह-आवास, पेइंग गेस्ट और कर्मचारियों हेतु किराए के आवास जैसे विभिन्न विकल्पों का विकास करके **संतुलित किराये वाले आवास को बढ़ावा देने** हेतु नीतियों को विकसित करने का कार्य करेगा और विभिन्न हितधारकों की भूमिका को रेखांकित करेगा।

अधिनियम की आवश्यकता

- **2011 की जनगणना** के अनुसार 1.1 करोड़ घर रिक्त अवस्था (vacant houses) में हैं। मॉडल अधिनियम के माध्यम से इन रिक्त आवासों का किराया बाजार में समावेश किया जाएगा और **किराया आवास क्षेत्रक के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करेगा।**
- **वर्तमान किराया नियंत्रण कानून**, किराये के आवासों को बढ़ावा देने के स्थान पर उन्हें सीमित कर रहे हैं और स्वामियों को अपने रिक्त घरों पर अन्य लोगों द्वारा कब्जा किए जाने के भय से किराए पर देने से हतोत्साहित कर रहे हैं।
- इसलिए, अधिनियम विद्यमान प्रणाली में **पारदर्शिता और जवाबदेही का समावेश करेगा और संपत्ति के स्वामी और किरायेदार, दोनों के हितों को न्यायपूर्ण तरीके से संतुलित करेगा।**

VISION IAS

अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान: वर्तमान चुनौतियां और समाधान

- **जमानत राशि (सिक्योरिटी डिपॉजिट) के मुद्दे का समाधान करना:** यह मसौदा मकान मालिक द्वारा मांग किए जा सकने वाली जमानत राशि की उच्चतम राशि/सीमा जैसे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे का समाधान करने का प्रयास करता है। वर्तमान में, दिल्ली जैसे शहरों में आम तौर पर जमानत राशि मासिक किराए का लगभग दो या तीन गुना है, लेकिन मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में यह 10-12 महीने तक के मासिक किराए के बराबर है।
  - **मसौदा अधिनियम** में आवासीय संपत्तियों के मामले में अधिकतम दो महीने के किराये के बराबर **जमानत राशि की उच्चतम** सीमा को प्रस्तावित किया गया है।
- **किराए की राशि:** मौजूदा किराया नियंत्रण विधानों के तहत शासित किरायेदारों के मामले में, मकान मालिक किराया नियंत्रण अधिकरणों की अनुमति के बिना किराए की राशि वृद्धि अथवा निर्धारित नहीं कर सकता है।
  - मसौदा अधिनियम के तहत इस मुद्दे का समाधान करने का प्रयास किया गया है **कि किराये में कैसे वृद्धि की जा सकती है।**
- **मकान खाली करने की प्रक्रिया:** अब मकान मालिक केवल कुछ सीमित आधारों पर ही किरायेदारों से मकान खाली करा सकते है क्योंकि **वर्तमान नियम किरायेदारों के पक्ष में हैं।**
  - यह अधिनियम सहमत किराएदारी अवधि समाप्त होने के पश्चात् किराये की संपत्तियों से बाहर निकलने से मना करने वाले **हठी किराएदारों को दंडित** करने का प्रावधान करता है।
- **किराया अनुबंध:** मसौदा अधिनियम, संपत्ति को किराए पर लेते अथवा देते समय किरायेदारों और मकान मालिकों के मध्य लिखित अनुबंध करने के प्रावधान को भी अनिवार्य बनाता है।
- **शिकायत निवारण तंत्र:** मॉडल अधिनियम द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि विवादों के निपटान के लिए किराया प्राधिकरण, किराया न्यायालय और किराया अधिकरण की स्थापना की जाएगी।
- **दोनों पक्षों पर दायित्व:** नए अधिनियम के अंतर्गत मकान मालिक विद्युत और जल जैसी **आवश्यक आपूर्तियों को बंद अथवा बाधित करने का कार्य नहीं कर सकता।**

आगे की राह

- **शहरी क्षेत्रों में लगभग 30% परिवार किराए के मकानों में निवास करते हैं,** इसलिए इस विनियमन का किराये के बाजार पर **महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।** विगत कई वर्षों से, किराए के आवास क्षेत्रक पर किए जाने वाले निवेश के जोखिमों की तुलना में उससे होने वाली आय संतोषजनक नहीं रही है। अगला कदम राज्यों को इस मॉडल अधिनियम को अपनाने के लिए सहमत करना होगा।
- यह समय की मांग है कि पारंपरिक किरायेदारी प्रारूपों के लिए **समयबद्ध विवाद समाधान तंत्र** प्रदान करते हुए सह-निवास जैसे उभरते व्यापार मॉडलों के लिए **अनुकूल ढांचा प्रदान किया जाए। वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य** को प्राप्त करने के लिए सरकार के पास इसे और अधिक व्यापक और सक्षम कानून बनाने का अवसर है।

3.12. खाद्य सुरक्षा- खाद्य भविष्य

(Food Security- Future of food)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से **"वर्ल्ड रिसोर्सेज रिपोर्ट: संधारणीय खाद्य भविष्य का सृजन" (World Resources Report: Creating a Sustainable Food Future)** नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट यह सुनिश्चित करने के लिए समाधान प्रदान करती है कि हम उत्सर्जन में वृद्धि किए बिना, वनोन्मूलन की समस्या को अधिक गम्भीर किए बिना अथवा निर्धनता की समस्या को बढ़ाए बिना वर्ष 2050 तक 10 बिलियन लोगों के लिए पर्याप्त भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते है।

विश्व संसाधन संस्थान (World Resources Institute: WRI) के बारे में

- 1982 में स्थापित **विश्व संसाधन संस्थान (WRI) वैश्विक अनुसंधान के लिए समर्पित एक गैर-लाभ संगठन है।** इसका कार्यक्षेत्र 60 से अधिक देशों में विस्तृत है।
- WRI की गतिविधियां सात क्षेत्रों पर केंद्रित हैं: भोजन, वन, जल, ऊर्जा, शहर, जलवायु और महासागर।

VISION IAS

विश्व संसाधन संस्थान की रिपोर्ट के निष्कर्ष

वर्ष 2050 तक 10 बिलियन लोगों के लिए संधारणीय रूप से भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित **तीन अंतरालों** को समाप्त करने की आवश्यकता है:

- वर्ष 2010 में उत्पादित फसल के कैलोरीमान और वर्ष 2050 में आवश्यक कैलोरीमान के मध्य 56 प्रतिशत का **खाद्य अंतराल;**
- वर्ष 2010 में विद्यमान वैश्विक कृषि भूमि क्षेत्र और वर्ष 2050 तक अपेक्षित कृषि विस्तार के मध्य 593 मिलियन हेक्टेयर का **भूमि अंतराल** (भारत के क्षेत्रफल के लगभग दोगुने के बराबर क्षेत्र); और
- वर्ष 2050 में संभावित कृषि उत्सर्जन और सबसे गंभीर जलवायु प्रभावों को रोकने के लिए वैश्विक तापक्रम वृद्धि के आवश्यक स्तर को 2°C (3.6° F) तक सीमित रखने के लक्षित स्तर को प्राप्त करने हेतु 11-गीगाटन **ग्रीन हाउस गैस शमन अंतराल।**

संधारणीय खाद्य भविष्य के लिए रोडमैप

- **खाद्य और अन्य कृषि उत्पादों की मांग में वृद्धि को कम करना:**
  - **खाद्य की क्षति और बर्बादी को कम करना:** खेत से लेकर उपभोग तक (field to fork) की संपूर्ण खाद्य श्रृंखला के दौरान, मानव उपभोग के लिए उत्पादित लगभग एक-चौथाई भोजन की **क्षति और बर्बादी होती है।** वर्ष 2050 तक खाद्य क्षति और बर्बादी को 5 प्रतिशत तक कम करने से खाद्य अंतराल 12 प्रतिशत तक कम हो जाएगा।
  - **अधिक संधारणीय आहार की ओर स्थानांतरण:** जैसे-जैसे आय में वृद्धि होती है, लोग तीव्रता से अधिक संसाधन-गहन, पशु-आधारित खाद्य पदार्थों का उपभोग करने लगते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं के मांस के उपभोग को अत्यंत कम किया जाना है, क्योंकि वे उत्पादन के लिए संसाधन-गहन होते हैं, जिसके लिए 20 गुना अधिक भूमि की आवश्यकता होती है और सामान्य पादप प्रोटीन की तुलना में उनकी प्रति ग्राम प्रोटीन के लिए ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 20 गुना अधिक होता है।
  - **प्रतिस्थापन-स्तर की प्रजनन दर प्राप्त करना:** खाद्य अंतराल अधिकांश जनसंख्या वृद्धि द्वारा संचालित होता है, इस प्रकार, **प्रतिस्थापन-स्तर की प्रजनन भूमि अंतराल को** एक चौथाई तक कम कर देगी और ग्रीन हाउस गैसों के **शमन का अंतराल** 17% तक कम हो जाएगा और साथ ही भूख की समस्या को भी कम किया जा सकेगा।
- **पशुधन और चरागाह उत्पादकता में वृद्धि करना:** पशु आधारित खाद्य पदार्थों की मांग वर्ष 2050 तक 70% बढ़ने का अनुमान है, इसलिए चरागाह की उत्पादकता को बढ़ाने की आवश्यकता है। किसानों द्वारा की जा सकने वाली कार्रवाइयों के अंतर्गत **चारागाह की उर्वरता, चारे की गुणवत्ता और पशु चिकित्सा देखभाल में सुधार करना; पशु नस्लों में सुधार** और **पशुचारण की चक्रीय विधि को अपनाना सम्मिलित हो सकते हैं।**
- **मत्स्यन प्रबंधन का संवर्धन:**
  - वर्ष 2015 में समुद्री स्टॉक के एक-तिहाई भाग का अति मत्स्यन किया गया। अत: वर्ष 2050 में वर्ष 2010 के प्राकृतिक मत्स्यन स्तर को बनाए रखने के लिए मछलियों को पर्याप्त रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान करना चाहिए और इसलिए मत्स्यन की क्रिया में कमी किए जाने की आवश्यकता है।
  - चूँकि प्राकृतिक मत्स्यन में गिरावट होने रही है, अत: वर्ष 2010 से वर्ष 2050 तक **मत्स्यन उपभोग में 58 प्रतिशत की** अनुमानित **वृद्धिशील मांग** को पूरा करने हेतु जलीय कृषि (aquaculture) के उत्पादन को दोगुना करने की आवश्यकता है।
- **मृदा और जल के प्रबंधन में सुधार:** किसान निम्नीकृत मृदा, **विशेष रूप से शुष्क क्षेत्रों और निम्न कार्बन वाले क्षेत्रों में** मृदा और जल प्रबंधन पद्धतियों में सुधार करके फसल उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कृषि वानिकी **अथवा खेतों और चरागाहों में वृक्षारोपण,** निम्नीकृत भूमियों का पुनरुद्धार करने और उत्पादन को बढ़ाने में सहायता कर सकता है।
- **उत्पादकता लाभों को प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा के साथ संबद्ध करना:** यद्यपि कृषि उत्पादकता में सुधार करते हुए विश्व स्तर पर वनों और सवाना घासभूमियों को बचाया जा सकता है, परन्तु कुछ मामलों में यह वास्तव में स्थानीय रूप से अधिक निर्वनीकरण का कारण बन सकता है। इसलिए, **अवसंरचना संबंधी निवेश को पारिस्थितिक तंत्र की कीमत पर प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।** रिपोर्ट यह संकेत करती है कि:
  - **कृषिभूमि के अपरिहार्य विस्तार को ऐसी भूमि तक सीमित किया जाए जिसकी** पर्यावरणीय अवसर लागतें कम हों।
  - **ऐसी कृषि योग्य भूमि** जिस पर गहन कृषि करने की संभावना अपेक्षाकृत कम हो, उस पर पुनर्वनीकरण किया जाना चाहिए।
  - **पीटलैंड का** संरक्षण और पुनर्स्थापना करना।

VISION IAS

- **कृषि उत्पादन से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करना: कृषि उत्पादन** से होने वाला उत्सर्जन **पशुपालन, नाइट्रोजन उर्वरकों के उपयोग, धान की कृषि और ऊर्जा के उपयोग से उत्पन्न होता है।**
    - रूमिनेंट (जुगाली करने वाले) पशुओं के उत्सर्जन में, सबसे बड़ा स्रोत **"आंत्र किण्वन के कारण उत्सर्जित मीथेन (enteric methane)" या गाय की डकार से उत्सर्जित मीथेन हैं।** जुगाली करने वाले पशुओं की बढ़ती उत्पादकता **आंत्र** किण्वन में कमी करने वाली नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग के द्वारा मीथेन उत्सर्जन को भी कम करती है।
    - वैश्विक रूप से, फसलों द्वारा उर्वरक के रूप उपयोग किए जाने वाले नाइट्रोजन की आधी से भी कम मात्रा को अवशोषित किया जाता है, शेष मात्रा को वायुमंडल में उत्सर्जित कर दी जाती हैं अथवा अपवाहित हो जाती हैं। इसलिए **नाइट्रोजन उपयोग की क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया में** उर्वरकों और उनके प्रबंधन में सुधार को सम्मिलित किया जाना चाहिए।
    - **उत्सर्जन-कम करने वाले धान प्रबंधन और किस्मों को अपनाना** क्योंकि धान की फसल कृषि उत्पादन उत्सर्जन में, मुख्य रूप से मीथेन के रूप में, कम से कम 10 प्रतिशत का योगदान करती है।
    - **गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की प्रक्रिया के** माध्यम से कृषि ऊर्जा दक्षता बढ़ाना **और बेहतर खाद प्रबंधन के** माध्यम से उत्सर्जन में कमी करना।

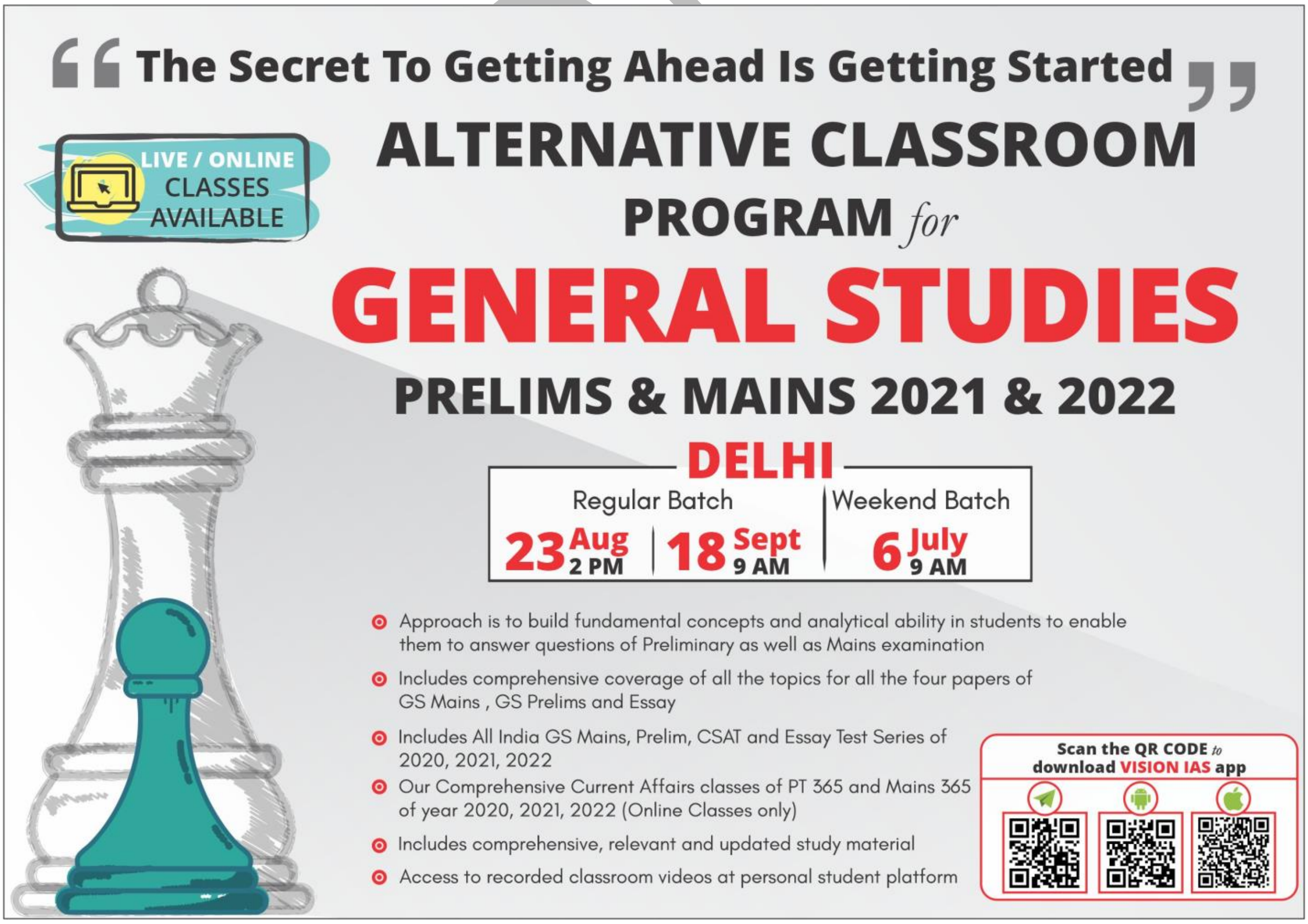

4. सुरक्षा (Security)

4.1. गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019

{Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act, 2019: UAPA}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019** को भारतीय संसद द्वारा पारित कर दिया गया है।

पृष्ठभूमि

- **गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967** को व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गैर-कानूनी गतिविधियों तथा इससे संबंधित मामलों की अधिक प्रभावी रोकथाम हेतु अधिनियमित किया गया था।
    - भारत-चीन युद्ध और तमिलनाडु में चुनाव लड़ने वाले दल DMK द्वारा अपने चुनावी घोषणा-पत्र में भारत से अलगाव को सम्मिलित किए जाने के कारण भारतीय अखंडता के समक्ष उत्पन्न संकट को देखते हुए इसे अधिनियमित किया गया था।
- अपराधों की बदलती प्रकृति और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नए कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता को देखते हुए, इन संशोधनों की आवश्यकता थी।
    - इसके दायरे का विस्तार किया गया है और इस दायरे को विभिन्न संशोधनों (बॉक्स देखें) के माध्यम से विकसित किया गया है।
- वर्ष 2019 के इस संशोधन अधिनियम में ऐसे ही कुछ अन्य पहलुओं को शामिल किया गया है।

UAPA, 1967 का विकास

- **वर्ष 2004 में हुए संशोधन:** इसके तहत किसी आतंकवादी गतिविधियों हेतु धन जुटाने, आतंकवादी कार्यवाहियों को संचालित करने, आतंकवादी संगठनों में शामिल होने एवं विशिष्ट खंडों को शामिल करके आतंकवादी संगठन को सहयोग प्रदान करने आदि को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया गया।
- **वर्ष 2008 में हुए संशोधन:** इसके तहत आतंकवादी घटनाओं के वित्तपोषण की व्यापक कवरेज को सुनिश्चित करने हेतु "निधियों (Funds)" से संबंधित प्रावधान के दायरे को विस्तृत किया गया।
    - **इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर दी सप्रेशन ऑफ़ दी फाइनेंसिंग ऑफ़ टेररिज्म (CFT)** की आवश्यकताओं के अनुरूप कानून निर्माण हेतु **संपत्ति** की परिभाषा का विस्तार किया गया।
    - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रेजोल्यूशन 1267 और 1373 को प्रभावी बनाने तथा "फ्रीज़िंग (freezing), सीजिंग (seizing) या निधियों को कुर्क करने हेतु" एक तंत्र स्थापित करने के लिए एक नया **खंड 51A** जोड़ा गया था।
    - मुंबई हमलों के बाद अत्यधिक संशोधन किए गए, जिसमें पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि, चार्जशीट के बिना क़ैद करना और जमानत पर प्रतिबंध के संबंध में POTA और TADA के समान प्रावधान शामिल किए गए हैं।
- **वर्ष 2012 में हुए संशोधन:** देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराध को शामिल कर, "आतंकवादी गतिविधि" की पहले से अस्पष्ट परिभाषा को और अधिक व्यापक बनाया गया।

इस अधिनियम में हुए प्रमुख संशोधन

- **आतंकी संस्था घोषित करने के दायरे को विस्तृत किया गया है:** पूर्व में केंद्र सरकार किसी संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित कर सकती थी; यदि वह संगठन आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित या संचालित करता है अथवा उसमें संलग्न है या बढ़ावा दे अथवा आतंकवादी गतिविधि में किसी भी तरीके से शामिल होता है।
    - अब सरकार को उन्हीं आधारों पर किसी भी **व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित करने** का अधिकार प्रदान किया गया है।
- **संपत्ति जब्त करने की मंजूरी:** इससे पूर्व एक जांच अधिकारी को आतंकवाद से संबंधित संपत्तियों को जब्त करने के लिए पुलिस महानिदेशक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता होती थी।
    - अब, यदि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाती है, तो ऐसी संपत्ति को जब्त करने के लिए NIA के महानिदेशक की सहमति की आवश्यकता होगी।
- **NIA को सशक्त बनाया गया है:** इससे पूर्व, मामलों की जांच उप-पुलिस अधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त रैंक के अधिकारियों द्वारा या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारियों द्वारा की जाती थी।
    - इस विधेयक के माध्यम से इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक वाले NIA के अधिकारियों को भी मामलों की जांच करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

* **संधियों की अनुसूची को शामिल करना:** इस अधिनियम की एक अनुसूची में नौ संधियाँ सूचीबद्ध थीं {जैसे- कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ़ टेररिस्ट (1997), कन्वेंशन अगेंस्ट टेकिंग ऑफ़ होस्टेज़ (1979) आदि}, जिसके अनुसार यह अधिनियम उन संधियों के तहत किए गए कृत्यों को शामिल करने हेतु आतंकवादी कृत्यों को परिभाषित करता है।
  * इस विधेयक के अंतर्गत **इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ़ एक्ट्स ऑफ़ न्यूक्लियर टेररिज्म (2005)** को भी सूची में शामिल किया गया है।

आतंकी गतिविधियों के निवारण हेतु कुछ अन्य कानून

* राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA),1980;
* सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA),1958;
* **कई राज्यों के अपने स्वयं के आतंक विरोधी कानून हैं,** जैसे- महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट, 1999; छत्तीसगढ़ विशेष जनसुरक्षा अधिनियम, 2005; जम्मू और कश्मीर जनसुरक्षा अधिनियम, 1978; तथा आंध्र प्रदेश जनसुरक्षा अधिनियम, 1992 आदि।

इन संशोधनों की आवश्यकता और लाभ

* **आतंकवाद के बढ़ते खतरे:** विशेष रूप से सीमा पार घुसपैठ के परिणामस्वरूप भारत में अनेक नागरिकों के साथ-साथ सैन्य कर्मियों को भी क्षति का सामना करना पड़ा है।
* **अनेक लोगों का निगरानी प्रणाली से बचे रहना:** व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित नहीं करना, उन्हें कानून के दायरे से बचे रहने का अवसर प्रदान करता है और वे आसानी से एक अलग पहचान के साथ अपनी आतंकी गतिविधियों को जारी रख सकते हैं।
  * कई अन्य राष्ट्रों सहित संयुक्त राष्ट्र के कानूनों में भी व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने का प्रावधान किया गया है। उदाहरण के लिए, भारत स्वयं **मसूद अजहर** को आतंकवादी के रूप में नामित करने में असमर्थ रहा है, यद्यपि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस हेतु पैरवी की थी।
  * इसके अतिरिक्त, कई व्यक्ति **लोन वुल्फ** के रूप में कार्यरत हैं, जो किसी संगठन से संबंधित नहीं होते हैं और आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। उन्हें अब इस अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा।
* **मौजूदा प्रक्रिया में विलंब:** वर्तमान कानून के अनुसार NIA को संबंधित राज्य के पुलिस महानिदेशक से आतंकवादी घटनाओं को रोकने संबंधी कार्यवाही करने हेतु पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। जिसके कारण प्रक्रिया में विलंब होता है, क्योंकि प्राय: ऐसी संपत्तियां विभिन्न राज्यों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होती हैं।
  * जब NIA अंतर्राष्ट्रीय और अंतर-राज्यीय प्रभाव वाले मामलों की जांच करती है, तब उस मामले से संबंधित सभी तथ्यों के निरीक्षण का अधिकार राज्य पुलिस के अधीन न होकर NIA के पास होता है।
* **मानव संसाधनों की आवश्यकता:** यह संशोधन निरीक्षकों (इंस्पेक्टर्स) और उनसे ऊपर की रैंक के अधिकारियों को जांच हेतु अधिकार प्रदान कर, NIA में मानव संसाधन संबंधी अभावों को कम करने का प्रयास करता है।
  * इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों ने समय के साथ UAPA संबंधित मामलों की जांच करने के लिए पर्याप्त दक्षता प्राप्त की है।
  * इस कदम से UAPA से संबंधित मामलों में त्वरित न्याय प्राप्त हो सकेगा, जिसकी समीक्षा विभिन्न स्तरों पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाती है।

संशोधन से संबंधित चिंताएं

* **कठोर प्रावधान (Draconian Provisions):** इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के पास किसी व्यक्ति को 'आतंकवादी' घोषित करने का अधिकार होगा, जो संभवतः जोखिमपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति को उचित प्रक्रियाओं का अनुपालन किए बिना एक आतंकवादी के रूप में चिन्हित करने का अधिकार प्रदान करेगा।
  * उक्त मामले में संलग्न व्यक्ति को उपलब्ध एकमात्र निवारण हेतु केंद्र सरकार को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसकी समीक्षा भी सरकार द्वारा ही गठित एक समिति द्वारा की जाएगी।
  * उक्त मामले में संलग्न व्यक्ति को सामाजिक बहिष्कार, नौकरी से निष्कासन, मीडिया द्वारा आलोचना और शायद स्वघोषित सतर्कता समूहों द्वारा उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है।
* **दुरुपयोग की संभावना:** आतंकी प्रचार, आतंकवादी साहित्य आदि ऐसे अस्पष्ट शब्द हैं जिनका प्राधिकारी द्वारा दुरुपयोग किए जाने की संभावना है। जब कोई कानून इस तरह की कमजोर अवधारणाओं पर आधारित होता है, तो अधिकारियों द्वारा उसे किसी के भी विरुद्ध आसानी से आरोपित किया जा सकता है।
  * केवल क्रांतिकारी साहित्य रखने के आधार पर लोगों के विरुद्ध UAPA को आरोपित करने के भी उदाहरण मौजूद हैं (जैसे- आनंद तेलतुम्बडे का मामला)।
  * ऐसी आशंका है कि इससे अनेक मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, लेखकों और पत्रकारों को आतंकवादी के रूप में प्रचारित किया जा सकता है।

VISION IAS

- **न्यायिक विवेक के विरुद्ध:** यदि किसी व्यक्ति को केवल भाषण और विचार के आधार पर आतंकवादी घोषित किया जाता है, तो यह न्यायिक विवेक के विरुद्ध होगा। इसके बजाए, इसे केवल तभी आरोपित किया जाना चाहिए जब कोई भाषण प्रत्यक्ष एवं आसन्न हिंसा को बढ़ावा देता हो।
    - **केरल राज्य बनाम रनीफ़ वाद** में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यदि व्यक्ति की कोई सक्रिय भागीदारी नहीं है तो केवल किसी गैर-कानूनी संगठन से संबंधित होने पर ही किसी को दंडित नहीं किया जा सकता।
    - हाल ही में, केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने पूर्व में एकल पीठ द्वारा एक व्यक्ति को माओवादी साहित्य रखने के आधार पर अवैध रूप से गिरफ्तार किए पर दिए जाने वाले 10 लाख रुपये के मुवावजे को यथावत रखा है।

आगे की राह

- **दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा उपाय:** अधिनियम में किसी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित किए जाने संबंधी निर्णय लेने से पूर्व **चार स्तरीय जांच** के प्रावधान किए गए हैं। ऐसा करने के लिए उचित कानूनी और ठोस सबूतों के साथ प्रत्येक स्तर पर गहन जाँच की जानी चाहिए।
    - राज्य की विभिन्न एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस अधिनियम के तहत विभिन्न मामलों का निपटारा **विधि की सम्यक् प्रक्रिया** के आधार पर किया जाना चाहिए।
- **अत्याधुनिक प्रशिक्षण:** युवा अधिकारियों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें जटिल मामलों से निपटने में सक्षम बनाया जा सके।
- **साक्ष्य संग्रह की देखरेख हेतु एक केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता:** ताकि जांच प्रक्रिया में सहायता मिल सके, विशेषकर उन मामलों में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबद्ध हैं।
- राज्य का प्राथमिक कर्तव्य अपने नागरिकों के **जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना** है और यह संशोधन राज्य को ऐसा करने का अधिकार प्रदान करता है।

4.2. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) अधिनियम, 2019

{NIA (Amendment) Act, 2019}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद ने **राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) अधिनियम, 2019** पारित किया है, जिसका लक्ष्य NIA की शक्तियों एवं अधिकार-क्षेत्र में विस्तार करना है।

पृष्ठभूमि

- **NIA अधिनियम, 2008,** भारत की प्रमुख आतंकरोधी एजेंसी (अर्थात् NIA) की कार्यप्रणाली को शासित करता है, जिसे 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के परिणामस्वरूप स्थापित किया गया था।
    - संयुक्त राज्य अमेरिका में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन (FBI) की तर्ज पर यह अधिनियम देश में NIA को एकमात्र वास्तविक संघीय एजेंसी के रूप में स्थापित करता है तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की तुलना में इसे अत्यधिक शक्तियां प्रदान करता है।
- **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)** जैसी अन्य जांच एजेंसियों की तुलना में इसे कई अधिकार प्रदान किये गए हैं। उल्लेखनीय है कि CBI को किसी राज्य में पदस्थापित एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध किसी मामले की जांच करने से पूर्व उस राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। जबकि, NIA के पास भारत के किसी भी हिस्से में आतंकी गतिविधि के विरुद्ध स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही एवं मुकदमा दर्ज करने तथा किसी भी राज्य में संबंधित सरकार की अनुमति के बिना प्रवेश करने एवं जांच करने और संलग्न किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति प्राप्त है।
- NIA का प्रदर्शन रिकॉर्ड बेहतर रहा है, क्योंकि इसके द्वारा पंजीकृत 272 मामलों में से 199 मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए हैं तथा 51 मामलों में अभियोजन पूर्ण कर लिया गया है एवं 46 मामलों में आरोप सिद्ध हो चुके हैं।
- हालाँकि, कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिन्होंने NIA की कार्यप्रणाली को प्रभावित किया हैं, जैसे-
    - NIA केवल उन मामलों की जांच कर सकता है, जो **अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध हैं** और जो व्यापक रूप से देश की सुरक्षा एवं अखंडता से संबंधित हैं। इसका तात्पर्य है कि NIA हत्या एवं बलात्कार के मामलों की जांच नहीं कर सकती है, क्योंकि ये मामलें भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत आते हैं।
    - NIA भारत से बाहर किए गए अपराधों की जांच नहीं कर सकती है।
- इन चिंताओं के समाधान हेतु, इस संशोधन विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया गया था।

VISION IAS

प्रमुख संशोधन

- **अपराधों के दायरे को विस्तृत किया गया है:** जिसका उल्लेख अधिनियम की अनुसूची में किया गया हैं, जैसे- परमाणु ऊर्जा अधिनियम (1962) और गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (1967)।
    - इस संशोधन के माध्यम से मानव तस्करी; नकली मुद्रा या बैंक नोटों से संबंधित अपराध; प्रतिबंधित हथियारों के निर्माण या बिक्री; साइबर आतंकवाद; विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत किए जाने वाले अपराधों जैसे अन्य अपराधों को सम्मिलित करने हेतु इसके दायरे को विस्तृत किया गया है।
- **NIA के क्षेत्राधिकार में वृद्धि:** NIA के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अन्य राष्ट्रों के घरेलू कानूनों के अधीन, भारत से बाहर किए गए अधिसूचित अपराधों की जांच करने की शक्ति प्राप्त होगी।
    - केंद्र सरकार उन मामलों की जांच करने के लिए NIA को निर्देश दे सकती है, जिनमें अपराध भारत में किया गया हो।
    - नई दिल्ली स्थित **विशेष न्यायालय** को इन मामलों से संबंधित क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा।
- **विशेष न्यायालयों के लिए अतिरिक्त प्रावधान:** NIA अधिनियम द्वारा केंद्र सरकार को अधिसूचित अपराधों के ट्रायल (जांच) के लिए विशेष न्यायालयों के गठन की अनुमति प्रदान कर दी गई है।
    - अब केंद्र सरकार अनुसूचित अपराधों की सुनवाई के लिए **सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित** कर सकती है, किन्तु ऐसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किया जाएगा, जिसके तहत उक्त सत्र न्यायालय कार्यरत है।
    - जब किसी क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायालय नामित किए गए हों, तो उक्त स्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा न्यायालयों के मध्य वादों का आवंटन किया जाएगा।
    - इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें अधिसूचित अपराधों के ट्रॉयल हेतु विशेष न्यायालयों के रूप में सत्र न्यायालयों को भी नामित कर सकती हैं।

इन संशोधनों के पक्ष में तर्क

- **आतंकी हमलों में वृद्धि:** आतंकवाद निरोधक अधिनियम (Prevention of Terrorism Act: POTA) को निरस्त किए जाने और NIA अधिनियम में इन कमियों के बने रहने के कारण, अन्य एजेंसियां ऐसी गतिविधियों से निपटने हेतु पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं थीं।
- **अस्पष्टता की स्थिति मामलों को कमजोर बनाती है:** इससे पूर्व, इन धाराओं के तहत NIA अभियुक्तों को केवल तभी दोषी ठहरा सकती थी, जब मूल अपराध उसकी अनुसूची में सम्मिलित हो। किन्तु, संशोधन अधिनियम के तहत अब NIA स्टैंडअलोन मामलों में लोगों के विरुद्ध क़ानूनी कार्यवाही कर सकती है। उदाहरण के लिए, गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति पर आर्म्स एक्ट की धाराएँ आरोपित की जा सकती हैं, किन्तु अभी तक NIA उस पर केवल आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही नहीं कर सकती थी।
- **विश्व की सभी प्रमुख एजेंसियों (जैसे- अमेरिका की FBI) के पास इस प्रकार की शक्ति का होना:** 26/11 हमलों में डेविड कोलमैन हेडली के विरुद्ध मुकदमा चलाने में यह (FBI) सक्षम थी, क्योंकि उसके पास विदेश में घटित हुए आतंकवादी हमले में मामला दर्ज करने की शक्ति प्राप्त थी।
    - दूसरी तरफ, इन खामियों के बने रहने के कारण जब वर्ष 2012 में केरल के तट पर इटली के कुछ नौसैना अधिकारियों द्वारा एक भारतीय मछुआरे को गोली मार दी गयी थी, तब उन अधिकारियों के विरुद्ध मामले की जांच उपयुक्त तरीके से नहीं हो पायी थी। हालाँकि अपराध, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में घटित हुआ था किन्तु उस समय NIA के पास इससे संबंधित कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था।
- **तीव्र अधिनिर्णयन में सहायता:** इससे पूर्व, किसी भी राज्य में विशेष न्यायालयों को स्थापित करने में छह से नौ माह का समय लगता था, क्योंकि इसके लिए प्रस्ताव निर्मित करना होता था, उच्च न्यायालयों की सहमति प्राप्त करनी होती थी, एक न्यायाधीश को नामित करना होता था तथा एक न्यायालय स्थापित करना होता था। किन्तु अब मौजूदा सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में कार्य करने की अनुमति देने से, मुकदमे की सुनवाई शीघ्र प्रारंभ हो सकती है।

इन संशोधनों के विपक्ष में तर्क

- **दुरुपयोग की संभावना:** कई विपक्षी नेताओं द्वारा इन संशोधनों की आलोचना की गई है और सरकार पर **"राजनीतिक प्रतिशोध"** के लिए जांच एजेंसियों का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। कुछ सांसदों ने इस तथ्य को भी संदर्भित किया है कि किसी विशेष समुदाय के सदस्यों को लक्षित करने के लिए कई बार आतंकवाद विरोधी कानून का दुरुपयोग किया जाता रहा है।
- **न्यायपालिका पर पहले से ही अत्यधिक कार्यभार बना हुआ है** और सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित करने से न्यायालयों की सामान्य कार्यप्रणाली बाधित होगी।

VISION IAS

आगे की राह

- NIA की कार्यप्रणाली राजनीतिक अधिदेश पर नहीं, बल्कि विधि के शासन पर निर्भर होनी चाहिए। इसे मानवाधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए।

4.3. धन शोधन निवारण अधिनियम

(Prevention of Money Laundering Act: PMLA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने 2019 के वित्त अधिनियम के माध्यम से **"धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002"** के प्रावधानों में संशोधन कर इसे और अधिक कठोर बना दिया है।

नवीन संशोधन

- **"अपराध से अर्जित लाभ" की परिभाषा को और अधिक व्यापक बनाया गया है।** अब इसमें किसी भी आपराधिक गतिविधि के माध्यम से अर्जित संपत्तियों और परिसंपत्तियों को भी शामिल किया गया है, भले ही ये गतिविधियां धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के अंतर्गत शामिल नहीं हैं तथा इसे **"संबंधित अपराध" के रूप में स्वीकार किया जाएगा।**
- **PMLA अधिनियम में अस्पष्टता और अन्य संशयात्मक स्थिति को समाप्त करने हेतु इसमें** अन्य और भी संशोधन किए गए हैं।

धन शोधन के बारे में

- इंटरपोल (INTERPOL) के अनुसार, **धन शोधन (मनी-लॉन्ड्रिंग) का अर्थ अवैध रूप से अर्जित धन की पहचान को गुप्त रखना या उसके स्वरुप को परिवर्तित करना है** ताकि ऐसा प्रतीत हो कि उसका सृजन वैध स्रोतों से ही हुआ है।
- यह **मादक पदार्थों की तस्करी, डकैती या जबरन वसूली जैसे अन्य अति गंभीर अपराधों** का भी एक घटक है।
- धन शोधन की कुछ सामान्य विधियों में **अत्यधिक मात्रा में नकदी की तस्करी (बल्क कैश स्मगलिंग), शेल कम्पनियाँ और न्यास, राउंड ट्रिपिंग, हवाला, फर्जी रसीदें तैयार करना आदि सम्मिलित** हैं।
- बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी के प्रचलन के कारण इस प्रकार की गतिविधियों में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

धन शोधन के प्रभाव

- **वित्तीय संस्थाओं तथा बाज़ार की प्रतिष्ठा को क्षति:**
  - यह समाज की "लोकतांत्रिक संस्थानों" को कमज़ोर करता है।
- **आपराधिक गतिविधियाँ:** यह अपराधियों को निजीकरण की प्रक्रिया को बाधित करने के अवसर प्रदान करता है।
- **आर्थिक प्रभाव:**
  - यह आर्थिक संकट उत्पन्न कर देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर बनाता है।
  - यह माप की त्रुटि एवं संसाधनों के दोषपूर्ण आवंटन के कारण नीतियों को विरूपित करता है।
  - इससे विदेशी निवेशक हतोत्साहित होते हैं।
  - इससे कर अपवंचन (tax evasion) की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।
  - इससे ब्याज दरों तथा विनिमय दरों में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है।
  - यह विधिक लेन-देन को विरूपित करता है।

धन शोधन के निवारण हेतु संरचना

- **संस्थागत ढांचा:** इसमें मुख्य रूप से दो निकाय सम्मिलित हैं:
  - **प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate: ED):** PMLA के अंतर्गत मामलों की जाँच तथा उनके अभियोजन हेतु; तथा
  - **वित्तीय आसूचना इकाई - भारत (Financial Intelligence Unit - India : FIU-IND):** इसका कार्य संदिग्ध वित्तीय लेन-देनों से संबंधित सूचना प्राप्त करने, संसाधित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने के साथ-साथ धन शोधन के विरुद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आसूचना, अन्वेषण तथा प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयासों के साथ सहयोग करना और उन्हें सुदृढ़ करना है।
- **अंतर्राष्ट्रीय समन्वय:**
  - **वित्तीय कार्रवाई कार्य-बल (Financial Action Task Force: FATF):** यह एक अंतर-सरकारी निकाय है और इसकी स्थापना का उद्देश्य धन शोधन व आतंकी वित्तपोषण तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के समक्ष उत्पन्न खतरों से निपटने हेतु मानक निर्धारित करना एवं कानूनी, नियामकीय व परिचालन संबंधी उपायों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना है।

- **एशिया प्रशांत समूह (Asia Pacific group):** यह धन शोधन रोधी नीतियों एवं पहलों के क्रियान्वयन और अपेक्षाकृत अधिक स्थायी क्षेत्रीय धन शोधन रोधी निकाय की स्थापना हेतु व्यापक क्षेत्रीय प्रतिबद्धता के सृजन के लिए एशिया-प्रशांत देशों के साथ कार्य करता है।
- **बैंकिंग विनियमन तथा पर्यवेक्षण प्रथाओं पर बेसल समिति (Basel Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices)** द्वारा सिद्धांतों का एक वक्तव्य जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र को आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त निधियों को छिपाने अथवा उनका शोधन करने से बचाने हेतु बैंकों को एक समान व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- भारत द्वारा **आतंकवाद का वित्तपोषण रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (International Convention for Suppression of Financing of Terrorism), 1999; पार-राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (United Nation Convention against Transnational Organised Crime), 2000;** तथा **भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (United Nation Convention against Corruption), 2003 पर हस्ताक्षर किए गए हैं।**

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के बारे में

- **उद्देश्य**
  - धन शोधन की रोकथाम एवं नियंत्रण;
  - धन शोधन द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त एवं अधिग्रहित करना; तथा
  - भारत में धन शोधन से संबंधित किसी भी अन्य मुद्दे से निपटना।
- **धन शोधन के अपराध को परिभाषित करता है:** प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या जानबूझकर सहायता करने वालों या जो जानबूझकर ऐसी गतिविधि का एक पक्षकार है या वास्तव में ऐसी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है अथवा जो ऐसे अपराध से अर्जित आय से संबंधित है और इसे अप्राप्त संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, उसे धन शोधन गतिविधि से संबंधित अपराधी समझा जाएगा।
- **विभिन्न विधानों के अंतर्गत कई अपराधों को शामिल कर इस अधिनियम की पहुँच में वृद्धि करता है:** इसके द्वारा भारतीय दंड संहिता (IPC), स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, आयुध अधिनियम, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कुछ अपराधों की पहचान की गई है। साथ ही, इन अपराधों से अर्जित धन को भी इस अधिनियम के तहत सम्मिलित किया जाएगा।
- **बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यवर्ती संस्थाओं के दायित्व का निर्धारण:** अपने सभी ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों के सत्यापन और रख-रखाव और सभी लेन-देनों और ऐसे लेन-देन की सूचना निर्धारित रूप में वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (FIU-IND) को प्रस्तुत करना।
- **सीमा पार धन शोधन संबंधी गतिविधियों से निपटना:** यह PMLA के प्रावधानों को लागू करने तथा PMLA के अंतर्गत किसी भी अपराध की रोकथाम के लिए सूचनाओं का आदान-प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार को किसी भी अन्य देश के साथ समझौता करने की अनुमति प्रदान करता है।
- **विशेष न्यायालय:** केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में धन शोधन संबंधी अपराधों के मामलों में अभियोग चलाने हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है।
- **अधिनिर्णय प्राधिकरण:** यह अधिनियम संपत्ति की कुर्की और जब्ती से संबंधित मामलों से निपटने के लिए तीन-सदस्यीय अधिनिर्णय प्राधिकरण का गठन करता है।

धन शोधन से निपटने के मार्ग में चुनौतियां

- **विधेय-अपराध-उन्मुख-कानून (Predicate-offence-oriented law):** इसका अर्थ है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी मामला केवल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), आयकर विभाग या पुलिस जैसी प्राथमिक एजेंसियों द्वारा अनुसरण किए गए मामलों की नियति पर ही निर्भर करता है। (प्रेडीकेट-आफेंस से तात्पर्य उस अपराध से है जो अपेक्षाकृत अधिक गंभीर अपराध का घटक है।)
- **विकसित होती प्रौद्योगिकी के साथ समन्वय:** प्रवर्तन एजेंसियाँ तीव्र गति से विकसित हो रही प्रौद्योगिकियों के साथ समन्वय स्थापित करने में असमर्थ हैं, जिसके परिणामस्वरूप नियोजन, स्तरीकरण तथा समेकन जैसी प्रक्रियाएं और अधिक जटिल हो जाती हैं।
- **नो योर कस्टमर (KYC) मानकों के उद्देश्यों की पूर्ति न हो पाना:** KYC मानक हवाला कारोबार की समस्याओं को समाप्त करने या उन्हें नियंत्रित करने में असक्षम हैं, क्योंकि RBI इन्हें विनियमित नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे मानक केवल दिखावा मात्र हैं क्योंकि उन्हें कार्यान्वित करने वाली एजेंसियाँ इनके प्रति उदासीन हैं। साथ ही, बाज़ार में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्द्धा बैंकों को अपने सुरक्षा उपायों को शिथिल करने हेतु बाध्य करती हैं। इस प्रकार, धन शोधनकर्ता के लिए उनके आपराधिक कृत्यों को आगे बढ़ाने हेतु बैंकों का अवैध उपयोग करने की सुविधा प्रदान करती है।

VISION IAS

- **व्यापक स्तर पर तस्करी:** कई आयातित उपभोक्ता वस्तुओं, यथा- खाद्य पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक आदि जैसी वस्तुओं की बिक्री के प्रयोजनार्थ भारत में कालाबाजारी से संबंधित अनेक चैनल विद्यमान हैं। ज्ञातव्य है कि इन्हें नियमित रूप से बेचा जाता है।
- **प्रवर्तन एजेंसियों के मध्य समन्वय अभाव:** धन शोधन, साइबर अपराधों, आतंकी अपराधों, आर्थिक अपराधों आदि से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पृथक-पृथक अंगों के मध्य परस्पर समन्वय का अभाव है।
- **टैक्स हेवन देश:** ये देश दीर्घकाल से धन शोधन संबंधी गतिविधियों में संलग्न हैं, क्योंकि उनके वित्तीय गोपनीयता संबंधी क़ानून, बेनामी खाते (anonymous accounts) खोलने की अनुमति प्रदान करते हैं तथा साथ ही वित्तीय सूचनाओं के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित भी करते हैं।

आगे की राह

- **सामान्य विधेय (predicate) अपराधों को सूचीबद्ध करना:** विशेषतया धन शोधन के अपराध की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस समस्या के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाधान करने हेतु।
- **जागरूकता एवं शिक्षा:** धन शोधन के दृष्टान्तों के प्रति सतर्कता में वृद्धि करने हेतु जागरूकता एवं शिक्षा का प्रसार करना, जिससे क़ानून के बेहतर प्रवर्तन में भी सहायता प्राप्त होगी। इससे यह सार्वजनिक अवलोकन का विषय बन जाएगा।
- **केंद्र और राज्यों के मध्य उचित समन्वय:** कानून जितना अधिक विकेन्द्रीकृत होगा, पहुँच भी उतनी ही बेहतर होगी।
- **प्रत्येक देश में कानून:** धन शोधन पर एक प्रभावी नियंत्रणकारी उपाय के रूप में महत्वपूर्ण होगा कि विश्व के सभी देशों द्वारा धन शोधन से निपटने के लिए एक समान कानूनों का प्रावधान करने के साथ-साथ उन्हें लागू किया जाए, ताकि अपराधियों को कहीं पर भी बचने का अवसर प्राप्त न हो सके।
- **धन शोधन गतिविधियों से निपटने के लिए विशेष प्रकोष्ठ:** इसे अनन्य रूप से धनशोधन-रोधी (एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग: AML) अनुसंधान तथा विकास के प्रबंधन हेतु आर्थिक आसूचना परिषद (EIC) की तर्ज़ पर सृजित किया जाना चाहिए। इस विशेष प्रकोष्ठ को इंटरपोल तथा AML से संबद्ध अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी जोड़ना चाहिए। RBI, SEBI इत्यादि जैसे सभी महत्वपूर्ण हितधारकों को इसका भाग होना चाहिए।
- **अभिसमयों के अनुरूप क़ानून:** विभिन्न राष्ट्रों को **स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 1988 (विएना अभिसमय)** {United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (the Vienna Convention)} तथा **अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 2000 (पालेरमो अभिसमय)** {United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000 (the Palermo Convention)} के आधार पर धन शोधन को अपराध घोषित करना चाहिए।

4.4. पुलिस सुधार

(Police Reforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2006 के ऐतिहासिक **प्रकाश सिंह वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों** के अनुसार, जांच और कानून एवं व्यवस्था के आधार पर **बिहार पुलिस द्वारा** अपने पुलिस बलों के दायित्वों को पृथक किया जा रहा है।

भारत में तत्काल पुलिस सुधारों की आवश्यकता क्यों है?

- **निरंतर बढ़ते खतरे:** आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना मुख्यतः पुलिस का दायित्व होता है तथा इससे संबंधित खतरों से निपटने के लिए एक कुशल पुलिस तंत्र की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, साइबर हमलों, बैंक धोखाधड़ी और संगठित अपराध जैसे खतरों के नए रूप निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं, जिनसे अति विशिष्ट तरीकों से निपटने की आवश्यकता है। इन सभी सुरक्षा संबंधी खतरों के विरुद्ध पुलिस प्रणाली, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का निर्माण करती है।
- **पुलिस जांच में अनेक कमियां:** अपराध जांच के लिए कौशल और प्रशिक्षण, समय एवं संसाधन तथा पर्याप्त फोरेंसिक क्षमता एवं बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। विधि आयोग और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा उल्लेख किया गया है कि पुलिस कर्मियों की अपर्याप्त संख्या और विभिन्न प्रकार के कार्यों के अत्यधिक बोझ के कारण राज्य पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रायः इन उत्तरदायित्वों की उपेक्षा की जाती हैं।
    - इनके पास प्रशिक्षण और व्यावसायिक जांच करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता का भी अभाव होता है।
- **सरकार का बढ़ता हस्तक्षेप:** पुलिस कानूनों के अनुसार, केंद्र और राज्य दोनों पुलिस बल राजनीतिक कार्यकारिणी के अधीक्षण तथा नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। यह राजनीतिक कार्यकारिणी को अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु पुलिस को राजनीतिक नेताओं के नियंत्रण तक सीमित करता है।

VISION IAS

- **अपर्याप्त पुलिस अवसंरचना:**
    - **कार्मिकों की कमी:** पुलिस विभाग में कार्मिकों की अत्यधिक कमी है। भारत में पुलिस-जनसंख्या अनुपात कम है। वर्तमान में प्रति एक लाख जनसंख्या पर 192 पुलिसकर्मी तैनात हैं। उल्लेखनीय है कि यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुशंसित (प्रति एक लाख जनसंख्या पर 222 पुलिसकर्मी) अनुपात की तुलना में कम है।
    - **अत्यधिक कार्यभार:** यह पुलिस बल के लिए एक गंभीर चुनौती है, जिससे न केवल पुलिस कर्मियों की प्रभावशीलता और दक्षता में कमी आती है, बल्कि मनोवैज्ञानिक तनाव भी उत्पन्न होता है।
    - **अपर्याप्त हथियार:** नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने अपनी रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया है कि पुलिस बल अप्रचलित, प्राचीन और अनुपयोगी हथियारों पर निर्भर है। जिसका प्रमुख कारण आयुध कारखानों से हथियार अधिग्रहण की धीमी प्रक्रिया का बने रहना है।
- **पुलिस-जनसंपर्क:** अपराध और अव्यवस्था को रोकने के लिए पुलिस को समाज के विश्वास, सहयोग एवं समर्थन की आवश्यकता होती है।
    - द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने रेखांकित किया है कि पुलिस-जनसंपर्क की स्थिति असंतोषजनक है क्योंकि लोग पुलिस को **भ्रष्ट, अक्षम, राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण और गैर-जिम्मेदार** मानते हैं।

उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त सात निर्देश

- **निम्नलिखित कार्यों हेतु राज्य सुरक्षा आयोग (State Security Commission: SSC) का गठन:**
    - यह सुनिश्चित करने हेतु कि राज्य सरकार पुलिस पर अनुचित प्रभाव या दबाव न बना पाए;
    - व्यापक नीतिगत दिशा-निर्देशों का निर्धारण; और
    - राज्य पुलिस के प्रदर्शन का मूल्यांकन।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि पुलिस महानिदेशक को योग्यता आधारित पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया गया है और उसका कार्यकाल न्यूनतम दो वर्ष का होना चाहिए।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि परिचालन दायित्वों हेतु एक पुलिस अधिकारी (एक जिले के प्रभारी पुलिस अधीक्षक और स्टेशन हाउस अधिकारियों सहित) के लिए भी दो वर्ष का न्यूनतम कार्यकाल हो।
- **पुलिस के जांच और कानून एवं व्यवस्था संबंधी प्रकार्यों को पृथक करना।**
- **पुलिस उप-अधीक्षक** की रैंक और उसके अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण, पोस्टिंग, पदोन्नति और अन्य सेवाओं से संबंधित मामलों के निर्णय करने के लिए एक **पुलिस स्थापना बोर्ड** (Police Establishment Board: PEB) का गठन करना।
- गंभीर दुराचार के मामलों में पुलिस उपाधीक्षक और प्रवर पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध सार्वजनिक शिकायतों की जांच के लिए राज्य स्तर पर एक **पुलिस शिकायत प्राधिकरण** (Police Complaints Authority: PCA) की स्थापना करना।
- **केंद्रीय पुलिस संगठनों** (CPO) के प्रमुखों के चयन और नियुक्ति के लिए एक पैनल का गठन करने के लिए केंद्र स्तर पर एक **राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग** (National Security Commission: NSC) की स्थापना करना।

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के कार्यान्वयन की स्थिति

- **कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव** (CHRI) के हालिया अध्ययन में निर्दिष्ट किया गया है कि **उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों** के एक दशक से अधिक समय के पश्चात् भी केंद्र और सभी राज्यों द्वारा **अभी भी इनका अनुपालन नहीं किया जा रहा।**
- **वर्ष 2006** के बाद से केवल 18 राज्यों ने **नए पुलिस अधिनियम** पारित किए हैं, जबकि अन्य राज्यों द्वारा सरकारी अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। हालांकि, **किसी भी राज्य** ने न्यायालय की योजना के अनुसार निर्देशों को पूर्णतः शामिल नहीं किया है।
- उदाहरण के लिए:
    - **SSC के गठन संबंधी निर्देश के अनुपालन में,** 29 में से 27 राज्यों ने SSC का गठन किया है, परन्तु इन राज्यों ने भी निर्देशों के तहत निर्धारित विभिन्न शर्तों का पालन नहीं किया है।

VISION IAS

- 23 राज्यों द्वारा **DGP की नियुक्ति** संबंधी दिशा-निर्देशों की अवहेलना की गई है।
- 10 से अधिक राज्यों ने अभी तक **जांच और कानून एवं व्यवस्था को पृथक** नहीं किया है।
- **किसी भी राज्य ने** निर्देशों के अनुसार **पुलिस शिकायत प्राधिकरण** का गठन **नहीं** किया।

निष्कर्ष

पुलिस बलों को निम्न स्तरीय प्रदर्शन या प्रदत्त शक्तियों के दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता रहा है, जबकि **पेशेवर रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने हेतु उन्हें परिचालन संबंधी स्वतंत्रता** की भी आवश्यकता होती है। यह उचित समय है, जिसमें पुलिस को राजनीतिक कार्यकारिणी के नियंत्रण से मुक्त कराया जाए और इसे **'रुलर्स पुलिस' से 'पीपुल्स पुलिस'** में परिवर्तित किया जाए।

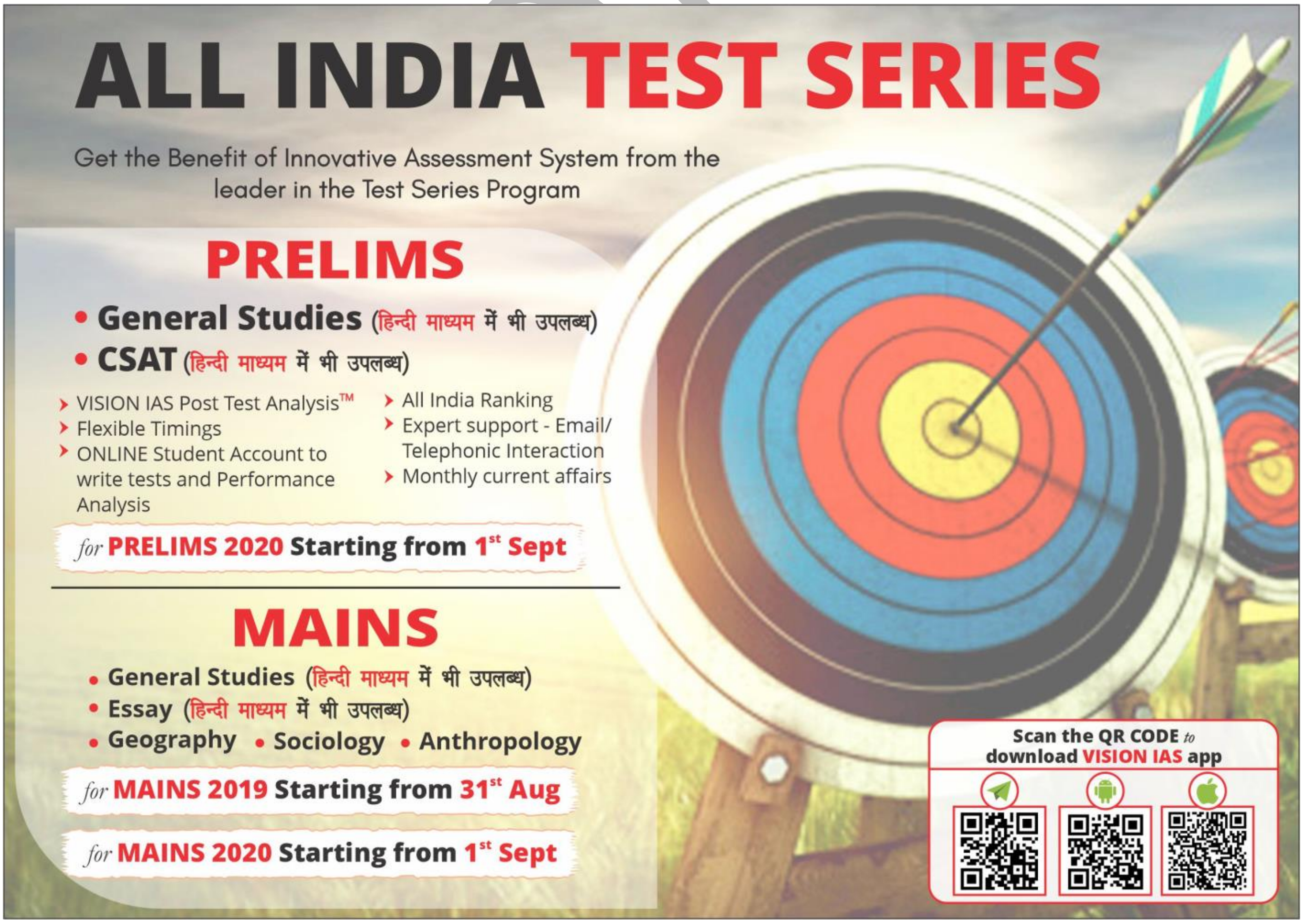

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. जल शक्ति अभियान

(Jal Shakti Abhiyan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा **जल शक्ति अभियान** का शुभारंभ किया गया है। यह जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा से संबंधित एक अभियान है।

भारत में जल की स्थिति से संबंधित कुछ तथ्य:

- **नीति आयोग** की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 600 मिलियन भारतीय "अत्यधिक से अत्यंत गंभीर जल-संकट" (high to extreme water stress) की समस्या का सामना कर रहे हैं और 75% घरों के परिसर में पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- भारत में जल की वार्षिक प्रति व्यक्ति उपलब्धता वर्ष 2001 के 1,820 क्यूबिक मीटर से घटकर वर्ष 2011 में 1,545 क्यूबिक मीटर रह गई। इसके वर्ष 2025 तक 1,341 क्यूबिक मीटर रह जाने की आशंका है।
    - यह स्थिति देश में जल की बढ़ती मांग के विपरीत है, जिसके 2030 तक दोगुना होने की संभावना है।
- कुछ रिपोर्टों के माध्यम से यह भी ज्ञात हुआ है कि नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद सहित 21 शहरों में वर्ष 2020 तक भूजल समाप्त हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 100 मिलियन लोग प्रभावित होंगे।
- भारत सर्वाधिक मात्रा में जल का उपयोग करता है।
    - भारत, भूजल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक (जल गहन उत्पादों के निर्यात के संदर्भ में) भी है।
- लगभग 70% पेयजल संदूषित हो चुके हैं।

पृष्ठभूमि

- भारत में बढ़ते जल-संकट को ध्यान में रखते हुए, सरकार का लक्ष्य जल संरक्षण एवं भविष्य को सुरक्षित करने हेतु स्वच्छ भारत मिशन के समान एक **जन-आंदोलन** की शुरुआत करना है।
    - सरकार का लक्ष्य प्रत्येक परिवार को प्राथमिकता और संधारणीय तरीके से पेयजल उपलब्ध कराना है।
- नागरिक भागीदारी के माध्यम से **जल शक्ति अभियान** को दो चरणों में प्रारम्भ किया जाएगा:
    - **चरण I :** 1 जुलाई से 15 सितंबर 2019 तक (सभी राज्यो में); और
    - **चरण II :** 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2019 तक (मानसून निवर्तन वाले राज्यों में)।
- अभियान का मुख्य फोकस **जल-संकट वाले जिलों और ब्लॉकों** (चित्र में प्रदर्शित विभिन्न गतिविधियों सहित) पर होगा जैसा कि आंकड़े प्रदर्शित करते हैं।
- इस अभियान के तहत प्राप्त करने योग्य **कोई अतिरिक्त वित्तपोषण या विशिष्ट लक्ष्य** नहीं होंगे।

जल शक्ति अभियान के तहत क्रियान्वयन की योजना

- पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा समन्वय के साथ यह भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों का एक सामूहिक प्रयास होगा।
- महत्वपूर्ण जल संरक्षण गतिविधियों को सुनिश्चित करने हेतु, केंद्र सरकार के अधिकारियों की टीमों द्वारा 256 जिलों के जल संकट वाले ब्लॉकों का दौरा किया जाएगा और जिला प्रशासन के साथ मिलकर कार्य किया जाएगा।
    - केंद्र ने केंद्रीय नोडल अधिकारियों/केंद्रीय प्रभारी के रूप में प्रतिनियुक्त सभी अधिकारियों के लिए एक **18-सूत्री क्रियान्वयन सूची (टू-डू लिस्ट)** जारी की है।
    - 'बाधा रहित वार्ता' हेतु सभी केंद्रीय और जिला टीमों को सम्मिलित करते हुए तुरंत एक **व्हाट्सएप ग्रुप** बनाया जाना है।
- सिंचाई और बेहतर फसल विकल्पों के लिए जल के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने हेतु **ब्लॉक और जिला जल संरक्षण योजनाओं** व '**कृषि विज्ञान केंद्र मेलों**' को विकसित करने जैसी पहलों के माध्यम से जल संरक्षण प्रयासों को पूरकता प्रदान की जाएगी।
- जल शक्ति अभियान (JSA) के साथ विभिन्न समूहों, जैसे- स्कूली छात्रों, स्वच्छाग्रहियों, स्वयं सहायता समूहों, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और अन्य लोगों सहित व्यापक जन भागीदारी के साथ **वृहत पैमाने पर संचार अभियान** का संचालन किया जाएगा।
- शहरी क्षेत्रों में, औद्योगिक और कृषि उद्देश्यों के लिए अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग हेतु समयबद्ध लक्ष्यों के साथ योजनाओं का विकास किया जाएगा।

VISION IAS

○ ब्लॉक या शहर में भूजल पुनर्भरण हेतु कम से कम एक शहरी जल निकाय के लिए योजनाएं विकसित की जाएंगी।

- राष्ट्रीय स्तर पर टीमों की सहायता करने हेतु वैज्ञानिकों एवं IITs का भी सहयोग प्राप्त किया जाएगा।

- **3D विलेज कंटूर मानचित्र** तैयार किया जा सकता है तथा हस्तक्षेपों से संबंधित कुशल योजना के लिए इसे सुलभ बनाया जा सकता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के साथ अभिसरण

- ग्रामीण क्षेत्र में जुलाई और सितंबर के मध्य इस अभियान के प्रथम चरण में 15,000 करोड़ रुपये की लागत सहित मनरेगा (MGNREGA) के तहत जल शक्ति अभियान (JSA) का संचालन किया जाएगा।
- लगभग 1,100 जल संकट वाले जिलों में जल संरक्षण हेतु किए जाने वाले 2,00,000 से अधिक कार्यों की एक विस्तृत योजना तैयार की गई है।
    - ○ मनरेगा (MGNREGA) के तहत, यह नियम अधिदेशित है कि इसका 60 प्रतिशत व्यय **राष्ट्रीय संसाधन प्रबंधन** पर किया जाएगा और इसी के अनुसार इसमें जल संरक्षण हेतु खेतों में तालाबों का निर्माण, वर्षा जल संचयन, जल का पुनरुपयोग, जलसंभर विकास और गहन वनीकरण का लक्ष्य भी रखा गया है।
    - ○ इंजीनियरों की एक टीम द्वारा मनरेगा के तहत निर्मित इस प्रकार की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता का अध्ययन करने के लिए गाँवों का दौरा किया जाएगा तथा इसके द्वारा संरचनाओं को तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने हेतु उपाय प्रस्तावित किए जाएंगे।
- सभी जल संकट क्षेत्रों के गांवों द्वारा जल की समस्याओं के समाधान की पहचान करने तथा उसका समाधान खोजने के लिए एक विशेष **पानी पंचायत** का भी आयोजन किया जाएगा।

अभियान की प्रगति

हाल ही में, कैबिनेट सचिव द्वारा JSA की समीक्षा की गई, जिसमें पाया गया कि-

- इस अभियान में 1.54 लाख जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन उपाए, 1.23 लाख जलसंभर विकास परियोजनाओं, 65,000 से अधिक पुनरुपयोग और पुनर्भरण संरचनाओं तथा 20,000 पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण करना शामिल हैं।
- एक अनुमान के अनुसार इसमें 2.64 करोड़ लोगों द्वारा भागीदारी की गई।
- इसके द्वारा भूजल स्तर, सतही जल भंडारण क्षमता, खेतों में मृदा की नमी के साथ-साथ वृक्षावरण में भी वृद्धि हुई है।
- इसके प्रयासों के तहत लगभग 4.25 करोड़ पौधों का रोपण किया गया।

भारत में जल संरक्षण से संबंधित मुद्दे:

- **नागरिकों के मध्य जागरूकता का अभाव:** जिसने जल संरक्षण की आवश्यकताओं पर अत्यधिक ध्यान दिए बिना जल संसाधनों के अत्यधिक दोहन को बढ़ावा दिया है।
- **अक्षम सरकारी नीतियां:** मुख्य रूप से, सरकारें निवासियों पर जल शुल्क को तर्कसंगत बनाने के संबंध में आशंकित रहती हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्यों में जल को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। कृषि के लिए विद्युत के मूल्य निर्धारण को युक्तिकरण बनाने संबंधी संशय विद्यमान है।
- **जल प्रदूषण में वृद्धि:** नदियों, नालों और तालाबों में रसायनों एवं बहिःस्रावों को निर्मुक्त किया जाना, जैसा कि गंगा नदी के मामले में देखा गया है, जिसकी सफाई करने में सरकार को पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं हुई है।
- **अवैज्ञानिक कृषि:** देश के वार्षिक घरेलू जल उपभोग का लगभग 90% कृषि क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। हालांकि, जल गहन फसलों, जैसे- चावल, गेहूं और गन्ने की अत्यधिक कृषि ने जल की कमी को और बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए, भारत के सीमित सिंचाई अवसंरचना के माध्यम से वितरित 70% जल कुछ राज्यों में गन्ने की कृषि में प्रयुक्त होता है। इसके परिणामस्वरूप 2002 से 2016 के मध्य प्रति वर्ष 10-25 मिमी की दर से भूजल का ह्रास हुआ है।
- **जल का पुन: उपयोग न किया जाना:** बढ़ती जनसंख्या के परिणामस्वरूप व्युत्पन्न अपशिष्ट जल के उपचार हेतु **अपशिष्ट जल उपचार सुविधाओं का अभाव**।

जल संरक्षण की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम

- केंद्र सरकार द्वारा जल संबंधी विभिन्न मुद्दों की निगरानी करने हेतु एक **'जल शक्ति मंत्रालय'** नामक समर्पित मंत्रालय का गठन किया गया है।
  - **जल जीवन मिशन** के तहत वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए जल सुनिश्चित करने हेतु यह राज्यों के साथ मिलकर कार्य करेगा।
  - यह **'नल से जल योजना'** की भी निगरानी करेगा जिसका उद्देश्य प्रत्येक घर को पाइप आधारित जलापूर्ति प्रदान करना है।
- नीति (NITI) आयोग द्वारा जारी **समग्र जल सूचकांक (Composite Water Index)** द्वारा राज्यों की जल उपयोग क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है।
- केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (Central Ground Water Authority: CGWA) द्वारा **भूजल निष्कर्षण हेतु संशोधित दिशा-निर्देशों को अधिसूचित किया गया,** जिन्हें 1 जून 2019 से प्रभावी किया गया है।
- राष्ट्रीय स्तर पर जल संसाधन से संबंधित आंकड़ों के संग्रह (repository) हेतु **राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र** की स्थापना की गयी है। इसके द्वारा पब्लिक डोमेन में GIS प्लेटफॉर्म पर वेब-आधारित **भारत-जल संसाधन सूचना प्रणाली (इंडिया-WRIS)** के माध्यम से नवीनतम और विश्वसनीय जल संबंधी आंकड़े प्रदान किए जाते हैं।

सम्बंधित तथ्य

- हाल ही में, मेघालय एक **जल नीति के प्रारूप** को मंजूरी देने वाला प्रथम राज्य बन गया है। मेघालय द्वारा **एकीकृत राज्य जल नीति** तैयार की गयी है, जिसके तहत सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से मेघालय के जल संसाधनों के संधारणीय विकास, प्रबंधन और उपयोग को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है।

जल संरक्षण संबंधी सफल केस स्टडीज

- **समुदाय प्रबंधित जल आपूर्ति कार्यक्रम (गुजरात):** इसका उद्देश्य पिछड़े समुदायों के परिवारों सहित ग्रामीण समुदाय को पारिवारिक स्तर पर नल आधारित जल कनेक्टिविटी के माध्यम से पर्याप्त, नियमित और सुरक्षित जल आपूर्ति करना है।
- **मध्य प्रदेश का 'भागीरथ कृषक अभियान':** इसके परिणामस्वरूप स्थानीय किसानों, सरकारी अधिकारियों और नाबार्ड जैसे वित्तीय संस्थानों के प्रयासों के माध्यम से सिंचाई क्षमता को बढ़ावा देने के लिए खेतों के स्तर पर हजारों तालाबों का निर्माण किया गया है।

उठाए जा सकने वाले कदम

- जमीनी स्तर पर अपनाए गए जल संरक्षण प्रयासों का उपयोग अन्य भागों में भी किया जाना चाहिए, जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र स्थित **डोंग बंध सिस्टम**, जिसके माध्यम से पेयजल एवं सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है।
- व्यवहार में परिवर्तन करने हेतु, स्थानीय सरकारों को प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता है, जैसे **वैज्ञानिक तरीके से फसलों का चयन** करने वाले किसानों को **उच्च कीमत प्रदान करना** तथा कृषि क्षेत्र में जल संरक्षण से संबंधित विधियों को प्रदर्शित करना।
  - सिंचाई के लिए जल और विद्युत की बचत के लिए सरकार किसानों को मौद्रिक प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकती है।

VISION IAS

- सरकारों को बड़े किसानों (जो भुगतान करने में सक्षम हैं) के विद्युत उपभोग पर **व्यावसायिक दरों के आधार पर शुल्क आरोपित** करने की आवश्यकता है। चूँकि इन किसानों द्वारा जितनी अधिक विद्युत का उपभोग किया जाएगा, उन्हें उतना ही अधिक शुल्क का भुगतान करना होगा, अत: इसका उद्देश्य जल संरक्षण करना है।
- इजरायल और सिंगापुर के समान अन्य देशों को भी जल उपचार और पुनरुपयोग अभ्यासों को अपनाया जाना चाहिए।
    - इज़राइल द्वारा अपने 90% सीवेज से प्राप्त जल को शोधित जल में परिवर्तित किया जाता है, जिसे सिंचाई में प्रयोग हेतु स्थानांतरित कर दिया जाता है।
- ग्रामीण-स्तर पर लोगों को जल संरक्षण के महत्व, उनके समक्ष प्रभावी तरीकों एवं तकनीकों का प्रदर्शन तथा वे किस प्रकार इस पहल (जल संरक्षण) को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं इत्यादि के संबंध में शिक्षित करने की आवश्यकता है।
- नगरपालिकाओं द्वारा किए जा रहे ख़राब जल प्रबंधन की समस्या के समाधान हेतु सरकार अवसंरचना के रखरखाव और अनुरक्षण का कार्य निजी भागीदारों को आउटसोर्स कर सकती है, जिनके शुल्क का भुगतान सेवा मानकों और उपभोक्ता रैंकिंग के आधार पर किया जाएगा।
- व्यक्तिगत सीमा की तुलना में अधिक जल का उपयोग करने वाले परिवारों को अतिरिक्त जल के उपयोग हेतु कम से कम चार गुना अधिक भुगतान आरोपित किया जाना चाहिए। ऐसे परिवार जो आवंटित मात्रा से कम जल का उपयोग करते हैं, उन्हें अपने अप्रयुक्त जल को पुन: नगरपालिका को बेचने संबंधी अधिकारों की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए या ऐसे अवसरों (जिसमें छुट्टियों के दौरान मेहमानों के आने से लेकर विशेष अवसर या आपात स्थिति सम्मिलित हैं) के लिए इसे बचाकर रखा जाना चाहिए जब उन्हें इस अतिरिक्त जल की आवश्यकता हो सकती है।
- सरकार द्वारा बड़े आवासीय ब्लॉकों, स्कूलों, अस्पतालों, होटलों और वाणिज्यिक परिसरों पर **ग्रीन टैक्स** के आरोपण को प्रस्तावित किया जा सकता है, जिनके द्वारा बगीचों, शौचालयों एवं अन्य सुविधाओं (जिनमें गैर-पीने योग्य जल की आवश्यकता होती है) के उपयोग हेतु नवाचारी उपायों या अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण के माध्यम से इसके उपयोग में कमी की जा रही है।

5.2. बाढ़

(Flood)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों के विभिन्न हिस्से बाढ़ से प्रभावित हुए थे।

इन राज्यों में हालिया बाढ़ के कारण

- **जलवायु परिवर्तन:** इसके कारण औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि ने लंबे समय तक वर्षा न होने और फिर अकस्मात अत्यधिक वर्षा होने जैसी चिंताजनक प्रवृत्ति को उत्पन्न किया है। देश में 3,290 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ के प्रति प्रवण हैं।
    - **निरंतर वर्षा:** इन सभी क्षेत्रों में निरंतर वर्षा का होना।
    - **नदियों में अत्यधिक जल प्रवाह:** उदाहरण के लिए केरल की पेरियार, मणिमाला, मुवत्तुपुझा, चालियार और पम्बा नदियों में जल का प्रवाह अत्यधिक हो गया था।
- **गहन अवदाब (Deep Depression):** सामान्यतया इनका निर्माण बंगाल की खाड़ी में होता है। ये ओडिशा के तट को पार करते हैं और इनके परिणामस्वरूप अत्यधिक वर्षा होती है।
- **पश्चजलीय बाढ़ (Backwater flooding):** इसके कारण कर्नाटक में कृष्णा नदी का जल स्तर सामान्य से 4 से 5 फीट अधिक हो जाता है।
- **बांधों का कुप्रबंधन:** अत्यधिक वर्षा के कारण बांध से जल को तुरंत छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वर्षा आरंभ होने से पूर्व बांध के जलाशयों को खाली नहीं किया जाता। इसके परिणामस्वरूप आस-पास के क्षेत्रों में अपेक्षा से अधिक तीव्र बाढ़ आ गई।
- **नदी बेसिन का अतिक्रमण:** कई बस्तियां जल निकायों एवं लगभग नदी तटों के सन्निकट अवस्थित हैं।
- **समन्वय का अभाव:** उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र और कर्नाटक ने दोनों राज्यों की सीमाओं के पार प्रवाहित होने वाले बाढ़ के जल पर प्रबंधन शुल्क अधिरोपित किया है।

बाढ़ के प्रबंधन पर राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA) के दिशा-निर्देश

- बाढ़ प्रबंधन योजनाओं (Flood Management Plans:FMPs) का क्रियान्वयन कर पूर्व-तैयारियों पर ध्यान केन्द्रित करना।
- विभिन्न संरचनाओं की प्रभावशीलता एवं संधारणीयता की नियमित निगरानी सुनिश्चित करना तथा उनके नवीनीकरण और सुदृढ़ता के लिए उचित उपाय करना।
- बाढ़ के पूर्वानुमान, प्रारंभिक चेतावनी और निर्णय-समर्थन प्रणाली का निरंतर आधुनिकीकरण।
- बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में नई संरचनाओं के डिजाइन और निर्माण में बाढ़ प्रतिरोधी सुविधाओं के समावेशन को सुनिश्चित करना।
- बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में रणनीतिक और सार्वजनिक उपयोगिता वाली संरचनाओं की फ्लड प्रूफिंग के लिए समयबद्ध योजनाएं तैयार करना।
- बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में सभी हितधारकों की जागरूकता एवं पूर्व-तैयारियों में सुधार करना।

- प्रभावी बाढ़ प्रबंधन (शिक्षा, प्रशिक्षण, क्षमता-निर्माण, अनुसंधान एवं विकास, और प्रलेखीकरण सहित) के लिए उपयुक्त क्षमता विकास समाधान प्रस्तुत करना।
- यथोचित उपायों के माध्यम से अनुपालन व्यवस्था में सुधार करना।

बाढ़ का प्रभाव

- **मानव और मवेशियों के जीवन की हानि:** उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के सांगली में 12 लोगों की मृत्यु हो गई।
- भारी वर्षा के कारण **भूसर्पण (Landslips) / भू-स्खलन (Landfalls)** की घटनाओं में वृद्धि हो जाती है, जिससे जीवन और संपत्ति की अत्यधिक हानि होती है।
- **विस्थापन और अन्य हानियां:**
  - फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचता है।
  - इन राज्यों के अधिकांश भाग जलमग्न हो जाते हैं।
  - स्कूल, अस्पताल बंद हो जाते हैं।
  - बिजली और टेलीफोन लाइनें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं।
  - सड़क मार्ग और ट्रेन सेवाएं बाधित हो जाती है। इसके कारण कोच्चि एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा था।
- **मृदा की उर्वरता में कमी:** बाढ़ के कारण सतही मृदा को अत्यधिक क्षति पहुँचती है, जिससे इसकी प्राकृतिक स्थिति की पुनर्बहाली में अत्यधिक समय लगता है।
- **आपदा पश्चात् के प्रभाव:** जैसे स्वच्छता की कमी के कारण उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, पोस्ट ट्रॉमाटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) आदि।

बांध सुरक्षा विधेयक, 2019

- यह विधेयक देश के सभी निर्दिष्ट बांधों पर लागू होता है।
- **राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण** की अध्यक्षता एक ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी, जो अतिरिक्त सचिव के स्तर का हो। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।
- राज्य बांध सुरक्षा समितियों का गठन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा।
- **निर्दिष्ट बांधों के मालिकों** को प्रत्येक बांध के लिए एक बांध सुरक्षा इकाई उपलब्ध करने की आवश्यकता होती है।
- विधेयक में इसके प्रावधानों के उल्लंघन के विरुद्ध **अपराध और दंड** का भी प्रावधान किया गया है।

विभिन्न सरकारों द्वारा उठाए गए कदम

- **सुरक्षा बलों एवं सहायता कार्मिकों की तैनाती:** राज्य आपातकालीन सेवाओं के अतिरिक्त NDRF (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल), SDRF, सेना एवं नौसेना बलों की तैनाती।
- **ड्राफ्ट रिवर रेगुलेशन जोन रूल्स:** इन्हें स्वतंत्र विशेषज्ञों की सहायता से तैयार किया गया है तथा इन्हें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा सक्रिय बाढ़ के मैदानों के सीमांकन, उच्च बाढ़ स्तर और उच्च से निम्न प्रभाव वाले क्षेत्रों के लिए परिचालित किया गया था और इनके निर्धारण के पश्चात् इन क्षेत्रों में विकास संबंधी गतिविधियों को सीमित किया गया था।
- **तटीय विनियमन क्षेत्र के नियमों को लागू करना।**

आगे की राह

- आपदा के शमन हेतु क्षमता निर्माण के उद्देश्य से **अल्पकालिक निवारक उपायों** को अपनाया जा सकता है:
  - **संरचनात्मक उपाय**
    - तटबंधों, बाढ़ रोकने हेतु अवरोधों (floodwalls), बाढ़ तटबंधों आदि का निर्माण करना।
    - प्राकृतिक अवरोध बेसिनों का निर्माण।
    - ड्रेजिंग (तलकर्षण) और चैनलों को गहरा करने संबंधी अन्य उपायों के माध्यम से नदी चैनल की गहराई में सुधार करना।
    - स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से बाढ़ के जल की दिशा परिवर्तित करना।
    - जलग्रहण क्षेत्र में वनीकरण, विशेष रूप से नदी के अपस्ट्रीम वाले भाग में, जो मृदा अपरदन और भूस्खलन के प्रति अधिक प्रवण हैं।
  - **गैर-संरचनात्मक उपाय**
    - **बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली:** कैग की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 60% टेलीमेट्री स्टेशन गैर-परिचालन अवस्था में हैं। केंद्रीय जल आयोग (CWC) को विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में सेंसर आधारित उपकरणों, उपग्रह निगरानी आदि का उपयोग करके इसे आधुनिक बनाना चाहिए।

VISION IAS

- **फ्लड हैजर्ड जोनिंग:** यह बाढ़ के खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान करने और बाढ़ नियंत्रण प्रक्रिया को प्राथमिकता देने में सहायता करेगा। NDRF और CWC द्वारा किए गए अध्ययन के अनुभव को आंकड़ों में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- जलाशयों का विनियमन।
- बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विकास गतिविधियों का रणनीतिक पर्यावरण मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जैसा कि कई देशों द्वारा अपनाया गया है।
- ब्रह्मपुत्र बोर्ड और बाढ़ नियंत्रण विभागों जैसे नियोजन प्राधिकरणों में विभिन्न विषयों के वैज्ञानिकों की नियुक्ति करके इन्हें सशक्त बनाया जाना चाहिए।

- **निम्नलिखित उपाय के माध्यम से सुनम्यता (resilience) का निर्माण करना**
  - जोखिम-रहित स्वास्थ्य अवसंरचना तथा शुष्क खाद्य वस्तुएं और दवाओं के भंडार का निर्माण करना।
  - उत्तरी बिहार और उत्तर-पूर्व के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में, ऊँचे शौचालयों, इको-सैनिटेशन यूनिट, लोहे के फिल्टर युक्त ऊँचे डगवेल्स या ट्यूबवेलों के माध्यम से स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करना।
  - राज्यों के साथ मिलकर आपदा राहत कोष का कुशलता पूर्वक उपयोग करना चाहिए। केंद्र द्वारा उन्हें राहत पहुँचाने के दौरान नए दावे करते समय अप्रयुक्त भाग को उपयोग करने हेतु निर्देश दिया जा सकता है।
  - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP) को लागू करने के लिए जमीनी स्तर पर समन्वय और पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। NDMP आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं को शामिल करता है।
- **आपदा के पश्चात् त्वरित राहत एवं पुनर्वास कार्य, जैसे-**
  - जमीनी स्तर पर कार्रवाई करना: अल्पकालिक आवास, भोजन, सुरक्षित जल।
  - मानसिक स्तर पर आपदा से निपटने हेतु स्वास्थ्य देखभाल और परामर्श सेवाओं तक पहुंच।
  - विकासात्मक गतिविधियों तक पहुँच बढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में नौकाएं उपलब्ध कराना।

5.2.1. शहरी बाढ़

(Urban Flooding)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मूसलाधार वर्षा के कारण मुंबई में जन-जीवन अत्यधिक प्रभावित हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप भारत में शहरी बाढ़ पर चर्चा पुनः तेज हो गई है।

पृष्ठभूमि

- शहरी बाढ़ की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब लंबी अवधि तक तीव्र वर्षा होती है, जिसके कारण अपवाह प्रणाली की क्षमता पर अत्यधिक दबाव उत्पन्न हो जाता है।
  - यह ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाली बाढ़ से काफी भिन्न होती है, क्योंकि शहरीकरण ने जलग्रहण क्षेत्र (कैचमेंट एरिया) में विकास गतिविधियों में वृद्धि की है। इसके कारण बाढ़ की चरम सीमा (flood peaks) में 1.8 से 8 गुना तथा बाढ़ की मात्रा में 6 गुना तक वृद्धि हुई है। परिणामतः, तीव्र प्रवाह समय के कारण बाढ़ की घटनाएं बहुत तेजी (कभी-कभी कुछ ही मिनटों में) से घटित हो जाती हैं।
- हाल के वर्षों में भारत में शहरी बाढ़ संबंधी आपदाओं में वृद्धि हुई है जिससे मुंबई, चेन्नई जैसे प्रमुख शहर बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।
- वैश्विक जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप मौसम प्रतिरूपों में परिवर्तन हुआ है और अल्पावधि में होने वाली उच्च तीव्रता वाली वर्षा की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इसे शहरी बाढ़ की बढ़ती आवृत्ति के पीछे प्रमुख कारण माना गया है।

शहरी बाढ़ पर NDMA के दिशा-निर्देश

- शहरी बाढ़ की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी शहरी केंद्रों में प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करने हेतु एक राष्ट्रीय जल-मौसम विज्ञान नेटवर्क (National Hydro-meteorological Network) का निर्माण करना।
- देश में सभी शहरी क्षेत्रों को कवर करने के लिए डॉप्लर मौसम रडार का उपयोग करना।
- मौजूदा स्टॉर्म जल निकासी प्रणाली से संबंधित एक सूची तैयार की जानी चाहिए। यह सूची वाटरशेड और वॉर्ड दोनों पर आधारित होगी।
- सभी शहरी स्थानीय निकायों (ULB) में स्टॉर्म जल निकासी प्रणाली की योजना और डिजाइन करने का आधार जलग्रहण (कैटचमेंट) क्षेत्र होना चाहिए।
- शहरी क्षेत्र के प्रत्येक भवन में भवन उपयोगिता (बिल्डिंग यूटिलिटी) के एक अभिन्न अंग के रूप में वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) की सुविधा होनी चाहिए।
- शहरों के निम्न भू-क्षेत्रों को पार्कों एवं अन्य निम्न प्रभाव वाली मानवीय गतिविधियों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए।

VISION IAS

- जल निकासी प्रणालियों का अतिक्रमण करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।
- सभी प्रमुख जल निकासी प्रणालियों की मानसून पूर्व डिसील्टिंग (गाद निकालने की क्रिया) करने की प्रक्रिया को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक पूर्ण किया जाना चाहिए।
- शहरी बाढ़ को नदी बाढ़ (जो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित करती है) से पृथक करते हुए, इससे एक भिन्न आपदा के रूप में निपटा जाना चाहिए।
- स्टॉर्म सीवर में प्रवाहित होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा को कम करने के लिए जल निकासी प्रणाली के अंदर जाली (ट्रैप्स), ट्रैश रैक जैसी उपयुक्त व्यवस्था की जा सकती हैं।
- सड़क किनारे निर्मित नालियों में जल के प्रवाह को सुनिश्चित करने हेतु सड़कों पर इन्लेट्स की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा इन्हें वर्तमान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के आधार पर डिजाइन किया जाना चाहिए।
- सार्वजनिक पार्कों के नियोजन के तहत **रेन गार्डन** की संकल्पना को सम्मिलित करना और वृहत कॉलोनियों और अन्य स्थलों (जिन्हें विकसित किया जाना है) पर स्व-स्थाने स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट को शामिल करना।
- वर्षा की तीव्रता और अवधि तथा बदलते भूमि उपयोग के अनुमानित भावी परिदृश्यों के आधार पर **बाढ़ के खतरों का आकलन** किया जाना चाहिए।

शहरी बाढ़ के लिए उत्तरदायी कारण

- **पर्यावरणीय कारक**
  - अत्यधिक एवं अप्रत्याशित वर्षा, उदाहरण के लिए, श्रीनगर की बाढ़।
  - जल संभरण क्षेत्र (वाटरशेड) के विभिन्न भागों से अपवाहित जल का एक स्थान पर एकत्रीकरण (सिंक्रनाइज़ेशन)।
  - हिमनद झीलों का टूटना, उदाहरण के लिए, उत्तराखंड में चोराबाड़ी हिमनद।
  - छोटे स्तर के झंझावात (स्टॉर्म)।
- **मानवजनित कारक**
  - **निम्नस्तरीय शहरी नियोजन:** क्षेत्रीकरण (zoning) को अधिनियमित करने संबंधी राज्यों की अनिच्छा ने बाढ़ के मैदानों में अतिक्रमण को बढ़ावा दिया है तथा कभी-कभी इन्हें नियोजन प्राधिकरणों द्वारा अधिकृत और विधिवत अनुमोदित कर दिया जाता है।
    - **बाढ़ के मैदानों का अतिक्रमण:** उदाहरणार्थ, मुंबई के अधिकांश बाह्य नगरीय क्षेत्र (exurban) का विकास उल्हास नदी के फ्लड-प्लेंस में टाउनशिप के रूप में हुआ है। इस क्रम में उल्हास नदी प्रणाली पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया गया है।
    - महाराष्ट्र द्वारा 2015 में अपनी नदी क्षेत्र विनियमन नीति (रिवर रेगुलेशन जोन पॉलिसी) को समाप्त कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि अब इस निर्णय का उल्हास नदी के आसपास निवास करने वाले लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, नवी मुंबई की निम्न भूमि क्षेत्र पर एक नए विमानपत्तन के निर्माण का निर्णय लिया गया है।
    - धार्मिक उत्सवों का सक्षम रूप से प्रबंधन न किया जाना, उदाहरणार्थ, नासिक का कुंभ मेला। इससे नदियों में लोगों का अत्यधिक संकेंद्रण हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप नदी प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो जाता है।
    - शहरीकरण के कारण बढ़ता कंक्रीटीकरण (जो जल प्रवाह में वृद्धि करता है)।
  - **वनोन्मूलन:** मार्च 2015 में मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) के लिए तैयार किए गए एक अध्ययन में यह उल्लेख किया गया है कि मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) का कुल वनाच्छादित क्षेत्र वर्ष 1987 के एक तिहाई से घटकर वर्ष 2015 में लगभग 21% तक हो गया था।
  - **शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव (Urban Heat Island Effect):** जिसके कारण शहरी क्षेत्रों और इसके आसपास के क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा में वृद्धि हुई है।
  - **ठोस अपशिष्टों का अपर्याप्त प्रबंधन** तथा स्रोत पर इसका पृथक्करण न किया जाना, जिसके कारण नालियां अवरुद्ध हो जाती हैं।
  - **बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं का मंद क्रियान्वयन**, जैसे- नर्मदा नदी परियोजना, जिसका कार्य पूर्ण होने में 56 वर्षों का समय लगा।

आगे की राह

- बाढ़ शमन अवसंरचना के नियोजन और निर्णयन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाकर संधारणीय शहरी नियोजन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाना, उदाहरण के लिए, वित्तपोषण प्राप्त करने हेतु MMRDA का वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग (VCF)। महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपने शहरों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए स्थानीय और वैश्विक विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।
- अतिक्रमण विरोधी विधियों को सुदृढ़ करना।
- संधारणीय स्लम प्रबंधन।
- इज़राइल और सिंगापुर मॉडल का अनुसरण करते हुए तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2016 के अनुरूप कुशल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सीवरेज लाइनों की व्यवस्था करना।

- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना (JNNURM) के दृष्टिकोण के अनुरूप **बाढ़-जल निकासी नेटवर्क**।
- **शहरी नियोजन:** इसमें निम्नलिखित शामिल हैं-
    - स्टॉर्म ड्रेन (storm drains) का निर्माण और अन्य जल निकासी प्रणाली को बनाए रखना।
    - बांधों और जलाशयों से होने वाले प्रवाह को नियंत्रित करने हेतु **राज्य सरकारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले प्रोटोकॉल की समीक्षा करना।** उदाहरण के लिए, इस वर्ष राजस्थान में या वर्ष 2015 में चेन्नई में जल की वृद्धि का कारण, बांध को जल के अत्यधिक दबाव को कम करने हेतु खोला जाना था।
    - **अंतरराज्यीय सहयोग या वार्ता:** उदाहरणार्थ, अरुणाचल प्रदेश के अपस्ट्रीम क्षेत्रों में स्थित बाँधों को खोलने से जल के प्रवाह में वृद्धि हो जाती है, जो विगत सात वर्षों से असम के लिए समस्या का कारण बना हुआ है।
    - जल के प्राकृतिक प्रवाह को सुनिश्चित करने हेतु नदी बेसिन और प्राकृतिक झीलों पर **अतिक्रमण को प्रतिबंधित करना।**

5.3. पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान

(Payment for Ecosystem Services)

सुर्ख़ियों में क्यों?

देश के पहले **पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान (Payment for Ecosystem Services: PES) समझौते** के परिणाम भारत में दिखाई देने लगे हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- हिमाचल प्रदेश की ग्राम वन विकास समिति (Village Forest Development Society: VFDS) और पालमपुर म्युनिसिपल काउंसिल (PMC) के मध्य पहले PES समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते को अक्टूबर 2010 में ही औपचारिक स्वरूप प्रदान किया गया था। यह जल की सतत आपूर्ति और जलग्रहण क्षेत्र के संरक्षण हेतु एक ग्रामीण-शहरी अनुबंध मॉडल (rural-urban engagment model) है।
- उल्लेखनीय है कि, देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अपनी आजीविका के लिए जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रकों (यथा-कृषि और वानिकी) पर निर्भर है। ऐसे में जल की उपलब्धता पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव खाद्य सुरक्षा पर संकट के साथ-साथ ग्रामीण परिवारों की आजीविका को बनाए रखने वाली प्रजातियों सहित प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिए भी ख़तरे का कारण बन सकता है।
- पालमपुर का यह PES मॉडल वस्तुतः जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का मुकाबला करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। देश के विभिन्न भागों में अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए भी इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

PES समझौता

- इसमें **निर्दिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के प्रावधान** के प्रतिफल में भूमि या अन्य प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधकों का भुगतान (जो अन्यथा भुगतान के अभाव में प्रदान किया जाएगा) शामिल है।
    - **पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं (Ecosystem services)** वस्तुतः वे लाभ हैं, जिन्हें हम प्राकृतिक पर्यावरण से प्राप्त करते हैं, जैसे- भोजन, जल, टिम्बर (इमारती लकड़ी) और फाइबर (रेशे); मृदा निर्माण और पोषण चक्र जैसे कार्य भी इसमें अंतर्निहित होते हैं।
- विभिन्न हितधारक, स्वैच्छिक आधार पर PES समझौतों में शामिल होते हैं और ऐसा करने के लिए वे किसी भी तरह से बाध्य नहीं होते हैं।
- इस प्रकार, PES जलवायु विनियमन, जल गुणवत्ता विनियमन व वन्यजीवों के लिए आवास के प्रावधान जैसे **पहले से कीमत रहित (un-priced) पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर मूल्य आरोपित करने का अवसर प्रदान करता है** और ऐसा कर, यह उन्हें व्यापक अर्थव्यवस्था में शामिल करता है।
- PES की यह विलक्षणता वस्तुतः 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' (polluter pays principle) के विपरीत 'लाभार्थी भुगतान सिद्धांत' (beneficiary pays principle) पर केंद्रित होने से उत्पन्न होती है।

 ©Vision IAS

- यदि वांछित सेवा को प्राप्त करने हेतु किया जाने वाला भुगतान किसी अन्य वैकल्पिक साधन से कम है, तो खरीदार के दृष्टिकोण से PES सकारात्मक हो सकता है। उदाहरण के लिए, अतिरिक्त जल उपचार के लिए भुगतान करने की तुलना में बेहतर जलग्रहण प्रबंधन के लिए भूमि प्रबंधकों को भुगतान करना, जल की उपयोगिता के लिए यह कम महंगा हो सकता है।
- PES योजनाएं विक्रेता के दृष्टिकोण से सकारात्मक हो सकती हैं, यदि प्राप्त भुगतानों का स्तर सहमत हस्तक्षेपों को लागू करने के परिणामस्वरूप कवर न किए गए किसी भी रिटर्न के मूल्य को कवर करता है। उदाहरण के लिए, एक किसान संवर्धित जल भंडारण हेतु तालाब का निर्माण कराने हेतु तैयार हो सकता है, यदि उसे प्राप्त भुगतान में कम से कम ऐसा करने की लागत के साथ बर्बाद हुए कृषि उत्पादन से जुड़ी लागत भी शामिल हो।

5.4. ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट - 2018

(All India Tiger Estimate-2018)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **स्टेटस ऑफ़ टाइगर्स, को-प्रेडेटर्स, प्रे एंड देयर हैबिटेट, 2018'** (Status of Tigers, Co-predators, Prey and their Habitat, 2018) नामक एक रिपोर्ट से यह परिलक्षित हुआ है कि भारत में बाघों की आबादी वर्ष 2014 की 2,676 से बढ़कर **वर्ष 2018 में 2967** हो गई है। बाघ गणना से संबंधित यह रिपोर्ट प्रत्येक चार वर्षों में जारी की जाती है।

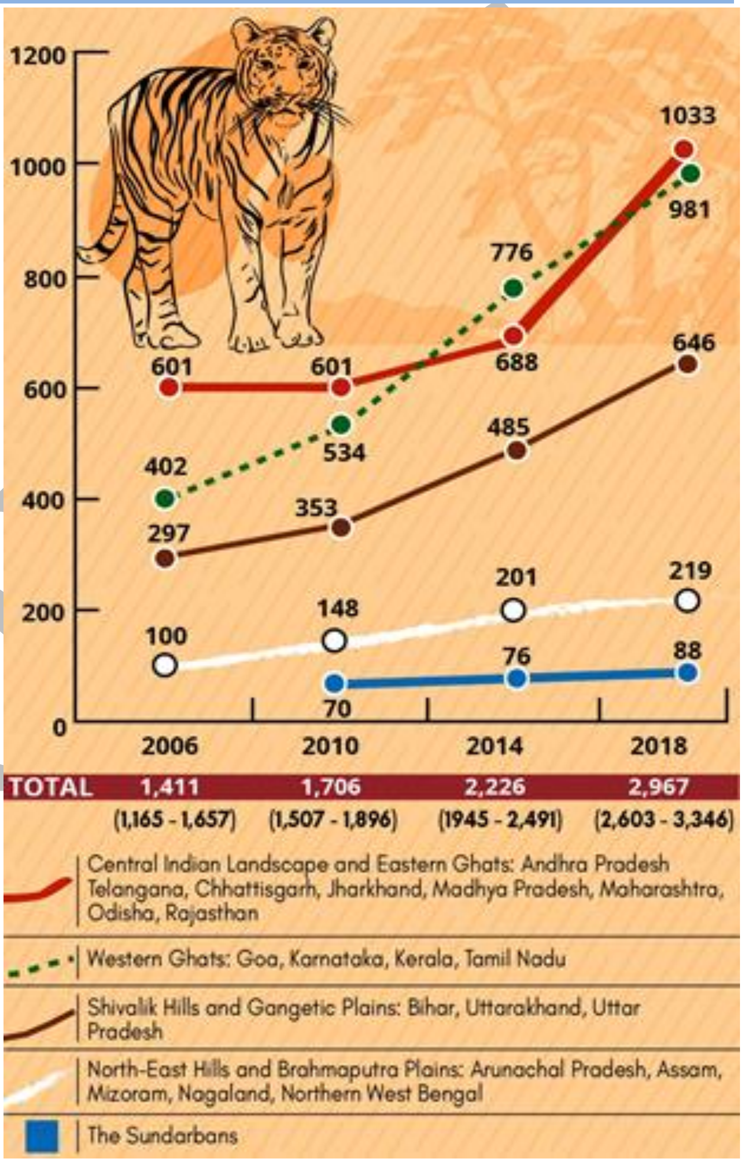

ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट-2018 के निष्कर्ष:

- **बाघों की आबादी में अत्यधिक वृद्धि:** सर्वाधिक वृद्धि **मध्य प्रदेश** में हुई है जहां इनकी आबादी वर्ष 2014 की 308 से बढ़कर 2018 में 526 हो गई है। इसी अवधि में कर्नाटक में इनकी आबादी 406 से बढ़कर 524, उत्तराखंड में 340 से बढ़कर 442 और महाराष्ट्र में 190 से बढ़कर 312 हो गई है।
- **बाघों के पर्यावासों में निरंतर गिरावट:** विगत चार वर्षों में बाघों के पर्यावासों में लगभग 17,881 वर्ग किलोमीटर की कुल क्षति हुई है, अर्थात् बाघों के पर्यावास में लगभग 20% की क्षति हुई है। हालांकि, वर्तमान में बाघों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। गैर-संरक्षित क्षेत्रों में यह वृद्धि सर्वाधिक हैं।
    - बाघों के नए पर्यावास क्षेत्र में 25,709 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।
    - भारत के पांच बाघ क्षेत्रों (tiger landscapes) में से तीन में इनके पर्यावास में अत्यधिक कमी हुई है: शिवालिक, पश्चिमी घाट तथा उत्तर-पूर्व में क्रमशः 469 वर्ग किमी, 527 वर्ग किमी और 6,589 वर्ग किमी की क्षति हुई है; जबकि मध्य भारत और सुंदरवन के अधीन इनके पर्यावास में क्रमशः 7,532 वर्ग किमी और 479 वर्ग किमी की वृद्धि दर्ज की गई है।
- **3 बाघ अभयारण्यों में बाघों की समाप्ति:** देश में बाघों की आबादी में 33% की वृद्धि के विपरीत, रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ है कि तीन अभयारण्यों में बाघों का संभावित उन्मूलन दर्ज किया गया है। **बक्सा (पश्चिम बंगाल), दम्फा (मिजोरम) और पलामू (झारखंड)** टाइगर रिजर्व में कोई भी बाघ आबादी दर्ज नहीं की गयी है।
- **बाघों के लिए शिकार आधार में वृद्धि:** बेहतर शिकार आधार (खाद्य उपलब्धता) बाघों की प्रजनन-क्रिया में सहायक होता है, जिसके परिणामस्वरूप इनकी आबादी में तेजी से वृद्धि होती है। उल्लेखनीय है कि यदि बाघों की आबादी में वृद्धि हुई है, तो इसका आशय है कि शिकार आधार (खाद्य उपलब्धता) में भी सुधार हुआ है।

- **राज्यों में गिरावट:** छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में बाघों की आबादी में गिरावट दर्ज की गई है।

भारतीय बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर (Panthera tigris)

- यह **भारत में पाई जाने वाली बाघ की एक प्रजाति** है।
- बंगाल टाइगर की सर्वाधिक आबादी भारत में पाई जाती है, हालांकि **बांग्लादेश, नेपाल और भूटान** में भी ये कुछ छोटे समूहों में पाए जाते हैं। ये **चीन और बर्मा** के क्षेत्रों में भी पाए जा सकते हैं।
- **विश्व की कुल बाघ आबादी का 80 प्रतिशत** भारत में पाया जाता है।
- सामान्यतः बंगाल टाइगर उष्ण-कटिबंधीय वर्षावनों, दलदली भूमि और लंबी घास वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- बाघ एक **"अम्ब्रेला"** प्रजाति है, क्योंकि इनके संरक्षण के माध्यम से, हम पारिस्थितिक तंत्र के तहत उनसे संबद्ध सभी वस्तुओं का संरक्षण करते हैं।
- **बाघ संरक्षण की स्थिति**
  - IUCN रेड लिस्ट: इडेंजर्ड;
  - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम: अनुसूची 1 (Schedule 1); तथा
  - CITES: परिशिष्ट 1 (Appendix 1)।

भारत में बाघ को खतरा:

- प्राकृतिक पर्यावास की क्षति।
- अवैध शिकार और वन्यजीव अपराध।
- मानव-पशु संघर्ष की बढ़ती घटनाएं।

टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभ्यारण्य

- ऐसे राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य जिसे बाघों के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण समझा जाता है, उन्हें अतिरिक्त रूप से टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया जा सकता है।
- एक टाइगर रिजर्व में एक **'कोर (Core)'** या 'क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट' शामिल होता है, जिसे एक अक्षत क्षेत्र (inviolate) के रूप में प्रबंधित किया जाता है।
- कोर क्षेत्र से संलग्न **'बफर (Buffer)'** या परिधीय क्षेत्र होता है, जिसे पर्यावास संरक्षण हेतु कुछ सीमा तक सीमित किया जा सकता है।

भारत में बाघों की आबादी में वृद्धि के कारण

- **वन विभाग द्वारा संरक्षण हेतु प्रयास:** वन विभाग के सतर्कता एवं संरक्षण संबंधी किए गए प्रयास बाघों की आबादी में वृद्धि हेतु अत्यधिक सहायक रहे हैं।
- **प्रवास में वृद्धि:** कोर क्षेत्र में बाघों की आबादी में अत्यधिक वृद्धि के कारण कोर क्षेत्र से परिधीय क्षेत्र में बाघों का पलायन होता है; उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 की गणना रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि इसी पलायन के परिणामस्वरूप नए क्षेत्रों में भी बाघों का स्थानांतरण हुआ है। विगत कुछ वर्षों से, वन विभागों के अंतर्गत शामिल क्षेत्रीय और वाणिज्यिक वानिकी क्षेत्रों में भी बाघों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **सतर्कता में वृद्धि:** इसके परिणामस्वरूप संगठित अवैध शिकार करने वाले गिरोहों को समाप्त कर दिया गया है। 2013 से अब तक मध्य भारत के क्षेत्रों में पारंपरिक गिरोहों द्वारा संगठित अवैध शिकार नहीं किया गया है।
- **प्रजनन संबंधी परिस्थितियों में सुधार:** जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो बाघों की आबादी में तीव्र वृद्धि होती है।
- **गाँवों का पुनर्वास:** देश के कई हिस्सों में कोर क्षेत्रों से बाहर गाँवों के पुनर्वास के परिणामस्वरूप बाघों के लिए अक्षत क्षेत्र की उपलब्धता में वृद्धि हुई है।
- **बेहतर गणना:** क्योंकि वर्ष दर वर्ष गणना संबंधी प्रयास अत्यधिक सटीक होते जा रहे हैं। यह संभव है कि पिछले प्रयासों में गणना से वंचित रहे बाघों को इस बार की गणना में शामिल किया गया होगा।
- **विभिन्न कार्यक्रमों की सफलता:** बाघ संरक्षण हेतु विभिन्न राष्ट्रीय और वैश्विक प्रयासों ने बाघों के प्राकृतिक पर्यावासों के संरक्षण के साथ-साथ बाघों को बचाने में भी योगदान दिया है।

बाघों की गणना की आवश्यकता क्यों?

- बाघ खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर स्थित हैं और **वन पारिस्थितिकी तंत्र के कल्याण को सुनिश्चित करने** हेतु इनका संरक्षण महत्वपूर्ण है।
- बाघ गणना प्रयासों के अंतर्गत **पर्यावास मूल्यांकन एवं शिकार आकलन** को शामिल किया जाता है।
- इनकी आबादी, संरक्षण **प्रयासों की सफलता या विफलता** को दर्शाती है।

VISION IAS

- **ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव (GTI):** इसे वर्ष 2008 में सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, नागरिक समाज, संरक्षण एवं वैज्ञानिक समुदायों तथा निजी क्षेत्र के वैश्विक गठबंधन के रूप में प्रारम्भ किया गया था। इनका उद्देश्य बाघों को विलुप्त होने से बचाने हेतु संयुक्त रूप से कार्य करना है। वर्ष 2013 में, स्नो लेपर्ड को शामिल करने हेतु इसके कार्यक्षेत्र में वृद्धि की गई थी।
- **वैश्विक बाघ पुनः प्राप्ति कार्यक्रम (Global Tiger Recovery Program: GTRP):** इसका उद्देश्य टाइगर रेंज देशों को विस्तृत घरेलू के साथ-साथ सीमापारीय प्रकृति वाले खतरों से निपटने हेतु सशक्त बनाना है। साथ ही, विकास गतिविधियों में संरक्षण उद्देश्यों को एकीकृत करते हुए वर्धित वित्तीय स्थिरता की दिशा में कार्य करना है।
- **ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF):** यह बाघों की आबादी वाले देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। इसके द्वारा वर्ष 2022 तक जंगली बाघों की संख्या को **दोगुनी** करने का लक्ष्य रखा गया है।
- **TX2:** इसका लक्ष्य जंगली बाघों की संख्या को उनके भौगोलिक क्षेत्रों में **दोगुना** करना है। यह कार्यक्रम WWF द्वारा **13 टाइगर रेंज कंट्रीज** में कार्यान्वित किया जा रहा है।
- **संरक्षण आश्वस्त बाघ मानक (Conservation Assured Tiger Standards) CA|TS:** यह मानकों का वह समुच्चय है जो बाघ स्थलों की यह जांच करने की अनुमति प्रदान करता है कि क्या इन स्थलों का प्रबंधन सफल बाघ संरक्षण को बढ़ावा देगा। यह TX2 कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग है।

भारत में संरक्षण के प्रयास

- **बाघ परियोजना (Project Tiger):** भारत सरकार ने **वर्ष 1973** में निर्दिष्ट टाइगर रिजर्व में जंगली बाघों के **स्व-स्थाने (in-situ)** संरक्षण के लिए केंद्र प्रायोजित 'बाघ परियोजना' का शुभारंभ किया था।
- **भारत में टाइगर रिज़र्व की बढ़ती संख्या:** एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय और प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। भारत में टाइगर रिज़र्व की बढ़ती संख्या मनुष्यों को बाघों की आबादी से दूर रखेगी।
- **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority: NTCA):** यह वर्ष 2006 में MoEFCC के अधीन स्थापित एक सांविधिक निकाय है। यह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में प्रावधानित कार्यों का निष्पादन करता है। वर्तमान में यह बाघ परियोजना, बाघ संरक्षण योजना आदि जैसे प्रमुख बाघ संरक्षण पहलों का कार्यान्वयन करता है।
- **बाघों के लिए निगरानी प्रणाली- गहन संरक्षण और पारिस्थितिक स्थिति (Monitoring System for Tigers - Intensive Protection and Ecological Status: M-STrIPES):** यह सॉफ्टवेयर-आधारित निगरानी प्रणाली है, जिसे NTCA द्वारा भारतीय बाघ अभयारण्यों में आरंभ किया गया है।

5.5. राइनो कंजर्वेशन

(Rhino Conservation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, शिकारियों से निपटने और पशु व्यवहार को समझने हेतु प्रशिक्षित, विशेष राइनो सुरक्षा बल (Special Rhino Protection Force: SRPF) के कार्मिकों को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में तैनात किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- टाइगर रिजर्व में गैंडो के अवैध शिकार को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता से इस बल का गठन किया गया है।
- वर्ष 2015 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority: NTCA) की सिफारिशों पर इस विशेष बल को स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।
- SRPF कार्मिकों के वेतन का भुगतान असम सरकार द्वारा किया जाएगा और इस भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति NTCA द्वारा की जाएगी।

एक सींग वाला गैंडा (भारतीय गैंडा)

- एक-सींग वाला गैंडा या भारतीय गैंडा जो राइनो की प्रजातियों में **सर्वाधिक बड़ी** प्रजाति है, आमतौर पर नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और भारत में पाई जाती है, जिसमें से 2,200 गैंडे या 85 प्रतिशत से अधिक आबादी भारत में पायी जाती है।
- भारत में गैंडे अभी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम के क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- 2012 के विश्व वन्यजीव निधि (World Wildlife Fund) के आंकड़ों के अनुसार, भारत की कुल गैंडो की आबादी का 91 प्रतिशत असम में पाए जाते हैं, जो मुख्य रूप से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में केंद्रित है और कुछ पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य में भी पाए जाते हैं।
- यह IUCN की रेड डेटा लिस्ट के अंतर्गत **"वल्नरेबल" (सुभेद्य)** श्रेणी में सूचीबद्ध है तथा इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची-I के तहत संरक्षण प्राप्त है। यह प्रजाति अवैध शिकार, पर्यावास क्षति तथा बाढ़ आदि कारणों से संकटग्रस्त स्थिति में है।

- भारतीय गैंडों को **बीजों के प्रसार** में सहायक के तौर पर भी जाना जाता है, जो वनीय क्षेत्रों से बड़े वृक्षों के बीजों को मलमूत्र के माध्यम से घास के मैदानों तक प्रसार में सहायता करते हैं।
- भारतीय गैंडों का शिकार इनकी सींग के लिए किया जाता है। इनके अवैध शिकार में अत्यधिक वृद्धि हुई है। हालांकि, सरकार और विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों के कारण इनके अवैध शिकार को कम करने में मदद मिली है।
- **इंडियन राइनो विज़न 2020 (IRV 2020)**
    - यह वर्ष 2020 तक असम में विस्तृत सात संरक्षित क्षेत्रों में एक सींग वाले गैंडों की प्राकृतिक आबादी को कम से कम 3,000 तक करने हेतु एक महत्वाकांक्षी प्रयास है, जिसे वर्ष 2005 में शुरू किया गया था।
    - असम के **काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान** में विश्व की लगभग 70% राइनो की आबादी पाई जाती है। हालांकि, निम्नलिखित दो कारणों से चिंता बनी हुई है:
        - यह उद्यान अपनी अधिकतम धारण क्षमता को प्राप्त कर चुका है। ऐसे में और अधिक गैंडो के लिए यहाँ पर्यावास क्षेत्र कम पड़ रहे हैं।
        - ऐसी आशंका व्यक्त की गयी है कि किसी बीमारी के प्रकोप, प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य आसन्न खतरे से राइनो की संपूर्ण प्रजाति का विनाश हो सकता है।
    - IRV 2020 का उद्देश्य काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य से राइनो की कुछ आबादी को पांच अन्य संरक्षित क्षेत्रों, जैसे- मानस, लाओखोवा, बुराचारपोरी-कोचमोरा, डिब्रू सैखोवा और ओरंग में स्थानांतरित करना है।
    - एक विशिष्ट क्षेत्र में सम्पूर्ण गैंडों की आबादी केंद्रित होने से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए गैंडों का स्थानांतरण किया जा रहा है।

5.6. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी में गिरावट

(Decline in Population of Great Indian Bustard)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और सुरक्षा हेतु 33.85 करोड़ रुपये की लागत वाली एक परियोजना का शुभारंभ किया है। भारत में इनकी आबादी केवल 130 रह गयी है।

आबादी में गिरावट के कारण

- अवैध शिकार, पर्यावास ह्रास, 'हरित' परियोजनाएँ (जो घासभूमियों को वन्य क्षेत्रों में परिवर्तित करती हैं), घासभूमि से कृषिभूमि में भू-उपयोग में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाले वाहन, ग्रामीण क्षेत्र में आवारा कुत्ते आदि इस प्रजाति की आबादी में कमी हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण हैं।
- इन दिनों, पवन टर्बाइनों और विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों के संपर्क में आने के कारण होने वाली इनकी मृत्यु, भी एक प्रमुख कारण के रूप में उभरी है।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में

- यह मध्य भारत, पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान में पायी जाने वाली **भारतीय उप-महाद्वीप की एक स्थानिक पक्षी है।**
- इन प्रजाति के महत्वपूर्ण स्थल हैं: डेजर्ट नेशनल पार्क (राजस्थान), नलिया (गुजरात), वरोरा (महाराष्ट्र) और बेल्लारी (कर्नाटक)।
- राजस्थान में इनकी आबादी सर्वाधिक है। ऐसा **माना जाता है कि यह प्रजाति हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से पूर्णत: विलुप्त हो चुकी** है।
- इसके प्रमुख पर्यावास निम्नलिखित हैं: शुष्क और अर्ध-शुष्क घास के मैदान, कंटीली झाड़ियों वाले खुले क्षेत्र, लंबी घास वाली कृषि भूमि आदि। सामान्यतया सिंचित क्षेत्रों में यह प्रजाति नहीं पाई जाती है।
- इसे फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीशीज की संज्ञा दी गई है तथा यह स्वस्थ घास भूमि पारिस्थितकीय तंत्र का सूचक है।

संरक्षण के प्रयास

- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को **भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** की अनुसूची-I में सूचीबद्ध किया गया है, जो सर्वोच्च स्तर पर संरक्षण के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
- इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature: IUCN) द्वारा **क्रिटिकली इडेंजर्ड** के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजस्थान का राज्य पक्षी है। राजस्थान सरकार द्वारा **जैसलमेर** के **डेजर्ट नेशनल पार्क (DNP)** में इनके संरक्षण हेतु **"प्रोजेक्ट गोडावन"** प्रारम्भ किया गया है।
- यह MoEF&CC के वन्यजीव पर्यावासों के समेकित विकास (Integrated Development of Wildlife Habitats) के अंतर्गत स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम में सम्मिलित प्रजातियों में एक है।
    - इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कैप्टिव आबादी में वृद्धि कर, इनके चूजों को प्राकृतिक पर्यावास में मुक्त करना है।

- इसके तहत स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा के लिए एक आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना (इमरजेंसी रिस्पांस प्लान) को तत्काल निर्मित किए जाने और कार्यान्वित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।

5.7. अर्थ ओवरशूट डे

(Earth Overshoot Day)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **ग्लोबल फ़ुटप्रिंट नेटवर्क** की एक रिपोर्ट में यह तथ्य उजागर किया गया है कि विगत 20 वर्षों में अर्थ ओवरशूट डे का समय दो माह कम हो गया है (ज्ञातव्य है कि यह 20 वर्ष पूर्व सितम्बर माह में था) तथा इस वर्ष के अर्थ ओवरशूट डे की तिथि पूर्व की तुलना में सबसे शीघ्र आने वाली तिथि है।

- **वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF):** यह स्विटज़रलैंड स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय NGO है, जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। यह वन्यजीव और प्राकृतिक पर्यावास के संरक्षण में संलग्न है।
- **ग्लोबल फ़ुटप्रिंट नेटवर्क:** यह वर्ष 2003 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन है, जो संधारणीय भविष्य को सुनिश्चित करने हेतु कार्यरत है, जहाँ सभी लोगों को अपने ग्रह (पृथ्वी) पर विकसित होने का अवसर प्राप्त होता है।

अर्थ ओवरशूट डे के बारे में

- यह वह तिथि है जब संपूर्ण वर्ष के दौरान पृथ्वी द्वारा पुनरुत्पादित प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मानव जाति की मांग अधिक हो जाती है।
    - इसकी गणना WWF और **ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क** द्वारा की जाती है।
- इस वर्ष इसकी तिथि 29 जुलाई थी, जो सबसे शीघ्र आने वाली तिथि है।
- इसका अर्थ है कि 29 जुलाई को, मनुष्य ने संपूर्ण वर्ष के लिए निर्धारित प्रकृति के संसाधन बजट का उपयोग कर लिया। यह जैविक रूप से उत्पादक क्षेत्रों - खाद्य, लकड़ी, फाइबर, कार्बन प्रच्छादन और अवसंरचना सुविधाओं - के संदर्भ में लोगों की प्रतिस्पर्धी मांगों को समाकलित करता है।
- इसका अर्थ यह भी है कि वर्तमान में मनुष्यों द्वारा पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र की पुनरुत्पादित क्षमता की तुलना में 1.75 गुना अधिक तेजी से प्रकृति का उपभोग किया जा रहा है। यदि हम प्रति वर्ष अर्थ ओवरशूट डे को नियत तिथि से 4.5 दिन पीछे कर दें, तो वर्ष 2050 से पूर्व हम पृथ्वी द्वारा प्रदत्त संसाधनों की उपलब्ध सीमा के दायरे में उपभोग कर जीवन निर्वाह करने में सक्षम होंगे।

5.8. डीप ओशन मिशन को लॉन्च करने की केंद्र की योजना

(Centre to Launch Deep Ocean Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत अक्टूबर 2019 में महत्वाकांक्षी **'डीप ओशन मिशन'** का शुभारंभ करेगा। इस मिशन का उद्देश्य विशाल समुद्री संसाधनों का दोहन करना है। उल्लेखनीय है कि भारत से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय जल (international waters) में अभी तक लगभग 75,000 वर्ग किमी क्षेत्र का उपयुक्त दोहन नहीं किया जा सका है।

पॉली-मेटालिक नोड्यूल (Poly-Metallic Nodules)

- पॉलीमेटालिक नोड्यूल को मैंगनीज नोड्यूल भी कहा जाता है। ये नोड्यूल एक कोर के चारों ओर लोहे और मैंगनीज हाइड्रॉक्साइड की संकेंद्रित परतों से निर्मित चट्टानीय पिंड (rock concretions) होते हैं।
- एक अनुमान के अनुसार, केंद्रीय हिंद महासागर के समुद्र तल में 380 मिलियन मीट्रिक टन पॉली-मेटालिक नोड्यूल उपलब्ध हैं।
- भारत वर्ष 1987 में पॉलीमेटालिक नोड्यूल का अन्वेषण और उपयोग करने हेतु एक अग्रणी निवेशक का दर्जा प्राप्त करने वाला विश्व का प्रथम देश था। इसके साथ ही, संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा भारत को **मध्य हिंद महासागर बेसिन** में नोड्यूल का अन्वेषण और उपयोग करने हेतु एक अनन्य क्षेत्र भी आवंटित किया गया।
- 26 जनवरी 1981 को प्रथम रिसर्च वेसल **गवेषनी (Gaveshani)** द्वारा अरब सागर से प्रथम नोड्यूल नमूना एकत्र करने के साथ ही CSIR-NIO में पॉली मेटैलिक नोड्यूल्स से संबंधित कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

डीप ओशन मिशन (DOM) के बारे में

- इसका उद्देश्य गहरे महासागरों में गहन समुद्री खनन संबंधी संभावनाओं का अन्वेषण करना है।
- इस मिशन का लक्ष्य इसरो द्वारा लगभग 35 वर्ष पूर्व आरंभ किए गए अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम के समान गहरे समुद्र का अन्वेषण करना है।

- यह एक एकीकृत कार्यक्रम होगा, जहां सरकार के कई वैज्ञानिक विभाग जैसे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO), जैव प्रद्योगिकी विभाग (DBT), विज्ञान एवं प्रद्योगिकी विभाग (DST), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) महासागरीय संसाधनों के संधारणीय दोहन के लिए एक साथ कार्य करेंगे।

- इस मिशन का फोकस गहरे समुद्र में खनन के लिए प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित होगा जैसे कि अंडर वाटर व्हीकल, अंडर वाटर रोबोटिक्स तथा ओसियन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज इत्यादि।
- DOM के तहत योजनाबद्ध दो प्रमुख परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं;
  - ज्वारीय ऊर्जा पर आधारित विलवणीकरण संयंत्र; और
  - एक पनडुब्बी यान, जो लगभग 6,000 मीटर की गहराई तक अन्वेषण संबंधी कार्य करेगा।
- **इस क्षेत्र में हुई प्रगति**
  - इसमें 18,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ प्रथम पीढ़ी खनन-स्थल (First Generation Mine-site: FGM) की पहचान की गई है।
  - दूरस्थ रूप से संचालित पनडुब्बी **(ROSUB 6000):** यह 6,000 मीटर की गहराई पर संचालन करने में सक्षम है। ज्ञातव्य है कि इसे पूर्व में ही विकसित किया जा चुका है और इसका 5,289 मीटर की गहराई तक सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है।
  - इसके अतिरिक्त, केंद्रीय हिंद महासागर बेसिन (Central Indian Ocean Basin: CIOB) में खनन क्षेत्र के विस्तृत भू-तकनीकी लक्षणों की जानकारी प्राप्त करने हेतु एक सुदूर संचालन योग्य **इन-सीटू साइल टेस्टिंग इक्विपमेंट** भी विकसित किया गया है।
  - **'महासागरीय सेवाओं, प्रौद्योगिकी, निगरानी, संसाधन प्रतिरूपण और विज्ञान (O-SMART)'** नामक सरकार की एक अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत इन तकनीकी विकासों का वित्तपोषण किया गया।

भारत के लिए DOM का महत्व

- भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) 2.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक विस्तृत है। EEZ वस्तुतः UNCLOS द्वारा निर्धारित समुद्री क्षेत्र की वह सीमा है, जो समुद्री संसाधनों के अन्वेषण एवं उनके उपयोग के संदर्भ में किसी राष्ट्र को विशेष अधिकार प्रदान करती है।
- पॉलीमेटेलिक नोड्यूल (PMN) के दोहन हेतु 'UN इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी' द्वारा CIOB में भारत को 75,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आवंटित किया गया है। यहाँ अनुमानित पॉलीमेटेलिक संसाधन क्षमता लगभग 380 मिलियन टन है।
- इस आरक्षित भंडार के केवल 10% संसाधनों का दोहन करने से अगले 100 वर्षों की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है।
- महासागरीय अधस्तर के संबंध में शोध और अध्ययन, जलवायु परिवर्तन के संबंध में सूचित निर्णय लेने में सहायता कर सकते हैं।
- इसके द्वारा अंडर वाटर व्हीकल्स एवं अंडर वाटर रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों से संबंधित प्रौद्योगिकियों के नवाचार में सहायता प्राप्त होगी तथा महासागरीय अनुसंधान क्षेत्र में भारत की स्थिति में सुधार होगा।
- इससे महासागर विज्ञान के क्षेत्र में वृहद रोज़गार एवं व्यावसायिक अवसरों का सृजन होगा।
- इस मिशन द्वारा देश के समग्र आर्थिक विकास के लिए ब्लू इकोनॉमी का लाभ उठाने में सहयोग प्राप्त होगी।

5.9. रेड मड का उपयोग

(Red Mud Utilisation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, बॉक्साइट अवशिष्ट (जिन्हें 'रेड मड' के रूप में जाना जाता है) के लाभकारी उपयोग की दिशा में एक कदम के रूप में, खान मंत्रालय द्वारा 'वेस्ट टू वेल्थ' (अपशिष्ट से धन) नामक एक इंटरैक्टिव वर्कशॉप (परस्पर संवादात्मक कार्यशाला) का आयोजन किया गया।

रेड मड क्या है?

- रेड मड बॉक्साइट से बायर प्रक्रिया द्वारा एल्यूमीनियम उत्पादन के दौरान उत्पन्न एक ठोस अपशिष्ट होता है।
- रेड मड का वैश्विक उत्पादन 150 मिलियन टन से अधिक है और 3 बिलियन टन से अधिक का वैश्विक भंडार विद्यमान है। भारत में प्रति वर्ष लगभग 9 मिलियन टन रेड मड का उत्पादन होता है।
- रेड मड में कास्टिक सोडा और अन्य खनिजों जैसी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं।
- इसमें सूक्ष्म तत्वों के समूह के अतिरिक्त **छह प्रमुख घटक** - सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, टाइटेनियम और सोडियम शामिल हैं।

बायर प्रक्रिया (Bayer Process)

- इसका आविष्कार वर्ष 1887 में किया गया था। यह एक प्राथमिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिना को निष्कर्षित किया जाता है।
- इस प्रक्रिया का उपयोग अभी भी विश्व के लगभग कुल एल्यूमिना आपूर्ति का उत्पादन करने के लिए किया जाता है।

रेड मड से संबंधित पर्यावरणीय समस्याएं:

- इसकी उच्च क्षारीयता इसे **अत्यंत संक्षारक** बनाती है, जो मृदा एवं जीवन रूपों के लिए हानिकारक होता है।
- क्षार के मृदा में रिसाव के कारण भूजल संदूषित हो जाता है।
- इसके साथ भंडारण संबंधी समस्या भी विद्यमान है। इसके निपटान के लिए भूमि के विशाल क्षेत्र की आवश्यकता होती है।
- क्षारीय वायुजनित धूल का उत्सर्जन।

रेड मड का उपयोग

रेड मड से धातु के निष्कर्षण हेतु उपयुक्त धातुशोधन प्रक्रिया (metallurgical process) का विकास व्यापक उपयोग, मूल्य वर्धन और शून्य अपशिष्ट के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। रेड मड का उपयोग इसके अद्वितीय भौतिक और रासायनिक गुणों के कारण कई पहलुओं में किया जा सकता है। जैसे कि-

- अम्लीय मृदा के उपचार और कृषि में फास्फोरस जैसे कुछ पोषक तत्वों को बनाए रखने हेतु।
- कच्चे (crude) और परिष्कृत (fine) सिरेमिक के निर्माण हेतु, जैसे टाइल, फ्लोर टाइल्स।
- ईंट निर्माण में।
- सीमेंट निर्माण के एक घटक के रूप में।
- लौह धातुशोधन में एक योजक के रूप में।
- रबर और प्लास्टिक उद्योग में फिलर (filler) के रूप में।
- पेंट के उत्पादन में वर्णक (pigment) के रूप में।
- जल और सीवेज उपचार अभिकारक (agents) के लिए एक फीडस्टॉक के रूप में।

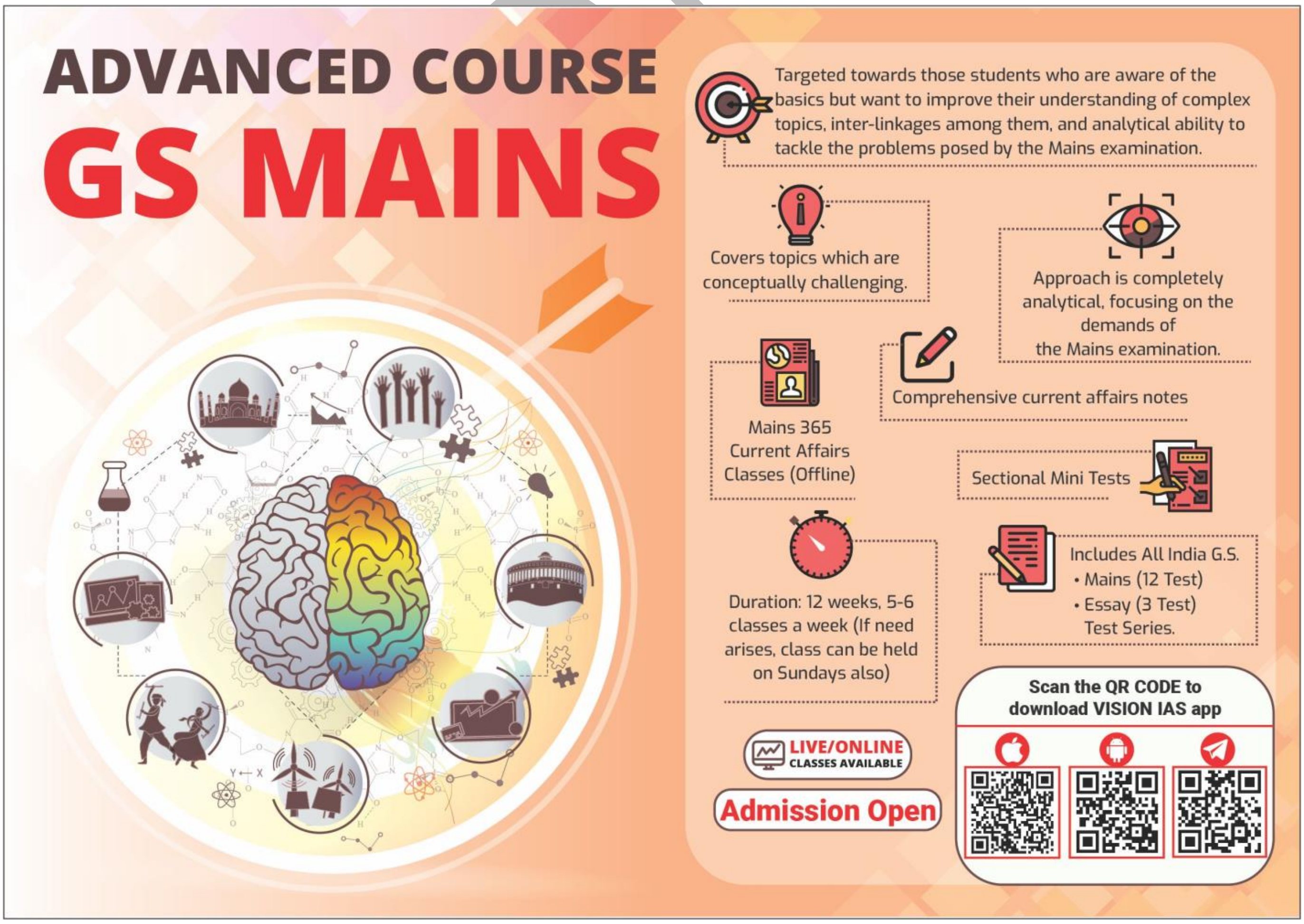

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019

{The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रपति ने **मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019** को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह शाह बानो वाद के पश्चात् अधिनियमित **मुस्लिम स्त्री (विवाह-विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986** {Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986} को प्रतिस्थापित करेगा।

2019 के इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- **यह तत्काल तीन तलाक व्यवस्था (तलाक-ए-बिद्दत) को निरर्थक एवं गैर-कानूनी घोषित करता है।**
- यह अधिनियम **तत्काल तीन तलाक प्रथा** को **एक दंडनीय अपराध** घोषित कर, इस संबंध में **तीन वर्ष के कारावास का प्रावधान** करता है।
- इसे (तालक देने अथवा कहने को) **संज्ञेय अपराध** के रूप में वर्णित किया गया है। यदि विवाहित मुस्लिम महिला (जिसे तलाक दिया गया है) या उसके रक्त या विवाह से संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस को अपराध होने के संबंध में सूचना दी जाती है, तो उक्त स्थिति में इसे संज्ञेय अपराध माना जाएगा। ज्ञातव्य है कि संज्ञेय अपराध ऐसा अपराध होता है जहां पुलिस अधिकारी किसी भी आरोपी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है।
- यदि दोनों पक्ष कानूनी कार्यवाही को रोकने तथा विवाद को सुलझाने हेतु सहमत हों तो यह अधिनियम **निकाह हलाला** की प्रक्रिया से गुजरे बिना भी **सुलह हेतु अवसर** प्रदान करता है।
- **भत्ता:** जिस मुस्लिम महिला को तलाक दिया गया है, वह अपने पति से अपने और स्वयं पर निर्भर बच्चों के लिए निर्वाह भत्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत है। भत्ते की राशि **मजिस्ट्रेट** द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- **अभिरक्षा (कस्टडी):** जिस मुस्लिम महिला को इस प्रकार का तलाक दिया गया है, वह अवयस्क बच्चों को अपनी अभिरक्षा में रखने के लिए अधिकृत है। अभिरक्षा के तरीकों का निर्धारण **मजिस्ट्रेट** द्वारा किया जाएगा।

शाह बानो वाद के बारे में

- शाह बानो वाद वस्तुतः मुस्लिम महिलाओं हेतु न्याय की प्राप्ति की दिशा मे **एक महत्वपूर्ण उपलब्धि** तथा **व्यैक्तिक कानून पर राजनीतिक संघर्ष** की शुरुआत थी।
- इस वाद में एक 60 वर्षीय महिला द्वारा अपने पति (तलाक दिए जाने के बाद) से जीवन निर्वाह प्राप्त करने हेतु न्यायालय में याचिका दायर की दी गई थी। जिसमें न्यायालय ने महिला के पक्ष में निर्णय दिया था। शाह बानो को **आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत** अपने पूर्व पति से **जीवन निर्वाह प्राप्त करने हेतु अधिकृत** किया गया था।
- हालांकि, तत्कालीन सरकार द्वारा **मुस्लिम स्त्री (विवाह-विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986** को अधिनियमित किया गया। इसके तहत मुस्लिम महिला को तलाक के पश्चात् **इद्दत (लगभग तीन माह) की अवधि के लिए जीवन निर्वाह का अधिकार** प्रदान किया गया और उसके भविष्यगामी जीवन निर्वाह का उत्तरदायित्व उसके रिश्तेदारों या वक्फ बोर्ड पर स्थानान्तरित कर दिया गया।
- इस अधिनियम को **भेदभावपूर्ण** माना गया, क्योंकि इसने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को आवश्यक जीवन निर्वाह के अधिकार से वंचित कर दिया था, जो धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत अन्य धर्मों की महिलाओं को प्राप्त था।

2017 के मूल विधेयक में किए गए परिवर्तन

- प्रथम, यह अधिनियम केवल तब ऐसे **अपराध को संज्ञेय के** रूप में वर्णित करता है, जब किसी महिला (जिसे तलाक दिया गया है) या उसके रक्त या विवाह से संबंधित व्यक्ति द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाती है;
- द्वितीय, **इस अपराध को समाधेय (compoundable) स्वीकार किया गया है**, अर्थात् संबंधित पक्ष आपस में मामले को सुलझा सकते हैं; और
- तृतीय, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि **मजिस्ट्रेट पत्नी के पक्ष को सुनने के उपरांत पति को जमानत** दे सकता है।

ये संशोधन न केवल पत्नी को तत्काल तीन बार तलाक अभिव्यक्त करने वाले **एक व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कानून के प्रवर्तन से तृतीय पक्ष को रोकने के द्वारा अधिनियम के दुरुप्रयोग की संभावनाओं को निरुद्ध करेगा** बल्कि जमानत और समझौते की अनुमति प्रदान करते हुए **विवाह को आगे जारी रखने की संभावनाओं** हेतु मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

VISION IAS

अधिनियम के पक्ष में तर्क

- **कठोर कानून की आवश्यकता:** वर्ष 2017 के अपने एक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने तीन तलाक को **भेदभावपूर्ण प्रकृति** का माना था। मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 **मुस्लिम महिलाओं को मनमाने तत्काल तलाक देने की प्रथा से कानूनी सुरक्षा प्रदान** करता है।
  - एक कठोर कानून के बिना **मुस्लिम महिलाओं के लिए लैंगिक न्याय (जेंडर जस्टिस)** को वास्तविक रूप में क्रियान्वित नहीं किया जा सकेगा।
- अपराध के रूप में घोषित किए जाने से, तीन तलाक के प्रयोग कम होंगे और **दोषी पति को दण्डित करवाने के अतिरिक्त पर्याप्त निर्वाह भत्ता व बच्चों की अभिरक्षा** प्राप्त करने में यह अधिनियम महिलाओं की सहायता करेगा।
- **भारत में इस कानून को पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित अन्य मुस्लिम बहुल देशों के कानूनों के अनुसरण में अधिनियमित किया गया है।** धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और समानता के सिद्धांतों का अनुपालन करने वाले देश में यह दीर्घकाल से ही अपेक्षित था।
  - **इस्लामी धर्मग्रंथों में भी तीन तलाक को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।** अत्यधिक मुस्लिम आबादी वाले प्रदेशों से अस्वीकृत तथा इस तथ्य के बावजूद कि **शरिया कानूनों** का पालन करने वाले **कई मुस्लिम देशों** ने भी इसमें किसी न किसी तरीके से सुधार करने की बात की है, जैसे कि कई मामलों में इसे दंडात्मक घोषित किया गया है।
- **अन्य धार्मिक समुदायों (हिंदुओं और ईसाइयों) के व्यैक्तिक कानूनों** द्वारा उत्तराधिकार एवं बहुविवाह के मामलों में लैंगिक समानता से संबंधित कुछ चिंताओं का निवारण किया गया है। इसलिए, यह कानून **सभी धर्म और स्त्री-पुरुषों** के मध्य **समान नागरिक संहिता** स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है।

तलाक/अलगाव के विभिन्न रूप

- **तत्काल तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत)** को न्यायालय में चुनौती दी गई थी। **तलाक-ए-बिद्दत** की प्रथा के तहत जब कोई व्यक्ति एक बार में, फोन या लिखित संदेश या तलाकनामा में उल्लेख के माध्यम से तीन तलाक का उच्चारण करता है, या लिखता है, तो तलाक को तत्काल प्रभावी या अटल (irrevocable) माना जाता है, भले ही वह व्यक्ति बाद में पुन: सुलह करने का इच्छुक हो।
  - ऐसे दंपत्ति के लिए अपने दाम्पत्य जीवन में वापस आने का एकमात्र तरीका **निकाह हलाला** है। इसके उपरांत ही पत्नी अपने पति के संग पुन: जीवनयापन कर सकती है।
  - धर्म-ग्रंथों में **तलाक-ए-बिद्दत** की प्रथा को घृणित माना गया है, परन्तु विधि द्वारा इसे मान्यता प्रदान की गयी थी।
- **तलाक-उल-सुन्नत:** इसके अंतर्गत, पति द्वारा तलाक दिए जाने के पश्चात् पत्नी को तीन माह की इद्दत अवधि का पालन करना होता है तथा इस दौरान पति पत्नी के साथ समझौता और सुलह कर सकता है। इस तीन माह की अवधि के दौरान, दंपति के मध्य सहवास की स्थिति में तलाक अमान्य हो जाता है।
  - हालांकि, इद्दत की अवधि समाप्त हो जाने और पति द्वारा तलाक को अस्वीकृत न करने की स्थिति में तलाक अटल और अंतिम होता है।
  - इसे मुस्लिमों में विवाह अनुबंध के विघटन का आदर्श रूप माना जाता है।
- **निकाह हलाला:** इस प्रथा के तहत तलाक की प्रक्रिया से गुजरने वाली मुस्लिम महिला को अन्य पुरुष से निकाह करना होता है और निकाह पूर्ण होने के पश्चात् पूर्व पति से तलाक लेना होता है। केवल तभी वह अपने पूर्व पति से दोबारा शादी करने की पात्र हो सकती है।

अधिनियम के विपक्ष में तर्क

- **दीवानी चूक को आपराधिक घोषित करता है (Criminalising a civil wrong):** यह अधिनियम स्वतंत्र भारत का ऐसा प्रथम मामला बन गया है जहां विवाह और तलाक जैसे **दीवानी मामलों** हेतु आपराधिक प्रावधान किये गए हैं। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या वैवाहिक त्रुटि की स्थिति में मुकदमा और कारावास के प्रावधान तर्कसंगत हैं।
- **आनुपातिकता का मुद्दा (Issue of proportionality):** अर्थदंड के अतिरिक्त, तीन वर्ष के कारावास का प्रावधान, **आनुपातिकता के मुद्दे** को प्रदर्शित करता है। यह **अधिनियम** संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है, क्योंकि यह **दोषी मुस्लिम पुरुषों हेतु तीन वर्ष के कारावास का प्रावधान** करता है, जबकि गैर-मुस्लिम पुरुषों के लिए ऐसे ही अपराध हेतु केवल एक वर्ष का कारावास निर्धारित किया गया है।
- **जवाबदेही का मुद्दा:** ऐसे मामलों में तीन तलाक कानून विफल हो जाएगा, जब पति द्वारा दिए गए मौखिक तीन तलाक के समय उक्त दंपत्ति के अतिरिक्त वहाँ कोई और उपस्थित न हो। ऐसे में साक्ष्य संबंधी तथ्यों को प्रस्तुत कर पाना अभियोजन पक्ष के लिए एक कठिन कार्य होगा।
- ऐसी चिंताएँ बनी हुई हैं कि यह अधिनियम **तलाक और परित्याग** जैसी गतिविधियों में वृद्धि कर सकता है। यह चिंता का मुद्दा बना रहेगा क्योंकि ऐसे मामलों में जेल से वापस आने पर पति द्वारा पत्नी (जिसकी शिकायत पर वह जेल गया था) को अपनाए जाने की अत्यल्प संभावना होगी।

VISION IAS

निष्कर्ष

- तीन तलाक को आपराधिक मामले के रूप में वर्णित करने वाले मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 का पारित होना, लैंगिक समानता और न्याय तथा भारत के विधायी इतिहास के संदर्भ में अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
- हालांकि, **तत्काल तलाक से उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों के निपटान हेतु सुदृढ विधिक ढांचे पर** सामाजिक प्रतिक्रिया संबंधी परिणामों के आधार पर पुन: चर्चा किए जाने की आवश्यकता है।
- दीवानी और व्यैक्तिक कानूनों में विद्यमान लैंगिक असमानताओं के निवारण हेतु सरकार को विधि आयोग से बोर्ड में **सभी दीवानी कानूनों की समीक्षा करने हेतु कहा जाना चाहिए** क्योंकि, **जीवनसाथी के परित्याग से संबंधित मुद्दों के निपटान हेतु भारत में एक धर्म-निरपेक्ष व लैंगिक रूप से तटस्थ कानून की आवश्यकता है।**

6.2. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019

{Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लोकसभा द्वारा **ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019** पारित किया गया है।

इस विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- **ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा:** यह विधेयक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जिसका लिंग जन्म के समय नियत लिंग के अनुरूप नहीं होता है। इसमें ट्रांस-मैन और ट्रांस-वुमन (चाहे ऐसे व्यक्ति ने लिंग पुनर्निर्धारण शल्यचिकित्सा या हार्मोन थेरेपी या लेजर थेरेपी या ऐसे ही अन्य थेरेपी करवाई हो या नहीं), मध्यलिंगी (इंटरसेक्स) भिन्नताओं वाले व्यक्ति, जेंडर क्वियर और किन्नर तथा हिजड़ा जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति सम्मिलित हैं।
- **पहचान संबंधी चयन का अधिकार:** व्यक्ति को यह चयन करने का अधिकार होगा कि वह लिंग पुनर्निर्धारण शल्यचिकित्सा या हार्मोन थेरेपी पर ध्यान दिए बिना **पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर** के **रूप में पहचाना जाए।** यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों हेतु ट्रांस-पर्सन्स के रूप में प्रमाणित होने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और जिला अनुवीक्षण समिति द्वारा प्रमाणन आवश्यक बनाता है।
- **भेदभाव के विरूद्ध प्रतिबंध:** यह शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर व्यक्ति के विरूद्ध भेदभाव को निषिद्ध करता है।
  - **कोई भी सरकारी या निजी संस्था** भर्ती और पदोन्नति सहित रोजगार के मामलों में **ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकती।** प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए इस अधिनियम के संबंध में शिकायतों से निपटने हेतु एक व्यक्ति को शिकायत अधिकारी के तौर पर पदस्थापित करना आवश्यक है।
- **निवास का अधिकार: प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपने घर में रहने और अपने परिवार मेòò सम्मिलित होने का अधिकार है।** यदि निकटतम परिवार ट्रांसजेंडर व्यक्ति की देखभाल करने में असमर्थ है, तो सक्षम न्यायालय के आदेश पर व्यक्ति को पुनर्वास केंद्र में रखा जा सकता है।
- **कल्याणकारी उपाय:** विधेयक में कहा गया है कि संबंधित सरकार **उनकी सुरक्षा और पुनर्वास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार सुनिश्चित करने, ट्रांसजेंडर संवेदनशील योजनाएँ** निर्मित करने तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु उपाय करेगी।
- **स्वास्थ्य सेवा:** सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित उपाय करेगी:
  - एक पृथक HIV निगरानी केंद्र;
  - चिकित्सा देखभाल सुविधा प्रदान करना, जिसमें लिंग पुनर्निर्धारण शल्यचिकित्सा और हार्मोनल थेरेपी; पूर्व एवं पश्चात् लिंग पुनर्निर्धारण शल्यचिकित्सा तथा हार्मोनल थेरेपी परामर्श सम्मिलित है;
  - अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पहुंच को सुविधाजनक बनाना; एवं
  - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए व्यापक चिकित्सा बीमा योजनाएँ उपलब्ध कराना।
- **जुर्माना और दंड:** इस विधेयक में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरूद्ध अपराधों या यौन उत्पीड़न के मामले में जुर्माने और दंड का भी प्रावधान है, जो छह माह से लेकर दो वर्ष तक हो सकता है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरूद्ध अपराधों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
  - बलात या बंधुआ मजदूरी (सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सरकारी सेवाओं को छोड़कर);
  - सार्वजनिक स्थानों के उपयोग से वंचित करना;
  - परिवार और गांव से निष्कासन; एवं
  - शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक उत्पीड़न।

VISION IAS

- **राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद (National Council for Transgenders: NCT):** यह विधेयक केंद्र सरकार को NCT का गठन करने का निर्देश देती है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री द्वारा की जाएगी।
  - यह परिषद केंद्र सरकार को सलाह देने के साथ ही ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित नीतियों, कानूनों और परियोजनाओं की प्रभावशीलता की निगरानी भी करेगी। यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण भी करेगी।
- **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा भीख मांगने को अपराध बनाने वाला विवादास्पद प्रावधान विधेयक से हटा दिया गया है।** यह प्रावधान विगत सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक का भाग था।

इस विधेयक से संबंधित मुद्दे

- इस विधेयक में **स्व-पहचान संबंधी अधिकार प्रदान नहीं** किया गया है, जैसा कि वर्ष 2014 के NALSA निर्णय में वादा किया गया था। **जिला मजिस्ट्रेट से पहचान प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के संबंध** में प्रावधान किए गए हैं।
- यह **लिंग मान्यता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय विधिक मानकों के भी विपरीत** है, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए लिंग पुनर्निर्धारण की कानूनी और चिकित्सा प्रक्रियाओं को पृथक करने की व्यवस्था करता है।
- यह विधेयक **जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन के "सही होने" का मूल्यांकन करने** और यह निर्णय करने का अधिकार प्रदान करता है कि क्या लिंग प्रमाण-पत्र में परिवर्तन जारी करना है या नहीं, परन्तु यह इस संबंध में दिशा-निर्देश नहीं देता है कि यह निर्णय कैसे किया जाएगा। यह विधेयक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिए गए निर्णय की अपील या समीक्षा के प्रावधानों का भी उल्लेख नहीं करता है।
- जैसा कि NALSA निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया था, यह विधेयक रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में **किसी भी आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है।**
- यह विधेयक इस तथ्य पर कोई विचार नहीं करता है कि क्या पुरुष या महिला लिंग प्रमाण-पत्र रखने वाले ट्रांस-पर्सन्स की, ट्रांसजेंडर लोगों के लिए लाई गयी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों तक पहुंच होगी या नहीं।
- वर्तमान में लागू कुछ आपराधिक और व्यक्तिगत कानून केवल 'पुरुष' और 'महिला' लिंग को ही मान्यता प्रदान करते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसे कानून ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर कैसे लागू होंगे, जिनकी दोनों में से किसी लिंग से पहचान नहीं की जा सकती है।
- इसमें **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय और राज्य आयोगों** तथा **ट्रांसजेंडर्स अधिकार न्यायालयों** जैसे संस्थानों के निर्माण संबंधी प्रावधान सम्मिलित नहीं है, जो पूर्व प्रारूप विधेयक में शामिल थे।

ट्रांसजेंडर की स्थिति पर हालिया निर्णय

- वर्ष 2014 में, उच्चतम न्यायालय ने **NALSA बनाम भारत संघ वाद** में निर्णय दिया था कि - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तृतीय लिंग के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, उन्हें सभी मूल अधिकारों का उपभोग करना चाहिए, साथ ही उन्हें शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में विशिष्ट लाभ प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए।
- वर्ष 2018 में, LGBT व्यक्तियों की गोपनीयता और गैर-भेदभाव को बनाए रखने वाले ऐतिहासिक निर्णय में, उच्चतम न्यायालय द्वारा औपनिवेशिक-युग के उस कानून को रद्द कर दिया गया, जो सहमतिपूर्ण समान-लिंग संबंधों को आपराधिक बनाता था।
- हाल ही में, मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत "दुल्हन" शब्द में ट्रांस-महिलाएँ भी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, मद्रास उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को पुरुष व ट्रांसजेंडर महिला के मध्य संपन्न विवाह का पंजीकरण करने का निर्देश भी दिया है।

आगे की राह

- ट्रांसजेंडर समुदाय के मानवाधिकारों के संबंध में **ट्रांसजेंडर बच्चों के माता-पिता व अभिभावकों और समाज के अन्य सदस्यों को संवेदनशील बनाना** आवश्यक है।
- जहां विभिन्न राज्य सरकारों ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए योजनाएँ तैयार की हैं, वहीं नीति निर्माण और कार्यक्रम विकास में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति की तत्काल आवश्यकता है।
  - तमिलनाडु सरकार शिक्षा, पहचान-पत्र, रियायती भोजन और नि:शुल्क आवास प्रदान करके ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विकास हेतु उपाय कर रही है।
  - केरल सरकार ने "आत्म-सम्मान के साथ जीवनयापन का अधिकार" प्रदान करने के लिए “केरल में ट्रांसजेंडर्स के लिए राज्य नीति, 2015” का निर्माण किया है।
- विधिक और कानून प्रवर्तन प्रणालियों को ट्रांसजेंडर समुदाय के मुद्दों पर सशक्त और संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता है। उनकी सुरक्षा के लिए सभी पुलिस थानों में विशेष शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित किए जाने चाहिए।

- सरकार को महिलाओं के अतिरिक्त पुरुषों एवं ट्रांसजेंडर्स को भी सम्मिलित करते हुए लैंगिक अपराधों को लैंगिक तटस्थ बनाने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में संशोधन करना चाहिए।

6.3. सरोगेसी विधेयक

(Surrogacy bill)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लोकसभा में **सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019** पारित किया गया है।

पृष्ठभूमि

- **सरोगेसी** ऐसी प्रथा है जिसके अंतर्गत एक महिला बच्चे की इच्छा रखने वाली किसी अन्य महिला के लिए इस आशय से गर्भ धारण करती है कि जन्म के पश्चात् बच्चे को उस महिला को सपुर्द कर दिया जाएगा। इस प्रकार की सरोगेसी व्यवस्था की प्रकृति **परोपकारी** या **व्यावसायिक** हो सकती है।
- सरकार ने संसद में सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016 प्रस्तुत किया था, जिसकी स्थायी समिति द्वारा जांच की गई थी।
- पिछली लोकसभा के विघटन के पश्चात्, उक्त विधेयक व्यपगत हो गया और अब इसे प्रस्थापित करने हेतु यह विधेयक लाया गया था।

सरोगेसी के बारे में अधिक जानकारी

- **परोपकारी सरोगेसी (Altruistic Surrogacy):** इसके अंतर्गत दंपत्ति, सरोगेट माता को गर्भावस्था से संबंधित चिकित्सीय और बीमा व्ययों के अतिरिक्त कोई अन्य क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं करते हैं।
- **कॉमर्शियल (व्यावसायिक) सरोगेसी:** इसमें सरोगेट माता को क्षतिपूर्ति (नकद या वस्तु में) प्रदान की जाती है, जो गर्भावस्था से संबद्ध उचित चिकित्सा व्यय से अधिक होता है।
- भारत अन्य देशों के दंपत्तियों के लिए सरोगेसी केंद्र के रूप में उभरा है, परन्तु अनैतिक प्रथाओं, सरोगेट माताओं के शोषण, सरोगेसी से जन्मे बच्चों के परित्याग तथा मानव भ्रूण एवं युग्मकों का आयात करने वाले बिचौलियों से जुड़े रैकेटों के संबंध में रिपोर्टें सामने आई हैं।
- **जुलाई 2012** में किए गए एक अध्ययन के अनुसार सम्पूर्ण देश में **3000** से अधिक प्रजनन क्लीनिकों के साथ सरोगेसी व्यवसाय 400 मिलियन डॉलर से अधिक का है।
- विधि आयोग की 228वीं रिपोर्ट में कॉमर्शियल सरोगेसी को प्रतिबंधित करने और उपयुक्त कानून के प्रवर्तन के द्वारा परोपकारी सरोगेसी की अनुमति प्रदान करने की अनुशंसा की गई थी।
- सेंटर फॉर सोशल रिसर्च (CSR) के अनुसार, माताओं को सरोगेसी के लिए प्रेरित करने का कारण सामान्यत: निर्धनता और शिक्षा का अभाव है, जो आगे शोषण को चुनौती देने की उनकी अक्षमता को सुनिश्चित करता है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- **कॉमर्शियल (व्यावसायिक) सरोगेसी का निषेध:** जिसमें मौद्रिक लाभ या पुरस्कार (नकद या वस्तु के रूप में) के लिए सरोगेसी या इससे संबंधित प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं तथा ये लाभ मौलिक चिकित्सा व्ययों और बीमा कवरेज से अधिक होते हैं।
  - यह बच्चों की बिक्री, वेश्यावृत्ति या शोषण के अन्य रूपों के लिए भी सरोगेसी को प्रतिबंधित करता है।
  - परन्तु यह विधेयक **परोपकारी सरोगेसी** की अनुमति देता है, जहां सरोगेट माता को इस प्रकार की कोई अन्य मौद्रिक क्षितपूर्ति प्रदान नहीं की जाती है।
  - **अन्य उद्देश्य, जहां सरोगेसी की अनुमति दी गयी है:** इसमें उन दंपत्तियों को सम्मिलित किया गया है, जो बंध्यता (infertility) की समस्या से ग्रस्त हैं।
- **विभिन्न पात्रता मानदंड निर्धारित करता है:**
  - **इच्छुक दंपत्ति के लिए-** जिनके पास उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी 'अनिवार्यता प्रमाण-पत्र' (certificate of essentiality) और 'पात्रता प्रमाण-पत्र' (certificate of eligibility) होना चाहिए।
    - अनिवार्यता प्रमाण-पत्र माता-पिता दोनों में से किसी एक या दोनों की सिद्ध बंध्यता, (मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित बच्चे के माता-पिता होने के आदेश और बीमा कवरेज) जैसे आधारों पर जारी किया जाएगा।
    - दंपत्ति के लिए पात्रता मानदंड में निम्नलिखित सम्मिलित हैं-
      - दंपत्ति भारतीय नागरिक हों और कम से कम पांच वर्षों से विवाहित हों;
      - पत्नी की आयु 23 से 50 वर्ष और पति की आयु 26 से 55 वर्ष के मध्य हो;
      - उनका कोई जीवित बच्चा (जैविक, गोद लिया गया या सरोगेट) न हो; और
      - इसमें मानसिक या शारीरिक रूप से नि:शक्त या किसी प्राणघातक विकार या रोग से पीड़ित बच्चा शामिल नहीं होगा।

VISION IAS

- **सरोगेट माता के लिए,** यह अनिवार्य है कि वह -
    - इच्छुक दंपत्ति की निकट संबंधी हो;
    - विवाहित महिला हो, जिसकी स्वयं की संतान हो;
    - 25 से 35 वर्ष की आयु की हो;
    - अपने जीवन में केवल एक बार ही सरोगेट माता बने; तथा
    - सरोगेसी के लिए चिकित्सीय और मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण-पत्र धारक हो।
- **प्राधिकरणों की स्थापना:** विधेयक के अधिनियम बनने के 90 दिनों के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों सरकारें, **राष्ट्रीय या राज्य सरोगेसी बोर्ड सहित एक या एक से अधिक उपयुक्त प्राधिकरणों का गठन** करेंगी। सरोगेसी क्लीनिकों के विनियमन के अतिरिक्त, वे मानकों को लागू करेंगी, विधेयक के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन की जांच करेंगी और नियमों एवं विनियमों में संशोधन की अनुशंसा करेंगी।
- **सरोगेट बच्चे के माता-पिता होने का अधिकार और गर्भपात:** सरोगेसी प्रक्रिया से जन्मे बच्चे को इच्छुक दंपत्ति की जैविक संतान स्वीकार किया जाएगा। सरोगेट बच्चे के गर्भपात के लिए सरोगेट माता की लिखित सहमति और उचित प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है। यह अनुज्ञप्ति गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971) के अनुरूप होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, सरोगेट माता के पास भ्रूण के गर्भ में प्रत्यारोपित करने से पूर्व सरोगेसी अस्वीकृत करने का विकल्प होगा।
- यह विधेयक इसके प्रावधानों के अन्य उल्लंघनों के विषय में कई प्रकार के **अपराध और दंड** निर्दिष्ट करता है।

विधेयक से संबंधित मुद्दे

- **अनेक हितधारकों को शामिल नहीं किया गया है:** जैसे कि सरोगेसी के माध्यम से बच्चे की इच्छा रखने वाले अविवाहित दंपत्ति, समलैंगिक युगल और एकल पुरुष एवं महिला।
    - लिव-इन पार्टनर्स को विधेयक के दायरे से बाहर रखने का निर्णय इस तथ्य का द्योतक है कि यह विधेयक वर्तमान आधुनिक सामाजिक परिवेश के अनुरूप नहीं है। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी लिव-इन संबंधों को विधायी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
- **परोपकारी सरोगेसी पर स्पष्टता का अभाव:**
    - यह केवल विवाहित दंपत्ति के "निकट संबंधी" को "परोपकारी सरोगेसी" की अनुमति प्रदान करता है, परन्तु यह "निकट संबंधी" शब्द को परिभाषित नहीं करता है।
    - संसदीय स्थायी समिति ने यह अवलोकन किया है कि, 'परोपकारी' सरोगेसी की परिभाषा पितृसत्तात्मक संरचना हेतु उपयुक्त नहीं हो सकती है। सरोगेट के अवपीड़ित होने की संभावना है और इस व्यवस्था से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, जो इस विचार को दृढ़ करता है कि महिला का शरीर उसका स्वयं का नहीं होता।
    - इसने भारतीय समाज की गतिशील संरचना की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें निर्णय लेने की शक्ति कदाचित ही महिलाओं में निहित होती है। इसके अतिरिक्त, उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता है। पुनः, आर्थिक रूप से असक्षम संबंधी को सरोगेट माता बनने के लिए विवश किया जा सकता है। परिवार के दबाव के कारण निकट संबंधियों के मामले में अवपीड़न व शोषण की संभावनाएं भी अधिक होती हैं।
    - अन्य देशों में परोपकारी सरोगेसी विफल रही है और इसका परिणाम सहायता दिए जाने के कई अन्य रूपों में सामने आया है, हालांकि धन का भुगतान नहीं किया जा सकता है।
- **व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाना समाधान नहीं हो सकता है:**
    - व्यावसायिक सरोगेसी पर पूर्ण प्रतिबंध से इस उद्यम को क्षति पहुंच सकती है और यह सरोगेट माताओं को और भी अधिक सुभेद्य बना सकता है।
    - इसके अतिरिक्त, प्रयासों को शोषण संबंधी चिंताओं का निवारण करने पर, न कि कई निर्धन महिलाओं के आजीविका स्रोत को प्रतिबंधित करने पर केंद्रित होना चाहिए था। अत: उनकी कामकाज की स्थितियों में सुधार, उनके लिए प्रक्रिया को सुरक्षित और संरक्षित बनाने तथा उनके लिए उनकी अनुबंध की शर्तों में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए था।

निष्कर्ष

भारत विश्व में सरोगेसी के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है, जिसके लिए सरोगेट माता, इस प्रकार जन्म लेने वाले बच्चे और साथ ही सम्मिलित माता-पिता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली सुपरिभाषित कानूनी प्रणाली की आवश्यकता है।

- **विधेयक के प्रावधान** सरोगेट माताओं और सरोगेसी के माध्यम से जन्म लेने वाले बच्चों के **शोषण की रोकथाम करेंगे**। व्यापक संख्या में सरोगेट माताएं वे निर्धन या निरक्षर महिलाएं हैं, जिनकी अपने संविदात्मक अधिकारों पर कमजोर पकड़ हो सकती है।

VISION IAS

- अपने जीवनकाल में केवल एक बार ही सरोगेसी की सीमा आरोपित करके विधेयक **माता के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करता है,** क्योंकि निर्धनता के कारण सरोगेसी का विकल्प चुनने वाली महिलाओं के लिए यह निर्धनता उन्मूलन का कोई मार्ग नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में भी इसकी अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

6.4. क्या भारत सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु तत्पर है?

(Is India ready to meet Sustainable Development Goals?)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति के लिए भारत की तैयारियों के संबंध में विभिन्न चिंताओं को रेखांकित किया है।

पृष्ठभूमि

- सतत विकास के **2030 के एजेंडे** में 17 सतत विकास लक्ष्य (SDGs) और 169 संबद्ध ध्येय (associated targets) सम्मिलित हैं।
  - प्रत्येक सरकार को राष्ट्रीय परिस्थितियों के आधार पर **अपने स्वयं के राष्ट्रीय लक्ष्य** निर्धारित करना आवश्यक है और यह तय करना है कि वैश्विक लक्ष्यों को कैसे राष्ट्रीय नियोजन प्रक्रियाओं, नीतियों तथा रणनीतियों में सम्मिलित किया जाए।
  - भारत ने भी इसके लिए विभिन्न उपाय किए हैं-

संस्थागत ढांचा	• नीति आयोग (NITI Aayog) को SDGs के कार्यान्वयन के समन्वय और पर्यवेक्षण कार्य के लिए अधिदेशित किया गया है। • सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) राष्ट्रीय संकेतक ढांचा तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। • राज्य/केंद्र शासित प्रदेश गतिविधियों को मुख्यधारा में लाने में सम्मिलित हैं।
विकास एजेंडा के साथ SDGs का क्रमवेशन (Dovetailing SDGs with Development Agenda)	• नीति आयोग ने मंत्रालयों, केंद्रीय योजनाओं और संबंधित हस्तक्षेपों के साथ सभी 17 लक्ष्यों एवं 169 ध्येयों की रूपरेखा निर्मित करने की प्रक्रिया आरंभ की है। • नीति आयोग ने एक 'तीन वर्षीय कार्रवाई एजेंडा', जिसमें वर्ष 2017-20 की अवधि सम्मिलित है और 'नया भारत @75 के लिए कार्यनीति' (Strategy for New India@75) जिसमें वर्ष 2022-23 की अवधि शामिल है, तैयार किया है। • राज्य अपने विज़न और रणनीतिक दस्तावेजों की तैयारी तथा लक्ष्यों/ध्येयों के प्रतिचित्रण के विभिन्न चरणों पर हैं।
हितधारक जागरूकता और संलिप्तता	• विचारों/अनुभवों के आदान-प्रदान और हितधारकों के मध्य SDGs पर जागरूकता सृजित करने हेतु आयोजित क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर कार्यशालाएं/परामर्श गोष्ठियां। • भारतीय संसद ने सासंदों को SDGs से संबंधित अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए 'अध्यक्ष की अनुसंधान पहल'2 ('Speaker's Research Initiative'2) का शुभारंभ किया है।
नीतिगत सामंजस्य	• क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अभिसरण दोनों के लिए संस्थागत व्यवस्था विद्यमान है। • 27 राज्यों के 112 पिछड़े जिलों में **'आकांक्षी जिला कार्यक्रम'** का शुभारंभ, जो "समावेशी विकास सुनिश्चित करने हेतु देश के पिछड़े जिलों में SDGs में सुधार के मूल सिद्धांत पर आधारित" है। यह स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, वित्तीय समावेशन, कृषि एवं जल प्रबंधन तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों को शामिल करता है।
संसाधनों का संग्रहण	• भारत सरकार घरेलू संसाधन संग्रहण इष्टतम करने के लिए राष्ट्रव्यापी वस्तु और सेवा कर सुधार लागू कर रही है। • अनुमान योग्य और संधारणीय बजटिंग सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन कार्यान्वित किया जा रहा है। • कार्यान्वित व्यय सुधार।
निगरानी और रिपोर्टिंग	• जुलाई 2017 में संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा 3 (Voluntary National Review: VNR) रिपोर्ट। • SDGs के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु क्रमशः नवंबर 2018 और मार्च 2019 में प्रकाशित **राष्ट्रीय संकेतक ढांचा (National Indicator Framework: NIF)** तथा आधाररेखा डेटा।

	• समय-समय पर NIF की समीक्षा और परिष्करण हेतु उच्च स्तरीय संचालन समिति का गठन (जनवरी 2019)। • राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर SDGs की प्रगति की निगरानी करने के लिए जारी (दिसंबर 2018) डैशबोर्ड के साथ 62 प्राथमिकता प्राप्त संकेतकों पर आधारित "SDGs भारत सूचकांक: आधाररेखा रिपोर्ट 2018" (SDG India Index: Baseline Report 2018)। • समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, स्वास्थ्य परिणाम सूचकांक और स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक जैसे सूचकांकों का विकास।

- CAG ने निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करने वाले **SDGs के कार्यान्वयन हेतु सरकार की तत्परता'** अभिनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य से लेखा-परीक्षण कार्य सम्पन्न किया था।
  - जिस सीमा तक 2030 एजेंडा राष्ट्रीय संदर्भ में अनुकूलित किया गया है;
  - संसाधनों एवं क्षमताओं की पहचान और संघटन; तथा
  - प्रगति की निगरानी और सूचना देने की क्रियाविधि का निर्माण।
- राज्य स्तर पर तैयारियों का आकलन करने के लिए, **सात राज्यों,** यथा- असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का चयन किया गया था। इसके अतिरिक्त, विस्तृत तत्परता परीक्षण के लिए **'लक्ष्य 3- बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण'** (Goal 3- Good Health and Well-Being) का चयन किया गया था।

भारत में SDGs के कार्यान्वयन पर नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य अध्ययन-

- **'संपूर्ण-सरकार' दृष्टिकोण के अनुसरण पर (On following 'whole-of-government' approach):** SDGs से संरेखित **विजन दस्तावेज** की तैयारी ने उप-राष्ट्रीय सरकारों को नियोजन में 'संपूर्ण-सरकार' दृष्टिकोण अंत:स्थापित करने में सक्षम बनाया है।
  - नियोजन से आगे बजटिंग, कार्यान्वयन और निगरानी तक इस योजना का विस्तार करने से SDGs की प्रगति में पर्याप्त लाभ हो सकता है।
- **निगरानी (On monitoring):** NIF की तैयारी उस प्रणाली तक पहुंचने हेतु एक महत्वपूर्ण अभ्यास है, जो न केवल प्रगति की निगरानी करती है, अपितु आंकड़ा अंतरालों की पहचान करने में भी सहायता करती है।
  - यह सुनिश्चित करने हेतु कि निर्णय व्यापक आंकड़ों पर आधारित और फलस्वरूप प्रभावी भी हों, विकास आंकड़ों का उपयोग करने तथा उन्हें एकीकृत करने के प्रयास भी किए जाने आवश्यक हैं।
- **बजटिंग (On budgeting):** SDGs के संबंध में बजटीय प्राथमिकताओं के प्रतिचित्रण से स्वचालित रूप से अधिक सुसंगत प्रबंधन या संसाधनों के पुनरोन्मुखीकरण (reorientation) का मार्ग प्रशस्त नहीं होता, क्योंकि SDGs को एकीकृत करने हेतु लेखांकन और बजटिंग ढांचे को संरेखित करने की आवश्यकता है।
- केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर SDGs का कार्यान्वयन करने के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता और उपलब्धता का आकलन आवश्यक है।
- **संचार, जागरूकता सृजन और पक्षपोषण (On communication, awareness generation and advocacy):** SDGs को स्थानीयकृत करने की गति बनाए रखने के लिए निरंतर पक्षपोषण में संलग्न होना अनिवार्य है।
- यह महत्वपूर्ण है कि SDGs के संबंध में सार्वजनिक जागरूकता और संवेदनशीलता में वृद्धि करने हेतु पहलों को आगे बढ़ाया गया है। साथ ही, व्यवहार परिवर्तन संचार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि समाज सतत विकास को प्रोत्साहित करने वाली पद्धतियां अपना सके।
- **SDGs के साथ स्थानीय योजनाओं को संरेखित करने पर (On aligning Local Plans with SDGs):** स्थानीय स्व-शासन संस्थाओं का सशक्तीकरण, सामुदायिक स्वामित्व सुनिश्चित करने और जमीनी स्तर पर **SDGs** के एकीकरण की एक सर्वाधिक प्रभावी रणनीति है, क्योंकि स्वशासन संस्थाओं के सदस्य लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं तथा वे समुदाय के साथ परामर्श में योजनाओं के संचालन हेतु अधिदेशित होते हैं।

VISION IAS

- **क्षमता विकास पर (On capacity development): SDGs** पर प्रशिक्षण 17 लक्ष्यों और ध्येयों से आगे जाना चाहिए तथा इन्हें आवश्यक मूलभूत कौशलों एवं दक्षताओं के परिप्रेक्ष्य से देखा जाना चाहिए जो वर्ष 2030 तक लक्ष्य प्रदाय के लिए आवश्यक हैं।
- **जो दूर हैं, उन तक पहले पहुंचना (On reaching the Furthest Behind First):** किसी को भी पीछे न छोड़ा जाए (Leave No One Behind) का एजेंडा हाशिए पर रहने वाले लोगों की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली आवश्यक बनाता है कि वे अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें तथा अपनी हकदारियों से लाभान्वित हो सकें।
- **साझेदारियों पर (On partnerships):** यहां ऐसे वातावरण का निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए, जहां सार्वजनिक और निजी साझेदार सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपने संसाधनों और क्षमताओं को संग्रहित कर सकें।

राज्यों की सफलता की कुछ कहानियाँ

- **असम:** सरकार ने बाल, मातृत्व और किशोरियों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए विश्व बैंक के साथ भागीदारी में **'जिला बहु-क्षेत्रीय परिणाम आधारित पोषण योजना'** आरंभ की है। यह सामान्य लक्ष्य हेतु विभिन्न विभागों के अभिसरण का एक प्रमुख उदाहरण है।
- **हरियाणा:** सरकार ने प्रासंगिक SDGs के साथ सभी योजनाओं की रूपरेखा निर्मित की है और वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए SDGs आधारित राज्य बजट तैयार किया है।

लेखा परीक्षा की मुख्य टिप्पणियां

- केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर, SDGs के संदर्भ में नीतिगत दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया अभी भी परिचालन अवस्था में हैं।
- वर्ष 2020, 2025 और 2030 के लिए संयुक्त राष्ट्र के SDGs लक्ष्य के साथ संरेखित परिभाषित उपलब्धियों के साथ रोडमैप अभी तैयार किया जाना शेष है। समावेशिता सुनिश्चित करने हेतु SDGs को स्थानीयकृत करने और प्रचारित करने के लिए अधिक से अधिक प्रयास भी आवश्यक प्रतीत हुए हैं।
- SDGs लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधन जुटाने के संबंध में, अभी तक वित्तीय अंतराल विश्लेषण आरंभ नहीं किया गया है।
- इसके अतिरिक्त, लेखांकन और बजटिंग ढांचे में SDGs का अभी भी केंद्र तथा अधिकांश राज्यों में एकीकरण किया जाना शेष है।
- निगरानी और रिपोर्टिंग के संबंध में, NIF के प्रकाशन में विलंब ने राज्यों में संकेतकों व निगरानी ढांचे का विकास तथा आधारेखा आंकड़ों एवं उपलब्धियों की पहचान जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों को अवरुद्ध किया था।

6.5. स्टडी इन इंडिया

(Study in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत में उच्च शिक्षा के प्रति विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए, **मानव संसाधन विकास मंत्रालय** ने **'स्टडी इन इंडिया'** नामक कार्यक्रम आरंभ किया है।

स्टडी इन इंडिया के बारे में

- **'स्टडी इन इंडिया'** कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य **भारत की एक आकर्षक शिक्षा केंद्र के रूप में पहचान स्थापित करके विदेशी छात्रों को लक्षित करना** है।
- यह कार्यक्रम **दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य-पूर्व और अफ्रीका के चयनित 30 से अधिक देशों** से अंतर्राष्ट्रीय छात्र-छात्राओं को आकर्षित करने पर केंद्रित है।
- **उद्देश्य**
  - पड़ोसी देशों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ भारत की **साफ्ट पॉवर में सुधार करना** और इसका कूटनीति में एक साधन के रूप में उपयोग करना।
  - भारत में **अंतर्गामी अंतर्राष्ट्रीय छात्र-छात्राओं की संख्या में वृद्धि करना।**
  - वैश्विक शिक्षा निर्यात में भारत की बाजार हिस्सेदारी को 1 प्रतिशत से दोगुना करके 2 प्रतिशत तक करना।
  - प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय तथा प्लवन प्रभावों (spillover effects) के रूप में अंतर्राष्ट्रीय छात्र-छात्राओं के योगदान में वृद्धि करना।
  - उच्चतर शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाना।
  - शैक्षिक गंतव्य के रूप में भारत की वैश्विक रैंकिंग में वृद्धि करना।
  - अंतर्राष्ट्रीय छात्र-छात्राओं की संख्या में निर्यात-आयात असंतुलन को कम करना।

VISION IAS

- यह कार्यक्रम वहनीय दरों पर अंतर्राष्ट्रीय छात्र-छात्राओं को सीटें प्रदान करने के माध्यम से **चयनित प्रतिष्ठित संस्थानों और विश्वविद्यालयों की भागीदारी** की परिकल्पना करता है।
- इस नीति में मेधावी विदेशी छात्र-छात्राओं के लिए **प्रस्तावित शुल्क माफी** संस्थान द्वारा निर्धारित की जाएगी।
    - शुल्क माफी पर आने वाला व्यय संबंधित संस्थान को वहन करना होगा। इसके लिए सरकार से कोई अतिरिक्त नकदी प्रवाह प्रस्तावित नहीं है।
- यह **मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक संयुक्त पहल** है।
- मिनी रत्न श्रेणी-I का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम (CPSE), **EdCIL (इंडिया) लिमिटेड** 'स्टडी इन इंडिया' शिक्षा अभियान के लिए **मानव संसाधन विकास मंत्रालय की क्रियान्वयन एजेंसी** है।
- विदेशी छात्र-छात्राओं के प्रवेश हेतु एकल खिड़की के रूप में कार्य करने वाले एक **केंद्रीकृत प्रवेश वेब पोर्टल** (centralised admission web portal) भी लॉन्च किया गया है।

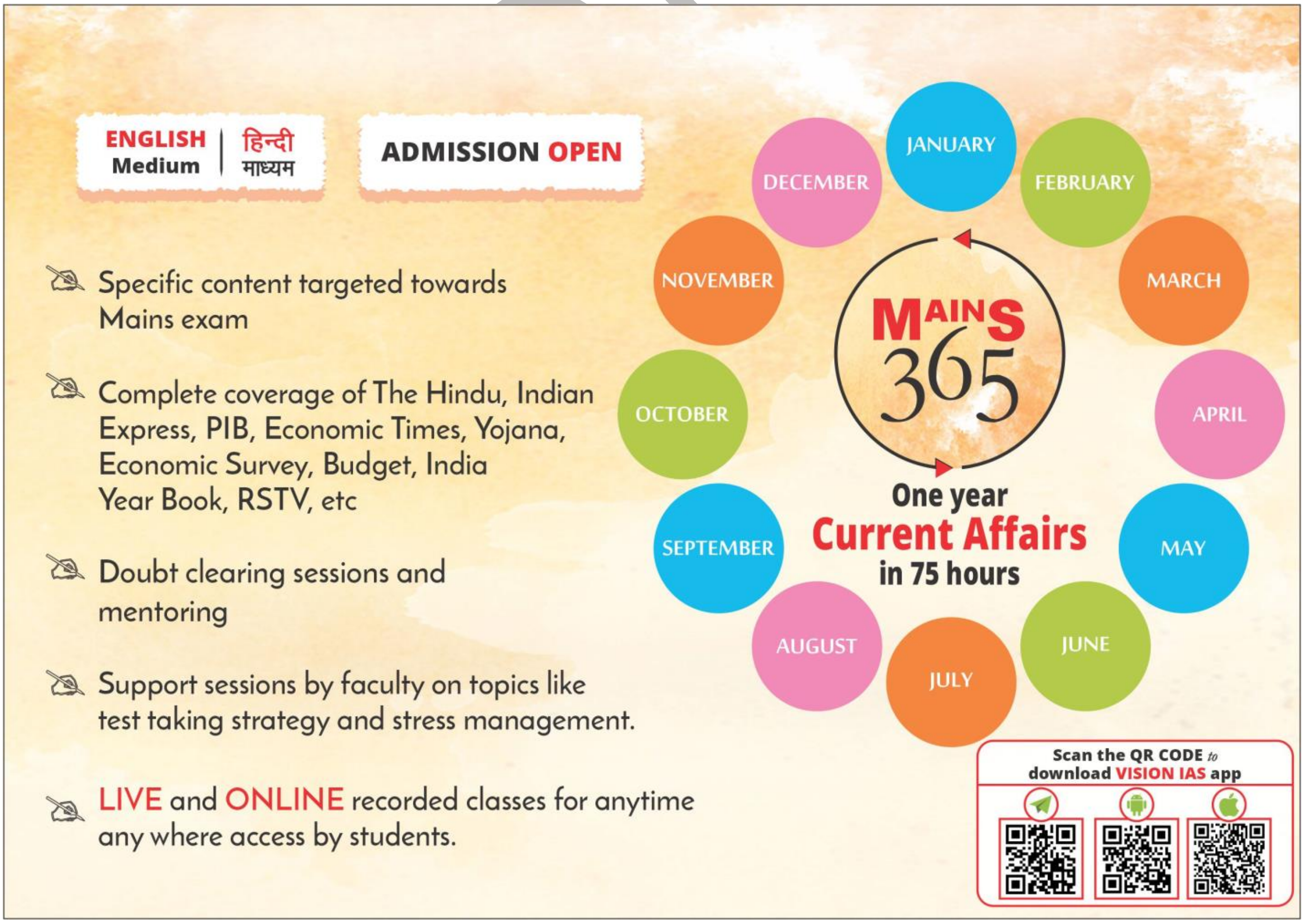

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

7.1. गगनयान

(Gaganyaan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **गगनयान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद** का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न संस्थानों और उद्योगों के सदस्य सम्मिलित हैं।

गगनयान सलाहकार परिषद के बारे में

- इसमें कई वरिष्ठ अधिकारियों जैसे अंतरिक्ष विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, प्रधानमंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, इसरो के पूर्व अध्यक्ष, प्रमुख अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों के निदेशक, विभिन्न भारतीय उद्योगों के प्रमुख आदि सम्मिलित हैं।
- इसके द्वारा **गगनयान की समग्र परियोजना स्थिति** (तकनीकी विवरणों को शामिल करते हुए) **पर चर्चा की गई** साथ ही, विभिन्न राष्ट्रीय हितधारकों के साथ सहयोग स्थापित किया गया है।
- **इसके द्वारा गगनयान मिशन को पूरा करने हेतु उद्योगों सहित विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्राथमिकताएँ निर्धारित किए जाने की आवश्यकता** पर बल दिया गया है।

पृष्ठभूमि

- भारत द्वारा **पहली बार 2004 में** अंतरिक्ष में एक मानवयुक्त मिशन भेजने की परिकल्पना की गयी थी।
- भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने वाले स्वदेशी मिशन गगनयान परियोजना की **घोषणा वर्ष 2018 में की गई थी।**
- विगत कुछ वर्षों में, **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)** द्वारा ऐसी अनेक तकनीकों का विकास एवं परीक्षण किया गया है जो मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान के लिए महत्वपूर्ण हैं। जिसके अंतर्गत **स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट (SRE-2007), क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक रीएंट्री एक्सपेरिमेंट (CARE-2014), GSLV Mk-III (2014), रियूजेबल लॉन्च व्हीकल- टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर (RLV-TD), क्रू एस्केप सिस्टम और पैड एबॉर्ट टेस्ट** सम्मिलित हैं। हाल ही में, ISRO ने एक स्पेस कैप्सूल (क्रू मॉड्यूल) और स्पेस सूट प्रोटोटाइप का भी अनावरण किया है।
- देश की गगनयान परियोजना के तहत अंतरिक्ष यात्रियों का चयन करने एवं उन्हें प्रशिक्षित करने हेतु इसरो ने **रूसी कंपनी ग्लावकॉस्मॉस** के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
    - इसरो द्वारा **फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES** के साथ अंतरिक्ष चिकित्सा, अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी, विकिरण सुरक्षा और लाइफ सपोर्ट सहित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विशेषज्ञता के मामलों में सहयोग स्थापित किया जाएगा।

गगनयान मिशन के बारे में

- यह **एक क्रू ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट** है जिसके द्वारा तीन लोगों को (सात दिनों तक) अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है।
- इसके साथ ही रूस, अमेरिका एवं चीन के पश्चात् **किसी व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा।**
- इस कार्यक्रम के **वर्ष 2022 से पहले ही पूरा होने की संभावना है।**
- ISRO द्वारा दिसंबर 2021 तक मानव मिशन प्रारम्भ करने से पूर्व **दो मानव रहित गगनयान मिशन** (दिसंबर 2020 तथा जुलाई 2021 में) की भी योजना बनाई गई है।
- **गगनयान को प्रक्षेपित करने हेतु GSLV Mk III** (तीन-चरण वाला हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल) का उपयोग किया जाएगा, जिसके पास इस मिशन के लिए आवश्यक पेलोड क्षमता उपलब्ध है।
- इस अंतरिक्ष यान को **300-400 किलोमीटर की निम्न भू कक्षा (low earth orbit)** में स्थापित किया जाएगा। अपने प्रक्षेपण के 16 मिनट के भीतर ही चालक दल अंतरिक्ष में पहुँच जाएंगे, जहां चालक दल **पांच से सात दिनों तक रहेंगे।** इस यान की वापसी में लगभग 36 मिनट का समय लगने का अनुमान है।
- मौजूदा रूसी सोयुज, चीनी शेनझोउ, नासा के ओरियन अंतरिक्ष यान की तुलना में **गगनयान का आकार छोटा होगा।**
- यद्यपि औपचारिक समझौते अभी तक नहीं किए गए हैं, किंतु अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु **इसरो द्वारा भारतीय वायु सेना और इसके बेंगलुरु स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोस्पेस मेडिसिन** के साथ सहयोग किया जाएगा।
    - मानव अंतरिक्ष मिशन 'गगनयान' के **अंतरिक्ष यात्री अधिकांशत: पायलट होंगे।**

VISION IAS

गगनयान भारत के लिए किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हो सकता है?

- **देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्तर में संवर्धन:** गगनयान के लगभग 60 प्रतिशत उपकरणों की प्राप्ति भारतीय निजी क्षेत्र से की जाएगी, अतः यह एक प्रकार का निवेश हैं जिसके माध्यम से तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
    - **उदाहरण के लिए:** यह कार्यक्रम परीक्षणों का संचालन करने तथा भावी प्रौद्योगिकियों के प्रशिक्षण स्थल (टेस्ट बेड) के लिए अंतरिक्ष में एक विशिष्ट माइक्रो ग्रेविटी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा।
- **विभिन्न एजेंसियों का समावेशन:** गगनयान कार्यक्रम के तहत इसरो, शैक्षणिक समुदाय, उद्योग, राष्ट्रीय एजेंसियों तथा अन्य वैज्ञानिक संगठनों के मध्य सहयोग हेतु एक व्यापक ढांचा स्थापित किया जाएगा।
- **अर्थव्यवस्था में योगदान:** इस कार्यक्रम द्वारा देश में रोजगार सृजन, मानव संसाधन विकास तथा औद्योगिक क्षमताओं में वृद्धि सहित विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा प्राप्त होगा।
- **युवाओं के लिए प्रेरणादायी:** यह कार्यक्रम राष्ट्रीय विकास हेतु बड़ी संख्या में युवा विद्यार्थियों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगा।
- **सामाजिक लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का विकास:** चिकित्सा, कृषि, औद्योगिक सुरक्षा, प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, जल तथा खाद्य संसाधन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी उपोत्पाद (spinoffs) हेतु अपार क्षमता विद्यमान है।
- **अंतरिक्ष कूटनीति:** यह नवीन अंतरिक्ष उद्योग में एक प्रमुख अभिकर्ता के रूप में भारत की भूमिका को पुनः स्थापित करने में सहयोग प्रदान करेगा, इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और स्पेस टू स्पेस डिप्लोमेसी को बढ़ावा प्रदान करेगा।
- **औद्योगिक विकास में सुधार:** इस कार्यक्रम से विभिन्न प्रौद्योगिकी और औद्योगिक क्षमताओं को एकत्रित करके शोध अवसरों तथा तकनीकी विकास में व्यापक भागीदारी को सक्षम बनाया जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में विद्यार्थी एवं शोधकर्ता लाभान्वित होंगे।

इस कार्यक्रम के समक्ष चुनौतियां

- **अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण:** भारत में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव है, हालांकि ISRO ने 2000 के दशक से ही अपने अंतरिक्ष यात्री के लिए स्वदेशी प्रशिक्षण केंद्रों की मांग की थी परन्तु अभी तक इस संबंध में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है।
- **अत्यधिक निवेश की आवश्यकता:** इस कार्यक्रम के लिए 10,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ अत्यधिक निवेश किए जाने की आवश्यकता है।
- **बायोसाइंस के क्षेत्र में:** ISRO ने मिशन के इंजीनियरिंग पहलुओं को पूरा कर लिया है, जबकि बायोसाइंस ISRO के लिए एक नया क्षेत्र है जिसके लिए अधिक तकनीकी ज्ञान, सहयोग और अन्य संगठनों से समर्थन की आवश्यकता है।
    - आवास योग्य अंतरिक्ष परिमंडल (habitable space ecospheres) सृजित करने के लिए एक्सोटिक मटेरियल और फर्स्ट क्लास रीसाइक्लिंग सिस्टम के विकास सहित विभिन्न प्रौद्योगिकियों की भी आवश्यकता होती है।
- **विकिरण:** अंतरिक्ष स्टेशनों में, अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की तुलना में दस गुना अधिक विकिरण की प्राप्ति होती है। विकिरण से अत्यधिक संपर्क होने से कैंसर संबंधी खतरों में वृद्धि हो सकती है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी क्षति पहुंचा सकता है।
- **तकनीकी चुनौतियां**
    - **गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र:** एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से दूसरे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पारगमन जटिल होता है। भारत में ऐसे गहन एवं केंद्रित प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जैसे कि गुरुत्वीय बल का अनुभव करने के लिए अपकेन्द्रण यंत्र के साथ ही ऐसी विमान प्रणालियों का भी अभाव है जो शून्य गुरुत्व परिस्थितियों का अनुरूपण कर सकें।
    - **प्रतिकूल वातावरण:** अंतरिक्ष का वातावरण प्रतिकूल होता है। गुरुत्वाकर्षण का अभाव और विकिरण के खतरे के अतिरिक्त, वहां किसी भी प्रकार का वायुमंडल विद्यमान नहीं है। अत: वायुदाब की अनुपस्थिति में मानव के रक्तदाब में अत्यधिक वृद्धि होगी।
        - 'गगनयान' मिशन के अंतर्गत एक छोटे क्षेत्र के भीतर पृथ्वी जैसे वायुमंडल सदृश्य परिस्थितियों का सृजन किया जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संपूर्ण मिशन के दौरान ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन तथा अनुकूल तापमान और आर्द्रता के स्तर को बनाए रखा जाए।
- **GSLV Mk III का उन्नयन करना:** गगनयान हेतु एक ऐसे वृहत रॉकेट की आवश्यकता होगी जो भारी कैप्सूल का प्रक्षेपण करने में सक्षम हो। बड़े उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित करने हेतु जियो-सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (GSLV) मार्क III को डिज़ाइन किया गया तथा अब इस प्रक्षेपण यान (लांचर) के माध्यम से मानव को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा।
- **परिशुद्ध प्रौद्योगिकी:** एक प्रणाली की विश्वसनीयता इतनी अधिक होनी चाहिए कि 500 प्रक्षेपणों में से केवल एक ही प्रक्षेपण के विफल होने की सम्भावना हो। उदाहरण के लिए- अंतरिक्ष यान को वायुमंडल में पुनः प्रवेश कराने हेतु अत्यधिक सटीक गति एवं कोण की आवश्यकता होती है और इसमें अति सूक्ष्म विचलन भी इसे दुर्घटना में परिवर्तित कर सकता है।

VISION IAS

निष्कर्ष

यह मिशन संपूर्ण अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा प्रदान करेगी, साथ ही यह पेलोड (एक ऐसा क्षेत्र जिसमें इसे पहले से ही उत्कृष्टता प्राप्त है) की निम्न लागत वाले प्रक्षेपण के परे विद्यमान चुनौतियों का सामना करने हेतु बल प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, कुछ मिशनों में रोबोटों की तुलना में मनुष्यों द्वारा बेहतर प्रदर्शन किया गया है। इससे संबंधित संभावनाएं भविष्य पर निर्भर करती हैं, किन्तु अंतरिक्ष क्षेत्र में मानवीय क्षमताओं का विकास, उद्योग क्षेत्र को पूर्व में ही बेहतर रूप से उन्नत बनाने में सहायक होगा। हालांकि इस प्रक्रिया में उत्पन्न तकनीकी ज्ञान को भविष्य में उपयोग किया जाएगा, चाहे वर्तमान में संभवतः ये अधिक स्पष्ट न हो।

7.2. चन्द्रयान 2

(Chandrayaan 2)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इसरो ने चंद्रयान-2 मिशन को प्रक्षेपित किया है।

पृष्ठभूमि

- चंद्रयान -2, पूर्णतः स्वदेशी रूप से निर्मित मिशन है, यह भारत का **द्वितीय चंद्र अन्वेषण मिशन** है। इसके निम्नलिखित मुख्य घटक हैं:
    - **ऑर्बिटर:** चंद्रमा की सतह का अवलोकन और पृथ्वी एवं चंद्रयान 2 के लैंडर (विक्रम) के मध्य सूचनाओं के संचार में सहायता प्रदान करेगा।
    - **लैंडर (जिसे 'विक्रम' कहा जाता है)** - लैंडर विक्रम को चंद्रमा की सतह पर भारत की प्रथम नियंत्रित लैंडिंग (soft landing) के लिए डिज़ाइन किया गया है।
    - **रोवर (जिसे 'प्रज्ञान' कहा जाता है)** - रोवर, एक AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) द्वारा संचालित 6-पहिया वाहन है, जो चंद्रमा की सतह पर संचलन करेगा तथा रासायनिक विश्लेषण संबंधी सूचनाएं प्रदान करेगा।
- **प्रक्षेपण यान (Launcher):** इसे जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV Mk-III-M1 द्वारा लॉन्च किया गया। यह भारत का अब तक का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है तथा इसे पूर्ण रूप से देश में ही निर्मित और डिज़ाइन किया गया है।
- **चंद्रयान 2 मिशन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं:**
    - चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर नियंत्रित लैंडिंग करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है।
    - स्वदेशी तकनीक से चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक नियंत्रित लैंडिंग करने वाला प्रथम भारतीय अभियान है।
    - देश में विकसित प्रौद्योगिकी द्वारा चंद्रमा की सतह से संबंधित सूचनाएं प्रदान करने वाला प्रथम भारतीय अभियान है।
    - संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के पश्चात् चंद्रमा की सतह पर नियंत्रित लैंडिंग कराने वाला भारत चौथा देश है।
- **प्रमुख उद्देश्य:** चन्द्रमा की सतह पर नियंत्रित लैंडिंग की क्षमता का प्रदर्शन और उसकी सतह पर एक रोबोटिक रोवर का संचालन करना। इसके अन्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
    - अन्वेषण के एक नए युग को प्रोत्साहन प्रदान करना,
    - अंतरिक्ष के प्रति हमारी समझ को विकसित करना,
    - प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति को प्रोत्साहित करना,
    - वैश्विक प्रयासों को आगे बढ़ाना,
    - खोजकर्ताओं तथा वैज्ञानिकों की भावी पीढ़ी को प्रेरित करना।

चंद्रयान 2 के वैज्ञानिक उद्देश्य

- चंद्रमा पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास के संदर्भ में **बेहतर जानकारी प्रदान करने में सहायता करता** है।
    - यह सौर मंडल के आंतरिक वातावरण की अज्ञात ऐतिहासिक सूचनाएं प्रदान कर सकता है।
    - हालांकि कुछ परिपक्व मॉडल मौजूद हैं, लेकिन चंद्रमा की उत्पत्ति के संबंध में और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।
    - यह विस्तृत स्थलाकृतिक अध्ययन, व्यापक खनिजीय विश्लेषण और चन्द्रमा की सतह पर अन्य परीक्षणों को संचालित करेगा।
- चंद्रयान 1 की सहायता से चंद्रमा पर जल अणुओं के साक्ष्यों की पूर्व में ही खोज की जा चुकी है, हालाँकि इस संदर्भ में चंद्रमा की सतह पर जल अणुओं के वितरण का पता लगाने हेतु और अतिरिक्त अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है।
- यह विशिष्ट रासायनिक संरचना वाली नई प्रकार की चट्टानों का अध्ययन करेगा।

चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के अध्ययन की आवश्यकता क्यों?

- चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव सामान्यतः छायांकित (प्रकाश रहित) रहता है। उत्तरी ध्रुव की तुलना में दक्षिणी ध्रुव का छायांकित क्षेत्र अधिक है। इसके चारों ओर स्थायी रूप से छायांकित क्षेत्रों में जल के उपस्थित होने की संभावना हो सकती है।

VISION IAS

- इसके अतिरिक्त, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में क्रेटर्स (गड्ढे) पाए जाते हैं जहां अत्यधिक निम्न तापमान हैं तथा इनमें प्रारंभिक सौर प्रणाली के जीवाश्म संबंधी साक्ष्य विद्यमान हैं।
- इसके रेगोलिथ में हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मर्करी और सिल्वर के साक्ष्य विद्यमान हैं, जो इसे आवश्यक संसाधनों का अब तक अप्रयुक्त स्रोत बनाता है।
- इसके तात्विक और स्थितिकीय लाभ इसे भावी अंतरिक्ष अन्वेषण हेतु एक आदर्श स्थल (pit stop) बनाते हैं।

मिशन के पेलोड

ऑर्बिटर पेलोड:

- टेरेन मैपिंग कैमरा -2 (TMC-2),
- चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (CLASS),
- सोलर एक्स-रे मॉनिटर (XSM),
- ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा (OHRC)
- ड्यूल फ्रीक्वेंसी एल और एस बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार (DFSAR),
- इमेजिंग आईआर स्पेक्ट्रोमीटर (IIRS),
- चंद्रयान -2 एटमोस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 (ChACE-2),
- ड्यूल फ्रीक्वेंसी रेडियो साइंस (DFRS) एक्सपेरिमेंट।

विक्रम पेलोड

- रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आयनोस्फियर एंड एटमॉस्फियर (RAMBHA),
- चन्द्र सरफेस थर्मो-फिजिकल एक्सपेरिमेंट (ChaSTE),
- इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी (ILSA)

प्रज्ञान पेलोड

- अल्फा पार्टिकल इंड्यूस्ड एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोप (APXS),
- लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप (LIBS)

अप्रत्यक्ष परीक्षण - लेजर रिट्रॉफ्लेक्टर एरे (LRA)

चंद्रयान-1 से संबंधित तथ्य

- भारत द्वारा अक्टूबर, 2009 में PSLV-C11 की सहायता से चंद्रयान -1 को प्रक्षेपित किया गया।
- **मुख्य उद्देश्य:** चंद्रमा का निकट एवं दूरस्थ दृश्यों का त्रि-आयामी एटलस तैयार करना तथा चंद्रमा का रासायनिक, खनिज संगठन और भूवैज्ञानिक मानचित्रण (photo-geological mapping) करना था।

चंद्रयान-1 द्वारा की गई खोज

- **जल की खोज -** प्रमुख खोज चंद्रमा की सतह पर जल (H2O) और हाइड्रॉक्सिल (OH) का पता लगाना था। आंकड़ों से यह ज्ञात हुआ है कि ध्रुवीय क्षेत्र के निकट प्रचुर मात्रा में जल विद्यमान है।
- **मैग्मा ओशन हाइपोथीसिस (Magma Ocean Hypothesis)-** इसने मैग्मा महासागर परिकल्पना की पुष्टि की है अर्थात् किसी समय चंद्रमा पूर्ण रूप से पिघली हुई अवस्था में था।
- **न्यू स्पिनेल-रिच रॉक-** चंद्रयान-1 के आंकड़ों से चंद्रमा के दूरस्थ क्षेत्र में न्यू स्पिन-रिच रॉक के प्रकार का पता चला है।
- **एक्स-रे संकेतों का पता चलना-** इसने क्षीण सोलर फ्लेर्स के दौरान एक्स-रे संकेतों का पता लगाया है, इस प्रकार चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन और कैल्शियम की उपस्थिति के संकेत प्राप्त हुए हैं।

7.3. DNA प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2019

{DNA Technology (Use & Application) Regulation Bill, 2019}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लोकसभा में **DNA प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2019** को पुर: स्थापित किया गया। इस विधेयक के तहत कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने हेतु DNA प्रौद्योगिकी के उपयोग के विनियमन संबंधी प्रावधान किया गया है।

VISION IAS

विधेयक के प्रमुख प्रावधान-

- **DNA डेटा का प्रयोग:** विधेयक की अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों के संदर्भ में ही DNA परीक्षण की अनुमति प्रदान की जाएगी, जैसे-
    - भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत आने वाले अपराध।
    - पितृत्व संबंधी मुकदमे (paternity suits) जैसे सिविल वाद।
    - व्यक्तिगत पहचान को स्थापित करने से संबंधी मामलें।
- **DNA का संग्रहण:** जांच अधिकारियों द्वारा किसी व्यक्ति के शारीरिक पदार्थों (bodily substances) को एकत्रित किया जा सकता है।
    - कुछ स्थितियों में सैंपल एकत्रित करने के लिए **सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी-**
        - गिरफ्तार व्यक्तियों हेतु: **सात वर्ष तक** की सजा पाने वाले अपराधी व्यक्तियों से **लिखित सहमति** प्राप्त करना आवश्यक होगा। परन्तु ऐसे अपराध के मामले में उक्त **सहमति की आवश्यकता नहीं है,** जिसमें सात वर्ष से अधिक के कारावास अथवा मृत्यु दंड का प्रावधान है।
        - यदि व्यक्ति, कोई पीड़ित या लापता व्यक्ति का संबंधी अथवा नाबालिक या दिव्यांग जन है तो ऐसे व्यक्तियों के सैंपल एकत्रित करने के लिए अधिकारियों को ऐसे पीड़ित व्यक्ति, संबंधी अथवा नाबालिक या दिव्यांग जन के माता-पिता या अभिभावक से लिखित सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। यदि किसी भी मामले में सहमति प्राप्त नहीं होती है तो अधिकारी मजिस्ट्रेट के पास अपील कर सकते हैं जो उन व्यक्तियों के सैंपल को एकत्रित करने के संबंध में आदेश जारी कर सकता है।
- **DNA डेटा बैंक- राष्ट्रीय DNA डेटाबैंक और क्षेत्रीय DNA डेटा बैंकों** द्वारा निर्धारित प्रारूप के तहत DNA प्रयोगशाला से DNA प्रोफाइल का संग्रहण किया जायेगा। प्रत्येक डेटा बैंक द्वारा **विभिन्न श्रेणियों से संबंधित डेटा को** संग्रहीत किया जायेगा: जैसे- क्राइम सीन इंडेक्स, सस्पैक्ट इंडेक्स (संदिग्ध व्यक्ति) आदि।
- **DNA प्रोफाइल को हटाना:**
    - DNA प्रोफाइल की प्रविष्टि (entry), प्रतिधारण (retention) अथवा हटाने (removal) संबंधी मानदंडों को विनियम द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।
    - हालाँकि, विधेयक में निम्नलिखित व्यक्तियों के DNA डेटा को हटाने के प्रावधान हैं:
        - संदिग्ध व्यक्ति: पुलिस द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने अथवा न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाने पर,
        - अभियोगाधीन व्यक्ति: यदि न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है,
        - लिखित अनुरोध के आधार पर, किसी ऐसे व्यक्ति का प्रोफाइल जो संदिग्ध, अपराधी या अभियोगाधीन नहीं है, लेकिन क्राइम सीन इंडेक्स या मिसिंग पर्सन इंडेक्स में उसके DNA प्रोफाइल को प्रविष्ट कर दिया गया हो।
- **DNA रेगुलेटरी बोर्ड की स्थापना:** इसके द्वारा DNA डेटा बैंक और DNA प्रयोगशालाओं की निगरानी की जाएगी।
    - जैव प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव, इस **बोर्ड के पदेन अध्यक्ष** होंगे। बोर्ड के **अतिरिक्त सदस्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:** (i) जीव विज्ञान (बायोलॉजिकल साइंसेज़) क्षेत्र के विशेषज्ञ और (ii) राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के महानिदेशक और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के निदेशक।
    - **बोर्ड के कार्य:** बोर्ड के कार्यों में निम्नलिखित शामिल है: (i) DNA प्रयोगशालाओं या डेटा बैंकों की स्थापना से संबंधित सभी विषयों पर सरकारों को सलाह देना और (ii) DNA प्रयोगशालाओं को प्रत्यायन (एक्रेडेशन) प्रदान करना। इसके अतिरिक्त, बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि डेटा बैंक, प्रयोगशालाओं और अन्य व्यक्तियों के DNA प्रोफाइल्स से संबंधित सभी सूचनाओं को **गोपनीय रखा जायेगा।**
- **विधेयक विभिन्न अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करता है,** जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) DNA सूचना का प्रकटीकरण करना, या (ii) बिना प्राधिकार के DNA सैंपल का उपयोग करना।

विधेयक से संबंधित चिंताएं

- विधेयक के अंतर्गत DNA प्रोफ़ाइल का **दायरा सीमित है** क्योंकि इसका उपयोग केवल अभियोजन अथवा बचाव के उद्देश्य के लिए साक्ष्य की स्वीकार्यता के नियमों के अनुसार आपराधिक मामलों में व्यक्ति की पहचान के उद्देश्य से किया जाएगा। **चिकित्सा अनुसंधान जैसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।**
    - इस विधेयक में पितृत्व/मातृत्व, सहायक प्रजनन तकनीक, अंग प्रत्यारोपण तथा आप्रवासन से संबंधित मामलों जैसे संवेदनशील **सिविल मामलों में सहमति संबंधी प्रावधानों को स्पष्ट नहीं किया गया है।**

* **पूर्णतः सत्यापित नहीं है -** यद्यपि DNA तकनीक पहचान के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम विधि है, लेकिन अभी भी यह विधि संभाव्यता पर आधारित है। यह संभावना व्यक्त की गयी है कि एक प्रोफाइल के गलत मिलान से किसी व्यक्ति का अनावश्यक उत्पीड़न हो सकता है।
* **यह विधेयक DNA के व्यावसायिक उपयोग में निम्नलिखित प्रक्रियाओं को सम्मिलित नहीं करता है** जैसे कि वंशावली संबंधी परीक्षण या रोगों की प्रकृति की खोज करने हेतु चिकित्सा परीक्षण अथवा DNA एडिटिंग।
* **विधेयक इस संबंध में भी प्रावधान नहीं किया गया है कि सिविल मामलों से संबंधित DNA सूचनाओं को डेटा बैंक में संग्रहीत किया जायेगा अथवा नहीं -** यदि सिविल मामलों से संबंधित DNA सूचनाओं को डेटा बैंक में संग्रहीत किया जाता है, तो इससे उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित निजता के मूल अधिकार का उल्लंघन हो सकता है।
* **सभी DNAs की मैचिंग संभव नहीं -** व्यक्ति की पहचान को उपर्युक्त वर्णित विभिन्न सूचियों के तहत संग्रहीत किया जायेगा। यदि व्यक्ति अपराधी, संदिग्ध या अभियुक्त नहीं है, तो उसके DNA की मैचिंग नहीं की जा सकती है।
* **दोषसिद्धि की दर में सुधार नहीं -** विगत 25 वर्षों में; अधिकांश देशों ने DNA फिंगरप्रिंटिंग कानून को अपनाया है और मुख्य रूप से आपराधिक जांच, आपदा की पहचान और फोरेंसिक साइंस में उपयोग के लिए डेटाबेस विकसित किए हैं। हालांकि, जिन देशों में पहले से ही इनका अनुपालन किया जा रहा है वहां DNA परीक्षणों से दोषसिद्धि की दर (conviction rates) में सुधार नहीं हुआ है।

आगे की राह

* डेटा के सम्मिश्रण (contamination), जालसाजी (forgery), गुमराह करना (mislabelling) और अन्य त्रुटियों को रोकने हेतु सैंपल की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बलों, अग्निशमन विभागों आदि को व्यापक स्तर पर पुनः कौशल (reskilling) प्रदान करने की आवश्यकता होगी।
* उल्लंघनों को प्रतिबंधित करने हेतु DNA बैंकों के लिए सुदृढ़ साइबर सुरक्षा मानदंडों की भी आवश्यकता होगी।
* कानून या नियमों की तीव्र तकनीकी परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु नियमित समीक्षा किए जाने की आवश्यकता होगी।
* गोपनीयता से संबंधित गंभीर चिंताएँ भी विद्यमान हैं। यह देखते हुए कि DNA किसी भी जैविक इकाई की सर्वाधिक अंतर्भूत सामग्री होती है, इसके लिए गोपनीयता सुरक्षा उपायों के साथ-साथ सावधानीपूर्वक परिभाषित करने के लिए उद्देश्य-आधारित सैंपल के संग्रह की आवश्यकता होती है।

DNA अथवा डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (Deoxyribonucleic acid) क्या है?

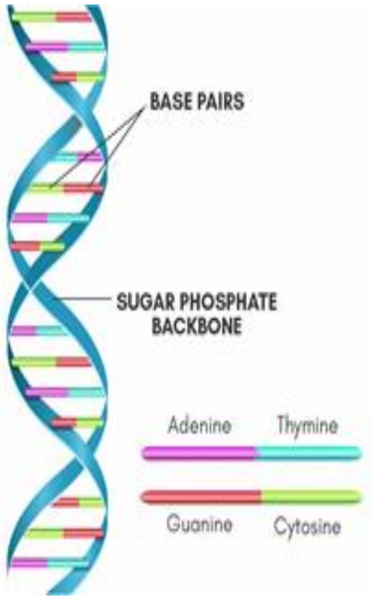

* DNA मानव एवं लगभग सभी अन्य जीवों का एक आनुवांशिक पदार्थ होता है।
* अधिकांश DNA **कोशिका के केन्द्रक** में पाए जाते है (जिन्हें केन्द्रकीय DNA कहा जाता है) लेकिन कुछ मात्रा में DNA माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जा सकते है (जिन्हें माइटोकॉन्ड्रियन DNA कहा जाता है)।
* यह दो श्रृंखलाओं से निर्मित एक द्वि-कुंडलित वक्राकार संरचना है। यह विकास हेतु आनुवांशिक सूचनाओं का वहन करता है।
* यह 23 जोड़े गुणसूत्रों से निर्मित होता है तथा संपूर्ण जीव और प्रोटीनों के निर्माण के लिए निर्देश प्रदान करता है।
* DNA में निहित सूचना चार रासायनिक क्षारों से निर्मित एक कोड के रूप में संग्रहित होती है, ये एडेनिन (A), ग्वानिन (G), साइटोसिन (C) और थायमिन (T) हैं। मानव DNA में लगभग 3 बिलियन क्षार होते हैं और इनमें से 99% से अधिक क्षार सभी लोगों में एक समान होते हैं।
* DNA की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह प्रतिलिपि अथवा स्वयं की प्रतियां बना सकता है। द्वि-कुंडली में DNA प्रत्येक स्ट्रैंड क्षार के अनुक्रम की प्रतिलिपि तैयार करने के लिए एक प्रारूप के रूप में कार्य कर सकता है।

महत्व

* यह कानून प्रवर्तन अधिकारियों की निगरानी तथा DNA प्रौद्योगिकियों का उपयोग और दुरुपयोग करने वाले उद्योगों के विनियमन हेतु एक रूपरेखा तैयार करता है।

- इससे किसी व्यक्ति की पहचान का सही पता लगाया जा सकता है, व्यक्तियों के मध्य जैविक संबंधों को स्थापित किया जा सकता है आदि। इस प्रकार, यह अपराध की जांच, अज्ञात शवों की पहचान करने अथवा पितृत्व के निर्धारण में उपयोगी है।
- यह एक कानूनी प्रावधानों के अभाव में कार्यरत निजी प्रयोगशालाओं और चिकित्सा सुविधाओं को आधिकारिक मान्यता प्रदान करेगा।

7.4. जैविक अनुसंधान डेटा

(Biological Research Data)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जैविक डेटा के उपयोग और साझाकरण हेतु **"भारत के जैविक आंकड़ा संग्रहण, पहुंच और साझाकरण नीति"** (Biological Data Storage, Access and Sharing Policy of India) नामक एक मसौदा दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

पृष्ठभूमि

- यह मसौदा दस्तावेज मुख्य रूप से वैज्ञानिकों के मध्य एक लंबे समय से विद्यमान मुद्दों का समाधान करता है। जैसे कि कई वैज्ञानिक **अनुसंधान एवं जैविक नमूनों और डेटा,** यथा- DNA नमूने, कोशिका एवं उतकों के नमूने एकत्रित करने व इन विवरणों को डेटाबेस में संग्रहीत करने के लिए सरकारी निधि का उपयोग करते हैं तथा प्रायः इस डेटा को किसी और द्वारा प्रयोग करने हेतु प्रतिबंधित कर देते है।
    - यह इनमें रूचि रखने वाले अन्य शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों **तक पहुंच को अवरुद्ध करता** है।
    - इससे **डेटा संग्रह पद्धतियों का दोहराव** होता है, वर्षों से एकत्रित किए गए डेटा तक पहुंच स्थापित करने के अवसर समाप्त हो जाते हैं और सार्वजनिक धन का अपव्यय होता है।
    - यह डेटा साझाकरण, डेटा की सामूहिक उपयोगिता को बढ़ाता है।
- हालांकि ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन्हें डेटा साझाकरण के संदर्भ में ध्यान में रखा जाना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसे एक उत्तरदायी तरीके से संपन्न किया जाना चाहिए।
    - डेटा व्यक्तियों और जनसंख्या के लिए सुभेद्यता को प्रेरित कर सकता है। UN में मानव अधिकारों की घोषणा के समान व्यक्तियों और जनसंख्या की निजता एवं गोपनीयता के अधिकारों को संरक्षित करने पर बल दिया जाना चाहिए तथा डेटा साझाकरण के परिणामस्वरूप उन्हें किसी प्रकार की क्षति नहीं होनी चाहिए।
- यह दस्तावेज़ व्यक्तियों और लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हुए तथा उन्हें किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना **डेटा साझाकरण हेतु एक रूपरेखा और सिद्धांत** प्रदान करता है।

जैविक डेटा हेतु व्यापक दिशा-निर्देश

- **डाटा साझाकरण और पहुंच हेतु फ्रेमवर्क-**
    - **डेटा तक पहुंच-** सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित परियोजनाओं से उत्पन्न डेटा को कुछ प्रतिबंधों सहित सार्वजनिक हित के लिए खुले तौर पर साझा किया जाना चाहिए और इससे साझा किए गए डेटा से उत्पन्न होने वाले नैतिक मुद्दों का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जा सकता है।
        - केवल **विशिष्ट परिस्थितियों** में सार्वजनिक निधियों का उपयोग करके उत्पन्न डेटा तक स्वतंत्र पहुंच प्रदान नहीं की जा सकती है जबकि एक **प्रबंधित/नियंत्रित** पहुंच संबंधी प्रोटोकॉल के अंतर्गत स्वतंत्र पहुंच प्रदान की जा सकती है।
        - **"संवेदनशील" प्रकृति** वाले डेटा तक पहुंच बाधित हो सकती है, चाहे इसे सार्वजनिक निधि का उपयोग करके उत्पन्न किया गया हो।
    - **उच्च मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं** का उपयोग डेटा सृजन, प्रबंधन और पहुंच स्थापित करने में किया जाना चाहिए।
    - मूल्यवान डेटा को दीर्घकाल तक **इस तरीके से संग्रहित किया जाना चाहिए** कि लंबे समय तक उनकी प्राप्ति सुनिश्चित हो सकें।
    - **अनुसंधान का संचालन-** डेटा को जारी करके जोखिम उत्पन्न नही किया जाना चाहिए।
    - **डेटा सृजनकर्ता का विशेषाधिकार-** इसे डेटा सृजनकर्ता द्वारा पब्लिक डोमेन में डेटा जारी करने से पूर्व निषेधावधि के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।
        - हालाँकि, साझा किए गए डेटा को सदैव **डी-आइडेंटिफाई** किया जाएगा।
- **डेटा को जारी करना और समय**
    - **प्राथमिक डेटा (Raw Data)-** इसे विभिन्न उपकरणों जैसे- DNA अनुक्रमक, फ्लो साइटोमीटर आदि का उपयोग करके उत्पन्न किया जाता है।
        - इसे भारत सरकार की वित्तपोषण एजेंसी द्वारा पहचान किए जाने वाले उपयुक्त डेटाबेस में सृजित होने के एक वर्ष के भीतर साझा किया जाना चाहिए।
    - **प्रसंस्कृत डेटा (Processed Data)-** यह प्राथमिक डेटा से प्रसंस्कृत किया जाने वाला डेटा है। डेटा उत्पन्न होने के दो वर्ष के भीतर इसे अन्यों के मध्य साझा किया जा सकता है।

VISION IAS

- **मेटा डेटा (Meta Data)-** यह अन्य डेटा की समझ के अनुपूरक के रूप में अतिरिक्त डेटा होता है। इसके अंतर्गत जेंडर, पृष्ठभूमि आदि शामिल हो सकते हैं। इसे अन्य प्रकार के डेटा के साथ जारी किया जाना चाहिए।
- नेशनल बायोलॉजिकल डेटा सेंटर में एक उपयुक्त डेटाबेस में **डेटा का संग्रहण,** जिसका निर्धारण जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाता है। वर्तमान में यह डेटा सृजनकर्ता का उत्तरदायित्व होगा।
- **डेटा को वापस लेना-** अनुरोधों पर विचार किया जा सकता है और स्वीकृति प्रदान की जा सकती है बशर्ते कि डेटा डेटाबेस में पहचान किए जाने योग्य होना चाहिए।

- **डेटा उपयोगकर्ता समझौता (Data User Agreement)**
  - **ओपन एक्सेस डेटा-** वे डेटा जो अधिकांशत: सभी व्यक्तिगत पहचानकर्ताओं से प्राप्त किए गए है और वे जो किसी भी बौद्धिक संपदा अथवा पेटेंट प्रतिबंधों के अधीन नहीं होते हैं। उन्हें खुले तौर पर उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, विशेषकर यदि डेटा का सृजन सार्वजनिक धन के उपयोग के माध्यम से किया गया हो।
    - इस समझौते में डेटा प्रदाता, बौद्धिक संपदा, डेटा साझाकरण, व्यक्तियों की पुनः पहचान और अन्य कानूनी मुद्दों से संबंधित जानकारी होनी चाहिए।
  - **प्रबंधित डेटा-** कभी-कभी, सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित परियोजनाओं में भी उत्पन्न डेटा को विभिन्न कारणों से खुली पहुंच (ओपन एक्सेस) की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। इस प्रकार के डेटा को अभी भी **प्रबंधित पहुंच** के आधार पर अन्यों को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।
    - इस समझौते में एक्सेस के उद्देश्य, डेटा एक्सेस का अनुरोध करने वाले शोधकर्ताओं की क्षमता, डेटा एक्सेस करने के लिए अधिकृत उपयोगकर्ताओं, डेटा की अवधि आदि को शामिल किया जाना चाहिए।
- **लेखा परीक्षा-**
  - **खुली-पहुंच वाले डेटा के लिए:** पहुंच और उपयोग की निगरानी करने हेतु राष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसियों के एक संघ द्वारा एक राष्ट्रीय समिति की स्थापना की जा सकती है।
  - **प्रबंधित-पहुंच वाले डेटा के लिए:** डेटा को प्रबंधित करने वाली संस्था डेटा की लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगी।
  - **डेटा-प्रबंधन समूह** के नियमित रूप से उन उपयोगकर्ताओं से रिपोर्ट प्राप्त करेंगे जिन्हें डेटा तक पहुंच प्रदान की गई है।

7.5. कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता

(Artificial Intelligence in Agriculture)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मौसम प्रौद्योगिकी समाधान (weather technology solutions) का उपयोग करने हेतु एक पायलट अध्ययन करने के लिए IBM इंडिया के साथ समझौता किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह पायलट अध्ययन मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र राज्यों के क्रमशः तीन जिलों - भोपाल, राजकोट और नांदेड़ में वर्ष 2019 की खरीफ फसल अवधि के दौरान किया जाएगा।
- IBM किसानों को बेहतर उत्पादन व उत्पादकता के लिए जल और फसल प्रबंधन के बारे में निर्णय लेने में सहायता करने के लिए नि: शुल्क मौसम का पूर्वानुमान और मृदा आर्द्रता की जानकारी प्रदान करने के लिए AI तथा मौसम प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में समाधान प्रदान करेगा।

कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता

- ऐसा अनुमान है कि AI और इससे संबद्ध कृषि सेवाएँ वर्ष 2020 तक 70 मिलियन भारतीय किसानों को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे किसानों की आय में 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि होगी।
- वर्ष 2017 में, वैश्विक AI की कृषि बाजार में हिस्सेदारी 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी और वर्ष 2025 तक 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक वृद्धि होने की अपेक्षा है।
- **कृषि बाजार में AI की वृद्धि को प्रेरित करने वाले प्रमुख कारकों में शामिल हैं:**
  - बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि उत्पादन की मांग में वृद्धि;
  - फसल उत्पादकता में सुधार के लिए सूचना प्रबंधन प्रणाली और नई उन्नत तकनीकों को अपनाना;
  - डीप लर्निंग तकनीक को लागू करके फसल उत्पादकता को बढ़ाना;
  - आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए विश्व भर में सरकारों द्वारा प्रारंभ की गई कई पहलें।

VISION IAS

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence: AI) के बारे में

- इसका आशय मशीनों की सोचने, समझने, सीखने, समस्या समाधान और निर्णय-निर्माण जैसे संज्ञानात्मक कार्यों तथा निरंतर पर्यवेक्षण के बिना रियल टाइम परिस्थितियों में कार्यों को निष्पादित करने की क्षमता से है।
- इसे विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने, कनेक्टिविटी को सक्षम बनाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए परिनियोजित किया जा सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्षेत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि मशीनें मानव बुद्धि की आवश्यकता वाले कार्य कर सकती हैं।
- यह मशीन लर्निंग को शामिल करता है, जहां मशीनें अनुभव से सीख सकती हैं और मानव भागीदारी के बिना कौशल प्राप्त कर सकती हैं।

AI के अनुप्रयोग

- **स्वास्थ्य देखभाल:** गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुंच और सामर्थ्य में वृद्धि,
- **कृषि:** किसानों की आय में वृद्धि, कृषि उत्पादकता में वृद्धि और अपव्यय में कमी,
- **शिक्षा:** शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार,
- **स्मार्ट सिटी और अवसंरचना:** बढ़ती शहरी जनसंख्या के लिए दक्षता और कनेक्टिविटी,
- **स्मार्ट मोबिलिटी और परिवहन:** परिवहन के स्मार्ट और सुरक्षित साधन तथा बेहतर यातायात और संकुलन की समस्याओं का समाधान।

AI का महत्व

- AI में पूंजी और श्रम की भौतिक सीमाओं को समाप्त करने तथा मूल्यों एवं विकास के नए स्रोतों को उपलब्ध कराने की क्षमता है।
- AI में निम्नलिखित कार्यों के माध्यम से विकास को गति प्रदान करने की क्षमता विद्यमान है:
  - **इंटेलिजेंट ऑटोमेशन** अर्थात् जटिल भौतिक वैश्विक कार्यों को स्वचालित करने की क्षमता।
  - **नवाचार को बढ़ावा** अर्थात् अर्थव्यवस्था के माध्यम से नवाचारों को प्रेरित करना।
- **सामाजिक विकास और समावेशी संवृद्धि में भूमिका:** गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करना, स्थानीय अवरोधों को समाप्त करना, किसानों हेतु रियल टाइम आधारित परामर्श प्रदान करना एवं उत्पादकता में वृद्धि करना, स्मार्ट और कुशल शहरों का निर्माण करना आदि।

AI को अपनाने में विद्यमान चुनौतियां

- डाटा समर्थकारी परिवेश की अनुपस्थिति जैसे कि इंटेलिजेंट डाटा तक पहुंच।
- AI के अनुप्रयोग और अनुसंधान क्षेत्र में व्यापक विशेषज्ञता का अभाव है।
- AI विशेषज्ञता, जनशक्ति और कौशल अवसरों की अपर्याप्त उपलब्धता।
- व्यावसायिक प्रक्रियाओं में AI को अपनाने के लिए उच्च संसाधन लागत और इस संबंध में जागरूकता का अभाव।
- डाटा संग्रहण, सृजन और बेंचमार्किंग क्षमताओं में विद्यमान अत्यधिक अंतराल।
- अस्पष्ट निजता, सुरक्षा और नैतिक नियम।
- AI को अपनाने और उससे संबंधित अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए अनाकर्षक बौद्धिक संपदा व्यवस्था।
- विभिन्न हितधारकों के मध्य सहयोगात्मक प्रयास की अनुपस्थिति।

कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने में विद्यमान चुनौतियां

- **कृषि में प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी:** केवल 4% भारतीय AI पेशेवरों को डीप लर्निंग जैसी उभरती तकनीकों में प्रशिक्षित किया गया है।
- **लघु किसानों के लिए महंगा:** कृषि में AI अधिक महंगा सिद्ध हो सकता है और लघु किसानों को उस तरह की फंडिंग की सुविधा प्राप्त नहीं होती है।
- **कृषि में अवसंरचना की कमी:** AI अनुप्रयोगों को विकसित करने और लागू करने के लिए फार्मों में सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना और डाटा वेयरहाउसिंग सिस्टम की कमी है।
- **जागरूकता का अभाव:** अभी भी विश्व के अधिकांश भागों में खेतों में उपयोग किए जा सकने वाले उच्च तकनीक मशीन लर्निंग समाधान के बारे में जानकारी का अभाव है।
- **रोजगार में कमी:** कृषिगत रोजगार और कृषि श्रमिकों की कमी पहले से ही आरंभ हो गई है और यह स्थिति इन प्रौद्योगिकियों की बढ़ती उन्नति और उपलब्धता के साथ और अधिक गंभीर हो जाएगी।

VISION IAS

- **सामयिक डाटा प्राप्त करने में समस्याएँ:** विशाल कृषि भूमि के मामले में, हालांकि स्थानिक डाटा (spatial data) को आसानी से संग्रहित किया जा सकता है, परन्तु सामयिक डाटा (एक समय में एक राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि भूमि-उपयोग प्रतिरूप) प्राप्त करना कठिन है।
    - उदाहरण के लिए, अधिकांश फसल-विशिष्ट डाटा वर्ष में केवल एक बार (फसलें वृद्धिशील अवस्था में होती हैं) प्राप्त किया जा सकता है। चूंकि डाटा अवसंरचना को विकसित होने में समय लगता है, इसलिए एक सुदृढ़ मशीन लर्निंग मॉडल के निर्माण के लिए निश्चित समय की आवश्यकता होती है।

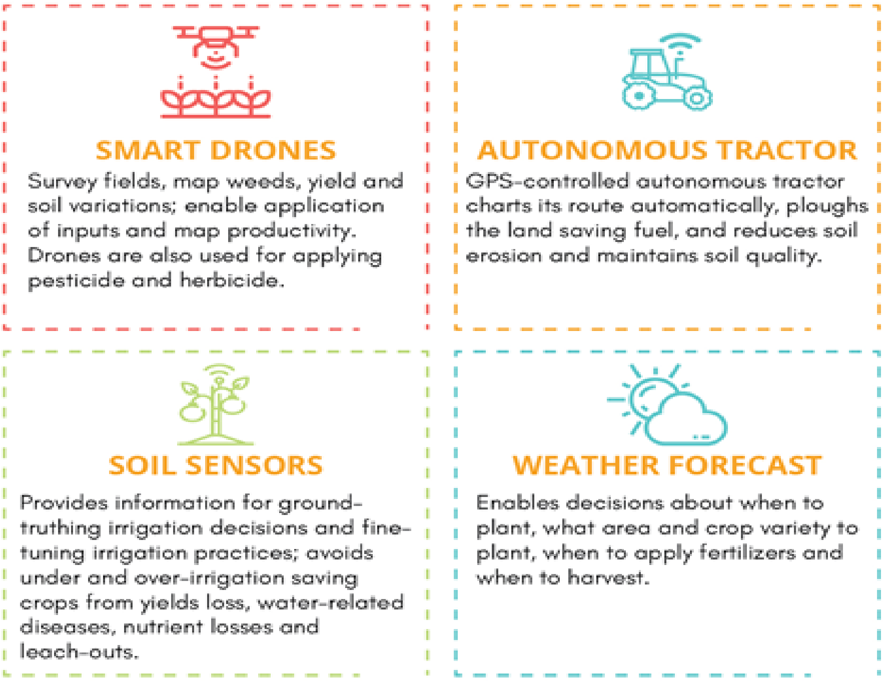

- **डाटा से संबंधित मुद्दे:** मानकों की कमी, डाटा उपयोग और स्वामित्व के संबंध में कथित निम्न पारदर्शिता तथा डाटा संग्रहित करने और साझा करने की कठिनाई ने ऐसी स्थिति को उत्पन्न किया है जहां कृषि में AI एल्गोरिदम डेवलपर्स के लिए अभी भी डाटा की अधिक आवश्यकता हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उठाए गए कदम

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा स्थापित **"सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (CoE in AI)"** AI क्षेत्र में नए प्रगतिशील समाधानों के लिए एक मंच है, जिसके माध्यम से केंद्र और राज्य स्तर पर NIC की परियोजनाओं के लिए समाधानों का परीक्षण और विकास किया जा सकता है।
- आकांक्षी जिलों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करके परिशुद्ध कृषि विकसित करने के लिए **नीति अयोग और IBM** के मध्य एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल कटाई और उपज के आकलन के लिए पायलट आधार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग आरंभ किया है।
- माइक्रोसॉफ्ट इंडिया द्वारा कृषि और स्वास्थ्य सेवा को स्मार्ट बनाने के लिए AI सेंसर का उपयोग किया जा रहा है।

आगे की राह

- **सुदृढ़ डेटा अवसंरचना:** बड़े पैमाने पर कृषि में AI के सफल परिनियोजन से पूर्व कृषिगत डाटा अवसंरचना को अधिक सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता होगी।
- **डिजिटल साक्षरता में वृद्धि:** ग्रामीण परिदृश्य में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने की पहलें किसानों को इन तकनीकों को समझने और अपनाने में सहायता कर सकती है।
- **ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म:** एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म समाधानों को अधिक वहनीय बना देगा, जिसके परिणामस्वरूप किसानों द्वारा तीव्रता से अपनाया जाएगा और उनके मध्य अत्यधिक पहुँच स्थापित होगी।
- **किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करना:** सरकार द्वारा AI को अपनाने के लिए कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने तथा इसे किसानों के लिए अधिक वहनीय और आकर्षक बनाने की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है।
- **अनुसंधान एवं विकास में वृद्धि:** AI के क्षेत्र में शोध को अधिक बेहतर बनाने के लिए AI में उत्कृष्टता केंद्र (COE) पहल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **हितधारकों के मध्य सहयोग:** उद्योग, सरकार और अन्य सभी हितधारकों को कृषि के लिए व्यावहारिक समाधान के लिए सहयोग स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

7.6. नवाचार पारितंत्र

(Innovation Ecosystem)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने **वैश्विक नवाचार सूचकांक** में अपनी रैंकिंग में 5 स्थानों का सुधार करते हुए विगत वर्ष के 57वें स्थान की तुलना में वर्ष 2019 में 52वां स्थान प्राप्त किया है।

पृष्ठभूमि

- **नवाचार** को नव उत्पादों या प्रक्रियाओं के प्रस्तुतिकरण अथवा मौजूदा उत्पादों या प्रक्रियाओं में सुधार के द्वारा नवीन प्रौद्योगिकियों, विचारों अथवा विधियों के वाणिज्यिक रूप से सफल उपयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- **वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII)** को कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, INSEAD आदि जैसे शीर्ष वैश्विक व्यावसायिक विश्वविद्यालयों के सहयोग से **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)** द्वारा विकसित किया गया है।
  - यह अनुसंधान एवं विकास निवेशों और पेटेंट व ट्रेडमार्क आवेदनों जैसे मानक परिमापों से मोबाइल फ़ोन ऐप निर्माण तथा उच्च-प्रौद्योगिकी निर्यातों तक विस्तारित **80 संकेतकों** का उपयोग करते हुए 129 अर्थव्यवस्थाओं की **नवाचार क्षमता और निर्गतों** का मापन करता है।
  - इस वर्ष भारत GII के 2019 संस्करण को जारी करने की मेजबानी कर रहा है।
  - इस वर्ष के GII का विषय **'स्वस्थ जीवन का सृजन-चिकित्सा नवाचार का भविष्य' (Creating Healthy Lives: The Future of Medical Innovation) है,** जो भारत के लिए महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है, क्योंकि सभी भारतीयों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ प्रदान करने के लक्ष्य की ओर चिकित्सा नवाचार पर विशिष्ट ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
- भारत जमीनी स्तर पर नवाचार और मितव्ययी नवाचार सहित सभी स्तरों पर विकास हेतु नवाचार के लिए एक सक्षम परिवेश उपलब्ध कराने हेतु अपनी बौद्धिक संपदा प्रणाली को विकसित करने पर निरंतर कार्यरत है।

नवाचार रैंकिंग में भारत का प्रदर्शन

- GII के अनुसार, भारत वर्ष 2011 के पश्चात् से मध्य एवं दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नवाचारी देश रहा है तथा निरंतर 9 वर्षों से अपनी प्रति व्यक्ति GDP के सापेक्ष नवाचार के संबंध में निरंतर बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।
- भारत ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं के निर्यातों, विज्ञान व अभियांत्रिकी में स्नातकों, विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक प्रकाशनों, अर्थव्यवस्था-व्यापी निवेश तथा रचनात्मक वस्तुओं के निर्यातों जैसे नवाचार चालकों के संबंध में विश्व के शीर्ष देशों में निरंतर अपना स्थान बनाए हुए है।
- वैज्ञानिक प्रकाशनों, विश्वविद्यालयों और पेटेंट श्रेणियों की गुणवत्ता में नवाचार की गुणवत्ता पर भारत को विश्व स्तर पर मध्य-आय अर्थव्यवस्था के रूप में द्वितीय स्थान प्रदान किया गया है।
- ज्ञातव्य है कि भारत ने विश्व के शीर्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकुलों पर GII रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन किया है। उल्लेखनीय है कि विश्व के शीर्ष 100 संकुलों में बेंगलुरु, मुंबई और नई दिल्ली को शामिल किया गया है।
- समग्र रूप से, भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है जो वर्ष 2015 में 81वें स्थान से वर्ष 2018 में 57वें स्थान पर पहुंच गई है।

नवाचार के संदर्भ में भारत की स्थिति के कुछ संकेतक

क्षमताएं	कमियां
• विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में अधिक स्नातक। • उच्च सकल पूँजी निर्माण। • छोटे निवेशकों के संरक्षण को सुगम बनाना। • भारत पेटेंट आवेदन के मामले में विश्व में सातवें स्थान पर है। • उच्च सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं का निर्यात। • वृहत सृजनात्मक वस्तुओं का निर्यात।	• भारत का अनुसंधान एवं विकास पर व्यय विगत दो दशकों से भी अधिक समय से GDP के केवल 0.6-0.7% पर स्थिर है। • व्यावसायिक मनोवृति का अभाव। • अपर्याप्त विनियामकीय परिवेश। • अध्ययन, गणित और विज्ञान में मूल्यांकन के संदर्भ में शिक्षा से संबंधित मुद्दे। • शिक्षण एवं अनुसंधान उद्यम के मध्य असंबद्धता, क्योंकि अनुसंधान केवल विशेषीकृत शोध संस्थानों में ही सकेंद्रित है। • औपचारिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं का अभाव। • अनुसंधान एवं नवाचार के क्षेत्र में ऋण प्राप्त करने में कठिनाई।

VISION IAS

नवाचार परितंत्र के लिए उठाए गए कदम

- **विभिन्न योजनाएं-** रामानुजन फ़ेलोशिप योजना, इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च (INSPIRE) फैकल्टी योजना तथा रामालिंगास्वामी री-एंट्री फ़ेलोशिप योजना, विजिटिंग एडवांस्ड जॉइंट रिसर्च फैकल्टी योजना (VAJRA), नॉलेज इन्वोल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग (KIRAN) आदि।
- **अटल नवप्रवर्तन मिशन (AIM)-** यह भारत के लिए विश्व स्तरीय नवाचार केंद्रों तथा ग्रैंड चैलेंज के एक नेटवर्क को प्रोत्साहित करने हेतु एक मंच के रूप में कार्य करता है।
    - **सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट युटिलाइज़ेशन (SETU)-** यह विशेषतया प्रौद्योगिकी संचालित क्षेत्रों में स्टार्ट-अप व्यवसायों और अन्य स्व-रोजगार गतिविधियों के सभी पहलुओं को समर्थन प्रदान करने हेतु एक प्रौद्योगिकी-वित्तीयन, इन्क्यूबेशन और सुविधा कार्यक्रम होगा।
    - **विभिन्न नवाचार चुनौतियाँ-** जैसे कि भारतीय रेलवे के लिए, डिजिटल इंडिया चैलेंज 2.0, नीति आयोग द्वारा ग्रांड इनोवेशन चैलेंज, स्मार्ट इंडिया हैकथॉन आदि।
- **इंडिया इनोवेशन ग्रोथ प्रोग्राम (IIGP) 2.0** भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST), लॉकहीड मार्टिन तथा टाटा ट्रस्ट का एक विशिष्ट त्रिपक्षीय कार्यक्रम है। इस पहल का उद्देश्य भावी प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों को विकसित करने के लिए नवाचार और त्वरण के चरणों के माध्यम से नवोन्मेषकों और उद्यमियों की क्षमताओं में वृद्धि करना है।
- **इनोवेट इंडिया** संपूर्ण देश में सम्पन्न नवाचारी गतिविधियों को प्रदर्शित करने, प्रोत्साहित करने तथा मान्यता प्रदान करने हेतु एक विशिष्ट मंच है। इसे अटल नवप्रवर्तन मिशन-नीति आयोग (AIM-NITI Aayog) तथा मेरी सरकार (MyGov) के सहयोग में लांच किया गया है। देश के सभी भागों के नागरिक इस मंच पर नवाचार विचारों को साझा करने हेतु पात्र हैं।
- **भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)** ने भारतीय उद्योग के मध्य नवाचारों के सृजन और बढ़ावा देने तथा उद्यमशील उपक्रमों को प्रोत्साहित करने हेतु पहलों को संचालित किया है।
- वर्तमान में भारत द्वारा देश में WIPO समर्थित **प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सहायता केंद्र (TISCs)** स्थापित किए जा रहे हैं। ये केंद्र स्थानीय नवोन्मेषकों तथा सृजकों को अनुसंधान और उनके उत्पादों का विपणन करने में सहायता प्रदान करेंगे।
- वर्ष 2018 में **प्रथम भारत नवाचार सूचकांक** को WIPO के सहयोग से जारी किया गया, जो नवाचार के संदर्भ में भारतीय राज्यों को रैंकिंग प्रदान करता है।

नवाचार परितंत्र द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ

- भारतीय नवाचार **निरपवाद रूप से वृद्धिशील हैं और न की गतिहीन -** वे प्राय: "पहले भारत के लिए न कि पहले विश्व के लिए" होते हैं। वे 'प्रचलित सर्वोत्तम प्रथाओं' का ही अनुकरण करते हैं, परन्तु 'नवीन प्रथाओं' का सृजन नहीं करते हैं।
- गति, पैमाने और संधारणीयता के साथ **प्रतिस्पर्धी विपणन-योग्य उत्पादों** के सृजन हेतु **मापनीयता का अभाव।**
- **विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित (STEM) प्रतिभा पूल की गुणवत्ता-** भारत में तृतीयक शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात अत्यल्प (26%) है, जिसका तात्पर्य यह है कि संभावित अनुसंधान प्रतिभा का एक बड़ा भाग लुप्त हो गया है।
- **अन्य देशों के साथ तुलना-** यद्यपि भारत विश्व के शीर्ष 50 देशों में स्थान प्राप्त करने की ओर अग्रसर है, परन्तु यह चीन से अभी भी बहुत पीछे है। उदाहरणार्थ वर्ष 2018 में चीन ने WIPO में 53,345 पेटेंट आवेदन प्रस्तुत किए हैं जबकि भारत के पेटेंट आवेदनों की संख्या केवल 2,013 है।
- **विषम परिणाम-** भारत में चंद्रयान और डिजिटल भुगतान जैसी उत्कृष्ट सफलताओं तथा बेरोजगार अभियांत्रिकी स्नातकों व संस्थाओं (जिनके पास वस्तुतः किसी भी प्रकार की स्वायत्तता नहीं है) की अधिक संख्या की एक असंगत स्थिति (odd juxtaposition) विद्यमान है। हालांकि, भारत के शीर्ष विश्विद्यालय एवं संस्थान (IITs दिल्ली व मुंबई और IISc) क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, परन्तु वे विश्व के शीर्ष 100 संस्थानों में शामिल होने में निरंतर विफल रहे हैं।

आगे की राह

- नवाचार, स्टार्ट-अप्स, कंपनियों के समूह और सरकार की सेवा आपूर्ति एवं प्रदर्शन में सुधार संबंधी सहायता के द्वारा उनकी समृद्धि का एक प्रमुख चालक है। यह अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक विकास में भी योगदान करता है।
- भारत को एक आकर्षक एवं नवोन्मेषी केंद्र के रूप में रूपांतरित करने हेतु सरकार, उद्योग, शैक्षणिक समुदाय और समाज जैसे विभिन्न हितधारकों के मध्य परस्पर संबंधों के विकास के द्वारा नवाचार पारितंत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

VISION IAS

- विश्विद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों के मध्य सहक्रियता में सुधार करने हेतु राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को विश्विद्यालयों के साथ संबद्ध करने की आवश्यकता है। इससे संकाय समर्थन और युवा प्रतिभाओं के मध्य विद्यमान अंतराल का समाधान होगा तथा उत्कृष्टता हेतु गहन प्रतिबद्धता सुनिश्चित होगी।
- सरकार नव अनुसंधान एवं विकास वित्तपोषण अवसरों के सृजन हेतु निजी क्षेत्रक के साथ साझेदारी कर सकती है, जैसे कि उच्चतर आविष्कार योजना (UAY) के तहत उद्योग प्रासंगिक अनुसंधान हेतु विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (SERB) के साथ 50:50 की साझेदारी।
- इसके अतिरिक्त शिक्षाविद जो केवल 'निरंतर प्रकाशन' (publish or perish) में ही नहीं बल्कि **'पेटेंट प्रकाशन और समृद्धि'** में भी विश्वास करते हैं, उन्हें इस परिवेश में एक महत्वपूर्ण सहायक की भूमिका (a crucial cog in the machine) का सृजन करना चाहिए। वैज्ञानिक जिनमें 'तकनीकी उद्यमी' और उत्साही नवोन्मेषी नेतृत्वकर्ता बनने की प्रबल इच्छा विद्यमान है उन्हें इन नवाचारों की मापनीयता (scalability) हेतु आगे आने की आवश्यकता है।

7.7. पशु आहार में प्रतिजैविकों का प्रयोग

(Use of Antibiotics in Animal Food)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, स्वास्थ्य मंत्रालय ने खाद्य उत्पादक पशुओं और पशु आहार अनुपूरकों हेतु एंटीबायोटिक कोलिस्टिन और इसके फॉर्मूलेशन्स के विनिर्माण, विक्रय एवं वितरण को प्रतिबंधित कर दिया है।

कोलिस्टिन (colistin) के बारे में

- कोलिस्टिन अथवा पॉलीमिक्सिन ई (polymyxin E) एक पुरानी प्रतिजैविक औषधि है, जिसे वर्ष 1952 में पहली बार उपयोग में लाया गया।
- इस औषधि का उपयोग ग्राम-नेगेटिव बेसिली (Gram-negative bacilli) के कारण हुए संक्रमणों के उपचार हेतु किया जाता था। ज्ञातव्य है कि यह बेसिली प्लेग, हैजा और टाइफाइड जैसे विभिन्न रोगों हेतु उत्तरदायी है।
- हालांकि,यह ज्ञात हुआ कि कोलिस्टिन के नेफ्रोटोक्सिटी और न्यूरोटॉक्सिटी दुष्प्रभाव इसके उपयोग को प्रतिबंधित करने तथा इसे अन्य प्रतिजैविकों (जिन्हें उस समय सुरक्षित समझा जाता था) द्वारा प्रतिस्थापित करने हेतु प्रमुख कारक थे।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार कोलिस्टिन एक "रिज़र्व" प्रतिजैविक है जिसका तात्पर्य है कि इसे उपचार में एक "अंतिम विकल्प" के रूप में अपनाया जाना चाहिए तथा इसका अत्यंत गंभीर परिस्थितियों में केवल तभी उपयोग किया जाना चाहिए जब अन्य सभी विकल्प असफल हो जाएं।

संबंधित तथ्य

- यह ज्ञात हुआ है कि कुक्कुट पालन उद्योग में कोलिस्टिन का दुरुपयोग **भारत में प्रतिजैविक प्रतिरोध में वृद्धि का प्रमुख कारण है।**
- **औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के तहत इन** प्रतिबंधों को आरोपित किया गया है।
- ये प्रतिबंध औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (DTAB) और राष्ट्रीय रोगाणुरोधी प्रतिरोध कार्ययोजना समिति की अनुशंसाओं के आधार पर आरोपित किए गए हैं।
- सरकार को **प्रतिजैविक औषधि कोलिस्टिन के विनिर्माताओं के लिए लेबल पर लिखित सूचना के माध्यम से यह स्पष्ट करना अनिवार्य किया जाना चाहिए कि औषधि का उपयोग खाद्य उत्पादक पशुओं,** कुक्कुट, जलीय कृषि और पशु आहार अनुपूरकों में नहीं किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

- भारत संपूर्ण विश्व में कृषिगत प्रतिजैविक औषधियों के शीर्ष उपभोक्ताओं में से एक है, जो वैश्विक उपभोग के 3% हेतु उत्तरदायी है। वर्ष 2030 तक इस उपभोग के दोगुना होने की संभावना व्यक्त की गई है।
- ज्ञातव्य है कि यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन में इस औषधि का उपयोग निषिद्ध है।

खाद्य उत्पादक पशुओं में प्रतिजैविक औषधियों के प्रयोग हेतु उत्तरदायी कारण

- उन पशुओं के उपचार हेतु जिनमें एक संक्रामक रोग के लक्षण प्रकट हुए हैं।
- पशुओं के भार में वृद्धि करने हेतु वृद्धिकारक (ग्रोथ प्रमोटर) के रूप में।
- प्रतिजैविकों की सुगम उपलब्धता।

- वर्तमान में, भारत में केवल कुछ कानून खाद्य उत्पादक पशुओं हेतु प्रतिजैविकों के उपयोग को नियंत्रित करते हैं तथा अधिकांश कानून केवल निर्यात के लिए संरक्षित पशु उत्पादों से संबंधित हैं।

इसके दुरुपयोग की रोकथाम हेतु किए जाने वाले उपाय

- **प्रतिजैविक औषधियों के उपयोग की निगरानी:** एक राष्ट्रव्यापी निगरानी एवं निरीक्षण तंत्र के माध्यम से पशुचिकित्सा-संबंधी प्रतिजैविकों के उपयोग, प्रतिरोध और अवशेषों की दरों की निगरानी।
- **प्रतिजैविकों के विकल्प:** प्रतिजैविकों के अनुपूरक और विकल्प कृषकों के लिए बिना किसी आर्थिक क्षति के प्रतिजैविकों के उपयोग को कम करने हेतु प्रोत्साहनकारी सिद्ध हो सकते हैं।
- **प्रतिजैविक मुक्त मांस को प्रोत्साहन:** पशु-चिकित्सकों, कृषकों और उपभोक्ताओं को प्रतिजैविकों के उपयुक्त उपयोग और प्रतिजैविक मुक्त मांस के लाभों के संबंध में शिक्षित किया जाना चाहिए।
- **प्रतिजैविकों के उपयोग को कम करने हेतु कानून:** भारत में प्रतिजैविकों के उपयोग को कम करने के लिए वर्तमान कानूनों के प्रवर्तन के साथ-साथ उपयुक्त कानूनों और विनियमों का निर्माण किया जाना चाहिए।

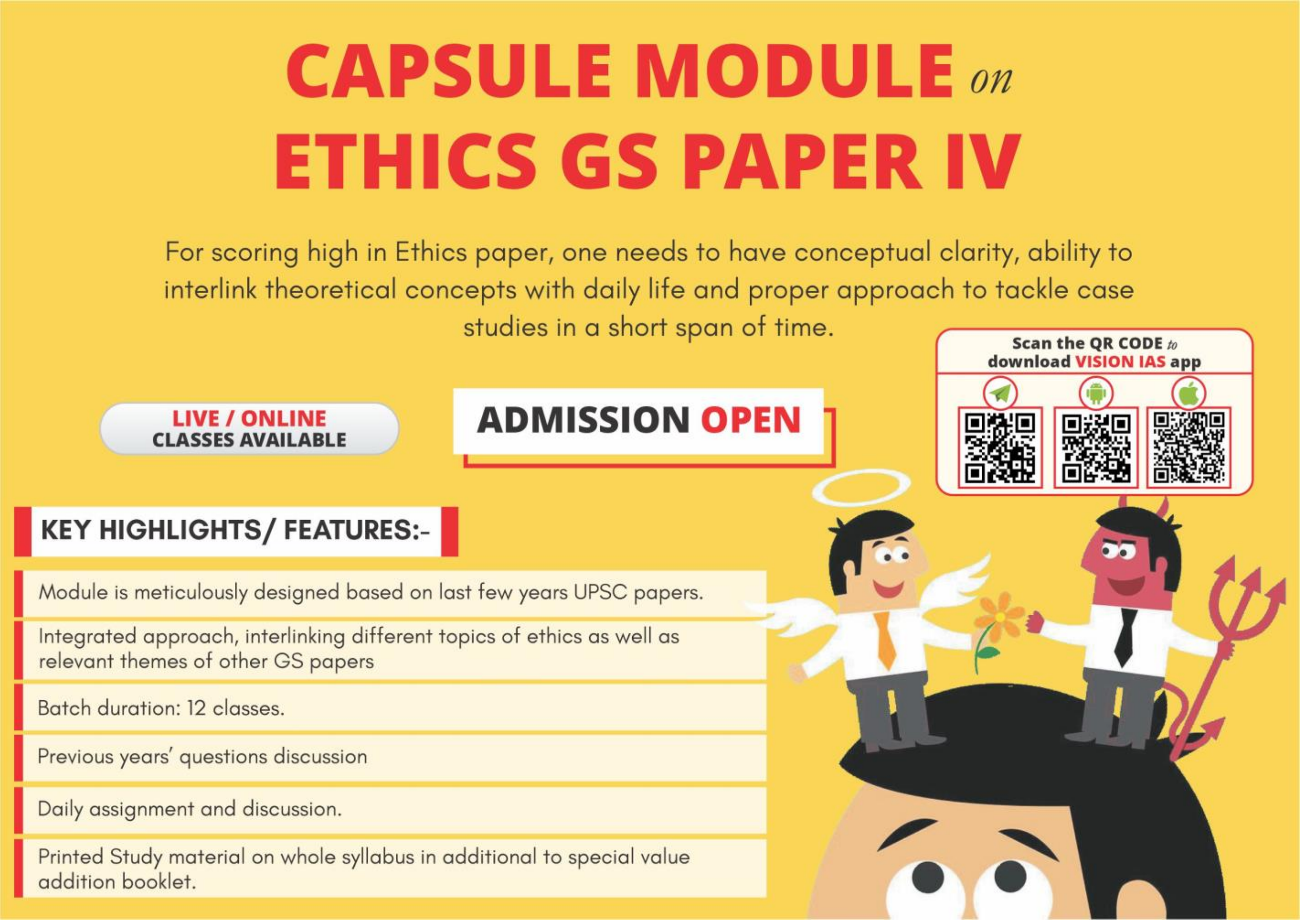

8. संस्कृति (Culture)

8.1. मिनी खजुराहो

(Mini Khajuraho)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के **मार्कंडेश्वर मंदिर समूह** का जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है।

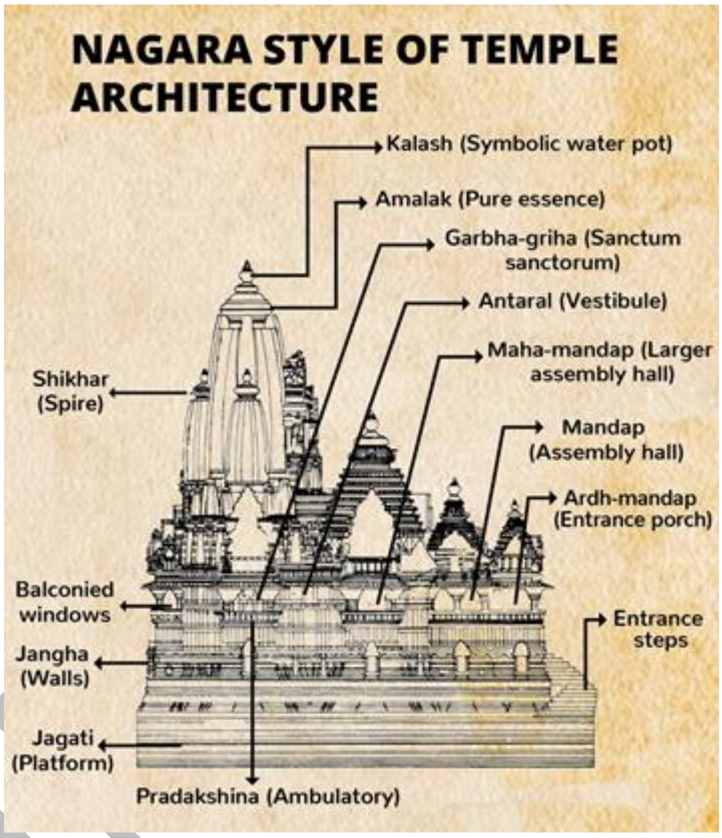

विवरण

- इस मंदिर समूह का निर्माण 9वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य हुआ था तथा इस समूह में 24 विभिन्न प्रकार के मंदिर शामिल हैं।
- इस मंदिर समूह का नाम इसके मुख्य मंदिर के नाम पर रखा गया है, जो भगवान शिव को समर्पित है तथा जिसे **मार्कंडेश्वर या मार्कंडादेव मंदिर** कहा जाता है। यह मंदिर **वैनगंगा नदी के तट** पर मार्कंडा गाँव में स्थित है।
- यह मंदिर समूह **'मिनी खजुराहो'** या **'विदर्भ का खजुराहो'** के रूप में भी प्रसिद्ध है। ये मंदिर शैव, वैष्णव एवं शक्ति पंथ से संबंधित हैं।
- ये मंदिर उत्तर भारत की **नागर मंदिर स्थापत्य शैली** में निर्मित हैं।
- ऐसी मान्यता है कि लगभग 200 वर्ष पूर्व वज्रपात की एक घटना के कारण मंदिर का शिखर अंशतः विखंडित हो गया था। तत्पश्चात लगभग 120 वर्ष पूर्व एक गोंड शासक ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने का प्रयास किया था।

8.2. संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार वितरण

(Awards by Sangeet Natak Akademi)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संगीत नाटक अकादमी द्वारा विविध पुरस्कारों की घोषणा की गयी।

संगीत नाटक अकादमी के बारे में

- यह वर्ष 1952 में भारत सरकार द्वारा स्थापित नृत्य और नाटक की प्रथम राष्ट्रीय अकादमी है। यह सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है।
- यह अकादमी देश में निष्पादन कलाओं के एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करती है तथा संगीत, नृत्य एवं नाट्य शैलियों में अभिव्यक्त भारत की विविध व्यापक मूर्त सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करती है एवं उन्हें प्रोत्साहित भी करती है।
- यह अकादमी देश की सांस्कृतिक विरासत के अनुरक्षण हेतु यूनेस्को (UNESCO) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग भी करती है।
- **संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रदत्त पुरस्कार**
  - **फ़ेलोशिप:** अकादमी की फ़ेलोशिप अत्यंत प्रतिष्ठित एवं असाधारण सम्मान है, जिसे किसी भी समय 40 से अधिक कलाकारों को प्रदान नहीं किया जा सकता। इस वर्ष यह पुरस्कार ज़ाकिर हुसैन (तबला वादक), सोनल मानसिंह (भरतनाट्यम और ओडिसी), जतिन गोस्वामी (सत्त्रिया) तथा के. कल्याणसुंदरम पिल्लई (भरतनाट्यम) को प्रदान किया गया है।
  - **संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स:** इस वर्ष संगीत, नृत्य, रंगमंच, पारम्परिक/कला शैलियों आदि के क्षेत्र से 44 कलाकारों को पुरस्कृत किया गया है।
  - **उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार** निष्पादन कलाओं के विविध क्षेत्रों में **उत्कृष्ट युवा प्रतिभाओं की पहचान करने एवं उन्हें प्रोत्साहित करने** तथा उनके जीवन के आरम्भिक वर्षों में ही उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने के उद्देश्य से युवा कलाकारों को प्रदान किया जाता है। 40 वर्ष की आयु तक के सभी भारतीय नागरिक (कला से संबंधित) इस पुरस्कार हेतु पात्र हैं। उल्लेखनीय है कि इसे मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाता।

8.3. स्वदेशी भाषाएँ

(Indigenous Languages)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2019 को **'स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष'** **(International Year of Indigenous Languages)** घोषित किया गया है।

संबंधित तथ्य

- **पापुआ न्यू गिनी 'प्रचलित' स्वदेशी भाषाओं की अधिकतम संख्या (840) के साथ** विश्व में प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत को 453 भाषाओं के साथ चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ है।
- महाद्वीपों में एशिया और अफ्रीका में स्वदेशी भाषाओं की संख्या सर्वाधिक (विश्व की कुल स्वदेशी भाषाओं के 70% से अधिक) है।
- यूनेस्को (UNESCO) के 'एटलस ऑफ़ द वर्ल्डस लैंग्वेजेज इन डेंजर' के अनुसार **वर्ष 1950 के पश्चात् से 228 भाषाएँ विलुप्त** हो गई हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), **"लुप्तप्राय भाषाओं हेतु केंद्रों की स्थापना" (Establishment of Centres for Endangered Languages)** के नाम से एक योजना का संचालन कर रहा है, जिसके तहत 9 केंद्रीय विश्विद्यालयों में विभिन्न केंद्रों को अनुमोदित किया गया है।
- जिन बोलियों को लिखने के लिए देवनागरी लिपि उपलब्ध नहीं है, उन बोलियों के संरक्षण हेतु UGC ने विभिन्न विश्विद्यालयों में **देवनागरी लिपि विभाग** की स्थापना के लिए विश्विद्यालयों से प्रस्ताव भी आमंत्रित किए हैं।

- लगभग 10% भाषाओं को 'सुभेद्य' (vulnerable) जबकि अन्य 10% को 'क्रिटिकली इंडेंजर्ड' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **भारत** में वर्ष 1950 से अब तक **पांच भाषाएँ 'विलुप्त' (extinct) हो गई हैं,** जबकि 42 भाषाएँ 'क्रिटिकली इंडेंजर्ड' हैं।
- केंद्र सरकार लगभग 10,000 से भी कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली देश की सभी मातृभाषाओं एवं भाषाओं की सुरक्षा, संरक्षण और प्रलेखन हेतु **'भारत की लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण हेतु योजना' (Scheme for Protection and Preservation of Endangered Languages of India: SPPEL)** का क्रियान्वयन कर रही है।
  - इस कार्यक्रम के अंतर्गत बोलियों (dialects) को भी शामिल किया गया है।
  - इस योजना का क्रियान्वयन मैसूर स्थित **केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (Central Institute of Indian Languages: CIIL)** द्वारा किया जा रहा है।

8.4. जयपुर को विश्व विरासत स्थल का दर्जा

(Jaipur Gets World Heritage Status)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, गुलाबी शहर **जयपुर** को **यूनेस्को (UNESCO) विश्व विरासत स्थल का दर्जा** प्राप्त हुआ है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2017 में **ओल्ड अहमदाबाद** 'विरासत स्थल' का दर्जा प्राप्त करने वाला **देश का प्रथम शहर** बना।
- जयपुर को सम्मिलित किए जाने के पश्चात् यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल सम्पूर्ण देश के **विरासत स्थलों की संख्या** बढ़ कर 38 हो गई है, जिसमें **30 सांकृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक स्थल** तथा **1 मिश्रित स्थल** सम्मिलित हैं।
- भारत ने **"दक्षिण एशिया में स्वदेशी नगर नियोजन और निर्माण में असाधारण नगरीय उदाहरण"** के रूप में जयपुर के नामांकन का प्रस्ताव किया था।

गुलाबी नगरी को प्राप्त युनेस्को विरासत स्थल दर्जे के लाभ

यूनेस्को के तहत विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित होने वाले एक शहर के लिए निम्नलिखित विशेषताएं आवश्यक होती हैं:

- उसे **'उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य'** वाला होना चाहिए; तथा
- उसे अपनी विरासत की सुरक्षा और संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध होना आवश्यक है।

विस्तारित होता शहर और नगरीकरण की परिघटना के साथ **विरासत के संरक्षण संबंधी कार्यों को संतुलित करना** जयपुर शहर के लिए एक चुनौती है।

- **विश्व विरासत स्थल** के दर्जे के कारण जयपुर के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु कई पहलों (यूनेस्को के समक्ष प्रकट प्रतिबद्धता के अनुरूप) की शुरुआत की गई है।
- चूँकि, **जयपुर के संरक्षण संबंधी कार्यों** की यूनेस्को की विश्व विरासत समिति के समक्ष **आवधिक रिपोर्टिंग** आवश्यक है, अत: यह जारी योजनाओं, परियोजनाओं और प्रतिबद्धताओं को मिशन मोड के तहत दिसम्बर 2021 तक पूर्ण करना आवश्यक बनाता है।
- इस दर्जे के परिणामस्वरूप **पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि** होगी तथा **स्थानीय अर्थव्यवस्था लाभान्वित** होगी।

जयपुर के बारे में - नगर नियोजन

- भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य राजस्थान के दुर्गीकृत शहर जयपुर की स्थापना सवाई राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा 1727 ईस्वी में करवाई गई थी।
    - जयपुर शहर **उत्तर मध्यकाल** के **नगर नियोजन एवं स्थापत्य कला** के क्षेत्र में अपने **अनुकरणीय विकास** हेतु सुविख्यात है।
    - पहाड़ी क्षेत्र में अवस्थित प्रदेश के अन्य शहरों के विपरीत **जयपुर शहर की स्थापना मैदानी इलाकों** में की गई है तथा इसका निर्माण **वैदिक स्थापत्य** के आलोक में वर्णित **ग्रिड योजना** के अनुसरण में किया गया है।
    - शहर का नगर नियोजन वस्तुतः **प्राचीन हिंदू और उत्तर मध्यकालीन मुगल** के साथ-साथ **पश्चिमी संस्कृतियों** से विचारों के एक विनिमय को प्रदर्शित करता है।
- **एक वाणिज्यिक राजधानी** के रूप में अभिकल्पित जयपुर शहर ने वर्तमान में भी अपनी **व्यावसायिक, कलात्मक एवं सहकारी परम्पराओं** को अक्षुण्ण बनाए रखा है।
- **गोविंद देव मंदिर, आमेर किला, सिटी पैलेस, जंतर मंतर** इत्यादि जैसे प्रतिष्ठित स्मारकों के कारण जयपुर शहर को एक अधिमान्य पर्यटन स्थल का गौरव प्राप्त हुआ है। यह शहर अपनी जीवंत मूर्त संस्कृति और विरासत के लिए भी प्रसिद्ध है।

8.5. सुर्ख़ियों में रहे सांस्कृतिक त्यौहार

(Cultural Festival in News)

त्यौहार	राज्य	विवरण
खार्ची त्यौहार	त्रिपुरा	• यह **त्रिपुरा के ओल्ड अगरतला के चतुर्दश देवता मंदिर (14 देवताओं का मंदिर)** परिसर में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, जिसका आयोजन **सप्ताह** भर चलता है। इस त्यौहार के दौरान 14 देवताओं एवं पृथ्वी माता की उपासना की जाती है। • पूजा कर्म का निष्पादन **पापों को दूर करने तथा पृथ्वी माता के रजोधर्म के उत्तर रजोधर्म चरण को विशुद्ध करने हेतु** किया जाता है। • इस त्यौहार का आयोजन **अम्बुबाची त्यौहार** (असम के कामख्या मंदिर में मनाया जाने वाला वार्षिक उत्सव) **के 15 दिन पश्चात् किया जाता है।** • पूजा कर्म के दिन 14 देवताओं को **सैद्रा (Saidra) नदी** में ले जाया जाता है। • आरंभ में **केवल त्रिपुरा के शासक** ही 14 देवताओं एवं देवियों की पूजा करते थे, परन्तु वर्तमान में यह सामान्य-जन का त्यौहार बन गया है। • **पशु बलि** भी इस त्यौहार का एक महत्वपूर्ण भाग है तथा बकरों, कबूतरों आदि की बलि दी जाती है।
आषाढ़ी बीज	गुजरात	• आषाढ़ी बीज अथवा कच्छ नव वर्ष एक विशिष्ट सांस्कृतिक त्यौहार है, जिसमें **वर्षा ऋतु के आगमन** का उत्सव मनाया जाता है। • **गुजरात के कच्छ क्षेत्र (रेगिस्तानी क्षेत्र) में कच्छ समुदाय** स्वदेशी पंचांग के अनुसार कच्छ नव वर्ष का आयोजन करते हैं। • इस अवसर पर **गणेश, लक्ष्मी व अन्य स्थानीय देवताओं** की उपासना की जाती है। • आषाढ़ी बीज त्यौहार के दौरान, वे यह अनुमान लगाने हेतु कि आने वाले मानसून में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होगा **वातावरण में आर्द्रता की जांच करते हैं।**

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. निगरानी समाज

(Surveillance Society)

सुर्खियों में क्यों?

राजधानी दिल्ली के विभिन्न भागों में CCTV कैमरे लगाने के दिल्ली सरकार के हालिया निर्णय ने निगरानी समाज की शुचिता और सामान्यीकरण के संबंध में बहस को उत्पन्न किया है।

निगरानी के विषय में

- निगरानी का तात्पर्य किसी अन्य व्यक्ति पर गहन और निरंतर चौकसी किए जाने से है। इस शब्द में न केवल दृश्य अवलोकन, अपितु सभी प्रकार के व्यवहार, भाषण और कार्यों की संवीक्षा भी सम्मिलित है। निगरानी के प्रमुख उदाहरणों में निगरानी कैमरे, वायरटैप, GPS ट्रैकिंग और इंटरनेट निगरानी सम्मिलित हैं।
- जब इस गतिविधि में संपूर्ण जनसंख्या या उसका एक बड़ा भाग सम्मिलित होता है, तो उसे निगरानी समाज के रूप में जाना जाता है।
- भारत में सरकारों द्वारा प्रयोग की जाने वाली निगरानी की कुछ क्रियाविधियां निम्नलिखित हैं:
    - केंद्रीय निगरानी प्रणाली, नेत्र (DRDO NETRA), लॉफुल इंटरसेप्ट एंड मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र, दूरसंचार प्रवर्तन और संसाधन निगरानी कक्ष।
    - भारत के कई राज्यों द्वारा पहले से ही आधार बायोमेट्रिक्स का उपयोग करते हुए फेस मैचिंग क्षमताओं वाली CCTV निगरानी प्रणालियों की स्थापना की जा चुकी है।
    - आंध्र प्रदेश और तेलंगाना द्वारा किसी व्यक्ति की 360-डिग्री प्रोफ़ाइल निर्मित करने हेतु विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त आधार से संबंधित सूचनाओं का उपयोग किया जा रहा है। इसे एकीकृत सूचना केंद्र की संज्ञा दी गयी है।
- इस पृष्ठभूमि में, निगरानी के नीतिशास्त्रीय पहलुओं का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है।

निगरानी के पक्ष में तर्क

- **राष्ट्र की सुरक्षा:** सीमापार घुसपैठ, मादक द्रव्यों और हथियारों से संबंधित संगठित अपराध को रोकने तथा राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता से संबंधित अन्य खुफिया गतिविधियों हेतु।
- **सुरक्षा और संरक्षा:** अनुचित कार्यों में संलग्न असामाजिक तत्वों की निगरानी करना, जो नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
- **पारदर्शिता:** जैसे- परीक्षा संचालन में नकल आदि को रोकना।
- **निर्णय-निर्माण में सहायता:** जैसे- विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर न्यायिक निर्णयों में।
- **महत्वपूर्ण मापदंडों की निगरानी करना:** जैसे कि सेवा प्रदायगी से संबंधित अधिकारियों की कुशल कार्यप्रणाली।
- **प्रभावी अनुक्रिया:** आग लगने जैसी घटनाओं और अन्य आपदाओं के संबंध में, जिन्हें सही समय पर न रोके जाने पर नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं।

निगरानी से संबंधित नीतिशास्त्रीय मुद्दे

- वे क्षेत्र और घटनाएँ कौन-सी हैं, जहां निगरानी किए जाने पर लोगों द्वारा इसे अनुचित नहीं माना जाता है?
    - हमें विमानपत्तनों और रेलवे स्टेशनों पर की जाने वाली सुरक्षा जांच से कोई समस्या नहीं हैं। वास्तव में, हम ऐसे स्थानों पर अधिक से अधिक निगरानी की मांग करते हैं।
    - जबकि वहीं दूसरी ओर, यदि कोई बिना अनुमति के हमारे फोन का अनुचित उपयोग करता है तो हम उसका बलपूर्वक विरोध करते हैं।
- **राज्यों के पास अपने नागरिकों की निगरानी करने की क्या शक्तियां होनी चाहिए?**
    - क्या राज्य के पास किसी व्यक्ति विशेष की निगरानी करने के लिए सार्वभौमिक पहुँच और असीमित शक्तियाँ हो सकती हैं, यदि वह उसकी क्षमता के प्रति आश्वस्त है? या इसके उपयोग पर सीमाएँ निर्धारित होनी चाहिए।

VISION IAS

- **निजी कंपनियों के पास ग्राहकों की निगरानी करने की क्या शक्तियाँ होनी चाहिए?**
  - सेवा प्रदायगी और अनुसंधान के नाम पर कंपनियां नागरिकों के डेटा का अनुचित उपयोग कर सकती हैं। उदाहरणार्थ, जैसा कि फेसबुक के हालिया मामले में देखा गया था, जहां उपयोगकर्ताओं का व्यक्तिगत डेटा और गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं अन्य एजेंसियों के पास पहुँच (leak) गई थीं।
- **किन तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए और किसका नहीं?**
  - वर्तमान में कई उन्नत प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं जो नागरिकों के निजी क्षेत्र में अनुचित हस्तक्षेप कर सकती हैं, जैसे कि फोन टैपिंग, स्पाईग्लासेस आदि। सरकारी एजेंसियों को उपलब्ध तकनीकों का नियंत्रित वितरण (राशनिंग) किए जाने की आवश्यकता है, जिन्हें कानून द्वारा अधिदेशित किया जाना चाहिए।

निगरानी से व्युत्पन्न निहितार्थ

- **निजता का उल्लंघन:** जैसा कि सरकार की ड्राफ्ट एन्क्रिप्शन पॉलिसी में प्रावधान किया गया है कि सामान्य रूप से नागरिकों के सभी व्यक्तिगत संदेशों को स्कैन किया जाएगा।
- **त्रुटि और भेदभाव:** जब लोगों को संदेह करने वाले कारकों से भिन्न अन्य कारकों के आधार पर जाँच के लिए पृथक किया जाता है।
- **हानिकारक सिद्ध हो सकता है:** उदाहरणार्थ, यदि निगरानी तंत्र को हैक कर लिए जाता है या असामाजिक तत्वों को उपलब्ध हो जाता है, तो इसका स्वयं नागरिकों के विरूद्ध दुरुपयोग किया जा सकता है।
- **विश्वास की क्षति**
  - **प्राधिकरणों के प्रति** नागरिकों के विश्वास में कमी हो सकती है, जिसके कारण वे आपातकालीन परिस्थितियों में सरकार के न्यायोचित आदेशों के विरूद्ध कार्यवाही कर सकते हैं।
  - **अन्य हितधारकों के विश्वास में कमी।** उदाहरणार्थ, निजी कंपनियां, गैर-सरकारी संगठन और अन्य समूह, जो अपनी सेवाओं में सुधार करने हेतु लोगों से डेटा प्राप्त करते हैं।
  - **नागरिकों के विश्वास में कमी।** लोगों में विश्वास और देखभाल की भावना होनी चाहिए जो सामाजिक अनुशासन की आवश्कताओं के साथ-साथ उनकी स्वतंत्रता के मध्य सामंजस्य स्थापित करती है।

आगे की राह

- राज्य के पास निगरानी की शक्तियां होनी चाहिए, लेकिन इसका उपयोग और अनुप्रयोग गैर-पक्षपाती और स्वतंत्र निकायों को सौंपा जाना चाहिए ताकि इसका उपयोग किसी निहित स्वार्थ के लिए न किया जाए।
- पर्याप्त रक्षोपाय और शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए।
- सामान्य स्थानों पर, सार्वभौमिक निगरानी की स्थापना की जानी चाहिए ताकि निजता को लेकर लोगों के मध्य वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न न हो सके।
- इसके अतिरिक्त, राज्य को निगरानी के लिए आवश्यक साक्ष्यों की सीमा को उच्च रखना चाहिए (जैसे बहुत कम व्यक्तियों को लक्षित करना), ताकि व्यक्ति की निजता का किसी भी रूप में हनन न किया जा सके।

VISION IAS

10. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Short)

10.1. द्वितीय भारत-रूस रणनीतिक आर्थिक संवाद

(Second India-Russia Strategic Economic Dialogue)

- हाल ही में, **भारत-रूस रणनीतिक आर्थिक संवाद (IRSED)** की द्वितीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई।
- ज्ञातव्य है कि नई दिल्ली में आयोजित **वार्षिक भारत-रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन** के 19वें संस्करण के दौरान नीति आयोग और रूसी संघ के आर्थिक विकास मंत्रालय के मध्य हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन के पश्चात् **भारत-रूस रणनीतिक आर्थिक संवाद (IRSED)** की स्थापना की गई।
- 25-26 नवंबर, 2018 के मध्य **सेंट पीटर्सबर्ग** में प्रथम भारत-रूस रणनीतिक आर्थिक संवाद का आयोजन किया गया।
- 'भारत-रूस रणनीतिक आर्थिक संवाद' की द्वितीय बैठक में सहयोग के 6 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन छह प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं:
  - परिवहन अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकियों का विकास;
  - कृषि एवं कृषि-प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास;
  - लघु एवं मध्यम व्यवसायों को सहयोग;
  - डिजिटल रूपांतरण एवं उद्भवशील (फ्रंटियर) प्रौद्योगिकियां;
  - व्यापार, बैंकिंग, वित्त एवं उद्योग क्षेत्र में सहयोग; और
  - पर्यटन एवं कनेक्टिविटी।

10.2. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक

(World Economic Outlook)

- हाल ही में **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)** ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO) रिपोर्ट के अपडेट में **भारत के लिए वार्षिक वृद्धि दर के अनुमान में कमी की है,** क्योंकि ऐसा माना गया कि घरेलू मांग में गिरावट इकोनॉमिक रिकवरी (अर्थव्यवस्था के पुनः सामान्य स्थिति में आने की प्रक्रिया) को बाधित कर सकती है।
- वर्तमान में **31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में** अर्थव्यवस्था में **7% तक के विस्तार की संभावना व्यक्त की गई,** जो IMF के अप्रैल माह के अनुमान की तुलना में 0.3% कम है।
- हालाँकि, भारत अभी भी **विश्व की तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा** तथा चीन की तुलना में अर्थव्यवस्था की दर तीव्र बनी रहेगी।

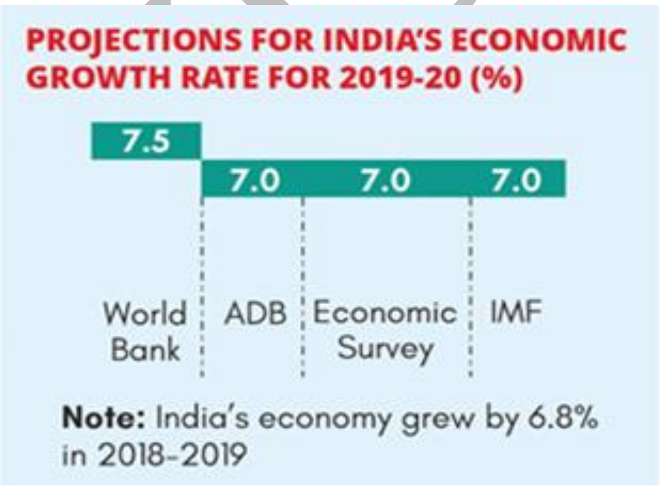

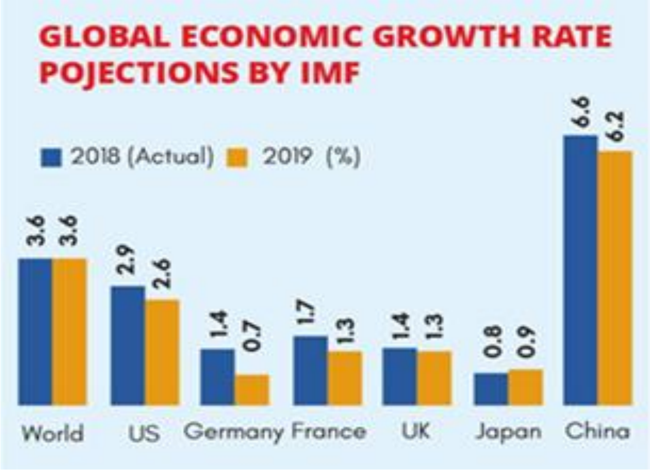

- इसके अतिरिक्त **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), आर्थिक सर्वेक्षण और एशियाई विकास बैंक** द्वारा भी भारत के लिए **अपने संवृद्धि परिदृश्य को कम करके 7% कर दिया है**

10.3. उत्कर्ष 2022

(Utkarsh 2022)

- हाल ही में RBI ने अपने अधिदेशों के निष्पादन में उत्कृष्टता प्राप्त करने और नागरिकों एवं अन्य संस्थानों के विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए **भारतीय रिज़र्व बैंक की मध्यम अवधि कार्यनीतिगत रूपरेखा (Medium-term Strategy Framework) 'उत्कर्ष 2022'** का शुभारंभ किया।
- यह **मध्यम अवधि के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु एक तीन वर्षीय रोड मैप है** जो **विनियमन और पर्यवेक्षण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए** वैश्विक केंद्रीय बैंकों की योजना के अनुरूप है।

10.4. RBI ने बैंकों को एकबारगी निपटान के तौर पर अपने NPAs को विदेश में विक्रय करने की अनुमति दी

(RBI Allows Domestic Banks to Sell NPAs Abroad as One-Time Settlement)

- हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने एकबारगी निपटान व्यवस्था (OTS) कार्यवाहियों के एक भाग के रूप में **घरेलू बैंकों** को **विनिर्माण और अवसंरचना क्षेत्रकों में अपने अशोध्य ऋणों (bad loans) को विदेशी निवेशकों को प्रत्यक्ष रूप से विक्रय करने की अनुमति प्रदान की है।**
- **विवरण**
  - कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं, सामान्य उद्देश्यों और घरेलू ऋणों के भुगतान हेतु **कॉर्पोरेट्स, दीर्घकालिक बाह्य वाणिज्यिक उधारियां (ECB ऋण) प्राप्त कर सकते हैं।**
  - **विदेशी ECB ऋणदाताओं को प्रत्यक्ष रूप से** बैंक या कॉर्पोरेट्स अपने **अशोध्य ऋणों का विक्रय कर सकते हैं।**
  - ऋणों की प्राप्ति **कंपनियों के साथ OTS का भाग होंगे।**
  - घरेलू ऋणों के भुगतान हेतु **7-10 वर्षों की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि वाले ऋण** प्राप्त किए जा सकते हैं।
  - ज्ञातव्य है कि पूर्व में RBI द्वारा घरेलू ऋणों के भुगतान हेतु ECBs की प्राप्ति का विरोध किया गया।
  - इस कदम से **भारत की बाह्य देयताओं में वृद्धि हो सकती है** तथा जोखिम भी उत्पन्न हो सकते हैं।
  - यह **विदेशी निवेशकों को भारतीय कॉरपोरेट्स से प्रत्यक्ष ऋण जोखिम लेने की अनुमति प्रदान करेगा।**
  - यह ऋण को भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के बाहर स्थानांतरित करेगा, परन्तु यह देश के विदेशी मुद्रा जोखिम में भी वृद्धि करेगा।

बाह्य वाणिज्यिक उधारियां (ECB ऋण)
यह मूल देश की वाणिज्यिक गतिविधियों में निवेश करने हेतु विदेशी स्रोतों से धन उधार लेने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाले एक वित्तीय साधन हैं।

10.5. मोतिहारी-अमलेखगंज तेल पाइपलाइन

(Motihari-Amlekhgunj Oil Pipeline)

- **भारत और नेपाल** द्वारा **मोतिहारी-अमलेखगंज तेल पाइपलाइन** के **'परीक्षण हस्तांतरण' (testing transfer)** को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया।
- **बिहार में मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज** तक 69 किलोमीटर लंबी इस पेट्रोलियम पाइपलाइन का निर्माण **भारत द्वारा किया जा रहा है।**
- यह **भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम पाइपलाइन, प्रथम दक्षिण एशियाई तेल पाइपलाइन गलियारा और नेपाल में प्रथम तेल पाइपलाइन है।**
- यह नेपाल में **पेट्रोलियम उत्पादों की सुगम, लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।**
- ज्ञातव्य है कि मोतिहारी-अमलेखगंज तेल पाइपलाइन परियोजना **सर्वप्रथम वर्ष 1969 में प्रस्तावित की गई थी।** दोनों सरकारों द्वारा **परियोजना के क्रियान्वयन हेतु अगस्त 2015 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था।**

10.6. सारगैसो सागर

(Sargasso sea)

- हाल ही में, यह ज्ञात हुआ कि **सारगैसो सागर की समुद्री शैवाल क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है।**
- ज्ञातव्य है कि इसका नाम **मुक्त रूप से तैरने वाली एक सागरीय घास** की प्रजाति के नाम पर रखा गया है, जिसे **सारगैसम** कहा जाता है।
  - समुद्री शैवाल समुद्री जीवों के लिए एक वरदान साबित हो सकते हैं, जो मछली और पक्षियों सहित अन्य प्राणियों के लिए अधिवास प्रदान करते हैं।

VISION IAS

- यद्यपि घास की मोटी परत सौर प्रकाश को अवरुद्ध कर सकती हैं, किन्तु इन विस्तृत घास के नष्ट होकर सागर में डूब जाने पर ये कोरल सहित समुद्री जीवों हेतु विनाशकारी सिद्ध हो सकती हैं।

- हालांकि, विश्व के लगभग सभी महासागरों में तैरने वाले विभिन्न प्रकार के शैवाल पाए जाते हैं, परन्तु सारगैसो सागर इस संदर्भ में अद्वितीय है क्योंकि यह **सारगैसम की प्रजातियों को आश्रय प्रदान करता है, जो 'होलोपलाजी' (holopelagi) हैं-** जिसका तात्पर्य यह है कि शैवाल न केवल स्वतंत्र रूप से सागर में तैरते हैं, बल्कि ये उच्च सागर में वानस्पतिक रूप से उत्पादन भी करते हैं।
- सारगैसो सागर **उत्तरी अटलांटिक उपोष्ण कटिबंधीय परिसंचरण (Gyre)** के भीतर स्थित है। हालांकि, विश्व के अन्य सभी सागर कम से कम किसी तटीय भूभाग से आबद्ध होते हैं परन्तु **सारगैसो सागर किसी तट से संलग्न नही है बल्कि इसकी सीमाओं का निर्धारण केवल महासागरीय धाराओं द्वारा किया गया है।**
  - **गल्फ स्ट्रीम** सारगैसो सागर की पश्चिमी सीमा, **उत्तर अटलांटिक धारा** उत्तरी सीमा, **कैनरी धारा** पूर्वी सीमा और **उत्तर अटलांटिक विषुवतीय धारा** दक्षिणी सीमा का निर्माण करते हैं।
  - चूंकि सारगैसो सागर की सीमाएं धाराओं द्वारा निर्धारित की गई है अत; **इसकी सीमाएं गतिशील हैं,** जो किसी विशेष मौसम के लिए अजोर्स उच्च दबाव केंद्र (Azores High Pressure Centre) के साथ सह-संबंधित हैं।
- सारगैसो सागर **थ्रेटेंड और एंडेंजर्ड ईल (eels)** तथा व्हाइट मर्लिन, पोरबीगल शार्क और डॉल्फिन मछलियों हेतु प्रजनन **का एक महत्वपूर्ण स्थल** है। हंपबैक व्हेल प्रत्येक वर्ष सरगासो सागर के माध्यम से प्रवास करती है।

10.7. अम्राबाद टाइगर रिज़र्व, तेलंगाना

(Amrabad Tiger Reserve, Telangana)

- हाल ही में, केंद्र सरकार ने तेलंगाना के अम्राबाद टाइगर रिजर्व में **यूरेनियम के अन्वेषण हेतु** "सैद्धांतिक स्वीकृति" प्रदान की है।
- खनन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व के **'कोर एरिया'** के अम्राबाद और न्यूडिगल आरक्षित वनों के अंतर्गत आता है।
- **अवस्थिति:** यह टाइगर रिजर्व **नल्लमाला पहाड़ी** में अवस्थित है, जो **तेलंगाना के महबूबनगर और नलगोंडा जिलों तक** विस्तारित है।
  - यह क्षेत्र एक ऐसे भू खंड के साथ भी संबद्ध है जहाँ नल्लावागु और डिंडी नदियों का संगम है तथा **यह संगम कृष्णा नदी की एक बड़ी सहायक नदी और जलग्रहण क्षेत्र का निर्माण करता है।**
  - यह आंध्र प्रदेश के **नागार्जुनसागर श्रीशैलम टाइगर रिज़र्व,** के पश्चात् भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिज़र्व है।
  - **वन्यजीव:** इसमें तेंदुए, स्लॉथ बियर, जंगली कुत्ते, चित्तीदार हिरण, सांबर और जंगली शूकर जैसे वन्यजीव पाए जाते हैं। वर्ष 2017 में, **माउस डियर की एंडेंजर्ड प्रजातियों का** पुन: प्रवेश करवाया गया।
  - **जनजातियाँ:** अम्राबाद में अनुसूचित जनजाति **चेंचू** की जनसंख्या अत्यधिक है, जो अल्प संपन्न हैं तथा तेलंगाना में इन्हें अत्यंत कम-विशेषाधिकार प्राप्त हैं।
    - यह जनजाति पारिस्थितिक संतुलन को विकृत किए बिना **बाघों और अन्य वन्य जीवों के साथ दीर्घकाल से सह-अस्तित्व में निवास करती हैं,** जिससे शाकाहारी जीवों के लिए पर्याप्त जल और चारा सुनिश्चित होता है।
  - **पुरातात्विक पहलू:** यहाँ से महान बौद्ध विद्वान नागार्जुनाचार्य (150 ई.) द्वारा संचालित प्राचीन नागार्जुन विश्वविद्यालय के अवशेष प्राप्त हुए हैं।

10.8. परागणकारी जीवों के संरक्षण के लिए वैश्विक गठबंधन

(Global Coalition to Protect Pollinators)

- हाल ही में, **नाइजीरिया, परागणकारी जीवों के संरक्षण के लिए वैश्विक गठबंधन** में शामिल होने वाला **चौथा** अफ्रीकी देश बन गया है।
- **वर्ष 2016 में मैक्सिको में आयोजित "जैव विविधता पर कांफ्रेंस ऑफ़ पार्टीज" में नीदरलैंड ने इस गठबंधन के निर्माण की पहल की थी।**
- इस गठबंधन का निर्माण **जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के अंतर-सरकारी विज्ञान-नीति मंच** (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services: IPBES) द्वारा परागणकारी जीवों, परागण और खाद्य उत्पादन के संबंध में किए गए आकलन के निष्कर्षों के अनुसरण में किया गया था। निष्कर्षों से यह ज्ञात हुआ था कि विश्व की अधिकांश परागणकारी प्रजातियों की संख्या में गिरावट आई है।
  - IPBES जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मुद्दों पर विज्ञान एवं नीति के मध्य इंटरफेस में सुधार करने के लिए स्थापित एक **अंतर-सरकारी निकाय** है।
- गठबंधन में शामिल होने का अर्थ है **निम्नलिखित उपायों को अपनाना:**
  - राष्ट्रीय परागणकारी जीवों से संबंधित रणनीतियों का विकास और कार्यान्वयन करके परागणकारी जीवों तथा उनके पर्यावासों की रक्षा के लिए कार्रवाई करना।

- राष्ट्रीय परागणकारी जीवों से संबंधित रणनीतियों को विकसित और क्रियान्वित करने में प्राप्त अनुभव और सीख विशेष रूप से नए दृष्टिकोण, नवाचारों तथा सर्वोत्तम प्रथाओं के संबंध में ज्ञान को साझा करना।
- हितधारकों-देशों के साथ-साथ व्यवसायों, गैर सरकारी संगठनों, किसानों और स्थानीय समुदायों के व्यापक विस्तार के साथ सहयोग स्थापित करने का प्रयास करना।
- परागणकारी जीवों के संरक्षण पर अनुसंधान का विकास करना।
- एक-दूसरे के साथ और उन पक्षकारों जो गठबंधन में शामिल होने के इच्छुक हैं के साथ सहयोग स्थापित करना और उन्हें समर्थन प्रदान करना।

10.9. तमिलनाडु की राजकीय तितली

(State Butterfly of Tamil Nadu)

- हाल ही में तमिल योमन (सिरोच्रोहा थीस) {Tamil Yeoman (Cirrochroa thais)}, को तमिलनाडु की राजकीय तितली घोषित किया गया है। यह पश्चिमी घाट की एक स्थानिक तितली की प्रजाति है। इसे तमिल मारवण के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ **योद्धा** होता है।
- महाराष्ट्र ब्लू मॉरमॉन को अपनी राजकीय तितली घोषित करने वाला प्रथम राज्य था। उसके पश्चात् उत्तराखंड (कॉमन पीकॉक), कर्नाटक (साउथर्न बर्ड विंग्स), केरल (मालाबार बैंडेड पीकॉक) और तमिलनाडु द्वारा राजकीय तितली को घोषणा की गयी है।

10.10. प्लास्टिक्रस्ट: नए प्रकार का प्रदूषण

(Plasticrust: New Kind of Pollution)

- हाल ही में, शोधकर्ताओं ने एक नए प्रकार के शेल निर्माण का पता लगाया है। यह प्लास्टिक की एक पतली परत है जो चट्टानों के किनारों पर वृद्धि कर रही है। इसे 'प्लास्टिक्रस्ट' कहा जा रहा है।
- क्रस्ट का विश्लेषण यह दर्शाता है कि यह पॉलीथीन से निर्मित है, जो सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला प्लास्टिक है, जिसका उपयोग प्राय: खाद्य और उत्पाद की पैकेजिंग में किया जाता है।
- जब मोलस्क और इसी प्रकार के अन्य जीव चट्टानों पर विस्तृत शैवाल से भोजन प्राप्त करने हेतु चट्टानों के संपर्क में आते हैं तो ये प्लास्टिक कोटिंग के कण आहार के माध्यम से अंतर्विष्ट हो जाते हैं जिससे खाद्य श्रृंखला आगे संदूषित होती है।

10.11. परामर्श योजना

(Paramarsh Scheme)

- हाल ही में, **केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय** द्वारा **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की 'परामर्श' योजना** का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (National Accreditation and Assessment Council: NAAC) से मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक संस्थानों को परामर्श प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के **महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्रों के अंतर्गत** पाठ्यक्रम संबंधी पहलू, शिक्षण-अधिगम और मूल्यांकन, अनुसंधान, नवाचार, संस्थागत मूल्य एवं व्यवहार आदि शामिल किए जाएंगे।
- इस योजना के तहत UGC के "गुणवत्ता अधिदेश" (Quality Mandate) में सूचीबद्ध गुणवत्ता मानकों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए परामर्श हेतु 1000 उच्च शिक्षण संस्थानों को लक्षित किया जाएगा।

10.12. इंडस्पेसएक्स

(IndSpaceEx)

- भारतीय सशस्त्र बल **देश के प्रथम छद्म अंतरिक्ष युद्धाभ्यास "इंडस्पेसएक्स" (IndSpaceEx)** के संचालन हेतु तैयार हैं।
- चीन की तीव्र विस्तारित स्पेस और काउंटर-स्पेस क्षमताओं के मद्देनजर, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत त्रि-सेवा एकीकृत रक्षा स्टाफ (IDS) द्वारा सभी सैन्य एवं वैज्ञानिक हितधारकों के साथ **दो दिवसीय "IndSpaceEx"** का संचालन किया गया।
- ज्ञातव्य है कि यह **ऐसा पहला अभ्यास था** जिसका आयोजन भारत द्वारा इस वर्ष 27 मार्च को "मिशन शक्ति" के तहत "हिट-टू-किल मोड" में, पृथ्वी की निम्न भू कक्षा (LEO) में 283 किमी की ऊंचाई पर 740 किलोग्राम वजनी माइक्रोसेट-आर (Microsat-R) उपग्रह को नष्ट करने हेतु एक **एंटी-सैटेलाइट (ASAT) इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने के पश्चात् किया गया।**

VISION IAS

10.13. वैश्विक तापन में कॉस्मिक किरणों की भूमिका

(Role of Cosmic Rays in Global Warming)

- हाल ही में, वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने में कॉस्मिक (ब्रह्मांडीय) किरणों की भूमिका के प्रमाण प्राप्त हुए हैं।
- हाल के निष्कर्षों के अनुसार, **गैलेक्टिक कॉस्मिक किरणें** (अंतरिक्ष से उच्च-ऊष्मा विकिरण) निम्नस्थ मेघों के निर्माण में वृद्धि कर सकती हैं।
    - इससे वैश्विक मेघ आवरण में वृद्धि होती है और अंततः **"समग्र प्रभाव"** (Umbrella Effect) के कारण पृथ्वी का वायुमंडल शीतल होने लगता है।
    - यह विशेष रूप से पृथ्वी के **भू-चुंबकत्व व्युत्क्रमण (geomagnetic reversal)** के दौरान घटित होता है। ज्ञातव्य है कि भू-चुंबकत्व व्युत्क्रमण एक ऐसी घटना है जहां ग्रह के समग्र चुंबकीय क्षेत्र का अभिविन्यास विपरीत हो जाता है।
    - इसके उदाहरणों में से एक **साइबेरिया** में है। जहाँ किरणों और मेघ आवरण का संयुक्त प्रभाव एक उच्च वायुमंडलीय दबाव का निर्माण करते हैं। जिसके कारण पूर्वी एशियाई शीतकालीन मानसून का सशक्त होता है।

10.14. प्लूनेट्स

(Ploonets)

- हाल ही में, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसायटी के खगोलविदों के एक दल ने" प्लूनेट्स" कहलाने वाले **आकाशीय पिंडों के एक नए वर्ग को परिभाषित किया है।**
- प्लूनेट्स ऐसे **ऑर्फन्ड उपग्रह** (orphaned moons) हैं जो अपने मूल ग्रह की परिक्रमा करने के स्थान पर अपने तारे की परिक्रमा करना आरम्भ कर देते हैं।
- प्लूनेट्स **कुछ विलक्षण बाह्य ग्रहों की विशेषताओं की व्याख्या करने** में सहायता प्रदान कर सकते है तथा इसके अतिरिक्त **ग्रहों के निर्माण प्रक्रिया से संबंधित सूचनाएं** भी प्रदान कर सकते हैं।
- हालांकि, खगोलविद यह स्वीकार करते हैं कि प्लूनेट्स अभी भी काल्पनिक बने हुए हैं।

10.15. स्पेक्ट्र-आरजी

(Spektr-RG)

- हाल ही में, रूस द्वारा कज़ाकिस्तान के बैकोनूर के कोस्मोड्रोम से अंतरिक्ष में एक ऑल-स्काई-सर्वे सेटेलाइट, **स्पेक्ट्र-आर.जी.** को प्रक्षेपित किया गया।
- यह रूसी अंतरिक्ष एजेंसी **रोस्कोस्मोस** और जर्मन अंतरिक्ष एजेंसी **DLR** की एक संयुक्त परियोजना है।
- **उद्देश्य-** इसके तहत लाखों की संख्या में अज्ञात विशालकाय ब्लैक होल्स की खोज हेतु एक इमेजिंग टेलिस्कोप के साथ **प्रथम ऑल-स्काई-सर्वे (संपूर्ण आकाश का सर्वेक्षण)** तथा प्रथम ऑल-स्काई इमेजिंग एक्स-रे समय परिवर्तनशीलता सर्वेक्षण का संचालन शामिल है।

10.16. डॉल्यूटेग्रेवर

(Dolutegravir)

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने गर्भवती महिलाओं सहित संपूर्ण जनसंख्या के लिए **एचआईवी औषधि डॉल्यूटेग्रेवर (Dolutegravir: DTG)** को अधिमानित **फर्स्ट-लाइन** और **सेकंड-लाइन** के उपचार के रूप में उपयोग करने की अनुशंसा की है।
- हाल ही में DTG को एक अन्य औषधि ईफ़ाविरेंज़ (Efavirenz: EFV) से तुलनात्मक अध्ययन करने के उपरांत यह ज्ञात हुआ है कि DTG अधिक प्रभावी व ग्रहण करने में सुगम है तथा इसके अत्यल्प दुष्प्रभाव (साइड इफेक्ट) हैं।
- वर्धित औषधि प्रतिरोध के वर्तमान परिदृश्य में, यह महत्वपूर्ण है कि DTG में **औषधि प्रतिरोध** विकसित करने हेतु एक उच्च **आनुवंशिक बाधा** विद्यमान है।

10.17. NIMH और NIOH का विलय

(Merger of NIMH and NIOH)

- राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान (National Institute of Miners' Health: NIMH) को विघटित कर इसका विलय भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान (ICMR-NIOH), अहमदाबाद में कर दिया गया है।
- **राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान (NIMH)** की स्थापना वर्ष 1990 में **खान मंत्रालय (MoM)** के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी।
- **ICMR-राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान (National Institute of Occupational Health: NIOH) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoH&FW) के अंतर्गत आता है।** NIOH का फोकस क्षेत्र व्यावसायिक स्वास्थ्य है, जिसमें व्यावसायिक चिकित्सा तथा व्यावसायिक स्वच्छता शामिल हैं।

* यह सार्वजनिक धन के कुशल प्रबंधन के अतिरिक्त दोनों संस्थानों से संबंधित व्यावसायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्नत विशेषज्ञता को बढ़ावा प्रदान करेगा।

10.18. ग्लैंडर्स के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना

(National Action Plan for Control and Eradication of Glanders)

* पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय ने ग्लैंडर्स के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना आरम्भ की है।
* ग्लैंडर्स घोड़े, गधे और खच्चर सहित **अश्व प्रजाति (equines)** में होने वाला एक संक्रामक तथा घातक रोग है। यह रोग **मनुष्यों** को भी हो सकता है।
* यह रोग **बैक्टीरियम** बुर्खोलडेरिया मल्लेई (bacterium Burkholderia mallei) के कारण होता है तथा इस रोग हेतु कोई **टीका** उपलब्ध नहीं है।

10.19. ई-2020 पहल

(E-2020 Initiative)

* विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) वर्ष 2020 तक विभिन्न देशों में **मलेरिया** का उन्मूलन करने के लिए **ई-2020 पहल** पर विभिन्न देशों और अन्य भागीदारों के साथ कार्य कर रहा है।
* यह WHO समर्थित **मलेरिया के लिए वैश्विक तकनीकी रणनीति (2016-2030)** का भाग है, जिसका उद्देश्य इस 15 वर्ष की अवधि में वैश्विक मलेरिया प्रभाव को उल्लेखनीय रूप से कम करना है।

VISION IAS

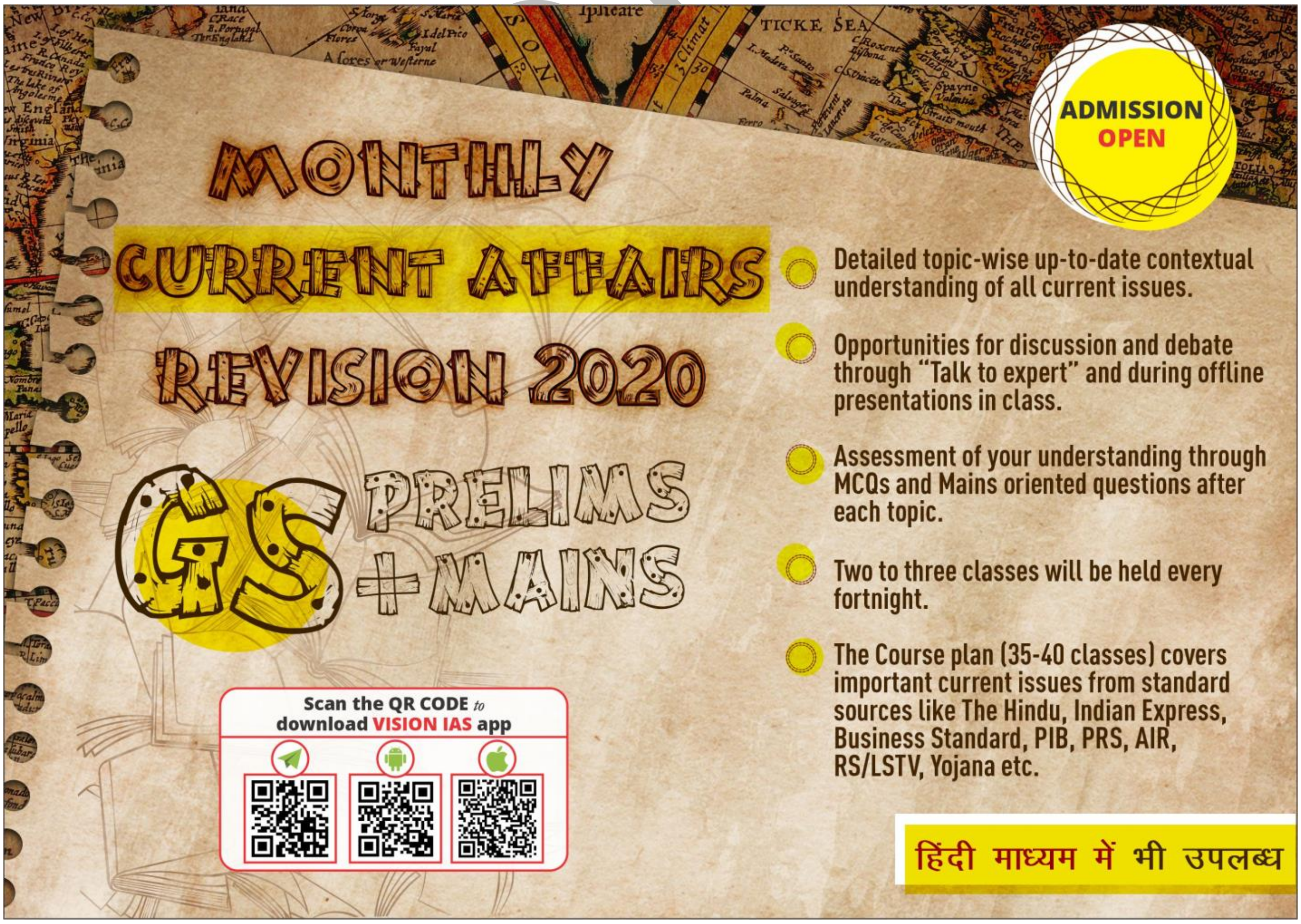

11. सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएँ (Government Schemes in News)

11.1. प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना

(Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana: PMRPY)

अगस्त 2016 और मार्च 2019 के मध्य प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (PMRPY) के भाग के रूप में, कार्यबल में शामिल होने वाले एक करोड़ से अधिक नए कर्मचारियों में से लगभग 57 प्रतिशत पांच राज्यों - महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और हरियाणा - से सम्बंधित हैं।

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएँ
रोजगार सृजन को बढ़ावा देने वाले नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना।	• **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)** के साथ पंजीकृत सभी प्रतिष्ठान इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। • प्रतिष्ठानों के पास एक वैध **श्रमिक पहचान संख्या** (Labour Identification Number: LIN) होना आवश्यक है।	• इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के माध्यम से **श्रम और रोजगार मंत्रालय** द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। • **यह लघु और मध्यम उद्यमों** तथा **सूक्ष्म व्यवसायों के नियोक्ताओं** को इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। • इस योजना के अंतर्गत, नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले पूर्ण योगदान (कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना दोनों हेतु) अर्थात् 12% भाग का भुगतान कर रही है। सरकार का यह योगदान उन नए कर्मचारियों के संबंध में तीन वर्षों के लिए है, जिन्हें EPFO में 01 अप्रैल 2016 को या उसके बाद पंजीकृत किया गया हो तथा जिनका **मासिक वेतन 15 हजार रुपये तक है।** • संपूर्ण प्रणाली **ऑनलाइन और AADHAR आधारित** है तथा योजना के कार्यान्वयन में कोई मानवीय इंटरफ़ेस नहीं है। • PMRPY का **दोहरा लाभ** है: एक ओर जहाँ यह नियोक्ताओं को उनके द्वारा अपने कर्मचारियों हेतु उनके वेतन के सापेक्ष किए गए EPF अंशदान अर्थात् 12% का भुगतान कर प्रतिष्ठान में कर्मचारी आधार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है (जिसे अन्यथा नियोक्ता द्वारा वहन किया गया होता), वहीं दूसरी ओर, इससे बड़ी संख्या में श्रमिक इस प्रकार के प्रतिष्ठानों में नौकरी पाते हैं। • एक प्रत्यक्ष लाभ यह है कि **इन श्रमिकों को** प्रोविडेंट फंड, पेंशन और जीवन बीमा के माध्यम से **सामाजिक सुरक्षा लाभ तक पहुंच प्राप्त होती है।**

11.2. स्टैंड-अप इंडिया योजना

(Stand Up India Scheme)

हाल ही में, **स्टैंड-अप इंडिया योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ाया गया है।**

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएँ
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और **महिलाओं** के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।	18 वर्ष से अधिक आयु के **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति** और/या **महिला उद्यमी।**	• इसका उद्देश्य ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को **10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के मध्य बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना है।** • इस योजना के अंतर्गत ऋण **केवल ग्रीनफील्ड परियोजना** के लिए उपलब्ध है। • **गैर-व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में,** 51% शेयरधारिता और नियंत्रण

VISION IAS

		हिस्सेदारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और/या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए। • उधारकर्ता को किसी भी **बैंक/वित्तीय संस्थान के ऋण चुकाने के मामले में डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए।** • ब्याज दर संबंधित निर्धारित श्रेणी (रेटिंग श्रेणी) के लिए बैंक द्वारा प्रयोज्य न्यूनतम ब्याज दर होगी, जो आधार दर {(MCLR) + 3% + टेनोर प्रीमियम)} से अधिक नहीं होगी। • **प्राथमिक जमानत के अतिरिक्त, ऐसे ऋण को संपार्श्विक जमानत अथवा क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्टैंड-अप इंडिया लोन (CGFSIL) द्वारा प्रदत्त जमानत के माध्यम (बैंक द्वारा यथा निर्णित) से प्राप्त किया जा सकता है।** • अधिकतम **18 माह की ऋण स्थगन की अवधि** सहित ऋण की वापिसी **7 वर्षों** में की जाएगी। • उधारकर्ता को सुविधा के लिए **रुपे डेबिट कार्ड** जारी किया जाएगा। • यह नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) के माध्यम से क्रेडिट गारंटी तंत्र के सृजन का भी प्रावधान करता है।

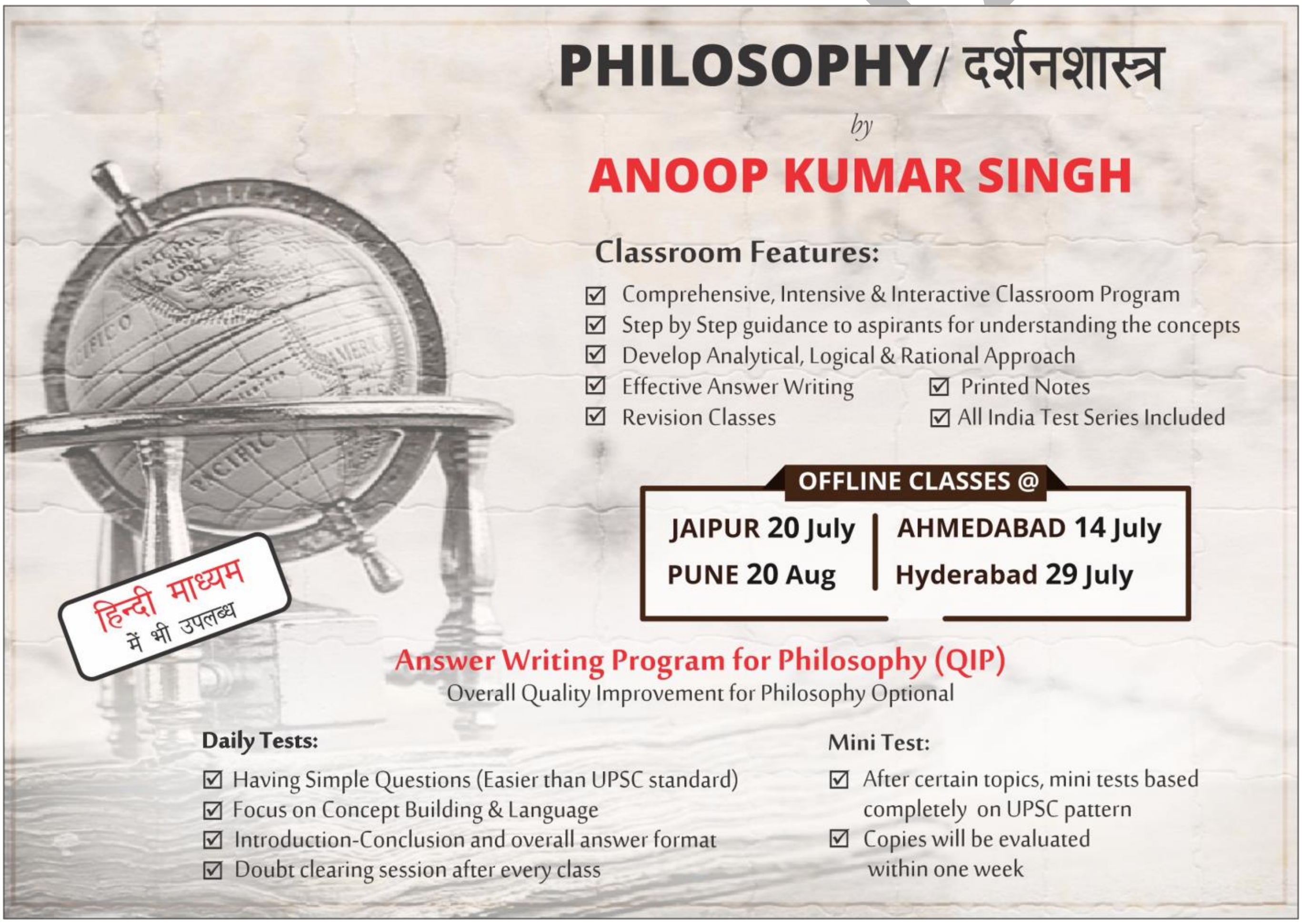

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS